

# हिंदी प्रभाकर परीक्षा की सहायक पुस्तकें कामायनी की कुंजी

( श्री सत्यपाल विद्यालंकार )

इस में 'कामायनी' के सब पदों की सरल टीका, रहस्यवादी पदों के विस्तृत संकेत और भावार्थ, ग्रंथ की आधारभूत कहानी, प्रसाद जी की जीवनी और उनकी कविता का विस्तृत आलोचना-त्पक परिचय तथा अन्य अनेक ज्ञातव्य बातें दी गई हैं। ऐसी विस्तृत, शुद्ध और आलोचनात्मक कुंजी अब तक तैयार नहीं हुई। पुस्तक लेते समय श्री सत्यपाल जी का नाम देख लें।

## मुद्राराजस नाटक सटिप्पण

[ स०—श्री धर्मचन्द्र विशारद ]

विद्यार्थी-धर्मयोगी सुसंपादित संस्करण। इसके लेने पर अन्य किसी कुंजी या सहायक पुस्तक की आवश्यकता नहीं रहती। (मू०॥)

## आलोचना-समुच्चय की प्रश्नोत्तरी

इसमें आलोचना समुच्चय में दिये गये सब कवियों की कविता का परिचय और विशेषताएँ प्रश्न और उत्तर के रूप में दी गई हैं।

## संचारिणी की प्रश्नोत्तरी

( श्री सत्यपाल विद्यालंकार )

इसमें संचारिणी के कठिन स्थलों की व्याख्या तथा निर्वर्णों का संक्षेप प्रश्न और उत्तर के रूप में दिया गया है।

## प्राचीन गद्य की कुंजी

[ के०—श्रीमती अमृतलता हिंदी प्रभाकर, संदूक कालिज, लाहौर ]

इसमें प्राचीन गद्य में दिये गये गद्य-लेखों के कठिन शब्दों के अर्थ, प्रत्येक लेखक की लेखन-शैली पर विचार तथा उस का साहित्य में स्थान बड़े विस्तार से दर्शाया गया है। मूल्य ॥०॥

## साहित्य समालोचना की प्रश्नोत्तरी

[ के०—श्री सत्यपाल विद्यालंकार, गोपाल आर्ट्स कालिज, लाहौर ]

इसमें साहित्य समालोचना का संक्षेप प्रश्न और उत्तर के रूप में दिया गया है। मूल्य ॥०॥ मात्र।

# मानव जाति का संघर्ष और प्रगति

१. अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां
२. भारतवर्ष स्वराज्य की ओर
३. वैज्ञानिक प्रगति

— : : —

लेखक—

चन्द्रगुप्त विद्यालंकार

ग्रकाशचन्द्र सूरी एम. ए.

रामस्वरूप थापर एम. एस-सी.

दूसरा संस्करण ]

अगस्त १९४१

[ मूल्य २॥।)

प्रकाशकः—

साहित्य भवन  
१५, फेन रोड, लाहौर



सुदकः—

ला० देसराज चोपड़ा,  
चोपड़ा प्रिंटिंग प्रेस, लाहौर

## भूमिका

संसार का भविष्य आज अनिश्चित है। परिस्थितियां बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। कोई नहीं कह सकता कि निकट-भविष्य में क्या होने वाला है। मानव जाति का संघर्ष आज अपने चरम सीमा तक पहुँच गया है। एक बार तो यह भय प्रतीत होने लगता है कि वर्तमान युग की संपूर्ण सम्यता कहीं इस महायुद्ध से नष्ट-भ्रष्ट न होजाय।

पिछले महायुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की नींव डाली गई थी। उस महायुद्ध से, पुराण-वर्णित समुद्र मन्थन के परिणाम के समान, विष की एक बड़ी मात्रा के साथ-साथ इतना ही अमृत निकला था। संसार के विचारकों को इस बात की आशा थंग गई थी कि शायद अब उत्कट राष्ट्रीयता की भावना का स्थान अन्तर्जातीयता लेले; शायद मानव जाति में मानव-प्रेम और अन्तर्जातीयता का भाव पनप उठे। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। महायुद्ध के बाद पहले कुछ वर्ष तो युद्ध का प्रभाव सिटाने में लग गए। उसके बाद संसार के सभी राष्ट्र अपनी सम्पत्ति और शक्ति झटाने से तत्पर होगए। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की भावना दिन दूनी

और रात चौगुनी बढ़ने लगी । इसी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा ने तानाशाही को जन्म दिया और आज, पिछले महायुद्ध की समाप्ति के सिर्फ़ २१ वर्ष बाद ही, संसार के दो प्रमुख प्रजातंत्रों और संसार की विकटतम तानाशाही में पुनः महायुद्ध जारी है ।

इस पुस्तक में हमने उन सब परिस्थितियों पर प्रकाश डालने का भरपूर प्रयत्न किया है, जिन्होंने वर्तमान महायुद्ध को जन्म दिया । पिछले महायुद्ध से लेकर आज तक संसार में जो बड़ी-बड़ी घटनाएं और महान आन्दोलन हुए, उन सबका दिग्दर्शन इस पुस्तक के प्रथम भाग में किया गया है । इस तरह इस पुस्तक के प्रथम भाग को हम “अन्तर्राष्ट्रीय प्रगतियों और प्रवृत्तियों” का भाग कह सकते हैं ।

दूसरे भाग में भारतवर्ष के वर्तमान शासनविधान और नागरिक तन्त्र पर ऐतिहासिक हृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है । भारतवर्ष जिस प्रकार क्रमशः स्वराज्य के पथ पर अपसर हो रहा है, उसका वर्णन इस भाग में है । भारतीय शासन विधान पर ऐतिहासिक हृष्टिकोण से प्रकाश डालना इसलिए आवश्यक समझा गया, कि वर्तमान भारतीय शासन-विधान का एक भाग, संघ-शासन, तो अब सरकारी तौर पर ही स्थगित कर दिया गया है । उस के स्थान पर संघ-शासन का अब कौन-सा स्वरूप निश्चित होगा, यह नहीं कहा जा सकता । शासन विधान का दूसरा भाग, प्रान्तीय शासन, भी आज भारतवर्ष के सात प्रान्तों में स्थगित हो चुका है । सम्भव है कि यह प्रान्तीय शासन-विधान पुनः कार्यरूप में आने लगे । परन्तु वर्तमान महायुद्ध के बाद भी प्रान्तीय शासन विधान का यही रूप रहेगा, यह कहना कठिन है ।

पुस्तक के तीसरे भाग में वैज्ञानिक प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। सृष्टि रचना के प्रारम्भ से लेकर मानव जाति के विकास और उसके द्वारा किए गए आविष्कारों का, अत्यन्त संक्षिप्त, परन्तु मनोरंजक वर्णन इस भाग में है। वैज्ञानिक प्रगति की इस सम्पूर्ण कहानी को एक सिलसिले में बांधने का प्रयत्न किया गया है।

मुझे विश्वास है कि हिन्दी में इस पुस्तक का यथोचित आदर होगा।

आशानिकेतन, लाहौर  
१२ दिसम्बर १९३६

चन्द्रगुप्त विद्यालंकार





# विषय सूची

प्रथम खण्ड

अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ

( लेखक—चन्द्रगुप्त विद्यालकार )

## आध्याय

| भूमिका                          | पृष्ठ       |
|---------------------------------|-------------|
| १. पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर | ३           |
| २. बोल्शोविक रूस                | ६           |
| ३. फासिस्ट इटली                 | २०          |
| ४. नाज़ी जर्मनी                 | ५२          |
| ५. संसार के प्रमुख प्रजातन्त्र  | ६६          |
| क. इंग्लैण्ड                    | ( ६५-१४० )  |
| ख. संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका      | ६५          |
| ग. फ्रान्स                      | ११२         |
| ६. हमारे पूरब के पड़ोसी         | १३४         |
| क. चीन                          | ( १४०-१७३ ) |
| ख. जापान                        | १४०         |
| ७. चर्तमान महायुद्ध             | १४८         |
|                                 | १७४         |

## विषय सूची

### द्वितीय खण्ड भारतवर्ष स्वराज्य की ओर ( लेखक—प्रकाशचन्द्र सूरी एम. ए. )

| अध्याय                               | पृष्ठ          |
|--------------------------------------|----------------|
| १. भारत मे अंग्रेजी राज्य की स्थापना | १              |
| २. शासन विधान का विकास               | १३             |
| ३. शासन विधान के कुछ सिद्धान्त       | ३०             |
| ४. अखिल भारतीय संघ                   | ४१             |
| ५. प्रान्तीय स्वराज्य                | ५८             |
| ६. सिविल सर्विसेज़                   | ६८             |
| ७. संघ शासन                          | ८२             |
| ८. संघ की अर्थिक अवस्था              | ८७             |
| ९. अंगरेजी सरकार का भारतीय विभाग     | ९७             |
| १०. रक्षा                            | १०४            |
| ११. राष्ट्रीयता की ओर                | ११८            |
|                                      | <b>कुल १३४</b> |

### तृतीय खण्ड विज्ञान की प्रगति ( लेखक—ग्रो० रामस्वरूप थापर एम० एस०-सी० )

$$\text{कुल पृष्ठ } २०२ + १३४ + ६२ = ३३८$$

## प्रथम अध्याय

### पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर

यूरोप में आज जो महायुद्ध हो रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह युद्ध कितने समय तक चलेगा, कौन-कौन देश इस युद्ध में सम्मिलित होंगे, इस सम्बन्ध में भी अभी निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता।

आज से करीब २५ वरस पहले भी एक महायुद्ध हुआ था। उस महायुद्ध से मानवजाति को जो भारी धक्का लगा था, उसे संसार केवल एक चौथाई सदी में ही भूल गया। ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम आगे चल कर विचार करेंगे। कठिपय विचार-फों की राय है कि वर्तमान महायुद्ध की नींव पिछले महायुद्ध में ही पड़ी थी। इस अध्याय में हमें पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर उत्पन्न हुई परिस्थितियों के सम्बन्ध में विचार करना है।

जो विश्वव्यापी महायुद्ध, सन् १९१४ में प्रारम्भ होकर सन् १९१८ के अन्त में समाप्त हुआ था, उसके सम्बन्ध में आज यह कहना भी कठिन है कि उस महायुद्ध का उद्देश्य क्या था। संसार की विभिन्न जातियों के ८० लाख से ऊपर स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट मनुष्य उस महायुद्ध की भेंट हुए। लगभग १३ करोड़ युवक इस महायुद्ध में जालमी हुए, जिनमें से एक बहुत बड़ी संख्या जीवन भर के लिए पंगु बन गई। महायुद्ध के बाद, युद्ध के परिणामस्वरूप, इन्फ्लूएन्जा ( उस युग का युद्धज्वर ) नाम की जिस संक्रामक बीमारीका आविर्भाव हुआ, लगभग दो करोड़ मनुष्य उसकी भेंट हो गए। उक्त महायुद्ध पर जो व्यय हुआ था, उसकी संख्या सोलह अंकों तक जा पहुंचती है। उतने रूपयों से अमेरिका इंग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, कैनाडा और आस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रत्येक परिवार के लिए -पृथक्-पृथक् नई कोठियां बन सकती हैं !

इस सब का, इतने भयंकर जन-घन-संहार का उद्देश्य क्या था, यह कहना आज बहुत कठिन है। उस महायुद्ध को बीते अभी २१ बरस ही हुए हैं। उस महायुद्ध के समय मानव-जोति के शक्तिशाली राष्ट्रों की बागडोर जिन व्यक्तियों के हाथ में थी, उन में से बहुत से लोग आज भी जीवित हैं। उन महापुरुषों से आज, जब यह प्रश्न किया जाता है कि पिछले महायुद्ध का उद्देश्य क्या था, तो वे इस प्रश्न का वे कोई सीधा और समझ आने वाला उत्तर नहीं दे सकते। वे कहते हैं कि उन्हें युद्ध करने के लिए वाधित किया गया। महायुद्ध के कारणों में अपना कम से कम उत्तरदायित्व सिद्ध करने का गलत या संहीं प्रयत्न यै

पुराने राजनीतिज्ञ करते हैं। ऐसा ग्रन्तीत होता है, जैसे उतना भयंकर जनसंहार करने की इच्छा तो किसी की भी न थी, परन्तु परिस्थितियों ने उन्हें वह लड़ाई लड़ने को वाधित कर दिया। और यह भी कि यदि उनका वस चलता तो वे उस महायुद्ध को और भी भयंकर बनाने का प्रयत्न करते, और भी अधिक जन तथा धन का संहार करते।

संक्षेप में वात इतनी ही थी कि जर्मनी विश्व में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता था और मित्रराष्ट्र उसकी इस दुष्कल्पना की सजा उसे देना चाहते थे। कुछ समय के लिए मित्रराष्ट्रों को अपने उक्त उद्देश्य में सफलता भी मिली। जर्मनी हार गया। मित्रराष्ट्रों द्वारा प्रस्तावित सभी दण्ड जर्मनी ने सिर झुका कर स्वीकार कर लिए; जैसे यह सब, एक राष्ट्र का यह दमन, सार्थक था। अभी २३ वरस ही तो बीते हैं और जर्मनी आज फिर से संसार की एक महान शक्ति बन कर हंगलैण्ड, अंग्रेजी साम्राज्य और अमेरिका की सम्मिलित शक्ति के साथ लोहा लेने उठ खड़ा हुआ है।

मतलब यही हुआ कि पिछले महायुद्ध से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। न तो जर्मन का और न मित्रराष्ट्रों का ही। जर्मनी अपना सांस्कार्य नहीं बढ़ा सका और मित्रराष्ट्र जर्मनी को सदा के लिये निश्चल नहीं बना सके। मानव-जाति ने बीसवीं सदी के प्रारम्भ में एक महाभयंकर परीक्षण किया था। उस परीक्षण से लाभ कुछ भी नहीं हुआ और कौन कह सकता है कि वर्तमान महायुद्ध में भाग लेने वाले एक भी देश को किसी तरह का लाभ

पहुंचने की सम्भावना है। फिर भी मानव समाज, जैसे अपने पिछले परीक्षण की भारी असफलता से सिंज कर इस शताब्दि के पूर्वार्ध में ही पुनः उसी परीक्षण को और भी अधिक भयंकरता के साथ दोहराने लगा है।

जानकार लोग हमें बताते हैं कि यह सब परिस्थितियों का प्रभाव है। परिस्थितियों ने ही पिछला महायुद्ध करवाया और परिस्थितियों के प्रभाव ही से वर्तमान महायुद्ध हो रहा है। जर्मनी की प्रमुख-लालसा फिर से पहले की अपेक्षा भी अधिक उत्कट लालची रूप धारण कर रही, वह कठिपय छोटे राज्यों को हड्डप कर गया, और इन परिस्थितियों ने मानव-समाज को लड़ने के लिये विवाह कर दिया। वह विवेकहीन होकर, लाभालाभ और फलाफल की चिन्ता छोड़ कर, अजल्ज नर-बलि देने को तत्पर हो गया है।

इन पृष्ठों में हमें देखना है कि वे परिस्थितियाँ कौन-सी हैं, जो आज तक मनुष्य पर राज्य किये चली जा रही हैं। यह एक मुरानी कहावत है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। परिस्थितियों की यह दासता विभिन्न राष्ट्रों में बैठे हुए मनुष्य-समाज पर और भी अधिक उपता और पूर्णता के साथ अपना आधिपत्य स्थापित किए हुए हैं। अगले पृष्ठों में हमें विश्व की उन परिस्थितियों से अपने पाठकों को परिचित कराना है, उन को विवेचना करनी है और उन के सम्बोधित परिणामों का अन्वयना लगाना है।

## वर्साई की सन्धि

**जर्मनी का आत्म-समर्पण—११ नवम्बर १९१८ को**  
 पिछला महायुद्ध समाप्त हुआ, संसार के सभी राष्ट्र तब तक महायुद्ध से तंग आ चुके थे। दोनों ओर के सैनिकों की दुरी दशा थी। खाइयों में लड़ने वाले सैनिक अनेक बार युद्ध के खिलाफ बिद्रोह कर देने का इरादा करते थे। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य-पालन आदि की भावना, महायुद्ध के हवय-विदारक हश्यों की तुलना में, ज्ञाण पड़ती चली जाती थी। जर्मनी की दृश्या विशेष चिन्ताजनक थी। परिणाम यह हुआ कि जर्मनी में राज्य-कान्ति हो गई। राजा कैसर को राजत्याग कर देना पड़ा। जर्मनी में सोशल डैमोक्रेटिक सरकार की स्थापना हो गई और ११ नवम्बर १९१८ को इस नई सरकार ने सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए।

**विल्सन का स्वप्न-भंग—**इसी वर्ष के आरम्भ में अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने, संसार में शान्ति स्थापित करने की इच्छा से एक घोषणा की थी। इस घोषणा में १४ धाराएं थीं। सन्धि करते हुए, जर्मनी ने यद्यपि मित्रराष्ट्रों की बहुत ही कठोर शर्तें भी स्वीकृत कर ली थीं, तथापि जर्मनी को विश्वास था कि स्थायी सन्धि का आधार राष्ट्रपति विल्सन के १४ सिद्धान्त ही बनेंगे।

अस्थायी सन्धि स्थापित होने के लगभग एक महीना बाद राष्ट्रपति विल्सन यूरोप में पहुंचे। उन्हें विश्वास था कि वह मित्र-राष्ट्रों से अपने १४ सिद्धान्त बखूबी स्वीकार करवा सकेंगे। परन्तु

यूरोप में परिस्थिति ही बदल चुकी थी। इंग्लैण्ड में उन्हीं दिनों पार्लियामेंट का नया चुनाव हुआ था और श्री लायडजार्ज इस आधार पर इस चुनाव में विजयी हुए थे कि वह विजित राष्ट्रों से महायुद्ध का पूरा हर्जाना बसूल करेंगे। उधर फ्रान्स के तत्कालीन राष्ट्रपति मिं० पोइन्कारे ने जैसे यह इरादा कर रखा था कि वह जर्मनी को संसार के नक्शे से ही उड़ा देंगे। फ्रान्सीसी प्रधान मन्त्री मिं० कलीमेन्शो इतने उपर तो न थे, परन्तु वह भी मिं० विल्सन के १४ सिद्धान्तों से सहभत न थे। उन्होंने तो एक बार मजाक मे कहा था—“देखो तो, अमेरिकन राष्ट्रपति अपनी चौंदह आज्ञाएं ले आया है, जब कि परमात्मा की आज्ञाएं भी इस से अधिक नहीं!” इटली, यूनान, रूमानिया आदि देशों के प्रधान-मन्त्री भी विल्सन के सिद्धान्तों के पक्ष में नहीं थे। मित्र राष्ट्रों को जर्मनी से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति में से कुछ हिस्सा मिलने की उन्हें भी आशा थी।

शान्ति-परिषद् की बैठकें—सन् १९१९ की १८ जनवरी को पेरिस मे परिषद् की पहली बैठक हुई। पेरिस का उत्तेजित वारावरण मिं० विल्सन के शान्ति सम्बन्धी सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं था। इस परिषद् में जर्मनी और रूस के प्रतिनिधियों को निम्नित नहीं किया गया, इस से राष्ट्रपति विल्सन का काम और भी अधिक कठिन हो गया। परिषद् में मित्रराष्ट्रों के ५३ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। बहुत शीघ्र १० सदस्यों की एक उपसमिति इस उद्देश्य से नियत करदी गई कि वही सन्धियों के रूप-निर्माण का कार्य करे। इस उपसमिति में अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, इटली और जापान के ही प्रतिनिधि थे।

परन्तु यह १० सदस्यों की उपसमिति भी कुछ बोभल-सी सिद्ध हुई। कामकाज की रफ़ार बहुत ही मन्द थी। राष्ट्रपति विल्सन तो इस उपसमिति के भी पक्ष में नहीं थे कि एक दिन विल्सन की अनुपस्थिति में लायडजार्ज ने सन्धि-परिदृ से यह प्रस्ताव स्वीकार करा लिया कि रूप-निर्माण का सारा कार्य विल्सन, लायड जार्ज, क्लीमेन्शो और ओरलेएंडों पर ही छोड़ दिया जाय। इन चार व्यक्तियों में विल्सन की स्थिति सब से अधिक निराली थी। उन्हें अपना एक भी समर्थक नज़र न आता था। लायड जार्ज जर्मनी से मिलने वाले हजारों के विभाजन तक की पूरी स्कीम पहले से बना चुके थे। इटली के प्रतिनिधि मिं० ओरलेएंडो का सारा ध्यान उसी बात की ओर केन्द्रित था कि इटली को एड़ियाटिक अवश्य मिले। क्लीमेन्शों को एक ही धुन थी कि जर्मनी पर कर्तव्य विश्वास न किया जाय। उसे कुचल दिया जाय, इतना अधिक कुचल दिया जाय कि वह फिर कभी सिर न उठा सके।

परिणाम यह हुआ कि मिं० विल्सन के १४ सिद्धान्तों की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जर्मनी से पूरा बदला निकालने की भावना को लेकर सन्धिपत्र तैयार किया गया और उस पर हस्ताक्षर कराने के लिए जर्मनी के प्रतिनिधियों को वसई बुला मेजा गया।

**जर्मनी की सहमति**—प्रज्ञातन्त्र जर्मनी के पंरराष्ट्र सचिव का नाम था, काउण्ट बौकडाफ राजू। अपने कुछ सहकारियों के साथ वह वसई पहुंचा। ये लोग अपने भाग्य के सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी नहीं जानते थे। ७ मई १९१९ को जर्मनी के ये सब

प्रतिनिधि कैदियों की-सी दशा में शान्ति-परिषद् के सम्मुख लाए गए। उन्हें लक्ष्य करके कलीमेंशो ने एक भयंकर भाषण दिया, जिस में गत महायुद्ध का सारा दोष जर्मनी को विद्यो गया। जर्मन परराष्ट्र-सचिव ने अपने जवाब में एक बात की ओर विशेष निर्देश किया—“पिछले ६ महीनों में जब सम्पूर्ण जर्मनी एक-एक पल गिन कर आपके निर्णय की प्रतीक्षा करता रहा है, वहाँ हजारों लाखों निर्दोष नागरिकों ने भूख से, तकलीफ से, थीमारी से, तड़प-तड़प कर प्राण दिए हैं। ऐसे नागरिक, जिन का युद्ध से कोई भी सञ्चाल्य नहीं था। जब आप हमारे अपराध और उसकी संज्ञा की बात कहते हैं, तो उन हजारों लाखों निरपराध जर्मन नागरिकों का भी कुछ ध्यान रख लीजिएगा।”

जर्मन परराष्ट्र-सचिव के इस भाषण को ‘गुस्तावीभरा भाना गया। सफेद चमड़े की जिलद से मढ़ी एक बड़ी-सी पुस्तक, जिसमें सन्धि की ४०० से ऊपर शर्तें दर्ज थीं, हस्ताक्षर के लिये उसके सामने कर दी गई।

सन्धि की शर्तें—आखिरकार जर्मनी को सन्धि की शर्तों का पता लगा। ये शर्तें इतनी कठोर थीं कि जर्मनी में, कभी किसी ने उन की कल्पना न की थी। संक्षेप में ये शर्तें इस प्रकार थीं—“जर्मनी से उसके यूरोपियन स्थल-भाग का आठवां भाग छिन जायगा। अल्बिस्स लोरेन और सार के कोयले के क्षेत्र फ्रान्स को मिलेंगे। कम से कम ३५ वर्ष तक उन पर फ्रान्स का पूरा अधिकार रहेगा। पोलैण्ड को दक्षिण और पश्चिमी प्रशिया (२६० मील लम्बा और ८ मील चौड़ा भाग जो कौरीडोर नाम से प्रसिद्ध है) मिलेगा। सिलेशिया का ऊपर का भाग

जैचोस्लोवेकिया को मिलेगा और शेष भाग पोलैण्ड को। यूपन-मलमेड़ी चाहें तो जर्मनी के साथ रहें और चाहें तो वैलिंग्यम के साथ। डेन्मार्क और मैमललैण्ड को मित्रराष्ट्रों के द्वारा नियत एक कमीशन के अधीन रखा जायगा।”

जर्मनी के सम्पूर्ण खनिज तथा अन्य उपयोगी उपज पद्धर्थ उस से छिन गए। लोहे और कोयले की कानें भी उस के हाथ में न रहीं। अफ्रीका आदि में उस के जितने उपनिवेश थे, वे सब उस से छिन गए। उस के सम्पूर्ण जहाज भी उस से छीन लिए गए। अपनी नदियों पर भी उस का प्रभुत्व नहीं रहा। निश्चय हुआ कि अपनी रक्षा के लिए १ लाख १५ हजार से अधिक सेना (१००००० स्थल और १५००० नौ सेना) जर्मनी नहीं रख सकेगा। मई १९२१ तक जर्मनी मित्रराष्ट्रों को १४ अरब रुपया अदा करेगा। हजारों के तौर से जर्मनी कुल कितना रुपया देगा, इस का निर्णय बाद में होगा। सन्धि की २३१ वीं धारा थी—“पिछले महायुद्ध में मित्रराष्ट्रों को जितनी जन और धन की ज्ञाति डटानी पड़ी है, जर्मनी स्वीकार करता है कि उस का पूरा उत्तरदायित्व जर्मनी और उस के मित्र देशों पर है और वह उस हजारों को, मित्रराष्ट्रों की हजारों सार, पूरा करने का ज़िम्मा अपने ऊपर लेता है।”

निश्चय हुआ कि जर्मनी ५ दिनों के भीतर ही इस सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर दे, अन्यथा मित्रराष्ट्र चाहे जो कुछ कर सकेंगे। जर्मन राष्ट्रसचिव ने चाहा कि उसे कुछ समय और मिल जाय। उसे आशा थी कि इस बीच में, प्राप्त माल के बटवारे के सम्बन्ध में मित्रराष्ट्रों में परस्पर मतभेद पैदा हो जायगा। परन्तु इस कार्य में उसे सफलता नहीं मिली। २८ जून को इस सन्धि-पत्र पर जर्मनी के भी हस्ताक्षर हो गए।

**आस्ट्रिया से सन्धि**—इसी तरह आस्ट्रिया और हंगरी से भी विभिन्न सन्धियों पर हस्ताक्षर करवाए गए। इन दोनों राष्ट्रों को एकदम बलहीन तो अवश्य बना दिया गया, परन्तु विशेष ध्यान इसी ओर दिया गया कि इन राष्ट्रों को इतने दुक्हों में बांट दिया जाय कि भविष्य में वे कभी जर्मनी की सहायता न कर सकें। आस्ट्रिया से सर्व, क्रोट और स्लोवन पृथक कर दिए गए। ३० लाख जर्मन-भाषा-भाषी आस्ट्रियन जैकोस्लोवेकिया के अधीन कर दिए गए। कुछ हिस्सा रूमानिया और यूगोस्लाविया को भी मिला। कुल मिला कर आस्ट्रिया का आधे से अधिक भाग आस्ट्रिया से पृथक कर दिया गया। आस्ट्रिया कभी जर्मनी से नहीं मिलेगा, इस की भी घोषणा कर दी गई। ११ सितम्बर १९१९ को आस्ट्रिया के साथ उक्त सन्धि हुई।

**हंगरी से सन्धि**—हंगरी के साथ सन्धि ४ जून १९२० को हुई। हंगरी का भी विलक्षुल अंग-भंग कर दिया गया। हंगरी के अधिकांश प्रदेश इधर-उधर के देशों (जैकोस्लोवेकिया और रूमानिया आदि) को बांट दिये गए। परिणाम यह हुआ कि हंगरी के पास १२५००० वर्ग मील भूमि मे से केवल ३५००० वर्ग मील भूमि ही बच रही। और उस की आबादी २ करोड़ १० लाख से केवल ८० लाख ही रह गई। हंगरी की लोहे की अधिकांश काने भी उस से छीन ली गई।

**राष्ट्र संघ की स्थापना**—इस तरह मित्रराष्ट्रों ने समझ लिया कि उन्होंने अपने शत्रुओं को सदा के लिए कुचल दिया है। वर्साइ मे जो कुछ हुआ, उस से राष्ट्रपति विलसन इतने

विनाश हुए कि सन्धिपत्र पर जर्मनी के प्रस्तावक होते ही वह अमेरिका के लिए रवाना हो गए। विल्सन के प्रयत्न से और चाहे जो कुछ हुआ हो या नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र-संघ की स्थापना अवश्य हो गई। इस संघ का मुख्य उद्देश्य संसार के विभिन्न राष्ट्रों में भ्रातृभाव और सहयोग की स्थापना करना था। यह भी सोचा गया कि सभी राष्ट्र मिल कर निश्चालीकरण की ओर ध्यान दें। विल्सन का ख्याल था कि हारे हुए राष्ट्रों के साथ विजयी मित्रराष्ट्रों ने चाहे किन्तु क्रूरता से काम क्यों न लिया हो, राष्ट्रसंघ द्वारा घोषित होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय भ्रातृभाव की प्रवृत्ति जब पनप जायगी, सन्धियों की प्रस्तावित क्रूरता और बदले की भावना स्वयं शिथिल पड़ जायगी। विल्सन ने सभभाना कि वह यूरोपियन प्रजातन्त्र-राष्ट्रों में राष्ट्र-संघ की स्थापना द्वारा पारस्परिक सहयोग और मित्रतापूर्ण विश्वास का बीजारोप कर चले हैं, अब यूरोप भूतकाल को भूल जायगा और सोहार्द्यपूर्ण भविष्य की चिन्ता करने लगेगा। परन्तु इस से बड़ी गलती वह कर नहीं सकते थे। उन की यह धारणा एकदम गलत थी और यह देख कर उन्हें असीम बेदना पहुंची कि सब से पहले अमेरिका ने ही राष्ट्रसंघ की प्रस्तावित योजना में सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि संसार में मित्रता और भ्रातृभाव की वृद्धि तो नहीं हुई, शान्ति से पूरा बदला लेने की भावना ही विजयी रही।

—और इस के बाद सम्पूर्ण यूरोप महायुद्ध की जूति पूर्ण करने, या यों कहना चाहिये कि वर्तमान महायुद्ध की तैयारी में समझ हो गया।

---

## दूसरा ग्रन्थाय बोल्डेविक रूस

नवम्बर १९१७ मेरु रूस में राज्यकान्ति हो गई। संसार की अत्यन्त महत्वपूर्ण राज्यकान्तियों में से एक यही राज्यकान्ति दूसरी कम नहरत्या के साथ हुई कि देखकर आश्चर्य होता है। संसार की परिस्थितियों पर इस राज्यकान्ति का बहुत गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा है। अठारहवीं सदी के अन्त मेरे होने वाली फ्रान्सीसी राज्यकान्ति संसार के इतिहास की एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण घटना है, परन्तु १९१७ की इस रूसी राज्यकान्ति की महत्ता भी उससे कम नहीं है। फ्रान्सीसी राज्यकान्ति जहाँ राजनीतिक, और सामाजिक कान्ति थी, वहाँ यह रूसी राज्यकान्ति राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों ही थी। हमे देखना है कि इस रूसी राज्यकान्ति के कारण क्या थे और वर्तमान संसार पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है।

**क्रान्ति के कारण**—उन्नीसवीं सदी में रूस मुख्यतः कृषिप्रधान देश ही था। वहाँ एक तरह की अर्ध-दासत्व प्रथा (Serfdom) प्रचलित थी। सन् १८६१ में जार इलेक्झैण्डर द्वितीय ने इस अर्धदासत्व प्रथा की समाप्ति कर दी। उसका कथन था—“इस से पहले कि अर्धदासत्व की प्रथा नीचे से बन्द हो, उसे ऊपर ही से स्वयं बन्द कर देना कहीं अधिक अच्छा है।”

रूस यदि पहले के समान कृषिप्रधान देश ही रहता तो शायद वहाँ उक्त राज्यक्रान्ति हुई ही न होती। परन्तु उन्नीसवीं सदी के अन्त में रूस को एक व्यवसायिक देश बनाने का गम्भीर प्रयत्न किया गया। तत्कालीन जार ने फ्रान्सीसी और अंग्रेज व्यवसायियों को इस बात का अधिकार दिया, कि वे रूस में अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। विदेशों से पक्का माल अपने यहाँ मँगवाने की बजाय विदेशी व्यवसायियों को रूस में ही माल पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना तत्कालीन रूसी सरकार को अधिक ऐछ्ड़ जान पड़ा। परिणाम यह हुआ कि सन् १८०४ के रूसी-जापानी युद्ध से पहले रूस एक अच्छा व्यवसायिक देश भी बन गया। सन् १८१४ तक करीब २५ लाख मजदूर शहरों की मिलों तथा कानों में काम करते थे। इन रूसी मजदूरों की दशा बहुत ही दयनीय थी। इंग्लैण्ड के मजदूर हाइडपार्क में जमा होकर अपने दुखड़ों का रोना रो सकते थे, वे इकट्ठे होकर पार्लियामेट भवन के सन्युख प्रदर्शन भी कर सकते थे, उन्हें ट्रैड यूनियन बनाने की भी अनुमति थी, वे अपने पत्र भी प्रकाशित करते थे। परन्तु रूस में इन से एक भी बात की आज्ञा नहीं थी। वहाँ मजदूरों की आर्थिक तथा सामाजिक दशा, मध्य-कालीन

गुलामों से किसी भी तरह अच्छी नहीं थी। ज़ार को सड़ा राज्य-क्रान्ति का डर बना रहता था और क्रान्तिकारी संगठनों को दबाने के लिए उसने 'ओत्राना' नाम की एक कूर पोलीस भर्ती की हुई थी। रूसी मन्त्रालय तहखानों में जमा होकर अपनी सभाएं करते थे और तहखानों के छोटे-छोटे छापेखानों में चोरी से अपना साहित्य छापते थे। इन दूराओं में उनका उद्देश्य स्वभावतः क्रान्ति ही होता था और 'ओत्राना' पोलीस जव उन्हें पकड़ पाती थी। तो उन्हें प्राणदण्ड अधिका साइबेरिया में देश-निवासन का इण्ड मिलता था। यह साइबेरिया का देश-निवासन, कुछ अंशक, प्राण-दण्ड से भी अधिक भयंकर माना जाता था।

**दमनचक्र**—सन् १८९६ में, एक स्कूल इन्स्पैक्टर के लेडि-मीर इलिच डिलिआनोव नामक पुत्र को, जिसने अपना दूसरा नाम लेनिन रखा हुआ था, साइबेरिया में देश-निवासन का इण्ड मिला। ३ वर्ष दाढ़ साइबेरिया से लौट कर, लेनिन रूस छोड़ कर, यूरोप में चला गया और १८ वर्ष ( सन् १८१७ तक ) वह यूरोप में ही रहा। ट्राद्स्की ( वास्तविक नाम—लेव डेविडो-विच वैन्स्टीन ) नाम के एक और युवक को १८ वर्ष की उम्र में देश-निवासन का इण्ड मिला। स्टालिन ( वास्तविक नाम—जोसफ जुगाश्चिलो ) नाम के एक अन्य युवक को करीब बारह बार जैल में फूंसा गया और बारह बार ही वह जैल से भागा। मज़दूरों के आन्दोलनों पर भयंकर ते भयंकर अत्याचार किये जाते रहे। शासन-व्यवस्था में सुधार करने का ज़रा भी प्रयत्न नहीं किया गया।

**क्रान्ति का प्रारम्भ**—कार्लमार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि जब कभी पूँजीपति राष्ट्र आपस में लड़ेंगे, मजदूरों को राज्यक्रान्ति करने का अवसर मिलेगा। मार्च सन् १९१७ में वह भविष्यवाणी पूरी हो गई। रूसी मजदूर द्वियों के किसी प्रदर्शन के अवसर रूस की राजधानी पेट्रोग्रेड (अब लेनिनग्रेड) में हड़ताल हो गई। हड़ताल के तीसरे दिन २,४०,००० मजदूरों ने राजधानी की सड़कों का चक्र लगाया। इन मजदूरों को भगाने के लिए कज्जाक फौज बुलाई गई। कज्जाक सेना अपनी कूरता के लिए प्रसिद्ध थी। परन्तु अत्याचारों का प्याला इतना अधिक भर चुका था और देश की आन्तरिक दशा इतनी अधिक बिगड़ गई थी कि ये कज्जाक भी हड़ताली मजदूरों से जा मिले। सम्पूर्ण नगर पर हड़तालियों का अधिकार हो गया। जार पेट्रोग्रेड से वापस आने की हिम्मत नहीं कर सका और वहां कुछ संचान्त व्यक्तियों की अस्थायी सरकार स्थापित हो गई।

**लेनिन की वापसी**—लेनिन उन दिनों जर्मनी में था। वही कोशिशों के बाद जर्मन सरकार ने लेनिन को इस बात की अनुमति दी कि वह अपने साथियों के साथ एक स्पेशल ट्रेन में रूस वापस जा सकता है। एग्रिल मे लेनिन जब पेट्रोग्रेड पहुंचा तो हजारों की संख्या में रूसी साम्यवादी उसका स्वागत करने पहुंचे हुए थे। जनता ने लेनिन का हार्दिक स्वागत किया। उसके जयकारों से अस्मान गुंजा दिया। जनता को आशा थी कि जार का राज्य समाप्त कर देने के लिए उनका नेता लेनिन उन्हें बधाई देगा। परन्तु लेनिन ने स्टेशन पर ही जनता को उसकी इस बेवकूफी के लिए खूब लताड़ा कि जार की जगह उन्होंने साम्यवादी

जनता का राज्य स्थापित न कर पूँजीपतियों की सरकार क्यों कायम कर दी ! लेनिन ने घोषणा की—“ हमें एकदम एक और क्रान्ति करनी होगी । हम-मजदूरों के हाथ में शक्ति देंगे, हम भूमि पर किसानों का राज्य स्थापित करेंगे । हम भूखों को रोटी देंगे और देश में शान्ति स्थापित करेंगे ।”

बोल्शेविकों ने समझा कि उनका नेता पागल हो गया है । उसे देश की परिस्थितियों का कुछ भी ज्ञान नहीं है । लेनिन की बात को किसी ने नहीं माना ।

लेनिन की अधिक असफलता—उधर अस्थायी सरकार यूरोपियन महायुद्ध में पूरा सहयोग देने को तत्पर थी । रूसी सिपाहियों के पास न कपड़े थे, न पूरे अस्त्र शस्त्र और न खाद्यपदार्थ ही । हाँ, अस्थायी सरकार में युद्ध जीतने का अद्यत्त उत्साह जरूर था । जिस बात से जार का पतन हुआ था, वही बात अस्थायी सरकार को भी ले डूबी । जून १९१७ में सरकार ने जर्मनी पर आक्रमण करने का निश्चय किया । परन्तु सैनिकों ने विद्रोह कर दिया । यह विद्रोह बहुत शीघ्र व्यापक हो गया । मज़दूरों ने भी हड्डताल कर दी । अस्थायी सरकार ने इस विद्रोह का सारा उत्तरदायित्व सम्बन्धादी बोल्शेविकों पर डाला और इस बात का प्रचार शुरू किया कि लेनिन जर्मनी का मेदिया है, वह रूस को जर्मनी के हाथ बेच देना चाहता है । अस्थायी सरकार को अपने इस प्रथत्त्व में सफलता मिली । लोकमत लेनिन और बोल्शेविकों के विरुद्ध हो गया । लेनिन और उस के साथी भाग कर कहीं छिप गए और अधिकांश बोल्शेविक गिरफ्तार कर लिए गए ।

**बोल्शेविक क्रान्ति**—२३ अक्टूबर को लेनिन के हस्ताहरों से एक घोषणा प्रचारित की गई कि १५ दिनों के भीतर रूस में बोल्शेविक राज्य की स्थापना हो जायगी। और सम्पूर्ण पन्द्रहवें दिन पेट्रोग्रेड में बोल्शेविक राज्य कायम हो गया। हजार डेढ़ हजार सुशिक्षित क्रान्तिकारी बोल्शेविक युवक जिस किसी तरह राजधानी में पहुंच गए। रात के दो बजे से ये युवक शहर के प्रमुख स्थानों पर जाकर जमा होने लगे। प्रातः ५ बजे तक सभी नाकों पर उन का अधिकार हो गया। सरकार की किसी आशा की उन्होंने कोई परवाह नहीं की। १० बजे उन्होंने घोषणा की कि सम्पूर्ण नगर पर बोल्शेविकों का अधिकार हो गया है। १० बजे लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक कांग्रेस की मीटिंग हुई। कुछ समय के बाद सरकारी पोलीस लेनिन और उसके साथियों को पकड़ने आई, परन्तु बोल्शेविकों ने उन सिपाहियों को ही गिरफ्तार कर लिया। सायंकाल लाखों व्यक्तियों ने मन्त्रिभरण भर पर धावा कर दिया, जिन में समाशीरों की संख्या ही अधिक थी। सभी मन्त्री जान बचा कर भाग गए और इस तरह बिना किसी घटना के अस्थायी सरकार नष्ट हो गई। रात के १२ बजे तक पूर्णरूप से बोल्शेविक सरकार की स्थापना हो गई। यह सम्पूर्ण क्रान्ति इतनी चुपचाप हुई कि बिदेशी सम्बाद-दाताओं को इस महान् राज्य-क्रान्ति का पता तक भी नहीं चला। इस क्रान्ति में बहुत ही थोड़ा, नगरेय-सरकार द्वारा हुआ।

माल्कों में बोल्शेविक राज्य स्थापित करते हुए कुछ रक्तपात अवश्य हुआ। लेनिन ने यह घोषणा कर दी कि बोल्शेविक राज्य में जमीनों पर किसानों का ही अधिकार होगा। किसानों के लिए

यह लालच बहुत बड़ा था। उन्होंने बोल्शेविक राज्य स्थापित करने में बड़ी सहायता दी और जमीनों पर अपना अधिकार कर लिया। बाद में जब इन जमीनों पर बड़े पैमाने से खेतीवाड़ी करने की ज़रूरत अनुभव की गई, तो बोल्शेविक सरकार को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

रूस में उन दिनों भीषण अकाल फैला हुआ था। लोग भूखों मर रहे थे। व्यापार, व्यवसाय, लेन-देन सब चौपट हो गया था। उधर जर्मनी हर समय रूस पर आक्रमण करने की धमकियां दे रहा था। लाचार हो कर लेनिन ने रूस के अनेक उपजाऊ और समृद्ध भाग जर्मनी को देकर उस से सन्धि कर ली। लेनिन के सौभाग्य से उस के थोड़े ही दिनों के बाद जर्मनी हार गया और उस सन्धि की कोई भी शर्त व्यवहार में नहीं लाई जा सकी।

थेंत जातियों से संघर्ष—इस के बाद मित्र-राष्ट्रों ने रूस को परेशान करना शुरू किया। लेनिन जर्मनी के साथ सन्धि करने को तत्पर था, इस से मित्रराष्ट्र रूस को अपना शत्रु समझते लगे। रूस में जो बोल्शेविक सरकार स्थापित हुई थी, उसे मित्र-राष्ट्रों की पूंजीप्रधान सरकारें अपने लिए खतरे का कारण समझती थीं, इस कारण भी रूस के शत्रुओं की संख्या बहुत बढ़ गई। रूस में अंग्रेजों और फ्रैंच लोगों ने जो रूपया व्यवसाय में लगाया था, वह सब का सब खतरे में पड़ गया। मित्रराष्ट्रों की सेनाएं महायुद्ध से लिपट ही चुकी थीं। इन सब कारणों से मित्रराष्ट्रों की अनेक सेनाएं रूस पर आक्रमण करने के लिए भेज दी गईं। इंग्लैण्ड, फ्रान्स, रूमानिया, हैन्मार्क, ज़ैचोस्लोवेकिया आदि की क्रीच दो लाख सेना ने रूस को अनेक ओर से घेर लिया। शीघ्र

ही दूसरी और से जापान ने भी रूस पर आक्रमण कर दिया और अमेरिका तथा इंग्लैण्ड ने उस की सहायता की।

**बोल्शेविक सरकार की विजय**—कुछ समय तक रूस की बोल्शेविक सरकार का भविष्य बहुत खतरे में रहा। परन्तु उसके बाद, वर्साई की सन्धि होते ही, फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेनाएं अपने-अपने देशों को लौट गईं। रूस को कुछ हिम्मत हुई। जून १९१६ में लेनिन ने ट्राट्स्की को रूसी सेना का प्रधान सेनापति बना दिया। ट्राट्स्की एक बहुत प्रतिभाशाली संयोजक सिद्ध हुआ। थोड़े ही समय में उसने ४,००,००० सेना एकत्र कर ली, जिन में ३०,००० पुराने रूसी अफसर थे। ट्राट्स्की ने १६ मोर्चे बनाये। पूरे २५ बष्टौं तक वह एक मोरचे से दूसरे मोरचे तक दौड़ता फिरा। अन्त में रूस की विजय हुई और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस विजय का सब से बड़ा श्रेय ट्राट्स्की को था। रूस की आपेक्षाकृत अशिक्षित और दरिद्र-सी सेना में २५ बरसों तक उत्साह का मन्त्र पूँक्ते रहने का कार्य ट्राट्स्की ने ही किया। इस युद्ध में दो लाख से ऊपर रूसी सैनिक मारे गए।

**युद्ध और क्रान्ति के प्रभाव**—युद्ध तो समाप्त हो गया, परन्तु हारी हुई श्वेत फौजें जब अपने-अपने देशों को बापस पहुंची, तब उन्होंने रूसी बोल्शेविक सरकार के सम्बल्प में बड़े भयङ्कर समाचार अपने देशवासियोंको दिए। बताया गया कि ज़ार की ओत्राना फौज़ की तरह बोल्शेविक सरकार ने 'चेक' नामक फौज भरती की है। ये लोग बोल्शेविज्म के विपक्षियों पर भयङ्करतम अत्याचार करते हैं। कैदियों को जान से मार देना, स्त्रियों पर बलात्कार

करना, बच्चों का बध कर देना आदि बाते वहां रोजमर्ग होती हैं। जो रूसी अपने को पक्का क्रान्तिकारी सिद्ध नहीं कर सकता, उसे गोली से ढ़ा दिया जाता है। इन समाचारों में कहां तक सच्चाई थी, यह कहना कठिन है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि युद्ध के उन दिनों में रूसी बोल्शेविक सरकारने अपने आन्तरिक शासनमें बहुत कठोरता, बल्कि क्रूरता से भी, काम लिया। अनुमान है कि इस वीच में ७०,००० रूसियों को प्राणदण्ड दिया गया।

युद्ध का समाजवाद—इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए रूस में युद्ध का सर्माजवाद (War Communism) स्थापित किया गया। समाजवाद में जहां सब लोग समान हैं, वहां इस युद्ध के समाजवाद में डिक्टेटरशिप की स्थापना की गई। सम्पत्ति उत्पन्न करने के सभी साधन सरकारने अपने अधीन कर लिए। सन १९१८ के अन्त तक यह स्थिति आगई कि रूस की ग्रत्येक उपज पर सरकार का अधिकार हो गया। किसानों से जबरदस्ती अनाज छीन लिया जाने लगा। बढ़ले में उन्हें बेहुत ही थोड़ी कीमत दी गई। कर्जे माफ़ करे दिये गए और देश भर की सम्पूर्ण वैयक्तिक सम्पत्ति पर सरकार का अधिकार हो गया। किसान लोग बोल्शेविक सरकार से घृणा करने लगे। बोल्शेविक सरकार सिर्फ़ मज़बूरों की ही सरकार रह गई। परिणाम यह हुआ कि परिस्थिति भयङ्कर संभयङ्करतम हो गई। देश भर में घोर अकाल फैल गया। सन १९२१ में करीब १० लाख किसानों ने भूख से तड़प-तड़प कर प्राण दे दिए। तंग आकर रूसी किसानों तथा रूसी नाबिकों ने अनेक बार विद्रोह करने का प्रयत्न किया। परन्तु इन विद्रोहियों को बड़ी कठोरता से दबा दिया जाता रहा। . . .

‘नई आर्थिक नीति’—आखिरकार लाचार होकर लेनिन ने तेल्कालीन समाजवाद की व्यवसंथा मे परिवर्तन कर दियो। लेनिन की यह नई नीति ‘नई आर्थिक नीति’ (न्यू इकोनौमिक पौलिसी) के नाम से प्रसिद्ध है। इस नीति के अनुसार साम्यवाद के पुराने रूप मे परिवर्तन कर दिया गया। किसानों से जबरदस्ती अनाज लेने की प्रथा बन्द कर दी गई। उसकी ज़गह उपज के अनुमान से उन पर टैक्स लंगाया जाने लगा। व्यवसाय पर भी सरकारी नियन्त्रण ढीला पड़ गया। लोगों को इस बात की अनुमति मिल गई कि वे अपने लाभ के लिए छोटे-छोटे कारखाने खोल सकें। यहां तक कि विदेशी कर्मचारियों को भी रूसमे काम करने की अनुमति मिल गई। बड़े व्यवसायों का संगठन ट्रस्टों के आधार पर किया जाने लगा। उनके मुनाफे का बढ़ा भाग उन्हीं को मिलने लगा। सरकारी नियन्त्रण बहुत कम हो गया। नफे में पूँजी और आय के अनुपात नियत कर दिए गए। भोजन के टिकट, मिलने बन्द हो गए, उसके बदले नई मुद्रा-पद्धति शुरू की गई। सहोदरा समितियों को सरकारी तौर से प्रोत्साहन मिलने लगा। गोश्वान्क के नाम से एक नए बैंक की स्थापना भी सन् १९२१ मे की गई।

यह न्यू इकोनौमिक पौलिसी “एन० ई० पी०” के संक्षिप्त नाम से पुंकारी जाने लगी और उसके अधार पर जिन व्यवसायों ने रूस मे व्यवसाय प्रारम्भ किया, वे नैपमैन (Nep men) कहलाने लगे। क्रमशः अध्यवसायी और परिश्रमी पुरुषों ने मुन्ज़ कुछ धने संग्रह कर लिया और मेहनती किसान भी, क्रमशः अपनी जमीन का क्षेत्र बढ़ा कर कुछ सम्पन्न बन गए। इन सम्पन्न लोगों को ‘कुलक’ कहा जाने लगा और यारीबो को ‘बैडनिंक’।

नई आर्थिक नीति का प्रभाव—बोल्शेविक सरकार ने इन कुलकों पर भारी कर लगा कर उनका संचित धन ले लेना चाहा, परन्तु इस कार्य में उसे सफलता न मिली। इस नई आर्थिक नीति से रूस के साम्यवादी अपने आदर्श से तो अवश्य गिर गए, परन्तु इसके द्वारा तत्कालीन विषम परिस्थितियों पर उन्होंने नियन्त्रण कर लिया। नगर और प्रास दोनों की दशा सुधर गई। सन् १९२० में रूस का निर्यात १४ लाख रुबल मूल्य का था, १९२१ में वह २०२ लाख का हो गया, १९२२ में वह ८१६ लाख तक जा पहुँचा और चौथे ही वर्ष ( १९२३ मे ) वह २०५८ लाख तक पहुँच गया। इस तरह अपने देश की आर्थिक दशा सम्मालने में लेनिन को आश्चर्यजनक सफलता मिली।

लेनिन की मृत्यु—सन् १९२४ के जनवरी मंहीने में बोल्शेविक क्रान्ति के जन्मदाता लेनिन का देहान्त हो गया। लेनिन की गणना संसार के सर्वकालीन इतिहास के सर्वश्रेष्ठ महामुरुषों में की जाती है। १९१७ की रूसी राज्यक्रान्ति का जन्मदाता तो शायद लेनिन को नहीं कहा जा सकता, परन्तु इस क्रान्ति का सब से बड़ा नेता लेनिन ही था। फ्रांस को, उसकी राज्यक्रान्ति के बहुत समय पीछे नैपोलियन-सा महामुरुष भिला था। रूस को नैपोलियन से भी अधिक बड़ा एक नेता लेनिन के रूप में क्रान्ति का नेतृत्व करने के लिये मिल गया। लेनिन बहुत ही अनथक काम करने वाला था। वह अकेला अनेकों दफतरों से अधिक काम कर रहा था। सम्पूर्ण क्रान्ति को सफलतापूर्वक चलाने का श्रेय लेनिन को ही था। अत्यधिक परिश्रम करने का परिणाम यह हुआ कि सन् १९२३ मे लेनिन वीमार पड़ गया।

**लेनिन का व्यक्तित्व—**लेनिन का देह पतला-दुबला था। उसका कद मझोला था। सिर गंजा था और चिबुक के अग्रभाग पर वह लाल रंग की नोकीली-सी दाढ़ी रखता था। उसका स्वभाव शान्त था और प्रकृति मधुर थी। अपने सभी अनुयाइयों में भेल बनाये रखने का काम वही करता था। खान-पान और रहन-सहन के सम्बन्ध में उसकी आदतें पुराने ढंग की थीं। उसकी स्मरणशक्ति बहुत तेज़ी थी। परमात्मा ने उसे असाधारण आठ्याँ-तिमिक आकर्षण-शक्ति भी दी थी। रूस कभी इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लेनिन के बिना रूस ज़िन्दा रह सकता है। सन १९१८ में किसी ने लेनिन को गोली मारी थी। गोली लेनिन के गले पर लगी थी और उसे निकाला नहीं जा सका था। उसके बाद भी वह दिन रात अनन्यक काम करता रहा। १९२२ में वह बीमार पड़ा, उसके बाद उसे बीमारी के अनेक दौरे हुए। मार्च १९२३ में लेनिन की दुशा बहुत बिगड़ गई, उसे अर्धांग का-रोग हो गया। इस पर भी, रोग-सौया पर पड़े-पड़े वह रूसी राष्ट्र के इस नए परीक्षण का अत्यन्त सफलतापूर्वक संचालन करता रहा। लेनिन के देहान्त होजाने पर रूसमरमें अत्यधिक शोक मनाया गया।

**लेनिन के उत्तराधिकारी—**शोकमम रूस के सामने सब से महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन हो। इस पद के लिए ४ व्यक्ति उमीदवार थे—जिनोवीफ़, जो एक बहुत उत्तम राजनीतिज्ञ था; कामनेव, जो अनिश्चित स्वभाव का होते हुए भी बहुत श्रेष्ठ वक्ता था; स्टालिन, जो समाजवादी दल का मन्त्री होते हुए भी बहुत कम ज्ञात था। स्टालिन के सम्बन्ध में किसी ने कहा था कि वह एक अत्यन्त उपयोगी नौकर है,

वह मालिक नहीं बन सकता। इन तीनों के सम्बन्ध में लोगों में धारणा थी कि वे नेता नहीं बन सकते। चौथा ट्राट्स्की, जो जन्म का एक नेता था। सारा रूस उसे जानता था। बल्कि लेनिन के बाद ट्राट्स्की का नाम ही दुनिया भर में प्रसिद्ध था। रूस के लाखों घरों में उसका चित्र लेनिन के साथ-साथ टांगा जाता था। वह एक बहुत श्रेष्ठ वक्ता, लेखक और प्रबन्धकर्ता था। परन्तु उसकी कमज़ोरी यह थी कि अपने तेज़ स्वभाव के कारण बहुत से लोगों को अझान ही में उसने अपना शम्भु बना लिया था। लेनिन के देहान्त के बाद ट्राट्स्की के अतिरिक्त शेष तीनों व्यक्ति राष्ट्र का संचालन करते रहे।

रूस में क्रमशः नैपैमेन और कुलकों की सम्पत्ति और उनका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था। जिन विदेशी क्यवसाइयों को वहाँ काम करने की अनुमति मिल गई थी, वे भी अच्छा धन कमा रहे थे। ट्राट्स्की ने इस परिस्थिति के बिल्द्ध आनंदोलन शुरू किया। उसका कहना था कि हम लोग बड़ी शीघ्रता से अपने सिद्धान्त तथा आदर्श से पतित होते चले जा रहे हैं। साम्यवाद के नए पर्दीहरण करने की बजाय उसे और भी शिखिल करने की बात ट्राट्स्की को पसन्द न थी।

उधर स्टालिन इस परिणाम पर पहुंचा था कि रूस को आदर्श साम्यवादी बन कर रहने की आवश्यकता नहीं है। संसार की परिस्थितियों की उपेक्षा करने से काम न चलेगा। लेनिन के समय यह प्रयत्न शुरू किया गया था कि संसार के अन्य देशों में भी साम्यवादी क्रान्ति करने का कार्य किया जाय। स्टालिन इस

परिणाम पर पहुंचा कि अभी विश्व-क्रान्ति का समय नहीं आया। उसने वह प्रोग्राम स्थापित कर दिया।

**राष्ट्रीय साम्यवाद (State Socialism)**—स्टालिन ने रूस में राष्ट्रीय साम्यवाद को व्यावहारिक रूप दिया। इस कार्य का प्रारम्भ लेनिन ने ही किया था। व्यावसायिक उत्पत्ति के साधनों पर राष्ट्र का प्रभाव और आधिपत्य स्थापित करने का प्रबन्ध किया गया। नैपर्मैन के कार्य में स्टालिन ने यह वांधा दी कि कच्चे माल के उत्पादकों को राष्ट्र की सहायता से संगठित कर नैपर्मैन को कच्चा माल पहुंचाना बन्द कर दिया। क्रमशः उसने राष्ट्र भर के व्यवसाय-केन्द्रों और कारखानों को संगठित कर दिया। प्रत्येक कारखाने पर, उस में काम करने वाले मज़दूरों का ही आधिपत्य स्थापित कर दिया। कारखानों का प्रबन्ध करने के लिए पृथक्-पृथक् ट्रस्ट और कमेटियां बना दी गईं। उन सब पर राष्ट्र का कड़ा निरीक्षण रहने लगा।

**स्टालिन की विजय**—उधर ट्राट्स्की चाहता था कि रूस कार्लमार्क्स के सिद्धान्तों का अनुसरण करे। स्टालिन चाहता था कि लेनिन के ढंग पर, परिस्थितियां देख कर ही, हम अपना कदम बढ़ाएं और आवश्यकता पड़ने पर अपने मार्ग में परिवर्तन भी करते जाएं। स्टालिन और ट्राट्स्की के ये पारस्परिक मौलिक मतभेद इतना अधिक बढ़े कि वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तब तक रूस का बहुमत स्टालिन के साथ हो गया था, इससे ट्राट्स्की को देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा। रूस में लेनिन और स्टालिन के ढंग का परिवर्तित साम्यवाद ही स्थापित हो पाया।

**समाजवाद का परीक्षण**—सन् १९२३ में बोल्शेविक रूसी सरकार का नया शासन-विधान बना। इस विधान के अनुसार रूस को एक व्यापक संघ का रूप दे दिया गया। इस संघ का नाम रखा गया—“साम्यवादी सोवियट प्रजातन्त्रों का संघ” (Union of Socialist Soviet Republics) जिसे संक्षेप में ‘यू० एस० एस० आर०’ कहा जाता है। इस रूसी संघ की आवादी १० करोड़ से ऊपर है और इस में ग्रामीण स्वायत्त शासन वाले प्रजातन्त्र राष्ट्र हैं। इन में से उजबक एस० एस० आर० भारतवर्ष के सब से निकट है।

जारशाही के ज़माने में सम्पूर्ण रूस में गहरी एकता की भावनाओं भरने का प्रयत्न किया गया था। राष्ट्रीय ऐद की सभी बातें उन दिनों प्रयत्नपूर्वक दूर की जा रही थीं। परन्तु बोल्शेविक सरकार इन राष्ट्रों का विकास उन के अपने-अपने ढंग पर ही कर रही है। इन सभी राष्ट्रों की सम्यता, भाषा, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, साहित्य आदि का पृथक-पृथक् विकास हो रहा है। एक तरह से इन सभी राष्ट्रों को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त है। यहाँ तक कि शासन-विवान में ऐसी कोई धारा नहीं, जिस के आधार पर इन्हें ‘यू० एस० एस० आर०’ का सदस्य बनने के लिये भी वाधित किया जा सके; यद्यपि व्यावहार में इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इन में से कोई राष्ट्र कभी “यू० एस० एस० आर०” से अपना सम्बन्ध तोड़ना चाहेगा। इस तरह सभी राष्ट्रों को पूर्ण आन्तरिक स्वतन्त्रता देकर रूस ने अपनी पृथक् राष्ट्रीयता की समस्या का हल, बहुत अंश तक, कर लिया है। सम्यता, शिक्षा, साहित्य आदि के सम्बन्ध में तो इन राष्ट्रों को पूर्ण स्वाधीनता है,

परन्तु आर्थिक संगठन और आर्थिक विकास की दृष्टि से एक ही ढंग के नियम इन सभी राष्ट्रों में जारी हैं। आर्थिक संगठन की दृष्टि से सम्पूर्ण रूस एक है।

**श्रम-समितियां—( Soviets )** बोल्शेविक रूस की सब से अधिक महत्वपूर्ण संस्थाएं वहां की श्रम-समितियां ( सोविएट्स ) हैं। इसका कारण यह है कि वर्तमान रूस की एकता का आधार जाति, देश या धर्म की एकता नहीं हैं, यह आधार तो कार्ल मार्क्स के समाजवाद के प्रति रूस की पूर्ण आस्था है। कार्लमार्क्स का कथन है कि एक पूँजीवादी समाजको समाजवादी समाज बनाने का कार्य हाथ से काम करने वाले मजदूरों ( प्रोलेटेरिएट-Proletariat ) की डिक्टेटरशिप द्वारा ही हो सकता है। वास्तवमें रूसी राज्य-क्रान्ति इसी ढंग पर हुई थी। सन् १९२३ के रूसी शासन-विधान का आधार भी यही उपर्युक्त सिद्धान्त है। राज्यक्रान्ति के एकदम बाद रूस में श्रम समितियों ( सोविएट्स ) का जन्म हुआ। किसानों, सैनिकों और मजदूरों ने अपनी-अपनी पृथक् श्रम-समितियां बना लीं।

वर्तमान बोल्शेविक सरकार का वास्तविक आधार यही श्रम-समितियां हैं। प्रत्येक गांव, कसबे, शहर, जिले, प्रान्त और राष्ट्र में पृथक्-पृथक् श्रम-समितियां हैं। इन सब के ऊपर सम्पूर्ण रूस की एक सोविएट है, जिस की बैठक वर्ष में एक बार होती है। सिद्धान्त रूप में यही सोविएट रूस की सब से अधिक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक संस्था है। इन सम्पूर्ण श्रमसमितियों का निर्वाचन प्रतिवर्ष होता है, यद्यपि प्रतिवर्ष नए उमीदवार नहीं होते।

साथ ही इन अमरसमितियों में किसानों की अपेक्षा मजदूरों की महत्ता अधिक रहती है।

**समाजवादी दल**—रुसी सरकार का सब से अधिक महत्वपूर्ण और जीवित संगठन वहाँ का समाजवादी दल है। सन् १९१७ से लेकर अभी तक रुस में इसी दल का शासन है। शासन क्या इसे डिक्टेटरशिप कहना चाहिये। इसे एक तरह का स्वयं-सेवकदल कहा जा सकता है। इसके सदस्यों की संख्या लगभग २० लाख है। इसके प्रत्येक सदस्य से बहुत ऊँचे आदरशपूर्ण व्यवहार तथा जीवन की आशा की जाती है। प्रायः सभी सरकारी ओहदों पर इसी पार्टी के सदस्य नियुक्त होते हैं। इन लोगों को अपना जीवन त्यागभय बनाना पड़ता है। अधिक वैरान उन्हें नहीं दिया जाता। पार्टी के सदस्यों पर काफ़ी कठोर नियन्त्रण और निरोक्षण रखता जाता है। अयोग्य व्यक्तियों से सदस्यता छीन ली जाती है। रुस में और किसी पार्टी की स्थापना करने की अनुमति नहीं है। रुस भर की प्रत्येक सोविएट से आप को इस समाजवादी दल के सदस्य अवश्य मिलेंगे।

परिणाम यह हुआ है कि सम्पूर्ण रुस पर इसी समाजवादी दल का शासन है। इस दल की केन्द्रीय कार्य-समिति के सदस्य ही रुस का मन्त्री-मण्डल बनाते हैं। सन् १९३८ तक स्टालिन, इसी पार्टी के मन्त्री की हैसियत से ही सम्पूर्ण रुस का डिक्टेटर था। सन् १९३८ में रुस में जो प्रजातन्त्रात्मक शासन-सुधार किए गए, उनके अनुसार स्टालिन अब उक्त दल का प्रधान-मन्त्री होने के साथ ही साथ रुस का राष्ट्रपति भी नियत हो गया है।

**व्यवसाय-संघ**—जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सम्पूर्ण रूस में यदि किसी बात की एकता स्थापित की जा रही है, तो वह आर्थिक संगठन की। रूस के सभी उत्पादक कारखानों का नियन्त्रण और संचालन करने के लिए वहाँ व्यवसाय-संघ (Collectives) नाम की संस्थाएं बनी हुई हैं। कारखाने में काम करने वाले मजदूर तथा अन्य सभी लोग इन व्यवसाय-संघों के सदस्यों का निर्वाचित करते हैं। कारखानों का पूरा प्रबन्ध इन्हीं संघों के हाथ में होता है। रूस का सम्पूर्ण आर्थिक जीवन इन व्यवसाय-संघों के हाथ में है, इस से इन की महत्ता भी बहुत अधिक है।

“ओ० जी० पी० य०”—पिछले अनेक वर्षों से वोल्शेविक रूस की जिस संस्था के सम्बन्ध में संसार भर में सब से अधिक चरचा रही है, वह वहाँ की ‘ओ० जी० पी० य०’ (संयुक्त राष्ट्र का राजनीतिक विभाग; United State political Department) है। इस संस्था के कारनामों ने संसार भर में रूस की आन्तरिक परिस्थितियों के प्रति एक आतंक-सा स्थापित कर दिया है। यह संस्था एक तरह का सैनिक संगठन है, जिस में रूस का गुपचर-विभाग भी सम्मिलित है। इस संस्था का केन्द्र मास्को में है। संस्था की अपर्णी सेना है। उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह सम्पूर्ण रूस के किसी भी राष्ट्र में हस्ताक्षेप कर सके। रूस भर में इस संस्था के गुपचरों का जाल-सा विछा हुआ है। इस संस्था के सदस्यों को असाधारण अधिकार प्राप्त हैं। उन की रक्षा और उनके आराम का विशेष प्रबन्ध किया जाता है। सब से विचित्र बात यह है कि यह संस्था अपराधियों को स्वयं दरिखित भी कर सकती है और इस के दण्ड बहुत कड़े होते हैं।

संसार भर में प्रसिद्ध है कि “ओ० जी० पी० यू०” बहुत ही अत्याचारी संस्था है। स्वयं रूस में इस संस्था के कारनामों का आतंक और भी अधिक है। एक जानकार व्यक्ति, जो स्वयं इस संस्था का शिकार बन चुका है, (एतन मॉकहाउस) का कथन है कि यह संस्था जानवूक कर, भूठी अज्ञवाहे फैला कर, रूस में अपना आतंक स्थापित किए हुए हैं, ताकि लोग रूस के नए समाजवादी परोक्षण में, जिसका परिचालन बहुत ही व्यापक और कठिन है, बाधा ढालने का साहस ही न करे।

### पंचवार्षिक कार्यक्रम

रूस की राज्यकान्ति के बाद वहाँ जो भवंकर दुर्भित पड़ा, उसने वहाँ के साम्यवादी नेताओं के दिल पर इस बात की गहरी छाप डाल दी कि यदि रूस ने जिन्दा रहना है तो उसे अपने को आर्थिक और भौतिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन दिनों संसार के प्रायः सभी शक्तिशाली राष्ट्र रूस के विरोधी थे, इस बात से रूसी सरकार को आत्मनिर्भरता की आवश्यकता और भी अधिक तीव्रता के साथ अनुभव हुई। बत्तेमान रूस के पिता लेनिन ने रूस को व्यावसायिक देश बनाने का प्रयत्न भी किया। रूस का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, वहाँ उपजाऊ भूमि की भी कमी नहीं। वहाँ की वन्य तथा जनिज सम्पत्ति भी बहुत अधिक है। लेनिन ने प्रयत्न किया कि सम्पूर्ण रूस में विजली का प्रसार कर दिया जाय, ताकि वहाँ छोटे-छोटे गृह-उद्योग और बड़े कल-कारखानों का सूत्रपात आसानी से किया जा सके। परन्तु इस तरह रचनात्मक आर्थिक

कार्य प्रारम्भ करने के कुछ समय के बाद लेनिन का देहान्त हो गया ।

सन् १९३५ से रूस में आर्थिक निर्माण का कार्य बड़ी गम्भीरता के साथ शुरू किया गया । देशभर के प्रत्येक कारखाने, खान और ट्रस्ट से यह पूछा गया कि वे वर्ष भर में कितना माल पैदा करते हैं और प्रयत्न करने पर अपनी पैदावार वे कहाँ तक बढ़ा सकते हैं । उत्तर में जो आंकड़े प्राप्त हुए, उन्हें स्थानीय अर्थ-समितियों ने देख कर शुद्ध किया । उसके बाद वे संख्याएं केन्द्रीय अर्थ-समिति को भेज दी गईं । इस अर्थ समिति ने विशेषज्ञों की एक और समिति नियत की, जिस का नाम गोस्प्लेन ( Gosplan ) था । इसके सदस्यों की संख्या ७०० थी । इस बड़े संगठन ने रूस की आवश्यकताओं के अनुसार अधिकतम पैदावार करने का प्रयत्न किया ।

तीन सालों तक काम करते रहने के बाद उपर्युक्त संस्था का अनुभव बहुत बढ़ गया । इस दीच में स्टालिन ने ट्राट्स्की को रूस से भगा दिया था । देश में आन्तरिक शान्ति हो गई थी । इससे स्टालिन को रूस के अर्थिक पुनर्निर्माण की ओर विशेष ध्यान देने का खुला अवसर मिल गया । स्टालिन ने तीन बातों को अपना उद्देश्य बनाया ।

१ रूस को पूर्णरूप से आत्मनिर्भर बनाना । तब तक रूस मुख्यतः कृषिप्रधान देश माना जाता था । स्टालिन ने निश्चय किया कि अब उसे व्यवसाय-प्रधान भी बनाना है । अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए रूस को विदेशों का मुँह न देवना पड़े, यह स्टालिन का पहला ध्येय था ।

२. सम्मिलित कृषि का प्रारम्भ। ज़मीन और पशुओं पर से व्यक्तिगत स्वामित्व उठा दिया गया। उसकी बजाय बड़े-बड़े खेत बनाए गए। सभी किसान इन खेतों में काम करने लगे। आर्थिक दृष्टि से इस बात का उपयोग यह था कि बड़े खेतों में वैज्ञानिक ढंग से कृषि हो सकती है। इस बात का राजनीतिक उद्देश्य यह था कि किसानों में भी, बड़े ज़मीनदारों की समाप्ति कर, पूर्ण समाजवाद का प्रारम्भ किया जाय।

३. सम्पूर्ण रूस को शिक्षित करना। देश भर में एक भी ऐसा व्यक्ति न रहे, जो पढ़ और लिख न सकता हो। रूस को व्यावसायिक देश बनाने के लिए ऐसा करना आवश्यक था।

क्रमशः स्टालिन की सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रूस के सम्मुख रखा। इस प्रोग्राम 'पर बरसों तक विचार किया गया था और प्रत्येक विस्तार के सम्बन्ध में भी सभी तरह की प्रामाणिक संख्याएं' मौजूद थीं, फिर भी यह प्रोग्राम, जिसे पांच वर्षों में पूरा करने की घोषणा की गई थी, इतना बड़ा और भारी प्रतीत हुआ कि लोगों को उस का 'पूरा हो-सकना लगभग असम्भव-सा कार्य जान पड़ा। कस्यूनिस्ट पार्टी ने यह काम अपने जिम्मे लिया और प्रथम अक्तूबर १९२८ को इस पंच-वार्षिक प्रोग्राम का शीगरेश कर दिया गया।

शुरू-शुरू में रूस के मज़दूरों को भी सन्देह था कि यह कार्यक्रम प्रा हो सकेगा या नहीं। रूस की सरकार के पास धन का अभाव था। दूसरा कोई देश रूस को धन उधार देगा, इस की कोई सम्भावना तक नहीं थी और धन के बिना काम शुरू न हो सकता था। इस समस्या का हल बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से किया

गया। सरकार ने एक 'राष्ट्रीय ऋण निधि' का सूत्रपात किया और रूस भर के प्रत्येक मज़दूर से यह अनुरोध किया कि वह अपनी एक महीने की आय, चार किश्तों में, इस निधि में दे। बहुत शीघ्र रूस मे राष्ट्रीय-ऋण को पूरा करने की यह कल्पना अत्यधिक लोकप्रिय बन गई। उन दिनों अन्य देश रूस के विरुद्ध जो आन्दोलन कर रहे थे, उनके कारण रूसी जनता की अभिरुचि अपने राष्ट्रीय ऋण की ओर और भी अधिक बढ़ी। सरकार के पास पर्याप्त धन जमा हो गया।-

रूस के सम्पूर्ण व्यवसायों को उन्नत करने का काम ज्ञोर-शेर से शुरू हो गया। मज़दूर स्वेच्छापूर्वक कई-कई घटटे रोज़ अधिक काम करने लगे। विभिन्न कारखानों मे एक दूसरे से अधिक पैदावार करने के लिए होड़-सी चल पड़ी। कुछ समय के बाद रूसी जनता का दृष्टिकोण बहुत आशामूर्ण हो गया। शीघ्र ही एक नया वाक्य रूस के एक छोर से दूसरे छोर तक गूंज गया—“पांच बर्षों का काम चार बर्षों मे!” इस सम्बन्ध में सरकारी घोषणा भी होगई। अधिक काम करने वाले मज़दूरों का आदर बहुत अधिक बढ़ गया, उन्हें अनेक तरह की सुविधाएं दी जाने लगी।

विदेशी राष्ट्रों को रूस की सफलता बहुत सन्दिग्ध प्रतीत होती थी। वे इस बात का मज़ाक उड़ाते थे कि रूस जैसा पिछड़ा हुआ देश समाजबादी शासन में अमेरिका के व्यवसाय का मुकाबला करने चला है। परन्तु उन्होंने अपने एंजीनियरों को रूस में जाने से नहीं रोका। इन विदेशी एंजीनियरों ने रूस की बहुमूल्य सेवा की। सब से पहले रूस में बहुत बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की गई। उस के बाद अनेक बड़े-बड़े व्यावसायिक नगर बसाए

गए, जिन में बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें तैयार की जाने लगीं। रूस की कृषि को समुद्रत करने के लिये ट्रैक्टरों (नए वैज्ञानिक हल) का एक बहुत विशाल कारखाना खोला गया। इन सब के साथ ही साथ मिट्टी का तेल और पैट्रोलियम बहुत अधिक परिमाण में निकाला जाने लगा। बाकू (पैट्रोलियम की उत्पत्ति का केन्द्र) तथा उस के आसपास के तेल-क्षेत्रों को अत्यन्त आकर्षक और सुप्राप्त बनाने का रूसी सरकार ने भरभूर प्रयत्न किया।

**व्यापार**—व्यापार के क्षेत्र में भी इस पंचवर्षिक कार्यक्रम ने भारी परिवर्तन कर दिया। सन् १९२८ तक रूस के कुज्ज व्यापार का एक चौथाई भाग व्यक्तिगत रूप से लेनदेन करने वाले व्यापारियों के हाथ में था। वैसे भी राष्ट्र की तरफ से होने वाले व्यापार की दशा अच्छी नहीं थी। खरीददारों तक आवश्यकता की चीजें समुचित रूप से पहुँच नहीं पाती थी। इन दिनों सरकार ने तीन तरह की समाजवादी व्यापारिक संस्थाओं को प्रोत्साहित किया—

१. खरीददारों के सहयोग-भण्डार। इन का प्रबन्ध भी खरीददारों के हाथ में रखा गया। सन् १९३२ तक रूस का २५ प्रतिशत व्यापार इन्हीं संस्थाओं के हाथ में चला गया।

२. सरकारी दूकानें। सन् १९२२ तक रूस में ७०,००० सरकारी दूकानें खुल गईं।

३. मजदूरों की दूकानें। इस तरह की दूकानें बड़े-बड़े कारखानों के साथ खोली गईं। इन का सम्पूर्ण लेनदेन कारखानों द्वारा वित्तीर्ण टिकटों से होने लगा।

| पैदानार       |  | सन् १९२७-२८            | कार्यक्रम की अभियानित मात्रा | सन् १९३२ में वास्तविक उत्पत्ति |
|---------------|--|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| कोथला         |  | ३,५४,००,०००            | ७,५०,००,००० टन               | ६,४२,००,००० टन                 |
| पौदोलियम      |  | १,१६,००,००० टन         | २,१७,००,००० टन               | ३,२३,००,००० टन                 |
| कचा लोहा      |  | ३,३,७०,००० टन          | १,००,००,००० टन               | ६२,००,००० टन                   |
| पक्का लोहा    |  | ४०,००,००० टन           | १,०४,००,००० टन               | ५६,००,००० टन                   |
| लोहे की चाटें |  | ३२,००,००० टन           | ८०,००,००० टन                 | ४२,००,००० टन                   |
| मरीने         |  | १,८२,२०,००,००० टन      | ४,६८,८०,००,००० टन            | ७,३६,१०,००,००० टन              |
| लड़ी के कपड़े |  | २,६६,५०,००,००० टन      | ४,६८,८०,००,००० टन            | २,५५,००,००,००० मीटर            |
| बूट और जूते   |  | २,३०,००,००० टन         | ४,६७,००,००,००० मीटर          | ५००,००,००० जोड़े               |
| बिजली         |  | ५,०५,००,००,९०० किलोवाट | १७,१२,००,००,००० किलोवाट      | ५००,००,००० मीटर                |
|               |  |                        |                              | १३,१०,००,००,००० किलोवाट        |

परिणाम यह हुआ कि सन् १९३२ के अन्त तक रस्स का कार्यालय हो गया। यह इस द्वारा प्राप्त की गई प्रामाणिक संख्याओं के अनुसार निश्चिह्नित बर्तनों की जल्पति इस प्रकार बढ़ी—

इन सभी तरह की दूकानों के भाव भिन्न-भिन्न तरह के थे। मजदूरों की दूकानों पर सभी कुछ बहुत सस्ता मिलता था,। मगर वहाँ स्पष्ट ऐसे से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता था। वहाँ का लेनदेन टिकटो से होता था, और यह टिकट सब को प्राप्त नहीं हो सकते थे। खरीदारोंके सियोग-भएडारों से भी केवल सदस्य ही माल खरीद सकते थे। सरकारी दूकानोंके भी अनेक भेद थे। कुछ मे माल बहुत महंगा था। धनियों को इन्हीं महंगी दूकानों से ही माल मिल सकता था। विदेशियों के लिए पृथक् दूकानें खोली गईं।

मजदूरों को पहले टिकट दिये जाते थे, बाद में उन्हें मुद्रा मे वेतन मिलने लगा। सब का वेतन एक बराबर नहीं रखा गया। वेतन कार्य के अनुसार मिलने लगा।

**भूमि का एकत्रीकरण—रूस की राज्यकान्ति के दिनों में वहाँ के बड़े-बड़े जमीदारोंको समाप्त करने का उपाय लेनिन ने यह किया कि उसने घोषणा कर दी कि जो भूमि जिस किसान के हाथ मे है, उस पर उसी का अधिकार माना जायगा। परिणाम यह हुआ कि लोगों ने जवरदस्ती जमीदारों से जमीनें छीन लीं और जिस व्यक्ति का जितनी जमीन पर दौब लगा, वह उसे अपनी बना कर बैठ गया। रूस मुख्यतः कृषिप्रधान देश है। राज्यकान्ति के बाद वहाँ के ८० प्रतिशत निवासी खेतीबाड़ी करते थे। इनमें से अधिकांश किसानों के हाथ मे प्राप्त बहुत थोड़ी जमीन आई थी। सन् १९२७ मे रूस की कृषियोग्य भूमि ढाई करोड़ खेतों में, जिनके मालिक पृथक्-पृथक् थे, बँटी हुई थी। इन किसानों के खेती करने के ढंग पुराने थे, उनकी उपज बहुत कम**

होती थी। परन्तु फिर भी ये किसान अपने हाल से लगभग सन्तुष्ट ही थे।

परिणाम यह हुआ कि किसानों पर से रूसी साम्यवाद का प्रभाव बहुत शीघ्र मिटने लगा। मेहनती और समझदार किसान क्रमशः सम्पन्न बनते चले गए और आलसी तथा भीरु प्रकृति के किसान युनः अमीर किसानों के बड़ा नोकरी करने लगे। रूस की समाजवादी सरकार को यह परिस्थिति असह्य मालूम हुई। इससे जहाँ एक और खेतीबाड़ी के साधनों से सुधार करना कठिन हो गया, वहाँ भूमि पर इन किसानों का पूर्ण स्वामित्व स्थापित होजाने के कारण, रूसी किसानों पर से समाजवादी सिद्धन्तों का प्रभाव कम होने लगा। अतः कम्यूनिस्ट पार्टी को इन परिस्थितियों में परिवर्तन करना नितान्त आवश्यक जान पड़ा।

इस समस्या को हल करने के लिए दो उपाय बरते गए। पहला यह कि कुछ भूमियों पर राष्ट्र का प्रभुत्व मान लिया गया। इन भूमियों को बड़े-बड़े खेतों में विभक्त कर खेतीबाड़ी के वैज्ञानिक साधन जुटाने का कार्य सरकार ने अपने जिस्मे लिया। किसान लोग इन खेतों में उसी ढंग पर काम करने लगे, जिस ढंग पर रूसी मनदूर वहाँ के कारखानों में काम करते हैं। दूसरा यह कि विभिन्न गांवों में पूरी जमीन को वैज्ञानिक ढंग के खेतों में विभक्त कर, उसे गांव भर के सम्पूर्ण किसानों की भूमि मान लिया गया। ये किसान अपने औजार और अपने पशु बरतते थे।

पंचवार्षिक प्रोग्राम का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग, रूस की कृषि की उपज बढ़ाना भी था। भूमि का एकीकरण इस बात

के लिए पहला क्रदम माना गया। परन्तु परिणाम उल्टा ही निकला। ज्यों-ज्यों समाजवादी प्रचारक गांवों में जाकर उन्हे भूमि के एकत्रीकरण के लाभ समझाते थे, त्यों-त्यों किसानों का ढर बढ़ता जाता था। किसानों ने अपनी पुरानी उपज, गेहूँ, चना आदि, सब गाढ़ कर छिपा दी। बहुत जगह वे अपने पशुओं को मार कर खा गए, इस भय से कि वे भी उनसे छिन जायंगे। जो किसान अमीर हो गए थे, जिन्हें वहाँ 'कुलक' कहा जाता था, उन्होंने इस एकत्रीकरण का घोर विरोध किया। इस बात के लिए उन्होंने भर्यकर कुचक्क और धृव्यन्त्र रचे। समाजवादी प्रचारकों की, जिन्हें 'गाँवों में एकत्रीकरण का प्रचार करने' के लिए मेजा गया था, संगठित रूप से हत्या की जाने लगी। एक तरह से 'रूस भर में पुनः गृहयुद्ध शुरू होगया।

इन सब बातों का नतीजा यह निकला कि भूमि की उपज बढ़ने के स्थान पर और भी घट गई। आखिर मार्च १९३० में एक घोषणा प्रकाशित कर स्टालिन ने भूमि के एकत्रीकरण की स्कीम में बहुत ढील दे दी। तब से केवल उन्हीं लोगों की भूमि का एकत्रीकरण किया जाने लगा, जो सुशी से इस परीक्षण के लिये तैयार थे। परन्तु इस समय तक अधिकांश कुलक नष्ट कर दिए जा चुके थे।

उस के बाद परिस्थितियां बदलीं। धीरे-धीरे किसानों को स्वयं भूमि के एकत्रीकरण के लाभ समझ आने लगे। एकत्रित भूमियों की उपज की विक्री में सरकार बड़ी सहायता देती थी। उन्हे अन्य सहायियतें भी प्राप्त थीं; इस से सहज रूप से, भूमियों के एकत्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। सन् १९३२ के अन्त तक

भूमियों की पैदावार बढ़ी तो, परन्तु वहुन अधिक नहीं । उन दिनों साथ पदार्थों का मूल्य डाना घट गया कि यह बात स्वयं एक समस्या बन गई । परन्तु कम्यूनिस्ट प्रचारकों की मेहनत से क्रमशः किसानों ने अपनी आय का स्टैण्डर्ड ही नीचा कर लिया ।

**शिक्षा**—रूस में पुनर्जीवन का संचार करना विलक्षुल असम्भव हो जाता, यदि वहाँ अशिक्षा को दूर करने का प्रयत्न न किया जाता । पंचवर्षिक कार्यक्रम का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग था । अशिक्षा को दूर करने में सब से बड़ी बाधा रूस में भाषाओं की अधिकता का होना था । वहाँ कुल मिला कर ६० विभिन्न भाषाएं बोली और लिखी जाती थीं । भाषाओं की अधिकता के कारण सभी स्थानों पर अनेक भाषाओं के स्कूल खोलने का प्रबन्ध करना अनिवार्य था । उदाहरणार्थ अकेले सरकोव में ग्रीक, आर्मेनियन, जर्मन, तारतार, यूक्रेनियन और रूसी भाषा के स्कूल खोले गए । इस सम्बन्ध में रूसी सरकार ने अनथक प्रयत्न किया । गांव के गांव को एक साथ शिक्षित करने का प्रयत्न किया गया । परिणाम यह हुआ कि जहाँ सन् १९१४ में रूस में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या सिर्फ २७ प्रतिशत थी, वहाँ सन् १९३२ में यह संख्या बढ़ कर ६१ प्रतिशत तक जा पहुँची । सन् १९३८ में यह संख्या लगभग १०० प्रतिशत हो गई । सन् १९१४ में जहाँ रूस में प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या ७० लाख और हाई स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या ५ लाख थी, वहाँ १९३२ में यह संख्या बढ़ कर क्रमशः १ करोड़ ६० लाख और ४५ लाख ५० हजार तक जा पहुँची ।

शिक्षा का उद्देश्य केवल लिखना-पढ़ना भर सिखाना ही नहीं रखा गया। हाई स्कूलों में शिल्प, व्यवसाय, श्रम, एंजीनियरिंग, व्यापार, आदि की शिक्षा भी साथ ही दी जाने लगी। स्कूलों के साथ कल-कारखाने खोल दिए गए। १५ से लेकर १८ वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों के लिए इन कारखानों में काम करना आवश्यक बना दिया गया।

उच्च शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया। रूस की सरकार रिसर्च के काम पर बहुत धन ध्यय करने लगी। एंजीनियरिंग तथा चिकित्सा के विज्ञान की ओर विशेष ध्यान दिया गया। धर्म और इतिहास आदि की पढ़ाई तो बन्द कर दी गई, परन्तु पुरातत्व, शिल्प, कला, भाषाएं तथा इतिहास के अध्ययन की ओर विशेष रुचि उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया।

रूसी सरकार का पूरा ध्यान अपने सिद्धान्तों के प्रचार की ओर था। लेखकों और कलाकारों से भी यह आशा की जाती थी कि वे समाजवाद के प्रचार के उद्देश्य से ही लिखें। इस से साहित्य की प्रगति को बहाँ बहुत धक्का पहुँचा। सम्पूर्ण साहित्य का निरीक्षण करने के लिए रूस में एक समिति (R. A. P. P.) बनाई गई। सन् १९३२ तक यह समिति कायम रही। इस समिति ने रूस के साहित्य और कला को जो हानि पहुँचाई, उस की कोई सीमा ही नहीं। सन् १९३२ में यह समिति तोड़ दी गई।

**द्वितीय पंचवार्षिक कार्यक्रम**—यह कहा जा सकता है कि परिणाम की दृष्टि से रूस के प्रथम पंचवार्षिक प्रोग्राम में आशातीत सफलता प्राप्त हुई। परन्तु उन दिनों कारखानों से जो माल तैयार हुआ, वह बहुत ही घटिया दर्जे का था। खास तौर

से कपड़े और घूट दोनों ही बहुत घटिया थे। अंग्रेज लोग सत्रहवीं सदी में जिस दर्जे का माल तैयार करते थे, उस दर्जे का माल रूस ने अपने इन प्रथम पंचवार्षिक कार्यक्रम के दिनों में तैयार किया। यातायात का प्रवन्ध बहुत ही दोषपूर्ण था, यहां तक कि बड़े-बड़े लोह-क्षेत्रों तक भी रेल की इकहरी लाइन थी। मजदूरों के रहने का प्रवन्ध बहुत अपर्याप्त और असन्तोषजनक था। सन् १९२५ में भास्को की ३० प्रतिशत आवादी प्रत्येक कमरे में पांच व्यक्तियों की औसत से निवास करती थी। बोल्शेविक सरकार ने इस कमी को दूर करने का प्रयत्न तो किया, परन्तु १९३२ तक इस दिशा में उसे विशेष सफलता नहीं मिली।

उपर्युक्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से सन् १९३३ से १९३७ तक के लिए एक नया पंचवार्षिक कार्यक्रम बनाया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य घाँटे निम्नलिखित थीं :—

सन् १९३२ की अपेक्षा—

१. खरीददारों के साधारण व्यवहार की वस्तुओं की उपज को तीन गुना करना।

२. रूसी व्यापार को ढाई से तीन गुना तक बढ़ाना।

३. कीमतों को ३५ से ४० प्रतिशत तक घटाना।

४. राष्ट्र की ओर से भोजन प्राप्त करने वाले आदमियों और किसानों की संख्या को दो से ढाई गुना तक बढ़ाना।

५. रूस भर के वेतनों को २५% गुना बढ़ाना।

६. राष्ट्रीय और सहयोग-भरणारों की संख्या को ३७ प्रतिशत बढ़ाना।

दो वर्षों तक इस कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ निभाया गया। उस के बाद यह उत्साह कुछ शिथिल हो गया। स्टालिन ने यह अनुभव कर लिया कि समाजवादी सिद्धान्तों को रूस में पूरी तरह से प्रयुक्त करना हानिकार है, अतः उसने बहुत से दोनों में कुछ ढील दे दी। यहां तक कि 'कुलकों' को भी नागरिकता के अधिकार दे दिए गए।

रूसी राज्यकान्ति से लेकर सन् १९२८ तक अधिकांश विदेशों का जनमत रूस की बोल्शेविक सरकार का तीव्र विरोधी रहा। लोगों को विश्वास था कि रूसी सरकार फैल हो जायगी, अथवा उसे समाजवाद का मार्ग छोड़ देना पड़ेगा परन्तु इन दोनों में से एक बात भी न हुई। हां, रूस ने अपने सिद्धान्तों में थोड़ी ढील अवश्य दी। इस के बाद क्रमशः ससार का जनमत बदलने लगा, रूस का भूत लोगों पर से उतर गया, और रूस को दूसरे देशों से सभी तरह से सम्बन्ध बनाने का अवसर मिलने लगा। क्रमशः फासिजम और नाजीज़म के प्रसार से विश्व भर का ध्यान इन दोनों नई समस्याओं, जो बास्तव में एक ही और ऐसी की हैं, की ओर आकृष्ट हो गया। उधर चीन में जापान ने, जो द्यादत्ती शुरू की, उस से संसार का ध्यान उस ओर भी खिचा।

रूस को इन परिस्थितियों से और भी लाभ पहुँचा। उस का व्यापार बहुत बढ़ गया और वरसों के अनुभव से उंपज की वृद्धि के साथ-साथ उस की किस्म में भी बहुत सुधार हो गया। दूसरे पंचवार्षिक कार्यक्रम के कुछ भाग को शिथिल कर रूसी सरकार ने अपना ध्यान अपनी सैनिक-शक्ति बढ़ाने की ओर लगाया। युद्ध का सामान घहुतायत से तैयार किया जाने लगा।

रूसी सरकार ने अपनी वायु-शक्ति बढ़ाने और जबरदस्त हवाई बेड़ा बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया। सन् १९३६ में, रूस का दावा था कि उस की वायुशक्ति का मुकाबला संसार भर का कोई गष्ट् नहीं कर सकता।

वर्तमान महायुद्ध के प्रारम्भ ही में, परिस्थितियों से लाभ उठा कर रूस ने पोलैंड के काफ़ी भाग पर अपना अधिकार जमा लिया। यह भाग पिछले महायुद्ध तक रूस के ही पास था। अपनी सीमा बढ़ा कर रूस आज अपने को चारों ओर से सुरक्षित करने का गम्भीर प्रयत्न कर रहा है। लोगों को भव्य प्रतीत होता है कि इतनी शक्ति बढ़ा कर कहीं रूस समाजवादी सिद्धान्तों को भुला कर साम्राज्यलोकुप देश न बन जाय। रूस ने जिस तरह फिनलैण्ड पर आक्रमण कर दिया उस से वह आशंका और भी बढ़ गई।

यह मानना ही पड़ेगा कि रूस का समाजवाद, कार्लमार्क्स के आदर्शों की दृष्टि से बहुत शिथिल होता जा रहा है। भविष्य में वहां क्या होगा, यह कहना कठिन है। शुरू-शुरू में रूसी सरकार अन्य देशों में समाजवाद के प्रचार का गम्भीर शयल करती रही है, परन्तु इस कार्य में उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। संसार के किसी भी अन्य देश में समाजवाद का प्रभुत्व नहीं हो सका। अब बहुत समय से रूस का ध्यान अपनी आन्तरिक, उन्नति की ओर ही केन्द्रित हो गया है।

## तृतीय अध्याय

### फ़ासिस्ट इटली

पिछले महायुद्ध में इटली मित्रराष्ट्रों के साथ था। मित्र-राष्ट्र उस युद्ध में विजयी हुए, परन्तु इटली को दृष्टि से यह जीत भी हार के बराबर थी। इटली को उस युद्ध में बहुत आधिक ज्ञाति पहुंची। अन्दूनेर १९१७ में शनुसेना ने इटली के दांत लट्टे कर दिये थे। वह द्वितीय पराजय इटली पर एक तरह का स्थायी प्रभाव छोड़ गई और युद्ध की समाप्ति पर, विजयी मित्रराष्ट्रों की तरफ होते हुए भी इटली विशेष हर्ष नहीं मना सका। इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि महायुद्ध के बाद भी इटली को कोई विशेष महत्त्व प्राप्त नहीं हुई।

युद्ध से पूर्व इटली की आस्त्रिया और जर्मनी से एक सन्धि थी। परन्तु मित्रराष्ट्रों की सहायता से अपनी सीमा बढ़ाने के लालच से इटली युद्ध में सम्मिलित हो गया था। उसकी निराह अल्वानिया, टर्की के एडालिया तथा जर्मनी के अफ्रीकन साम्राज्य पर थी। इसी कारण सन् १९१५ में अंग्रेजों से एक गुप्तसन्धि कर टर्की युद्ध में सम्मिलित हुआ था। कुल मिला कर ६० लाख इटैलियनों ने उस युद्ध में भाग लिया था, जिनमें से ७ लाख मारे गए थे।

इतना चलिदान देकर इटली की आशाएं बहुत बढ़ गईं, परन्तु मित्रराष्ट्रों ने इटली को दो-एक बहुत छोटे प्रदेश ही देना स्वीकार किया। उसे न अल्वानिया मिला, न फ्रूम और न जर्मनी के अफ्रीकन उपनिवेश। इस बात से इटली भर में घोर असन्तोष व्याप्त हो गया। इटली का प्रतिनिधि मो० ओर-लैखों बहुत नाराज होकर सन्धि-परिवद्द में से उठ गया।

इस असफलता और निराशा की प्रतिक्रिया इटली भर में अव्यवस्था और अशान्ति फैल जाने के रूप में प्रगट हुई। युद्ध इटली को बहुत मंहगा पड़ा था। इटली के व्यापार को महायुद्ध ने भारी धक्का पहुँचाया था। उसके बदले में जब इटली को मिला कुछ भी नहीं, तो लोगों के दिल में तत्कालीन सरकार के प्रति तीव्र असन्तोष के भाव पैदा हो गए। दुर्भाग्य से उन दिनों की सरकार वैसे भी बहुत कमज़ोर और दक्षिणांतरी लोगों के हाथ में थी।

इटली भर में बीसियों छोटे-बड़े राजनीतिक दल बन गए। नैशनलिस्ट, फ्रासिस्ट, बोल्शेविस्ट आदि नामों से जो दल संगठित

हुए, उनके कारनामे रोजमर्ग के घड़्यन्त्रों, हत्याओं और राजनीतिक दंगों के रूप में प्रकट होने लगे। निर्वाचन में पुराने वैध राजनीतिक दलों को बहुमत प्राप्त हुआ, परन्तु वे दल इन नए कानूनिकारी और आतंकवादी दलों के सन्मुख अशक्त से सिद्ध हुए; वे उन का दमन नहीं कर सके। सन् १९१६ तथा २० में हड्डतालों का ज्ञोर रहा। इटली भर में आराजकता और, पूर्ण अव्यवस्था छाई रही।

सन् १९२१ में फ्रासिस्ट पार्टी का प्रभाव कुछ अंश तक बढ़ा। ये फ्रासिस्ट एक तरह के आतंकवादी थे। यह के चुनाव में २१ फ्रासिस्ट इटैलियन पार्लियामेंट में निर्वाचित होकर प्रहृच गए। इन्हीं में मुसोलिनी भी था।

उन दिनों फ्रासिस्ट पार्टी एकदम असंगठित थी। कोई किसी की न सुनता था। उनका परस्पर एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं था। दंगे करना, हड्डतालें करना और, हत्याएं करना, उन का मुख्य कार्य था। पार्टी में नियन्त्रण का अभाव देखकर मुसोलिनी ने उसके नेतृत्व से त्यागपत्र दे दिया। परन्तु कुछ ही महीनों के बाद फ्रासिस्टों ने उसे पुनः अपना नेता चुन लिया और उस के अनुशासन में रहने का वचन दिया।

**रोम पर आक्रमण—**मुसोलिनी ने अब बहुत संभाल कर कदम रखने शुरू किए। उसने घोषणा की कि वह राजतन्त्रवादी है और यह भी कि फ्रासिस्टों का सब से बड़ा उद्देश्य इटली से बोल्शेविज्म की जड़ें उताहना है। अगस्त १९२२ में फ्रासिस्टों और बोल्शेविकों को परस्पर खुली लंडाई हुई। इस लंडाई में फ्रासिस्टों ने बोल्शेविकों को सोटे ढण्डों की मार से तथा जगर-

दस्ती घरंड का तेल पिला कर परास्त कर दिया । उससे पहले इस तरह के दंगों में बोल्शेविक सदा जीता करते थे ।

मुसोलिनी का फासिस्ट संगठन बहुत शीघ्र एक जवरदस्त संथा बन गई । हजारों नौजवान उसकी बढ़ी वाली स्वयंसेवक सेना में भर्ती हो गए । अबसर पाकर अपनी इस गैरसरकारी सेना के साथ मुसोलिनी ने राजधानी की ओर प्रस्थान करने की घोषणा कर दी । यह घोषित किया गया कि २७ अक्टूबर को फासिस्ट लीडर मुसोलिनी रोम में पहुँचेगा, उस दिन यदि राज्य की बाग-डोर उसके हाथ में न दे दी गई, तो वहां राज्यकान्ति हो जायगी । इस घोषणा से डर कर प्रधान मन्त्री ने त्यागपत्र दे दिया । हैट-लियन राजा विक्टर ने चाहा कि मुसोलिनी अन्य दलों के साथ मिल कर अपना मन्त्र-मण्डल बनाए, मरन्तु मुसोलिनी अपने इस आभ्र पर स्थिर रहा कि वह अपनी इच्छा से अपना मन्त्र-मण्डल बनाएगा । यह बात भी मान ली गई । २७ अक्टूबर को ५० हजार फासिस्टों के साथ, एक बड़ा शान्दर जलूस लेकर मुसोलिनी रोम में पहुँचा और उसी दिन उसने इटली में फासिस्ट मन्त्र-मण्डल, जिस में १५ सदस्य अन्य दलों के भी थे, कायम कर दिया । फासिस्ट स्वयंसेवक क्रमशः इटली की राष्ट्रीय सेना में भर्ती हो गए ।

अन्य देशों में अब तक मुसोलिनी का नाम लगभग अज्ञात-ना था । जब संसार ने सुना कि एक लोहार का पुत्र, जिस ने कहीं बाकायदा उच्च शिक्षा नहीं ली, जो ११ बार जेलखाने की हवा खा चुका है और जो कभी स्वयं साम्यवादी रह कर साम्यवादियों का दुश्मन बन गया है, आज इटली का एकमात्र तानाशाह

( हिक्टेंटर ) बन गया है, तो सभी जगह यह समांचार एक बहुत बड़ा अचम्मा-सा जान पड़ा । किसी को आशा नहीं थी कि मुसो-लिनी को सफलता प्राप्त होगी ।

सब से अधिक आश्वर्य इस बात का था कि अक्टूबर १९२२ से लेकर १९२५ तक फासिस्ट पार्टी का ध्येय किसी को मालूम ही नहीं हो सका । इन तीन वर्षों में फासिस्टों का एक ही काम था और वह यह कि अपने प्रतिद्वन्द्वी दलों को समाप्त करना । इस बीच में मुसोलिनी ने पार्लियामेंट के सब अधिकार फासिस्ट ग्रैण्ड कौनिसल को दे दिये । इटली भर के फासिस्ट संगठनों को इस बात की हुद्दी थी कि वे अन्य दलों के साथ चाहे जैसा बरताव करें । राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेकर भी फासिस्ट आतंकवादी बने रहे । अपने दुश्मनों को उन्होंने पकड़-पकड़ कर जबरदस्ती एरण्ड का तेल पिलाया । उन्हें डण्डों से पीटा । इस बीच में हत्याकांड भी जारी रहे । क्रमशः मुसो-लिनी ने सभी दलों को पूरी तरह कुचल दिया और तब उस ने अपना ध्यान रचनात्मक कार्य की ओर दिया ।

राष्ट्र-निर्माण का कार्य—इटली पर फासिस्ट पार्टी का प्रभुत्व तो स्थापित हो गया, परन्तु उसे कायम रखने का एकमात्र उपाय यह था कि जनता फासिस्ट शासन से सन्तुष्ट और समृद्ध बने । उन दिनों तक इटली बहुत गरीब था । इटली का दो-तिहाई भाग पहाड़ी और अनुपनाल है, वहां पर अपनी 'आवश्यकता' के बराबर भी अनाज पैदा नहीं होता । वहां खनिज द्रव्य भी पर्याप्त नहीं । इटली के उपनिवेश भी तब तक नहीं के बराबर थे । कोइला, लोहा, पेट्रोल और रुई जैसी अत्यन्त आवश्यक 'चीजें इटली को

अन्य देशों से मंगानी पड़ती हैं। इटली का निर्यात फल, शराब, ओलिव, शीशा, लकड़ी और चमड़े की चीजें हैं। परन्तु यह निर्यात आयात के बराबर नहीं। युद्ध से पहले विदेशी व्याप्रियों की आय से इटली का कामलायक गुजारा हो जाता था, परन्तु युद्ध के दिनों में यात्री आने बन्द हो गए। इस से इटली की गरीबी बहुत अधिक बढ़ गई।

मुसोलिनी को सब से अधिक महत्वपूर्ण ये तीन काम जान पड़े:—

१. गेहूँ की उत्पत्ति बढ़ाना।

२. कोइले की कमी पूरी करने के लिये बिजली अधिक पैदा करना।

३. हड्डतालों को रोकना।

इस का एकमात्र उपाय यह था कि कृषि, व्यवसाय, अर्थ और अम पर किसी तरह का केन्द्रीय नियन्त्रण स्थापित किया जाय। मुसोलिनी ने पुराने व्यापार-संघ (Trade Unions) तो बन्द कर दिए, उन की जगह वह अभियों और पूँजी-पतियों के सिएडीकेटों को ग्रोत्साहित करने लगा। अभियों के पृथक् संगठनों को स्वीकार करने से उन का असन्तोष घटने लगा। इन संगठनों में सरकार द्वारा उन्हीं को महत्ता दी जाती थी, जिन का संचालन फासिस्टों के हाथ में था। इस तरह बहुत शीघ्र व्यापार और व्यवसाय के अधिकांश संगठनों पर फासिस्टों का नियन्त्रण स्थापित हो गया। हड्डतालें होनी बन्द हो गईं।

उदनन्तर मुसोलिनी ने कृषि, व्यवसाय, व्यापार, बैंक, बीमा, सामुद्रिक यातायात आदि के १३ केन्द्रीय कौन्फिडरेशन्स

बनाए। इन सब की प्रतिनिधि संस्था कौरपोरेशन्स की राष्ट्रीय सभा ( National Council of Corporations ) नाम से बनाई गई। इस तरह मुसोलिनी ने व्यापार, व्यवसाय, कृषि आदि का बहुत जबरदस्त संगठन कर दिया।

इस के बाद मुसोलिनी ने इटली के शासन-विधान में परिवर्तन किए। प्रधानमन्त्री ( मुसोलिनी ) को असीम शक्तियां दे दी गईं। पार्लियामेंट से भी उसे पदच्युत कर सकने का अधिकार छीन लिया गया। प्रधानमन्त्री के बल इटलियन राजा के सन्मुख ही उत्तरदायी रह गया। एक और कानून द्वारा मन्त्रमंडल को ही नियम बनाने के पूरे अधिकार दे दिए गए। पार्लियामेंट की महत्ता बिलकुल नष्ट हो गई, उस की जगह ग्रैंड फ़ासिस्ट कौन्सिल' की महत्ता स्थापित हो गई, जिस का प्रधान स्वयं मुसोलिनी था। यद्यपि शासन-विधान में इस फ़ासिस्ट कौन्सिल का जिक्र तक भी न था। सन् १९२६ में उसे शासन-विधान में भी ले आया गया। तब शासन-विधान को पूर्णरूप से बदल दिया गया। यहां तक कि चुनाव की विधि भी नए ढंग की बनाई गई। देश भर के व्यापार-संगठनों से हाउस आफ़ कौमन्स (जिसका नाम अब बदल कर 'कौरपोरेट चैम्बर' कर दिया गया था) के सदस्यों के नाम पूछे जाते थे। ग्रैंड फ़ासिस्ट कौन्सिल इन नामों में से अथवा बाहर से, ४०० व्यक्तियों के नामों की सूची तैयार करती थी और देश के मतदाताओं से पूछा जाता था कि वे उस पूरी की पूरी सूची को स्वीकार करते हैं या नहीं। मतदाताओं के लिए उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त और मार्ग ही क्षण था?

और इस 'कोरपोरेट चैम्बर' के अधिकार भी नहीं के बराबर रखते गए। वास्तविक शक्तियां तो 'प्रैणद फ्रासिस्ट कौन्सिल' के ही पास रहीं। इस कौन्सिल में मुसोलिनी, उस के द्वारा नियुक्त मन्त्रिमण्डल के सदस्य और उस के अन्य सहकारी शामिल हैं। इस कौन्सिल के अधिकेशन गुप्त रूप से होते हैं। एक बार इस कौन्सिल ने मुसोलिनी का उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया था।

**फ्रासिस्ट ध्येय—फ्रासिज्म की स्थिरता का सब से प्रमुख साधन** उन का प्रचार है। उन में स्वतन्त्र-विचार के लिए ज़रा भी स्थान नहीं। फ्रासिज्म के प्रचार के लिए सभी सम्भव साधन वहां काम में लाए जाते हैं। बालकों को केवल फ्रासिस्ट स्कूलों में ही पढ़ाया जा सकता है। उनकी सभी पुस्तकें फ्रासिस्टों की लिखी हुई हैं। प्रत्येक स्कूल में मुसोलिनी के बड़े-बड़े फोटो और प्रस्तर-मूर्तियां रखती जाती हैं। स्कूलों की दीवारों पर लिखा रहता है—“मुसोलिनी सदैव ठीक है।” इसी आशय के गीत उन से गवाए जाते हैं। शिक्षा के साथ ही साथ बच्चों से सैनिक क्रायद भी कराई जाती है और उन्हे सिखाया जाता है कि वे फ्रासिस्ट सिपाही बनें।

अठारह बरस के विद्यार्थियों को फ्रासिस्ट पार्टी में शामिल होने की आज्ञा मिल सकती है, यद्यपि पार्टी में लिया किसी-किसी को ही जाता है। इटैलियन यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों को यह शपथ लेनी पड़ती है—“मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं राजा, उसके उत्तराधिकारियों तथा फ्रासिस्टों के प्रति हितचिन्तक रहूँगा और शासन-विधान तथा कानूनों की प्रतिष्ठा करूँगा। अध्यापक रह कर मैं

अपने विद्यार्थियों को ऐसे परिश्रमी नागरिक बनाने का प्रयत्न करेंगा, जो अपनी पितृभूमि तथा फ़ासिस्ट पार्टी के भक्त और उन के लिए उपयोगी होंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं किसी ऐसे दृष्ट का सदस्य न बनेंगा, जिस का कार्य-क्रम मेरी उपर्युक्त प्रतिज्ञा में वाधक बन सकता हो।”

इटली भर के समाचारपत्रों पर फ़ासिस्ट पार्टी का पूरा नियन्त्रण है। देश भर के प्रायः सभी अखबार लगभग एक-सी वातों से भरे रहते हैं। उन के शीर्षक तथा उन की टिप्पणियां भी एक ही जैसी होती हैं। स्वाधीन विचार तथा स्वेच्छापूर्वक अपना मत प्रकट करने की उन्हें अनुमति नहीं है।

—फ़ासिस्ट ध्येय को संक्षेप में इन शब्दों में प्रकट किया जा सकता है—“मेरा राष्ट्र में पूर्ण विश्वास है। इस के बिना मैं पूर्ण मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा विश्वास है कि इटली का पवित्र भाग्य एक दिन सम्मूर्ख विश्व पर सब से महान आध्यात्मिक प्रभाव ढालेगा। मैं ड्यूस मुसोलिनी की आज्ञा का पालन करेंगा, क्योंकि आज्ञा पालन के बिना समाज स्वस्थ नहीं बन सकता।” यह उद्घरण मुसोलिनी के अपने लेखों में से लिया गया है। फ़ासिस्टम क्या नहीं है, यही बताना शायद मुसोलिनी को अधिक आसान जान पड़ा। तभी उस ने कहा—

“फ़ासिस्टम अन्तर्राष्ट्रीयता नहीं है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय भाव फ़ासिस्टम के आन्तरिक अंग नहीं हैं। यह साम्यवाद नहीं है, क्योंकि यह मार्क्सिस्टम का विरोधी है, यह विभिन्न श्रेणियों के हितों के आधारभूत भेद को स्वीकार नहीं करता। यह पजातन्त्रवाद भी नहीं है, क्योंकि यह इस सिद्धान्त पर विश्वास नहीं करता कि

समाज के सभी सदस्य, सदस्यत्व के नाते समाज पर शासन करने के योग्य भी हो जाते हैं। और यह शान्तिवाद ( Pacifism ) भी नहीं है, क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को न तो सम्भव मानता है और न वांछनीय ही। फासिस्ट युद्धों की उपयोगिता को स्वीकार करता है।”

**धर्म और राष्ट्र**—फासिस्ट पार्टी के अधिकांश सदस्यों का धर्म रोमन कैथोलिकता। मुसोलिनी स्वयं भी कैथोलिक था। उसने इटली से बोल्शेविज्म तथा फ्रौमैसनिज्म का नाश कर दिया था, इस कारण पोप उस से बहुत प्रसन्न था। एक लम्बे पत्र-व्यवहार के बाद सन् १९२६ में मुसोलिनी ने पोप के धार्मिक प्रभुत्व को बाकाथा स्वीकार कर लिया और पोप ने वचन दिया कि वह राजनीतिक बातों से कोई सरोकार न रखेगा।

परन्तु यह समझौता हो जाने पर भी अनेक समस्याएं बहुत शीघ्र उठ खड़ी हुईं। फासिस्ट जिस किस्म की शिक्षा इटली के बालकों को दे रहे थे, उस से पोंप को शिकायत पैदा हुई। साथ ही फासिस्टों ने कैथोलिक ब्राय स्कॉउटों को फासिस्ट स्कॉउटों में शामिल कर लिया था। इन बालकों को भी, १४ बरस की उम्र में शपथ लेनी पड़ती थी कि—“मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि छूट्स ( मुसोलिनी ) की आज्ञाओं का बिना किसी ननुनच के, अपनी पूरी शक्ति के अनुसार, पालन करूँगा। फासिस्ट क्रांति के लिय, यदि ओवर्शेक्टा हुई तो अपने जीवन का बलिदान देने को भी तैयार रहूँगा।” पोप ने घोषणा की कि एक्स्कॉउटों की उक्त प्रतिज्ञा उन्हें धर्म तथा इंसामसीह से दूर ले जाती है और उन में घृणा, हिंसा तथा उदाहरण के भाव भरती है, अतः यह प्रतिज्ञा

अवैध है। मुसोलिनी नाराज़ हो गया। उस ने कैथोलिकों की सब से महत्वपूर्ण शिक्षा-संस्था (एजोन कटोलीका) को बन्द कर दिया। सन् १९३१ तक वह संस्था बन्द रही। उस के बाद मुसोलिनी ने कटोलीका को खोल तो दिया, परन्तु उस पर बहुत-सी बन्दिशें लगा दीं। पोप अब मुसोलिनी के मुकाबले में अशक्त था।

**विदेशी नीति**—इटली में अपना एकमात्र प्रभुत्व स्थापित करते ही मुसोलिनी ने विदेशी राजनीति पर प्रभाव डालना शुरू किया। सब से पहले उसने श्रीस के एक टापू कोफू (Corfu) को धमकी दी। वहां ५ इटैलियनों की हत्या करदी ई थी। मुसोलिनी ने लीग आफ नेशन्स को शिकायत किए बिना उन से एक बहुत बड़ा हर्जाना मांगा। लाचार होकर कोफू को वह जुर्माना भरना पड़ा। इस के बाद उसने फ्यूम को स्वतन्त्र नगर मानने से इन्कार कर दिया। वर्साई की सन्धि के अनुसार उसे स्वतन्त्रता दे दी गई थी। फ्यूम के बारे में मुसोलिनी ने यूगो-स्लाविया से एक निजू समझौता कर लिया।

तदनन्तर मुसोलिनी ने अल्बानिया से गत युद्ध की ज्ञाति-पूर्ति के रूप में एक बड़ी रकम मांगी। गरीब अल्बानिया के लिए वह रकम देसकना असम्भव था। इस पर मुसोलिनी ने उस पर आर्थिक और सैनिक प्रभुत्व कायम कर लिया। सन् १९३८ में एक दिन चुपचाप इस सम्पूर्ण देश को मुसोलिनी ने अपने अधीन कर लिया। अल्बानिया के महाराज और महारानी को अपना देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा।

इटली की इन सब ज्यादतियों की ओर यूरोप ने विशेष ध्यान नहीं दिया। परन्तु शीघ्र ही एक ऐसा सवाल उठ खड़ा हुआ, जिसमें फ्रान्स और इटली के हितों का विरोध था। फ्रान्स में करीब १० लाख इटलियन मेहनत-मजदूरी का काम करते थे, इटली ने उनके सम्बन्ध में हस्ताक्षेप करना चाहा। उथर फ्रान्स के ट्यूनिस उपनिवेश में फ्रांसीसियों की अपेक्षा इटलियनों की संख्या अधिक थी, इस से वहाँ भी झगड़ा उठ खड़ा हुआ। आसपास के छोटे राष्ट्रों से फ्रान्स की जो सन्धि हो चुकी थी, इटली को वह भी बहुत नागवार प्रनीत होती थी। उक्त सन्धि के द्वारा यूगोस्लाविया, रूमानिया, आस्ट्रिया, जैचोस्लोवाकिया आदि एक दूसरे से सहायता की आशा कर सकते थे, और इस तरह उन्हें बाह्य आक्रमणों का भय प्रनीत नहीं होता था। यह स्थिति मुसोलिनी की महतवाकांक्षा में बाधक थी, वह उक्त राष्ट्रों पर अपना रोब कायम करना चाहता था। अन्त में वह आस्ट्रिया से पृथक् सन्धि करने में सफल हुआ। यद्यपि दक्षिण दिरोल के ढाई लाख आस्ट्रियनों की राष्ट्रीयता को वह नष्ट कर रहा था। उन्हें आस्ट्रियन की जगह इटलियन पढ़ाई जाती थी। उक्त परिस्थितियों का प्रभाव यह हुआ कि इटली और फ्रान्स के राजनीतिक सम्बन्ध बहुत कटु बन गए। . . .

इटली के फासिज़म का यूरोप पर सब से हानिकर प्रभाव यह पड़ा कि इटली की देखादेखी यूरोप के सभी राष्ट्र पुनः अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करने लगे। निश्शस्त्री-करण की बजाय बड़ी तीव्रता से शस्त्रीकरण का कार्य सम्पूर्ण यूरोप में शुरू हो गया, और भय तथा आशंका का बातावरण

दिनोदिन बढ़ने लगा। इटली में प्रतिवर्ष दो लाख नए सैनिक तैयार किए जाने लगे। मुसोलिनी ने १५०० लड़ाई के हवाई जहाज बनाए और जलसेना की दृष्टि से भी फ़ान्स का मुकाबला करने की महत्वाकांक्षा घोषित कर दी। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही बरसों में इटली को संसार की महान शक्तियों में गिना जाने लगा।

आर्थिक उन्नति—इटली को आर्थिक दृष्टि से उन्नत बनाने में भी मुसोलिनी को काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। सब से पहले इटली में अच्छा स्वाद बहुत बड़े परिमाण में बनाने का प्रयत्न किया गया। साथ ही साथ किसानों को कृषि के नए निक उपाय भी सिखाए गए। बहुत-सी अनुपजाऊ भूमियों उपजाऊ बनाया गया। रूस की तरह विजली अधिक पैदा करने की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया। विजली की रेल-गाड़ियां जारी की गईं। विजली की मोटरें बनाने में तो इटली को विशेष सफलता प्राप्त हुई। सन १९३५ तक इटली अपनी पूरी आवश्यकता के बराबर गैहुँ स्वयं पैदा करने लगा। फासिस्ट शासन के पहले १० सालों में, १८,००,००,००० लीरे इटली को व्यवसाय तथा कृषि की दृष्टि से समृद्ध बनाने पर व्यय किए गए। इस धन से इटली में अधिकतम विजली पैदा की गई, ४००० भील सड़कें बनी, ११ हजार स्कूल खोले गए, ५० मकान बनाए गए। १० लाख लीरे नई नहरें बनाने पर खर्च किए गए और १,६१,७०,००० लीरे बन्दरगाहों के निर्माण और सुधार पर व्यय हुए।

यह सब होने पर भी इटली के पास लोहा, कोइला, तेल और रुई की कमी बनी रही। ये अत्यन्त आवश्यक वस्तुएं उसे बाहर से लेनी पड़ती थीं। इटली की यह बहुत बड़ी शिकायत थी कि युद्ध के बाद उसे अफ्रीका में कोई ऐसा उपजाऊ मूल्यवान उपनिवेश क्यों नहीं दे दिया गया, जिस से वह अपनी उपर्युक्त आवश्यकताएं पूरी कर सकता। जब मुसोलिनी से और कुछ न बन पड़ा, तो उस की निगाह एवीसीनिया पर गई। उसने शुरू-शुरू में इंग्लैण्ड और फ्रांस को 'इस बात' का लालच दिया कि एवीसीनिया को हम लोग आपस में बांट लें। परन्तु वे नहीं माने। सन् १९२३ में एवीसीनिया राष्ट्रसंघ का स्वतन्त्र सदस्य बन गया था। १९२८ में मुसोलिनी ने स्वयं एवीसीनिया के साथ एक सन्धि कर ली। कुछ समय तक इस सन्धि का पालन भी किया जाता रहा। परन्तु इटली को अपने उपनिवेशों का अभाव इनना अधिक खटकता था कि मुसोलिनी उपर्युक्त सन्धि पर कायम नहीं रख सका।

**एवीसीनिया की विजय—आर्थिक दृष्टि** से इटली को बहुत अष्ट कोटि का देश बनाने में मुसोलिनी सफल नहीं हो सका। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस कमी को दूर करने का एकमात्र उपाय यही था कि इटली किसी उपजाऊ उपनिवेश का मालिक बने। एवीसीनिया से बढ़ कर कोई और शिकार मुसोलिनी को नहीं सूझा; और चाहे जिस तरह भी सम्भव हो, उस पर अपना अधिकार जमा लेने का उसने निश्चय कर लिया। इस बीच में संसार में अनेक ऐसी घटनाएं हो गईं, जिन से राष्ट्रसंघ ( League of Nations ) की असमर्थता स्पष्ट प्रकट हो गई। मित्रराष्ट्र जर्मनी के पुनरुत्थान से

कुछ भयभीन प्रतीत होते थे और उन का ध्यान उसी ओर था। उधर जापान की ज्यादतियों को राष्ट्रसंघ चुपचाप सहन कर रहा था। इन परिस्थितियों में इटली का साहस और भी बढ़ गया।

३ जनवरी १९३५ को एबीसीनिया के सम्राट ने राष्ट्रसंघ को सूचित किया कि इटली उस के सम्बान्ध पर आक्रमण करने की धमकी दे रहा है। सन् १९०६ में इटली और इंग्लैण्ड की एक सन्धि हुई थी, उस के अनुसार दोनों देशों की सरकारों में यह समझौता हुआ था कि वे कालान्तर में एबीसीनिया को परस्पर बाँट लेंगे। परन्तु अब इटली को बात था कि यदि वह अकेला एबीसीनिया पर आक्रमण कर देगा, तब भी न तो एबीसीनिया उस का मुकाबला कर सकेगा और न कोई अन्य राष्ट्र उस की विजय के मार्ग में बाधा देने आएगा। मुसोलिनी ने सोचा कि क्यों न इटली अकेला ही सम्पूर्ण एबीसीनिया को हड्डप कर जाय। उन दिनों से अधिक अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां शायद ही कभी मिल सकतीं। अतः ३ अक्टूबर १९३५ को इटली ने एबी-सीनिया पर बाकायदा आक्रमण कर दिया।

उधर उन्हीं दिनों जिनेवा में राष्ट्रसंघ की बैठक हो रही थी। इटली के इस आक्रमण का समाचार सुन कर संसार भर के देश सब से रह गए। राष्ट्रसंघ ने बड़ी चिन्ता और खेद के सम्बन्ध यह समाचार सुना और निश्चय किया कि राष्ट्रसंघ से सम्बद्ध सभी राष्ट्र इटली का आर्थिक बहिष्कार कर दे। इस का अभिप्राय यह होना चाहिए था कि संसार के ५० राष्ट्र इटली का पूर्ण आर्थिक बहिष्कार कर देते। परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्र भी बाकायदा इटली को लोहा, इस्पात, कोइला और

सब से बढ़ कर, मिट्टी का तेल देते रहे। यदि राष्ट्रसंघ के सदस्य सिर्फ़ इतना ही करते कि इटली के पास पैट्रोल (स्वच्छ किया हुआ मिट्टी का तेल) न पहुँचने पाए, तो इटली को अत्यन्त कमज़ोर कर देने के लिए यही काफ़ी था। एंग्लो-इटली और एंग्लो-ईजिप्शियन कम्पनियां दिन रात काम कर इटली की पैट्रोल की मांग पूरा करती रहीं और इटली विजयी होकर आगे बढ़ता चला गया।

मई सन् १९३६ में इटली ने एबीसीनिया की राजधानी एडिस अबाबा को भी विजय कर लिया। एबीसीनिया का सब्राट्-हैलसिलासी इंजलैण्ड भाग गया। एडिस अबाबा की विजय के साथ युद्ध लगभग समाप्त हो गया और एबीसीनिया पर इटली का शासन कायम हो गया। युद्ध-समाप्ति के लगभग एक मास बाद काग़जी आर्थिक बहिष्कार भी हटा दिया गया और क्रमशः सभी राष्ट्रों ने एबीसीनिया को इटली के अधीन उपनिवेश स्वीकार कर लिया। राष्ट्रसंघ ने भी यही स्थिति स्वीकार कर ली।

**मुसोलिनी का प्रभुत्व—इटली पर फ़ासिस्ट शासन स्थापित हुए** आज १९ बरस बीत चुके हैं; वहाँ अब कोई दूसरा राजनीतिक दल मौजूद नहीं हैं। इस पर भी वहाँ भाषण और लेखन की स्वाधीनता अभी तक स्थापित नहीं हुई। फ़ासिस्ट विरोधी लोगों को अभी तक वहाँ दूर दिया जाता है और अभी तक इस ढंग के अपराधी वहाँ प्राप्त होते रहते हैं।

फिर भी यह मानना पड़ेगा कि मुसोलिनी और उसके फ़ासिस्ट दल ने इटली में नवजीवन का संचार कर दिया है।

इटली जैसे कमज़ोर और पुराने देश को फ़िर से शक्तिशाली और युवक बनाना मुसोलिनी का ही काम था।

जर्मन डिक्टेटर हिटलर और इटली का तानाशाह मुसोलिनी सन् १९३६ से अब तक परस्पर घनिष्ठ मित्र रहे हैं। दोनों देश अपने सभी काम एक दूसरे की सलाह से करते हैं। जर्मनी और इटली की सम्मिलित शक्ति का नाम 'एक्सेस पावर' प्रसिद्ध है। परन्तु वर्तमान महायुद्ध के प्रारम्भ में जर्मनी-इटली का, कम से कम बाह्य दृष्टि के उतना घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता था। उसके बाद इटली जिस प्रकार वर्तमान महायुद्ध में सम्मिलित हुआ, उस का जिक्र आगे चल कर किया जायगा।

---



निधि सत्तात्मक ढंग से रीशस्टैग और रीशरैट नामक दो हाउसों की पार्लियामैण्ट स्थापित होनी थी। उधर जर्मनी की आन्तरिक दशा बहुत ही चिन्ताजनक थी। मित्र-राष्ट्रों ने चारों ओर से जर्मनी की नाकेबन्दी कर रखी थी। लोगों को सिर्फ़ रोटी और आलू ही खाने को मिलते थे, वह भी तोल कर। सप्ताह में प्रति बड़े व्यक्ति के हिसाब से केवल ढाई सेर। घी, मक्खन, खांड आदि का वहाँ नितान्त अभाव था। उन दिनों अकाल और अपूर्ण भोजन से जर्मनी में लाखों मौतें हुईं। ४ से लेकर १४ बरस के बालकों की मृत्यु संख्या विशेषरूप से अधिक थी। इन परिस्थितियों में भी अगस्त १९१६ में उक्त शासन-विधान को कानून का रूप दे दिया गया। इस कानून को व्यवहार में लाने में काफ़ी रुकावटें पेश आईं। परन्तु एक छोटी-मोटी क्रान्ति के बाद हीमर शासन-विधान के अनुसार जर्मनी में दोनों समाजों के बांकायदा निर्वाचन हो गए।

... इन्हीं दिनों जर्मनी से यूपन 'मैलमेडी (Eupen Malmedy), का प्रान्त, छीन कर, बेलिजियम को दे दिया गया। मैमल-लैरेण्ड, भी जर्मनी से छीन गया और लिथुआनिया को दे दिया गया। उधर सैलीशियामे इस बात पर सार्वजनिक भूत (Plebisite) लिया गया कि वह जर्मनी के साथ रहना, चाहता है या, पोलैण्ड के साथ। ६० प्रतिशत बोट जर्मनी को मिले और ४० प्रतिशत पोलैण्ड को। यह सब वोटिंग फ्रान्स की देखभाल में हो रहा था। फ्रान्स ने सैलीशिया के सब से अधिक सम्पन्न और खनिज द्रव्यों वाले भाग पोलैण्ड को दे दिए और शेष भाग जर्मनी को। भौगोलिक दृष्टि से भी यह विभाग बहुत असुविधाजनक था।

उधर अल्सेस लोरेन तो फ्रान्स ले ही चुका था । जर्मनी से जो अत्यंत बड़े-बड़े प्रदेश छीने गए थे, उनका ज़िक्र प्रथम अध्याय में किया जा चुका है ।

**क्षतिपूर्ति**—युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी ने जो जुर्माना देना था, उसकी मात्रा का निश्चय वसाइ में नहीं हुआ था । यह काम एक कौन्फरैन्स के ज़िम्मे किया गया था, वह भी इस राशि को निश्चित नहीं कर सकी । २१ मई १९२१ को लएडन में यह राशि ₹५,००,००,००० रुपया निश्चित की गई । यद्यपि सभी लोगों को मालूम था कि जर्मनी के लिए ₹५ अरब रुपया दे सकना नितान्त असम्भव है । कुछ जर्मन नेताओं की इच्छा थी कि जर्मनी इतनी बड़ी राशि देने से साफ़ इन्कार कर दे । परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । २१ अगस्त १९२१ को जर्मनी ने उस न्यूएपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए ।

**रुहर पर फ्रैन्च आक्रमण**—जर्मनी की आन्तरिक दशा अत्यन्त शोचनीय थी । वहां का सम्पूर्ण आर्थिक संगठन अस्त-व्यस्त हो चुका था । लोगों के पास अपने जीवन-निर्वाह के लिए भी कुछ नहीं था, तो वे युद्ध का जुर्माना कहां से अदा करते । इन परिस्थितियों में जर्मनी ने यह प्रार्थना की कि तीन वर्षों तक उसे युद्ध के जुर्माने की कोई किस्त अदा न करनी पड़े । इंग्लैण्ड इस बात के लिए तैयार हो गया, परन्तु फ्रान्स ने जर्मनी की यह प्रार्थना नहीं सारी । जर्मनी दो वर्षों तक प्रतिज्ञात धन अदा नहीं करें सका, इस पर फ्रान्स ने जर्मनी के रुहर प्रदेश पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया । खानिज

द्रुव्यों की दृष्टि से लहर जर्मनी का सब से अधिक सम्पन्न प्रान्त था ।

**नई मुद्रा**—जर्मनी से लहर प्रान्त छिन जाने के बाद जर्मनी की दशा और भी चिन्ताजनक हो गई । वहां का आर्थिक संगठन चिलकुल फेल हो गया । मार्क की दूर एकदम गिर गई । एक डॉलर के बड़ले में ४५०० मार्क आने लगे । जर्मनी की मुद्रा और विनियम-पद्धति एक तरह से नष्टप्रष्ट हो गई । लोगों ने अब तक जो धन संग्रह किया था, उस की कोई भी कीमत बाकी न बची । सब ओर द्वाहाकार मच गया । क्रमशः संसार का जनमत फ्रान्स की मनोवृत्ति का विरोधी बन गया । इंग्लैण्ड की भी राय थी कि मित्रापद्धति जर्मनी को पुनर्निर्माण का अवसर दे । उधर जर्मनी में ट्रैसमैन प्रधानमन्त्री बना और उसके अर्थ सचिव डॉ शाश्च (Dr. Schacht) ने, जो वर्तमान युग का एक बहुत बड़ा अर्थशाखा बना जाता है, जर्मनी में एक नई मुद्रापद्धति शुरू की । क्रमशः यह नई मुद्रापद्धति जर्मनी में सफलतापूर्वक चल निकली और इसी से मानो जर्मनी के पुनर्निर्माण का मूत्रपात्र हो गया ।

**देवास प्लैन और यंग प्लैन**—सन् १९२४ से १९३८ तक जर्मनी ने करीब ११ अरब रुपया अन्य देशों से उधार लिया । इस के बिना जर्मनी के व्यवसाय का पुनर्निर्माण होना असम्भव था और अपने व्यवसाय का पुनर्निर्माण किए बिना जर्मनी अपना युद्ध-ऋण नहीं उनार सकता था । जर्मनी अपना जुर्माना किस तरह अद्वा करे, इस सम्बन्ध में 'देवास प्लैन' नाम की एक स्कीम बनी, जिस के अनुसार जर्मनी ने अनगिनत घरसों तक प्रति

सेकण्ड ८० मार्क और प्रति घण्टे २. ८८, ००० मार्क विदेशों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देना था। देवास प्लैन को असम्भव योजना जान कर 'यंग प्लैन' नाम से एक नई योजना बनी, जिस के अनुसार ५, ००० मार्क प्रति घण्टा देने का निश्चय हुआ।

**एक नई आर्थिक समस्या**—सन् १९२९ में अमेरिका में सभी माल बहुत अधिक मात्रा में बन जाने के कारण वहाँ वस्तुओं की कीमतें एकदम गिर गईं। परिणाम यह हुआ कि वहा॒ं बहुत-सी व्यवसाय-कम्पनियों को घाटा पहुँचा और उन के हिस्सों की दरें बहुत नीचे गिर गईं। जिन पूँजीपतियों ने तथा अन्य लोगों ने इन कम्पनियों के दिस्से खरीदे हुए थे, उन्हें इस बात से भारी घाटा हुआ और आर्थिक क्रान्ति के उन दिनों में अमेरिका का जनभत यह भाँग करने लगा कि अब अमेरिका में बाहर से माल आना बन्द हो जाना चाहिए। उन का ख्याल था कि बाहर से सस्ता माल अमेरिका में आ रहा है, इसी से वहाँ सभी चीजों की कीमतें गिर गई हैं। इस भारी जनभत से प्रभावित होकर सन् १९३० में अमेरिका ने बाहर से आने वाले सामान पर इतना भारी तट-कर आगा दिया, जितना अमेरिका के इतिहास में पहले कभी न लगा था।

इस बात का सब से अधिक हानिकर प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। अमेरिका संसार का सब से अधिक धनी देश है, जर्मनी ने अधिकांश श्रम अमेरिका से ही लिया था और उस श्रम को वह अपनी व्यावसायिक उपज का माल अमेरिका में भेज कर पूरा कर रहा था। अब अमेरिका में भारी तटकर लग जाने के कारण

जर्मनी का माल वहां जाना बन्द हो गया। इधर जब अमेरिका ने जर्मनी का माल स्वरीदना बन्द कर दिया तो जर्मनी में स्वभावतः सभी चीज़ों की कीमतें गिरनी शुरू हो गईं और बहुत शोषण वे पहले की अपेक्षा आधी रह गईं। इस का अभिप्राय यही हुआ कि जर्मनी का राष्ट्रीय ऋण स्वयमेव दुगना हो गया। इस बात को उदाहरण देकर समझाना जरूरी है। कल्पना कीजिये कि एक चमार ने १०० रुपये आपसे उधार लिए। वह जो बढ़िया जूते तैयार करता है, उन की कीमत बाजार में १० रुपया है। आपने उस से कहा कि वह अपनी उधार ली हुई राशि के बदले आप को १० जोड़े जूते और १०० रुपयों का सूद दे दे। अब यदि अचानक आज उस के जूतों की कीमत १०) १० की बजाय ५) १० हो जाय तो उसे आप को अब १० की बजाय २० जोड़े बता कर देने होंगे। यानी कल के हिसाब से उसे आपको १००) की बजाय २००) रुपये देने पड़ेंगे।

इन परिस्थितियों में जर्मनी की आन्तरिक आर्थिक दशा बहुत अधिक बिगड़ गई। जर्मनी ने अमेरिका से प्रार्थना की कि वह कुछ समय के लिए उस से युद्ध की ज्ञातिपूर्ति तथा ऋण के घन की कोई किश्त न मांगे। अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो गया, इंग्लैण्ड ने भी इस बात की स्वीकृति दे दी, परन्तु फ्रांस ने जर्मनी के इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार नहीं किया। उधर जर्मनी की आर्थिक दशा प्रतिक्षण बिगड़ रही थी। १३ जुलाई १९३१ को जर्मनी का सब से बड़ा बैंक फेल हो गया। और देश भर के सभी बैंकों को दो दिन के लिए बन्द कर देना पड़ा।

**नाज़ी पार्टी का प्रादुर्भाव**—सन् १९३२ में जर्मनी की उपर्युक्त अत्यन्त शोचनीय अवस्था अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई। चार वर्षों तक युद्ध में अपना सभी कुछ स्वाहा कर देने के बाद उन्हें अपने बहुत से प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। उस पर क्षतिपूर्ति का बोझ ! और अब जर्मनी की सरकार का दिवाला भी निकल गया। उन दिनों जर्मनी में २० लाख आदमी बेकार थे।

बहुत समय से जर्मन मज़दूरों पर साम्यवाद का प्रभाव कायम था। साम्यवाद का दृष्टिकोण, सिद्धान्त की दृष्टि से राष्ट्रीय नहीं, सार्वभौम है। इधर पिछले १४ वरसों में जर्मनी को जो कटु अलुभव हुए थे, उनके कारण वहां के निवासियों में प्रतिहिंसा की भावना दिनों-दिन प्रबल होती जा रही थी। जिस पीढ़ी के हजारों लाखों बालक अर्ध-आहार प्राप्त होने के कारण बचपन में ही यह लोक छोड़ गए थे, उस पीढ़ी के बालक अब नौजवान बनने लगे थे और उन की रग-रग में प्रतिहिंसा और संसर के अन्य देशों के लिए तीव्रतम धृणा की भावना भरी हुई थी। परिणाम यह हुआ कि जर्मनी से साम्यवाद का प्रभाव उठ गया। वहां राष्ट्रीय साम्यवादी दल ( National Socialist Party ) की जड़ें मज़बूती के साथ जमने लगीं। यही पार्टी 'नाज़ी पार्टी' के नाम से प्रसिद्ध है।

**हिटलर**—नाज़ी पार्टी का इतिहास वास्तव में एक आदमी का इतिहास है। इस आदमी का नाम एडोल्फ हिटलर है। हिटलर का जन्म 'सन् १८८९ में आस्ट्रिया में हुआ था। जब वह १२ वरस का था, तब उस के पिता का देहान्त हो गया। अनाथ होकर वह विद्यालय में भर्ती होने गया,

परन्तु वहां उसे स्वीकार नहीं किया गया। तब वह मज़ोदूर बन कर राजगिरी का काम सीखने लगा। बरसों तक वह मकानों पर रंग करना आदि सभी काम करता रहा। अपने साथ के मज़दूरों से हिटलर की निभी नहीं, इस कारण वह विद्याना से म्यूनिक आ गया। उन्हीं दिनों जर्मनी और मित्रराष्ट्रों में युद्ध शुरू हो गया और हिटलर फौज में भर्ती हो गया। इस युद्ध में अपने कार्य के बलपर वह कारपोरल तक जा बना। उसके बाद वह गोली खा कर ज़ख्मी हो गया और हस्पताल में दाखिल कर दिया गया। उन्हीं दिनों युद्ध समाप्त होगया और बैकार होकर हिटलर पुनः म्यूनिक जा पहुँचा। वह पहले के समान निर्धन बन गया। सन् १९२० से हिटलर एक छोटी-सी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बना, जिस के बल इस दल के सदस्य थे। हिटलर सातवां सदस्य बना। इस दल के २५ ध्येय थे, जिन में से अनेक—यहूदियों, धनियों, विदेशियों और वर्साई की सन्ति का घोर विरोध—आज भी नाज़ी पार्टी के गुरुमन्त्र माने जाते हैं।

सन् १९२० से लेकर १९३२ यक यह दल हिटलर के नेतृत्व में अधिक-अधिक शक्तिशाली बनता गया। अनेक प्रतिभाशाली और महत्वपूर्ण जर्मन नागरिक भी इस दल के सदस्य बन गए। जब यह दल कुछ संगठित हो गया तो उन्होंने मुसोलिनी की देखादेखी वर्लिन पर धावा बोलने का इरादा किया। परन्तु म्यूनिक से कुछ दूरी पर गोलियां चला कर इस दल को तितर-वितर कर दिया गया। कुछ नाजी मारे भी गये और हिटलर गिरफ्तार हो गया। उसे ५ बरस की कैद की सज़ा मिली, परन्तु कुछ ही महीनों के कारबास के बाद उसे छोड़ दिया गया।

**नाज़ी पार्टी का उत्थान**—सन् १९२४ में ३२ नाज़ी रीशस्टैग में चुने गए। कुल मिला कर १६ लाख वोट नाज़ियों को मिले। हिटलर ने यह सिद्ध कर दिया कि उस में संगठन करने की असाधारण शक्ति है। देश की आन्तरिक परिस्थितियों के प्रभाव से ज्यों-ज्यों जर्मनी के निवासियों के हृदयों में प्रतिहिंसा के भाव पुष्ट होते चले गए, त्यों-त्यों हिटलर की शक्ति भी बढ़ती चली गई। सन् १९३० में ६५ लाख वोट नाज़ियों को मिले और १०७ नाज़ी रीशस्टैग में चुने गए।

हिटलर को अब अपना और अपनी पार्टी का भविष्य बहुत उज्ज्वल तथा आशामय प्रतीत होने लगा। म्यूनिंक के एक बड़े मकान में पार्टी का प्रधान कार्यालय बनाया गया और नाज़ियों की एक फौज भी संगठित की जाने लगी, जिन्हें बाक़ायदा सैनिक शिक्षा दी जाती थी।

हिटलर ने इन बातों का प्रचार जर्मनी में शुरू किया—जर्मन लोग प्राचीन आर्यों के विशुद्ध और अेष्ठतम वंशधर है, जिन की संस्कृति की आज सारा संसार नक़ज़ कर रहा है। यदि देश की बागड़ोर उस के हाथ में दे दी जाय तो वह पुनः जर्मनी को संसार का सब से अधिक उन्नत, शक्तिशाली और शिरो-मणि राष्ट्र बना देगा। नाज़ी पार्टी जर्मनी में किसी को बेकार नहीं रहने देगी। वे स्त्रियों का ज्ञेय घर के-भीतर सीमित कर देंगे, स्त्रियां बाहर काम नहीं करेंगी। उन का मुख्य कार्य सन्तानोत्पत्ति करना होगा और जर्मन राष्ट्र को बलिष्ठ जर्मन सन्तान की, जो आगे चल कर सम्पूर्ण संसार पर अपना शक्तिशाली प्रभाव स्थापित कर सके, सब से अधिक आवश्यकता है। जर्मनी के

भीतर ही उस के सब से बड़े शत्रु विद्यमान हैं, जो उस का सम्पूर्ण रक्त चूस कर उसे निश्चक्ष बना रहे हैं; ये शत्रु यहूदी लोग हैं।

**नाज़ीयों की सफलता—जर्मन राष्ट्रपति हिएडलनवर्ग के के विचार पुराने ज़माने के थे।** उसे कोई नई बात जंचती नहीं थी। वह साम्यवाद और नाज़ीवाद दोनों का विरोधी था। इधर जर्मनों की दशा दिन-ब-दिन विगड़ती जाती थी और उधर कोई शक्तिशाली सरकार वहां स्थापिन न हो सकती थी। हिएडलनवर्ग ने बान पेपन को प्रधानमन्त्री बनाया और इससे आशा की कि पेपन के शक्तिशाली व्यक्तित्व के प्रभाव से, जो राष्ट्रवादी प्रसिद्ध था, जर्मनी में से साम्यवादियों और नाज़ीयों का प्रभाव घटेगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। जुलाई १९३२ में रीश स्टैग का नो नया निर्बाचन हुआ, उसमें १ करोड़ ३७ लाख वोट नाज़ीयों को मिले और रीश-स्टैग में २३० नाज़ी चुने गए। हिटलर और नाजी पार्टी का यह प्रभाव देखकर पेपन ने हिटलर से प्रार्थना की कि वह भी सन्त्रिमणडल का सदस्य बन जाय। परन्तु हिटलर ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस पर नाज़ीवाद को समाप्त करने के लिए पेपन ने रीश स्टैग को वर्खास्त कर दिया और तब उसने जर्मनी पर राष्ट्रीय दल की डिक्टेटरशिप कागम करने का निश्चय कर लिया। जर्मनी के समाचारपत्रों और रेडियो पर प्रतिवन्ध लगा दिए गए। जनमत का स्व देख कर पेपन ने नाज़ीयों का प्रोग्राम व्यवहार में लाना शुरू कर दिया। उसने यहूदियों से सरकारी नौकरियां छीन लीं और साम्यवादियों को जेल में ढालना शुरू

किया। इन वातों का परिणाम यह हुआ कि अगले निर्वाचन में नाज़ी पार्टी के २० लाख वोट कम हो गए।

परन्तु नाज़ियों के पास जो संगठित सेना थी, उसका इताज़ किसी के पास नहीं था। जब देखा गया कि इस सेना को काबू में रखना कठिन है, तो पेपन ने त्यागपत्र दे दिया। उसकी जगह शीलर को प्रधानमन्त्री बनाया गया। शीलर को भी जब सफलता नहीं मिली तो हिएडनवर्ग ने ३० जनवरी १९३३ के दिन हिटलर को जर्मनी का प्रधानमन्त्री बनने के लिए निमन्त्रित किया।

**हिटलर का कार्यक्रम**—प्रधानमन्त्री बन कर हिटलर ने दो बातों को सब से पूर्व अपना ध्येय बनाया। पहला तो यह कि जर्मनी में सम्पूर्ण राजनीतिक दलों की समाप्ति कर वहां पूर्ण नाज़ी प्रमुख स्थापित करना और दूसरा यह कि जर्मनी की आर्थिक दशा को उन्नत करना। उन्हीं दिनों रीशस्टैग की इमारत जल कर खाक हो गई। नाज़ियों ने कहा कि यह आग साम्यवादियों ने लगाई है। उवर कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण इंग्लैण्ड का जनमत भी साम्यवादियों के विरुद्ध हो गया था। जर्मनी का लोकमत घोर रूप से साम्यवादियों का विरोधी हो गया और रीश स्टैग के अगले निर्वाचन में नाज़ियों को बहुत बड़ा बहुमत मिला। २३ मार्च १९३३ को रीश स्टैग के एक प्रस्ताव के अनुसार हिटलर को जर्मनी का डिक्टेटर घोषित कर दिया गया। निश्चय ही इस सम्बन्ध में जर्मनी इटली के उदाहरण से प्रभावित हुआ था।

‘विरोधियों का दमन—डिक्टेटर बनते ही हिटलर ने साम्यवादियों की सभी संस्थाओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया। जर्मनी भर के सभी अमीसंघ तोड़ दिए गए। साम्यवादियों को जेल में डाल दिया गया और उन पर अनेक तरह के अत्याचार किए गए। उन्हें शारीरिक यातनाएं भी दी गईं। अन्य राजनीतिक दलों में से जिन्होंने हिटलर के मन्त्रव्यों को स्वीकार कर लिया था, उन्हें तो सहनकर लिया गया, परन्तु अन्य सभी राजनीतिक दल गैरकानूनी बना दिए गए। हिटलर को कैयोलिक धर्म से कोई विरोध न था, परन्तु उस ने धार्मिक संस्थाओं से साफ़ शब्दों में कह दिया कि भविष्य में वे राजनीति अथवा शिक्षा के सम्बन्ध में कोई हस्ताक्षेप न कर सकेंगी। प्रोटेस्टैंट लोगों को भी चेतावनी देदी गई कि वे नाज़ीइज़मके खिलाफ़ कुछ भी न कहें। जर्मनी की सभी शक्तियों और प्रान्तों को केन्द्रित करने का काम जोरों से शुरू हो गया। जर्मन संघ के सभी राष्ट्रों की स्वाधीनता एकदम छीन ली गई। छापाखाना, समाचार पत्र, सिनेमा, नाटक, रेडियो, सभा-भवन आदि सार्वजनिक शिक्षा और प्रचार के सभी साधनों पर नाज़ी सरकार का बहुत व्यापक नियन्त्रण हो गया। इन सब बातों के साथ-साथ यहूदियों पर बहुत बड़े-बड़े अत्याचार होने लगे। उन से सभी काम छीन लिए गए। जर्मनी की पूर्ण आवादी में यहूदियों की संख्या केवल एक प्रतिशत थी, परन्तु वहां के सम्पूर्ण डाक्टर, वकील, इंजीनियर और वैज्ञानिकों में से १० प्रतिशत यहूदी थे। इस कारण यहूदियों का यह दमन जर्मनी को काफ़ी महंगा पड़ा।

**फ्यूरर हिटलर**—जर्मनीमें जब नाजी पार्टीका एकमात्र और अखण्ड आधिपत्य कायम होगया, तो हिटलर ने अपनी 'भूरी सेना' जिसने क्रान्ति को सफल बनाने में सब से अधिकं भाग लिया था और जिस की संख्या २५ लाख तक जा पहुँची थी, को इस ढर से वरखास्त कर देने का निश्चय कर लिया कि इतनी बड़ी सेना, देश में शान्ति व्याप हो जाने के बाद, कहीं उसी के विरुद्ध न उठ सकड़ी हो। इस 'भूरी सेना', जो 'एस० एस०' के नाम से प्रसिद्ध थी, का नेता कैप्टिन रोहम था, जो हिटलर का सब से बड़ा मित्र माना जाता था। परन्तु हिटलर की उपर्युक्त आज्ञा से उस ने भी नेता के विरुद्ध विद्रोह करने का डरादा बना लिया। हिटलर ने उस समय बिजली की तेजी से काम किया। ३० जून १९३४ को उसने कुछ ही घण्टों में रोहम सहित, करीब २०० प्रमुख नेताओं को जान से मार डाला। बान शीलर और उस की पकी की भी लगे हाथ हत्या कर दी गई। उक्त घटना के दो ही महीने के भीतर राष्ट्रपति हिटलरवर्ग की मृत्यु हो गई और तब हिटलर फ्यूरर (महान नेता) के नाम से जर्मन राष्ट्र का प्रधान मन्त्री, राष्ट्रपति, नेता और डिक्टेटर बन गया। जर्मन प्रजा के ६० प्रतिशत वोट हिटलर के पक्ष में थे। हिटलर अब अपनी उन्नति की चरम सीमा तक पहुँच गया।

नाजी जर्मनी के प्रमुख नेता हिटलर, गोयरिंग, गौबल्स और हेस हैं। हिटलर नाजी पार्टी की आत्मा है। गोयरिंग जर्मनी का फ्रीलैंड मार्शल है, गौबल्स प्रचार मन्त्री है और हेस हिटलर का व्यक्तिगत सहकारी है, वह नाजी दल का उपनेता भी है।

रचनात्मक कार्य—नाज़ी जर्मनी ने साफ़ शब्दों में कह दिया कि वह अब युद्ध की लिपिपूर्ति के रूप में एक पैसा भी किसी राष्ट्र को नहीं देगा। परन्तु जर्मनी ने जो अग्नि अन्य राष्ट्रों से, विशेषतः अमेरिका से लिया था, उसका चुकाना बाकी था। इस कार्य के लिए जर्मनी को समृद्ध करना आवश्यक था। हिटलर ने इस दिशा में सब से पहला कार्य जर्मनी की कृषि उन्नत करने के रूप में किया। शहरों से हजारों-लाखों जर्मन नागरिकों को गांवों और खेतों में ले जाकर बसा दिया गया, ताकि वे लोग खेती-बाड़ी का काम करें। उधर खियों को उत्पादन कार्य करने से रोका जाने लगा, ताकि वैकारी की समस्या दूर हो। परन्तु एक ही बरस में हिटलर ने यह अनुभव कर लिया कि इस तरह की मामूली मामूली बातों से जर्मनी के पुनर्निर्माण और उसे समृद्ध बनाने का कार्य नहीं हो सकता। वह एक असाधारण महत्वाकांक्षी पुरुष है। उसने निश्चय किया कि बहुत शीघ्र, बड़ी तेज रफ्तार से वह बहुत-सी असाधारण बातें करके दिखाएगा, जिन की बदौलत जर्मनी की आर्थिक स्थिति स्वयमेव सुधर जायगी और हिटलर ने इस तरह के कामों का एक विस्तृत प्रोग्राम भी बहुत शीघ्र तैयार कर लिया।

राइनलैण्ड पर आक्रमण—इन्हीं दिनों मुसोलिनी ने एव्रीसीनिया को हड्डप कर लिया और सम्बूर्ण सम्य संसार इतने बड़े बलात्कार को चुप-चाप सहन कर गया। हिटलर ने देखा कि यही उपयुक्त अवसर है। मार्च १९३६ में हिटलर ने जर्मन सेना को राइनलैण्ड पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। फ्रांस में हिटलरके इस कार्य के विरुद्ध घोर असन्तोष

फैल गया, परन्तु किया किसी ने कुछ भी नहीं। बिना एक भी हृत्या किए हिटलर का राइनलैण्ड पर अधिकार स्थापित हो गया। और राइनलैण्ड एक बहुत ही सम्पन्न प्रदेश है।

उसके बाद तो मानो जैसे इस तरह के आक्रमणों का हिटलर को चला ही लगे गया। इस महायुद्ध से पहले, बिना एक भी जर्मन का खून वहाए, जिस तरह हिटलर ने संसार के अनेक राष्ट्र चुंपचाप हड्डप कर लिए, उसका डाढ़ाहरण विश्व के इति-हास में मिलना कठिन है।

**जर्मनी और इटली की मित्रता—इटली पर जिन दिनों आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए गये थे, उन दिनों जर्मनी ने साफ़ शब्दों में कह दिया था कि वह इस तरह का कोई प्रतिबन्ध इटली पर नहीं लगाएगा। जब जर्मनी ने राइनलैण्ड में अपनी सेनाएं भेजी, तब इटली ने भी सपष्टरूप से प्रकट कर दिया कि उसे जर्मनी का यह कार्य आपत्तिजनक नहीं जान पड़ा। इन दोनों घटनाओं से दोनों देशों में घनिष्ठ मित्रता का भाव पैदा हो गया। उस से पूर्व आस्ट्रिया के प्रश्न पर जर्मनी और इटली में कुछ मन-मुटाब आ चला था, अब दोनों देशों में एक गुप्त सन्धि हो गई। हिटलर और मुसोलिनी एक दूसरे से मिले और दोनों ने यह घोषणा कर दी कि सब परिस्थितियों में इटली और जर्मनी एक दूसरे का साथ देंगे। उधर रूस के साथ जर्मनी का विरोध भाव बढ़ता चला गया। रूस को कोसने के सम्बन्ध में मानों जर्मनी और इटली में परस्पर होड़ बैंध गई।**

**एस्टी कोमिशनरन पैकट—जर्मनी और जापान में एक समझौता** सन् १९३५ में हुआ, जो एस्टी-कोमिशनरन पैकट के

नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार रूस के आक्रमण के विरुद्ध जर्मनी ने जापान की सहायता करनी थी। इटली इस पैक्ट में मिल गया। अब इटली से मित्रता स्थापित हो जाने के बाद तीनों देश, जर्मनी, जापान और इटली, एक्सिस पार्वज़' कहलाने लगे।

जर्मनी की सैनेक शक्ति इतनी तीव्रता से बढ़ रही थी कि सम्पूर्ण योरप में चिन्ता के बादल छा गए। नवम्बर १९३७ में अंग्रेजी मन्त्रिमण्डल के महत्वपूर्ण सदस्य लार्ड हैलीफैक्स हिटलर के उद्देश्यों का पता लगाने और सम्भव हो तो उस से मित्रता करने के उद्देश्यों से बर्लिन में गए। परन्तु वहां जाकर जब उन्हें हिटलर की महत्वाकांक्षाओं का पता चला तो वे सन्तु-से रह गए। उसके बाद यूरोप से बड़ी तीव्रता के साथ जो घटनाएं वास्तव घटित हो गईं वे हिटलर की नवम्बर १९३७ की मांगों की अपेक्षा कहीं अधिक भयंकरता से रोमांचित करने वाली थीं।

**आस्ट्रिया का अपहरण—पिछले महायुद्ध में आस्ट्रिया और जर्मनी एक साथ थे।** परन्तु युद्ध के बाद आस्ट्रिया पर से क्रमशः जर्मन प्रभाव हटता चला गया। आस्ट्रिया और इटली में मित्रता स्थापित होती गई। डा० डौल्फस एक तरह से आस्ट्रिया का डिक्टेटर बन गया और उस के शासनकाल में आस्ट्रिया ने अच्छी उन्नति की। उत्तर जंब जर्मनी में नाज़ी सरकार कायम हुई, आस्ट्रिया में भी नाज़ी दल संगठित होने लगा। आस्ट्रियन नाज़ी आस्ट्रिया को भी नाज़ी जर्मनी का आन्तरिक भाग बना देना चाहते थे, अतः डौल्फस ने उन के प्रभाव को रोकने का प्रयत्न किया। नाज़ियों ने एक घड़शन्त्र रच कर डौल्फस की हत्या कर दी। इस दुर्घटना से आस्ट्रिया का जनमत जर्मनी के और भी अधिक विरुद्ध हो गया।

डालफस का उत्तराधिकारी डा० शुशनिंग बना । शुशनिंग एक बहुत समझदार और अवसर-दर्शी प्रधानमन्त्री था । वह जानता था कि जर्मनी के मुकाबले में आस्ट्रिया बहुत कमज़ोर हैं, अतः उस ने बहुत फूँक-फूँक कर कदम रखने की नीति अखिल-यार की ।

फरवरी सन १९३७ के अन्त में इंग्लैण्ड के परराष्ट्र सचिव डि० एन्थन ईडन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से यह घटना बहुत महत्वपूर्ण थी । इस का कारण यह था कि ईडन की स्पष्टरूप से यह नीति थी कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में किसी भी देश की ज्यादती इंग्लैण्ड को सहन नहीं करनी चाहिए । वह दृढ़ नीति का पक्षपाती था और इटली तथा जर्मनी के प्रत्येक कार्य पर उस की कड़ी निगाह थी । ईडन के त्यागपत्र का सीधा अर्थ यही समझा गया कि इंग्लैण्ड को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कठोर नीति का आश्रय स्वीकार नहीं है ।

हिटलर का जन्म आस्ट्रिया में हुआ था । उसकी यह पुरानी महत्वाकांक्षा थी कि वह आस्ट्रिया को जर्मनी का आन्तरिक भाग बना ले । दोनों देशों में जाति और भाषा का जो सम्बन्ध है, वह हिटलर की महत्वाकांक्षा पूर्ण करने में बहुत अधिक सहायक बन सकता था । ईडन के अंग्रेजी मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे देने के बाद हिटलर को अपनी पुरानी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने का सब से अधिक उपयुक्त अवसर प्रतीत हुआ और उसने आस्ट्रिया के अपहरण का निश्चय कर लिया ।

जर्मन राजदूत वान पेपन को इस द्वादे से आस्ट्रिया भेजा गया कि वह ३१ शुशनिग को, जर्मनी और आस्ट्रिया में सिव्रता का सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से बर्णेंजगादन ( हिटलर का पहाड़ी निवासस्थान ) आने के लिए तैयार करे। पेपन को अपने कार्य में सफलता मिली। १२ फरवरी को शुशनिग ने बर्णेंजगादन में हिटलर से मुलाकात की। जर्मन सीमा में प्रवेश करते ही शुशनिग ने अनुभव किया कि उसकी दशा किसी कैंदी से अच्छी नहीं। शुशनिग को सख्त पहरे में रखा गया, उसे तस्वारू तक पीने की अनुमति नहीं दी गई और पूरे ६ घण्टों तक हिटलर ने उसे खूब धमकाया। शुशनिग शान्त रहा और किसी भी सम्बन्ध में हिटलर की इच्छाओं को स्वीकार किए बिना वह आस्ट्रिया लौट आया।

१६ फरवरी की रात को २३ बजे हिटलर का यह सन्देश शुशनिग को, मिला कि वह उस के एक भक्त नाजी आस्ट्रियन ( पस० इनकार्ट ) को आस्ट्रिया की पोलीस का अध्यक्ष बना दे। शुशनिग ने यह बात मान ली, और उसी दिन से आस्ट्रिया में नाजी प्रभाव बढ़ने लगा।

६ मार्च १९३८ को शुशनिग ने अपना सब से अधिक कीमती ताश का इक्का खेल दिया। उसने घोषणा कर दी कि १३ मार्च को सम्पूर्ण आस्ट्रियन जनता से इस सम्बन्ध में मत लिए जाएंगे कि आस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिला देना चाहिए, अथवा उसे एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन कर रहना चाहिए। यह बात स्पष्ट थी कि इस सार्वजनिक बोर्डिंग ( प्लेबिसाइट ) का परिणाम क्या होगा। अधिक से अधिक आशावादी नाजी को

भी ज़र्मनी के पक्ष से ४० प्रतिशत से अधिक बोट आने की क़र्तव्य आशा नहीं थी।

हिटलर ने यह सुना तो उसे मानो आग लग गई। जानकार लोगों का कहना है कि हिटलर को उस दिन का-सा गुस्सा सम्पूर्ण जीवन में और कभी नहीं आया। ११ मार्च को हिटलर ने शुशनिंग के पास सिर्फ दो घण्टे का अल्टीमेटम भेजा कि या तो वह सार्वजनिक बोर्डिंग को स्थगित कर प्रधानमन्त्रित्व से त्यागपत्र दे दे, अन्यथा जर्मनी आस्ट्रिया पर धावा कर देगा। शुशनिंग इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था, उसने प्लैनेसाइट स्थगित कर दिया और स्वयं त्यागपत्र भी दे दिया। उसका अन्तिम सन्देश था—‘परमात्मा आस्ट्रिया की रक्षा करे।’

परन्तु जिस बात के निराकरण के लिए शुशनिंग ने त्यागपत्र दिया था, वह भी पूरी नहीं हुई। अगले ही दिन हिटलर ने आस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया और शुशनिंग को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण देश को अंपने अधिकार में कर लिया।

इस अपहरण से, एक ही रात में जर्मनी की आवाही ७५ करोड़ तक जा पहुँची। जर्मनी को लोहे की इतनी समृद्धि काने मिल गई, जिन से २५ लाख टन लोहा प्रतिवर्ष तैयार होता था। मैनेसाइट ( हवाई जहाजों के निर्माण में काम आने वाली एक कीमती बस्तु ) की भी एक बहुत बड़ी कान जर्मनी को मिल गई। करीब २५ करोड़ रुपयों की कीमत का शुद्ध सोना जर्मनी के हाथ लगा। सब से बड़ा लाभ राजनीतिक हृषि से था। एक महान् राजनीतिज्ञ का कथन है कि “सन् १९१४ में जो महायुद्ध जर्मनी हार गया था, वह उसने १२ मार्च १९३८ को पुनः जीत

लिया। जर्मनी की हष्टि से आस्ट्रियन अपहरण सचमुच इतना ही महत्वपूर्ण था।

जैकोस्लोवाकिया का अपहरण—बसार्दि की सन्धि से जैकोस्लोवाकिया का पुनर्निर्माण हुआ था। आवादी के लिहाज से उसकी कुल जनसंख्या इस प्रकार थी—

|             |             |
|-------------|-------------|
| जैकोस्लोवाक | १,७०,००,००० |
| जर्मन       | ३२,३१,६८८   |
| हंगेरियन    | ६,६१,६२३    |
| पोल         | ८१,७३७      |

इस तरह करीब १ करोड़ ५२ लाख आवादी का यह देश बहुत शीघ्र एक अत्यन्त समृद्ध और सुखी देश बन गया। जैकोस्लोवाकिया में पूर्ण प्रजानन्त्र स्थापित था और वहाँ अल्पमतों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। सभ्यता, शिक्षा और संस्कृति की हष्टि से भी वहाँ के निवासी बहुत उन्नत माने जाते थे।

परन्तु जर्मनी में नाज़ी सरकार स्थापित हो जाने के बाद इस देश के जर्मनों में भी असन्तोष फैलने लगा। हिटलर ने एक बार घोषणा की थी कि वह केवल एक देश का डिक्टेटर नहीं, संसार के सभी देशों में रहने वाले जर्मनों का डिक्टेटर है। जैकोस्लोवाकिया की अधिकांश जर्मन आवादी वहाँ के सुडेटनलैर्ड नामक एक प्रान्त में रहती थी। यह प्रान्त पिछले महायुद्ध से पूर्व आस्ट्रिया और हंगरी का एक भाग था। अब इस प्रान्त के निवासी जर्मनों में यह भावना बढ़ी तीव्रता से उत्पन्न होने लगी कि उन का प्रान्त जैकोस्लोवाकिया से पृथक् कर जर्मनी से मिला देना चाहिए।

हिटलर था ही इसी बात की इन्तजार में। नाज़ी प्रेस ने एकदम यह प्रचार शुरू कर दिया कि जैक सरकार अपने अल्प-संख्यक जर्मनों पर भीषण और पाश्विक अत्याचार कर रही है। जर्मनी से सहायता सिलाने की सम्भावना देख कर सुडेटनलैण्ड के जर्मनों का जैक-विरोधी आन्दोलन बहुत उग्र रूप धारण करने लगा।

मार्च १९३८ में, जब आस्ट्रिया पर जर्मनी का अधिकार हो गया, जैकोस्लोवाकिया की भौगोलिक परिस्थिति बहुत विकट बन गई। जर्मनी का साम्राज्य उस के बहुत से भाग के तीन ओर स्थापित हो गया।

यह एक तथ्य है कि जैकोस्लोवाकिया में जर्मन अल्पमत के साथ जो व्यवहार किया जाता था, वह यूरोप के अन्य देशों में अल्पमतों के साथ होने वाले व्यवहार से कहीं अधिक अच्छा था। स्वयं जर्मनी में अल्पसंख्यक यहूदियों पर भयंकर अत्याचार हो रहे थे। किसी यहूदी के कलिपत या वास्तविक अपराध का 'दण्ड सम्पूर्ण यहूदियों को दिया जाता था, और यहूदियों का सर्वस्व छीन कर उन्हें देश निकाला दे दिया जाता था। 'दूसरी ओर दक्षिणी टिरोल में रहने वाले ७,५०,००० जर्मनों को इटली उन की भाषा तक नहीं सिखाता था। और इटली से मित्रता बनाए रखने की इच्छा से हिटलर इस तथ्य को 'चुपचाप सहन कर रहा था, परन्तु सुडेटनलैण्ड के उक्साये हुए आन्दोलन को संसार की सब से बड़ी समस्या बना देना हिटलर ने अपना कर्तव्य समझा।

बहुत शीघ्र यह स्पष्ट हो गया कि हिटलर सुडेटनलैण्ड पर आक्रमण कर देगा। १४ मार्च को फ्रांस ने यह घोषणा की कि

यदि जर्मनी ने ज़ैकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया तो फ़्रांस जैकोस्लोवाकिया की सहायता करेगा। उधर रूस ने यह घोषणा की कि ऐसी परिस्थिति में यदि फ़्रांस जर्मनी से युद्ध करेगा तो रूस भी फ़्रांस की सहायता के लिए इस युद्ध में शामिल होगा। इंग्लैण्ड ने युद्ध में शामिल होने की घोषणा तो नहीं की, परन्तु २४ मार्च को अंग्रेजी प्रशान्त मन्त्री मिठो चैम्बरलेन ने यह घोषणा अवश्य की कि यदि जर्मनी ने ज़ैकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया तो उस युद्ध का स्थानीय रूप नहीं रह सकेगा। वह विश्वव्यापी युद्ध बन जायगा।

उक्त आश्वासन पाकर ज़ैकोस्लोवाकिया के हौसले बढ़ गए। जैक सरकार, और उसके नेता डा० वेन्स ने हड्डतापूर्वक शासन शुरू किया। सुडेटनलैण्ड के नाली आन्दोलकों की अवैध कार्ब-वाइयों को ज़बर्दस्ती बन्द किया गया। परन्तु परिस्थिति सुधरी नहीं। जर्मनी का आन्दोलन उपरूप धारण करता गया। २३ एप्रिल को जर्मनी ने जैक सरकार से ८ मार्गे पेश की, जिनका सारांश यह था कि सुडेटनलैण्ड में रहने वाले जर्मन एक पृथक् राष्ट्र हैं, और उनका यह स्वरूप जैक सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

एक राष्ट्र में दूसरे राष्ट्र को स्वीकार करना किसी भी समझदार सरकार के लिए असम्भव था। साथ ही पिछले वर्षों में जैक सरकार ने जर्मनी के डर से जितनी किलेवन्डी की थी, वह सब सुडेटनलैण्ड की जर्मन सीमा पर थी। अतः सुडेटनलैण्ड पर कठोर नियन्त्रण रखना देश की रक्षा की दृष्टि से भी नितान्त

आवश्यक था। डा० वेन्स की सरकार ने जर्मनी की उक्त मांगें स्वीकार नहीं की।

डा० वेन्स ने अपने देश में इस बात का अधिकतम प्रयत्न शुरू किया कि वह सुडेटनलैण्ड के जर्मनों को जैक राष्ट्र का एक सन्तुष्ट सदस्य बना लें। इस उद्देश्य से उन्होंने जून में एक गोलमेज़ा कान्फ्रेंस भी बुलाई। परन्तु उधर जर्मन आखबार जिस तरह प्रतिदिन जैक सरकार के विरुद्ध ज़ाहर उगल रहे थे, उसके कारण आन्तरिक समझौते के किसी प्रयत्न का सफल होना असम्भव हो गया था। सुडेटन जर्मनों ने जैक-सरकार से बातचीत करना भी स्वीकार नहीं किया!—परिस्थितियां इतनी अधिक पेचींदा हो गईं। नाजी जर्मनी ने बहुत शीघ्र अपनी मांग और भी बढ़ा दी और उन्होंने कहा कि सुडेटनलैण्ड अब जर्मनी की सीमा में समिलित होकर रहेगा।

अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों ने इस अवसर पर इतना मान लिया कि यदि जर्मनी शान्तिपूर्वक जैक सरकार से सुडेटनलैण्ड का कोई भाग मांगे, तो दोनों देशों को परस्पर, गोलमेज़ा की विधि से, इस सम्बन्ध में कोई निर्णय अवश्य कर लेना चाहिए।

सितम्बर १९३८ के प्रारम्भ में नूरम्बर्ग में वार्षिक नाज़ी कांग्रेस हुई। इस कांग्रेस में ह सितम्बर को हिटलर ने घोषणा कर दी कि यदि जैक सरकार ३० सितम्बर तक स्वयमेव सुडेटनलैण्ड को जर्मनी के हांचाले न कर देगी तो जर्मनी जैकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर देगा। संसार का भय अब अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। हिटलर की शिक्षित सेना की संख्या अब १३ लाख तक जा पहुंची थी।

१५ सितम्बर १९३८ को सम्पूर्ण संसार ने आश्र्य के साथ सुना कि डंगलैण्ड के प्रधान मन्त्री मिंचेम्बरलेन एक हूवार्ड जहाज द्वारा हिटलर से मिलने, उसके पढ़ाड़ी निवासस्थान वर्शिजगादन गये हैं। इस से पहले के एक सप्ताह में संसार का बातावरण अत्यन्त विश्वाविष्ट-सा रहा था। डंगलैण्ड, फ्रांस, रूस, डटली, जैकोस्लो-वाकिया, जर्मनी आदि बहुत सं देश अब युद्ध की तैयारी में दिनरात व्यस्त थे। लएडन, पेरिस और वर्लिन के बगों में सैनिकों तथा नागरिकों के लिए खाड़ीयां खुदने लगी थीं। इसमें चैम्बरलेन की इस जर्मन यात्रा का परिणाम जानने की प्रतीक्षा जैसे सम्पूर्ण भंसार सांस थाम कर कर रहा था।

चैम्बरलेन और हिटलर की बातचीत से जैक-सरकार को तो कोई लाभ नहीं हुआ, परन्तु विश्वव्यापी महायुद्ध कुछ देर के लिए अवश्य रुक गया। चैम्बरलेन ने हिटलर को यह बचन दिया कि १५ दिनों में सुडेटनलैण्ड जर्मनी को बापस दे दिया जायगा, इस शर्त पर कि भविष्य में इस तरह के झगड़ों का निपटारा धमकियों और सैन्य-प्रदर्शन से नहीं किया जायगा, बल्कि गोल-मेज़ के तरीक से किया जायगा। हिटलर चैम्बरलेन की यह शर्त मान गया। उस ने यह भी घोषणा कर दी कि सम्पूर्ण यूरोप में अब उसका कोई और दावा वाकी नहीं रहा। चैम्बरलेन की सलाह जैक सरकार ने भी मान ली और और बिना किसी तरह के रक्षपात के सुडेटनलैण्ड पर जर्मनी का अधिकार हो गया। सुडेटनलैण्ड की सम्पूर्ण किलेवन्दी अब हिटलर के हाथ मे आ गई।

संसार के दुखमय आश्र्य का ठिकाना ही न रहा, जब उपर्युक्त घटना के कुछ ही दिनों के बाद जर्मनी ने जैकोस्लो-

वाकिया के स्लोवाकिया नामक छोटे से और कम महत्वपूर्ण प्रान्त को छोड़ कर शेष सम्पूर्ण देश पर अपना अधिकार जमा लिया। डा० बैन्स को देश से भाग जाना पड़ा। जर्मनी की आवादी साढ़े सात करोड़ से बढ़ कर साढ़े आठ करोड़ हो गई। जैक सरकार ने अरबों रुपया खर्च कर के जर्मनी से अपनी रक्षा के लिये जो शख्स और हवाई जहाज आदि तैयार किये थे, वे सब जर्मनी के हाथ में चले गए। इस से बड़ा शोकान्त अभिनय और क्या हो सकता था। कुछ समय के बाद जर्मनी ने मैमललैण्ड पर भी अधिकार कर लिया।

**स्पेन में हस्ताक्षेप**—पिछले महायुद्ध के बाद सम्बद्ध की जो लहर सम्पूर्ण यूरोप में व्याप्त हो गई थी, उसे मध्य यूरोप के सभी देशों ने क्रमशः कुचल दिया था। परन्तु सुदूर स्पेन में सम्बद्ध दल की शक्ति और प्रभाव अब भी कायम था। इटली और जर्मनी की देखादेखी स्पेन में भी सन् १९३१ से फ़ासिस्ट पार्टी का, जो वहाँ 'रिपब्लिकन पार्टी' के नाम से प्रसिद्ध थी, आन्दोलन उग्ररूप धारण करने लगा। जनरल फ्रैको नाम का एक व्यक्ति इस दल का नेता बन गया और वह अपने दल को बाकायदा सैनिक ढंग पर संगठित करने लगा। अपने दल के हाथ में स्पेन का शासन कर लेने के उद्देश्य से उसने अर्ध शिक्षित मूर सेना पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और जुलाई १९३६ में स्पेन की सरकार को यह नोटिस दे दिया कि या तो सरकार उस के हक में त्यागपत्र दे दे, अन्यथा वह सरकार का मुकाबला अपनी सैनिक शक्ति से करेगा। सरकार ने फ्रैको की यह

हास्यास्पद मांग स्वीकार नहीं की और स्पेन में गृहयुद्ध शुरू हो गया।

यह युद्ध भी एक विचित्र युद्ध था। स्पेन के अधिकांश सैनिक जनरल फ्रैंको से जा मिले थे और थोड़ी-सी सरकारी सेना तथा स्पेन के नागरिक सम्मिलित रूप से उसका मुकाबला कर रहे थे।

संसार का जनमत स्पेन की सरकार के साथ था, फिर भी उचित यही समझा गया कि अन्य कोई देश स्पेन के इस गृहयुद्ध में हस्ताक्षेप न करे। परन्तु मुसोलिनी और हिटलर दोनों की स्पष्ट सहानुभूति फ्रैंको के साथ थी। अतः इटली और जर्मनी धन, जन और शस्त्राखों से फ्रैंको की सहायता करते रहे। उधर रूस ने स्पेनिश सरकार को सैनिक सहायता पहुँचाई। परिणाम यह हुआ कि युद्ध बहुत लम्बा और अत्यन्त भयानक बन गया। पूरे दो वर्षों तक यह युद्ध चला और अन्त में जनरल फ्रैंको विजयी हुआ। परन्तु इस समय तक स्पेन की दशा बहुत ही जीर्ण-शीर्ण हो चुकी थी।

अक्तूबर सन् १९३८ से लेकर अगस्त १९३९ तक जो घटनाएं हुईं वह संसार के इतिहास में सदा महत्वपूर्ण गिनी जायगी। जिन परिस्थितियों में वर्तमान महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, उनका वर्णन एक पृथक् अध्याय में किया गया है।

---

पांचवाँ अध्याय

## संसार के प्रमुख प्रजातन्त्र

(क)

### इंग्लैण्ड

इंग्लैण्ड के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वहाँ संसार का सब से अधिक चिरस्थायी राजतन्त्र है, सब से ज्यादा भजवृत्त कुलीनतन्त्र है और सब से बढ़ कर स्वाधीन प्रजातन्त्र है। इंग्लैण्ड को वर्तमान प्रजातन्त्र-प्रणाली का पिता भी कहा जाता है, यद्यपि उस का साम्राज्य संसार भर में सब से अधिक विस्तीर्ण है, और बहुत समय तक वह एक साम्राज्यवादी देश रहा है। वहाँ के सम्पत्तिशाली लोगों में से केवल २ प्रतिशत घ्यक्ति देश की ६४ प्रतिशत सम्पत्ति के मालिक हैं। इंग्लैण्ड की यह धनिक श्रेणी संसार भर में सब से अधिक अद्भुत और शक्तिशाली श्रेणी है।

सम्पूर्ण अंग्रेजी साम्राज्य इसी श्रेणी के आधार पर आभित है। राष्ट्र की अधिकांश सम्पत्ति इन्हीं लोगों के पास केन्द्रित है। लखड़न के ८० लाख निवासियों में से ऐसे लोगों की संख्या केवल ४० हजार है, जिन के बहां अपने मकान हैं। उधर लखड़न के सब से अधिक कीमती हिस्सों के मालिक केवल २० आदमी हैं। दूसरी ओर इंग्लैण्ड की सर्वसाधारण जनता को बहुत अमीर नहीं कहा जा सकता। वहां प्रतिवर्ष जितने आदमी मरते हैं, उन में से ७५ प्रतिशत व्यक्ति सौ पाउण्ड से अधिक मूल्य की सम्पत्ति अपने पीछे नहीं छोड़ जाते।

अंग्रेजी साम्राज्य संसार का सब से बड़ा साम्राज्य है। इस दृष्टि से, कई सदियों से इंग्लैण्ड संसार का सब से अधिक महत्वपूर्ण देश बना हुआ है। अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार १,३०,००,००० वर्गमील है। और उस की आबादी ५० करोड़ है। दूसरे शब्दों में केवल और आबादी की दृष्टि से संसार का एक चौथाई भाग अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित है।

इंग्लैण्ड में जिस तरह क्रमशः प्रजातन्त्र-शासन प्रणाली तथा स्वाधीनता का विकास हुआ, उसी तरह उस के अधिकांश उपनिवेशों में भी हुआ। अंग्रेजी उपनिवेशों में अधिकांश आबादी उन्हीं लोगों के बंशजों की है, जो इंग्लैण्ड से जाकर उन देशों में आवाद हुए थे। शुरू-शुरू में इंग्लैण्ड इन उपनिवेशों पर अपना, सीधा नियन्त्रण रखना चाहता था। परन्तु जब अमेरिका इंग्लैण्ड की अधीनता से निकल कर स्वाधीन राष्ट्र बन गया, तो इंग्लैण्ड ने अपनी नीति बदली। आज अंग्रेजी साम्राज्य के केनाढा, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड, न्यूफ़ाउण्डलैण्ड आदि देशों

में पूर्ण स्वाधीनता स्थापित है। ये सम्पूर्ण उपनिवेश स्वेच्छापूर्वक अंग्रेजी साम्राज्य के अंग हैं। इस तरह अंग्रेजी साम्राज्य का आधार आज वलात्कार और शक्ति की अधिकता नहीं, अपितु वास्तविक सौहार्द्य और हितों की एकता है।

अंग्रेजी साम्राज्य के कतिपय देशों में आज भी पूर्ण स्वाधीनता नहीं है। भारतवर्ष, बरमा, लङ्गा आदि इसी ढंग के देश हैं। परन्तु इन देशों में भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के आनंदोलन जोरों पर हैं और अंग्रेज राजनीतिज्ञों का दावा है कि वे इन देशों को भी स्वतन्त्र शासन वाले देश बनाने का प्रयत्न ईमानदारी के साथ कर रहे हैं।

यह विशाल अंग्रेजी साम्राज्य जिस छोटे-से टापू के आधार पर आभित है, उस टापू को कृषि की दृष्टि से कदापि श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। वहां का जलवायु भी अत्यन्त शीतल है। अधिकांश प्रदेश पहाड़ी है। वर्जा वहां बहुत होती है। इससे वह हरा-भरा तो अवश्य है, परन्तु वहां के ४३ करोड़ निवासी खुले और स्वच्छ दिन देखने को प्रायः तरसते रहते हैं। संसार से पृथक् इन अत्यन्त शीत परिस्थितियों में सदियों से रहते हुए अंग्रेज लोग कष्ट सहन करने के अभ्यस्त-से हो गए हैं, और धीरता-पूर्वक आपत्तियों का सामना करना उनका राष्ट्रीय गुण बन गया है।

यह कहने में जरा भी अन्युक्ति न होगी कि एक टापू होते हुए भी इंग्लैण्ड वाकी संसार के साथ सब से अधिक घनिष्ठता-पूर्वक सम्बद्ध है। आर्थिक दृष्टि से वह पूर्णतः वाकी संसार पर निर्भर करता है। इंग्लैण्ड की अपनी उपज से वहां की आधी

आवादी का मुश्किल से पेट भर सकता है। इंग्लैण्ड के कारखानों में आज जितनी चीज़ें तैयार होती हैं, उनके लिए आवश्यक कच्चे माल का केवल एक पांचवां भाग ही इंग्लैण्ड में पैदा होता है। शेष ८० प्रतिशत भाग बाहर से आता है। अपने ५० प्रतिशत भोजन और ८० प्रतिशत कच्चे माल के लिए इंग्लैण्ड को संसार के बीसियों देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अपनी उक्त आवश्यकताओं का आधा भाग तो वह अपने साम्राज्य से पूरा कर लेता है, शेष भाग के लिए उसे दूसरे देशों से आर्थिक सम्बन्ध बनाए रखने होते हैं।

अपनी उक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंग्लैण्ड पक्का माल और स्थानिक द्रव्य बाहर भेजता है। इन में कपड़ा सब से प्रमुख है। उसके बाद लोहा, मशीनें, कोइला, ऊनी माल, रासायनिक द्रव्य आदि हैं। इंग्लैण्ड की २० प्रतिशत आवादी निर्यात का माल तैयार करने में लगी हुई है, फिर भी इंग्लैण्ड अपने आवात का मूल्य, केवल अपने निर्यात के आधार पर, नहीं चुका सकता। उसे जहाजरानी, बैंकिंग, साहूकारा, बीमा आदि भी करने पड़ते हैं। इंग्लैण्ड की राष्ट्रीय आय में इन धन्यों का भी बहुत महत्व पूर्ण भाग है। अंग्रेज़ पूंजीपतियों ने अपना अरबों रुपया अन्य देशों में मूलधन के रूप में लगा रखा है।

इन परिस्थितियों का परिणाम यह है कि इंग्लैण्ड पर विदेशी बाजारों के उत्तर-चढ़ाव का सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि चीन या भारतवर्ष में लोहे का एक नया कारखाना खुलता है, तो इंग्लैण्ड के पूंजीपतियों के कान खड़े हो जाते हैं। मध्य ईरान में यदि कोइले की एक नई कान खुदनी शुरू होती है, तो इंग्लैण्ड के बाजार में तहलका

मच जाता है। संसार के प्रायः सभी देशों से इंग्लैण्ड का लेन-देन है, इस से सभी राष्ट्रों के आर्थिक उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव इंग्लैण्ड पर पड़ता है।

पहले महायुद्ध के बाद—पिछले महायुद्ध के बाद अंग्रेजों का व्याल था कि बहुत शीघ्र उनका देश पुनः संसार का सब से अधिक सम्पन्न देश बन जायगा। सन् १९१६ में इंग्लैण्ड के निवासियों ने अपना चिरसंहित धन, इस आशा से जी खोल कर खर्च किया कि उनके बीते दिन फिर से लौट रहे हैं। परन्तु वर्ष के अन्त में उन्हे समझ आ गया कि कहीं गड़बड़ है। देश में बेकारी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। सन् १९२० में लोग कुछ आशङ्कित-से रहे। सन् १९२१ के प्रारम्भ में बहां पाया गया कि बेकार लोगों की संख्या १० लाख तक जा पहुँची है।

**संकट के कारण**—जब उक्त तथ्य के कारणों की जांच की गई तो पता लगा कि संसार की दशा पिछले महायुद्ध के दिनों में बहुत अधिक बदल गई है। इंग्लैण्ड का निर्यात बहुत गिर गया है। और उसके गिरने का कारण यह है कि युद्ध के दिनों में, लाचार होकर, बहुत से देशों ने अपना व्यवसाय उन्नत कर लिया है। जापान और भारतवर्ष में कपड़े के बड़े-बड़े कारखाने बन गए हैं। आस्ट्रिया अपनी मेडों की ऊन से स्वयं माल तैयार करने लगा है और हरजाने के तौर से फ्रांस को जो लाखों टन कोइला जर्सी ने दिया है, उसे वह संसार के अन्य देशों को बहुत सस्ती कीमत पर बेच रहा है, अतः इंग्लैण्ड के कोइले की मांग अब नहीं रही। निर्यात, खास तौर से कोइले की निर्यात, कम हो जाने से इंग्लैण्ड की जहाजरानी को भी सख्त धक्का पहुँच रहा है। उधर रुस की

बोल्शेविक सरकार ने ज्ञार के ज्ञाने के सम्पूर्ण कङ्ग चुकाने से इन्कार कर दिया है और उस रक्तम में इंग्लैण्ड का काफी बड़ा भाग था। किसी भी तरीके से लेनिन की सरकार वह रक्तम बापस करने का उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं। और सब से बड़ी बात यह हुई है कि महायुद्ध के दिनों, चुपचाप, लरेडन की बैंकिंग तथा लेन-देन सम्बन्धी महत्त्व स्थानान्तरित होकर न्यूयार्क को मिल गई है।

इन सब परिस्थितियों का परिणाम यह हुआ कि इंग्लैण्ड के कारखाने अपना काम बन्द करने लगे और बेकारों की संख्या, केवल सात महीनों में, १० लाख से २० लाख जा पहुँची। सन् १९११ से इंग्लैण्ड में बेकारी का बीमा करने की प्रथा डाली गई थी। इस कार्य में सरकार भी काफी सहायता देती थी। अब सरकार की ओर से बेकार लोगों को थोड़ी-सी रक्तम भी दी जाने लगी। परन्तु इस से बना कुछ भी नहीं। जनता का असन्तोष बढ़ने लगा और १९२२ में मिठो लायडजार्ज की सरकार का पतन हो गया। उसके स्थान पर अनुदार दल की सरकार कायम होगई।

**लरेडन का पुनर्नेतृत्व—अनुदार दल की सरकार के सन्मुख एक नया कार्यक्रम था। उन्होंने सब से पहले इस बात की ओर ध्यान दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन और बैंकिंग में लरेडन की महत्त्व पुनः स्थापित की जाय। यदि इस दिशा में लरेडन अपने पहले स्थान पर पहुँच सके—यानी संसार भर के सिक्कों का मूल्य पुनः इंग्लैण्ड के सिक्के से निर्धारित किया जाने लगे (अब इस दृष्टि से अमेरिका के डालर की महत्त्व बढ़ गई थी) तो स्वभावतः इंग्लैण्ड की मुद्रा का मूल्य बढ़ जायगा और इस तरह इंग्लैण्ड**

का घन दूसरे देशों में अधिक मुनाफ़े के साथ लगाया जा सकेगा। इस स्कीम से इंग्लैण्ड का निर्यात बढ़ने की भी सम्भावना थी। कारण यह कि इंग्लैण्ड की मुद्रा का मूल्य बढ़ जाने का अभिप्राय यह था कि यदि पहले एक शिलिंग में ५ सेर गेहूँ खरीदा जा सकता था, तो अब ७ सेर खरीदा जा सकेगा। इस दशा में इंग्लैण्ड के मजदूरों के बेतन आसानी से घटाए जा सकेंगे। इस का परिणाम यह होगा कि इंग्लैण्ड के माल पर अब खर्च कम आएगा और वह अन्य देशों में पहले की अपेक्षा सस्ता बेचा जा सकेगा। इस से स्वभावतः इंग्लैण्ड के माल की मांग बढ़ जायगी।

अनुदार दल को इस में दिक्कतें भी कम नहीं उठानी पड़ीं। इंग्लैण्ड ने अमेरिका से लगभग ३० अरब रुपया ऋण ले रखा था। यह ऋण उतारने के लिये इंग्लैण्ड के व्यवसाय-पतियों पर भारी कर लगाना आवश्यक था। और इस भारी कर का स्वभावतः यह परिणाम होना था कि इंग्लैण्ड का माल कुछ मंहगा बिके। उधर अन्य देशों में भी बहुत-सा माल इंग्लैण्ड में आकर बिकने लगा था। पहली दिक्कत दूर करने का तो कोई उपाय नहीं था, परन्तु दूसरी दिक्कत को दूर करने के लिए इंग्लैण्ड ने अपने इतिहास में पहली बार मुक्त व्यापार ( Free trade ) के सिद्धान्त के विरुद्ध अपने कई प्रकार के आयात ( imports ) पर टटकर लगा दिए।

सन् १८२५ में गोल्ड स्टैंडर्ड जारी कर दिया गया। अर्थात् पाउण्ड को सोने के मूल्य के साथ सम्बद्ध कर दिया गया। एक पाउण्ड के बदले में सोने की अमुक मात्रा देने का निश्चित ज़िम्मा सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। इस का परिणाम यह हुआ कि

अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन में लण्डन की महत्ता, फिर से स्थापित हो गई और वह पुनः आर्थिक हृषि से संसार का प्रथम नगर बन गया।

पहली मजदूर सरकार—परन्तु गोल्ड स्टैण्डर्ड की स्थापना से पूर्व ही अनुदार दल को हार खानी पड़ी। सन् १९२४ के अन्त में जो निर्वाचन हुए, उन में दलों की संख्या इस प्रकार थीं—

अनुदार दल—२५८

उदार दल—१५७

मजदूर दल—१६१

निर्वाचन से पूर्व अनुदार दल ने घोषणा की थी कि वह इंग्लैण्ड के आयात पर तटकर बढ़ाएगा। उदार और मजदूर दल इस बात के विरुद्ध थे। इस से अनुदार दल के प्रधानमन्त्री मिं० बाल्डविन के मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र दे देना पड़ा और मजदूर दल के नेता मिं० रैम्जे मैकडानल्ड ने इंग्लैण्ड के इतिहास में पहली बार वहाँ मजदूर मन्त्रिमण्डल की स्थापना की। इस मन्त्रिमण्डल को उदार दल की सद्व्यता प्राप्त थी। परन्तु यह मजदूर सरकार कुछ महीनों से अधिक स्थायी नहीं रह सकी। मजदूर दल राष्ट्रीय-साम्यवाद के ढंग के जो सुधार करना चाहता था, उदार दल उनके पक्ष में न था। इससे एक बरस से भी पहले इंग्लैण्ड में नया निर्वाचन हुआ और उसमें अनुदार दल पुनः विजयी हो गया।

सन् १९२६ की हड़ताल—परन्तु इंग्लैण्ड की आर्थिक समस्याएं अब भी हल नहीं हो पाई थीं। वहाँ व्यवसाय का संगठन पुराने ढंग पर था। एक-एक नगर में एक-एक व्यवसाय की सैकड़ों कम्पनियाँ थीं, जिनमें परस्पर भारी प्रतिक्रिया रहती थी। अकेले

लङ्काशायर मे ७०० कर्ताई करने वाली, और १२०० बुनने वाली पृथक् पृथक् कम्पनियां थीं। कोइले के व्यवसाय मे यही हाल था। सरकार राष्ट्रीय ऋण चुकाने के लिए इन कम्पनियों पर कर बढ़ाना चाहती थी। इस कारण मजदूरों का वेतन घटाना जरूरी था। सन् १९२६ मे सरकार ने एक नया कानून बना कर कोयले की कानों मे काम करने वाले मजदूरों के वेतन में १३। प्रतिशत कमी करने की घोषणा कर दी। मजदूर इस बात से बहुत अस-न्तुष्ट हुए और उन्होंने ४ मई को हड़ताल कर दी। उन की सहानुभूति में इंग्लैण्ड भर के रेलवेज तथा बन्दरगाहों पर काम करने वाले मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी। बहुत शीघ्र हड़ताल इतनी व्यापक बन गई कि इंग्लैण्ड के काम करने वाली आवादी का छटा भाग काम छोड़ बैठा। २५,००,००० मजदूर इस हड़ताल में शामिल थे। सरकार को इस बात का झूतरा था कि इस हड़ताल के कारण भयंकर रक्तपात होगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। हड़ताली पूर्णतः शान्त रहे, परन्तु जनता की सहानुभूति उन्हे प्राप्त न हुई। विलिंग बहुत शीघ्र जनसत हड़तालियों के विरुद्ध हो गया। उधर इंग्लैण्ड के कानूनी परिषद्तो ने इस हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। २१ मई को मजदूरों ने स्वयं ही यह हड़ताल समाप्त कर दी। इस हड़ताल से इंग्लैण्ड को लगभग २,३०,००,००० रुपयों का नुकसान हुआ।

**ओपनिवेशिक स्वाधीनता—महायुद्ध में अंग्रेजी साम्राज्य के उपनिवेशों ने इंग्लैण्ड को जो बहुमूल्य सहायता की थी, उस के लिये इंग्लैण्ड ने अपनी कृतज्ञता घोषित करने के उद्देश्य से उपनिवेशों के सम्बन्ध मे यह नीति बना ली कि सभी**

उपनिवेश (जिन का ऊपर वर्णन 'हो चुका है') - पूर्णतः स्वाधीन राष्ट्र हैं और एक सम्राट् के भक्त होने से वे सब एक ही परिवार के अंग हैं। सन १९२६ मे अंपनिवेशक सम्मेलन (Imperial Conference) ने घोषणा की कि 'इंग्लैण्ड और उपनिवेश अंग्रेजी साम्राज्य के अन्तर्गत स्वाधीन राष्ट्र हैं, इन सब की स्थिति एक समान है। आन्तरिक और बाह्य सभी मामलों में वे सब पूर्णतः स्वाधीन हैं। यद्यपि वे सब एक सम्राट् के भक्त होने तथा एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण परस्पर एक दूसरे के साथ अत्यन्त घनिष्ठता के साथ सम्बद्ध हैं।' सन १९३१ मे इस परिभाषा को बाकायदा अंग्रेजी सरकार की ओर से, वैस्टमिनिस्टर के स्टैच्यूट द्वारा, भी स्वीकार कर लिया गया, यद्यपि यह परिभाषा अत्यन्त लच्छीली और अस्पष्ट है। इस बात पर भी कुछ बहस चली कि उपनिवेशों को साम्राज्य से पृथक् होने का अधिकार है या नहीं, परन्तु इस सम्बन्ध मे भी कोई निश्चित घोषणा सरकार ने नहीं की। यद्यपि उक्त परिभाषा में कहीं उपनिवेशों के साम्राज्य से पृथक् हो सकने के अधिकार को रोका नहीं गया। 'सम्राट् की भक्ति' एक ऐसी चीज है, जिसके अनेक अभिप्राय निकल सकते हैं। इंग्लैण्ड के सम्राट् एक वैधानिक सम्राट् हैं, स्वेच्छाचारी सम्राट् नहीं। उन्हें अपने मन्त्रियोंकी राय के अनुसार काम करना होता है। और उपनिवेशों की उक्त परिभाषा के अनुसार जिस तरह इंग्लैण्ड के मामले में इंग्लैण्ड का मन्त्रिमण्डल महत्वपूर्ण और प्रामाणिक है, उसी तरह कैनाडा मे कैनाडा का। इससे यदि सम्राट् का कैनाडियन मन्त्रिमण्डल यह निश्चय करे कि कैनाडा अंग्रेजी

साम्राज्य के पृथक् होता है, तो सम्राट् को अपने उक्त मन्त्रमण्डल का यह निश्चय स्वीकार करना ही होगा ।

**वर्तमान स्थिति**—फिर भी यह कहा जा सकता है कि उपनिवेशों की इस नई परिभाषा से अंग्रेजी साम्राज्य के उपनिवेशों में अपने मातृ देश के प्रति कोई अन्तर नहीं आने पाया । इंग्लैण्ड तथा उपनिवेशों के सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्ध आज भी उतने ही धनिष्ठ हैं, जितने वे पहले कभी थे । बल्कि कैनाडा के सम्बन्ध तो आज और भी अधिक गहरे हो गए हैं । गत महायुद्ध में कैनाडा ने इंग्लैण्ड को पूरी सहायता तो अवश्य दी थी, परन्तु उस ने जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा नहीं की थी । वर्तमान महायुद्ध में कैनाडा ने ने केवल अपना सभी कुछ इंग्लैण्ड के अपित कर दिया है, अपितु जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा भी कर दी है । इस तरह दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि ने भी जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा करदी है और वर्तमान महायुद्ध के संचालन में ये सब उपनिवेश इंग्लैण्ड को पूरा सहयोग दे रहे हैं ।

**आयर की स्वाधीनता**—गत महायुद्ध के बाद आयर-लैण्ड में स्वाधीनता का आन्दोलन बहुत ज़ोरों पर हो गया । वहां अंग्रेजकर्ता-सी फैले गईं और रांजनीतिक हत्याओं का तार-सा बंध गया । सन् १९२१ में इंग्लैण्ड ने आयरलैण्ड को औपनिवेशिक स्वाधीनता दे दी । अलस्टर नामक एक प्रान्त को छोड़ कर, जिस का बहुमत इंग्लैण्ड के साथ रहना चाहता था, शेष आयरलैण्ड की पृथक् पार्लियामेंट बना दी गई । सिर्फ़ दो शर्तें रखेंवी गई, वहां के मन्त्रियों को भी सम्राट् के भक्त रहने की शपथ लेनी पंडती थी । साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि आयरलैण्ड प्रति वर्ष ७ करोड़

रुपथा इंग्लैण्ड को दिया करेगा। आयरलैण्ड के अधिकांश राजनीतिक नेता इस नई सन्धि से बहुत प्रसन्न थे, परन्तु डी वैलेरा के दल ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर भी आयरलैण्ड में नई सरकार की स्थापना हो गई और इस नई आयरिश सरकार ने डी वैलेरा को जेल में डाल दिया।

उसके बाद सन् १९२७ में डी वैलेरा के दल ने भी नए शासन-विधान को स्वीकार कर लिया। सन् १९३२ में डी वैलेरा आयरलैण्ड का प्रधानमन्त्री बन गया। डी वैलेरा ने क्रमशः इंग्लैण्ड से अपने देश का सम्बन्ध तोड़ना शुरू किया। अंग्रेजी के स्थान पर उसने आयरिश भाषा पढ़ाने की व्यवस्था की। सन्नाट् के नाम से शपथ लेना बन्द कर दिया। इंग्लैण्ड को ७ करोड़ रुपया वार्षिक देने से भी इन्कार कर दिया। आयरलैण्ड का नाम 'आयर' कर दिया और अन्त से आयर के स्वतन्त्र राष्ट्रपति का निर्वाचन करने की प्रथा डाल दी। इस पर इंग्लैण्ड ने आयर का आर्थिक विहिष्कार शुरू किया, जिस से लाचार होकर डी वैलेरा को इंग्लैण्ड के साथ आर्थिक सन्धि करनी पड़ी।

**सन् १९२६ के निर्वाचन—सन् १९२९ के अन्त में**  
**इंग्लैण्ड में पुनः मजदूर दल की सरकार की स्थापना हुई। इस**  
**निर्वाचन में दलों का अनुपात इस प्रकार था :—**

मजदूर दल—२८७

अनुदार दल—२६०

उदार दल— ५६

मजदूर दल का अब भी पूर्ण बहुमत नहीं था, इससे वह कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं ला सका। वैसे भी, अब तक मजदूर

दल के नेताओं, विशेषतः रेम्जे मैकडानल्ड का दृष्टिकोण बहुत बदल चुका था। उनके तथा अनुदार दल के दृष्टिकोण में अब कोई विशेष अन्तर नहीं रह गया था।

**राष्ट्रीय सरकार की स्थापना—सन् १९३०'** और ३१ मेर इंग्लैण्ड मेर राजनीतिक चरचा का अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय भारतवर्ष रहा। उन्हीं दिनों वहां भारतीय प्रतिनिधियों और अंग्रेजी राजनीतिज्ञों की एक गोलमेज कान्फरेन्स भी हुई। दूसरी कान्फरेन्स, जो सन् १९३१ के अन्त मेर हुई, मेर भारतीय कांग्रेस ने भी भाग लेना स्वीकार कर लिया और महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप से लेखन में गए।

परन्तु इंग्लैण्ड की आन्तरिक अवस्थाएं, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से, कुछ ऐसी जटिल हो गई कि वहाँ की जनता का सम्पूर्ण ध्यान भारतवर्ष की गोलमेज परिषद से हट कर अपनी आन्तरिक समस्याओं की ओर आकृष्ट हो गया। मज़दूर दल के प्रधान मन्त्री श्री रेम्जे मैकडानल्ड ने अनुदार दल के नेताओं और कठिपथ उदार दल के सदस्यों की सहायता से इंग्लैण्ड मेर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी। इस राष्ट्रीय सरकार के कार्यक्रम की दो महत्पूर्ण बातें थीं—गोल्ड स्टैण्डर्ड को हटाना और राष्ट्र के मन्त्रियों को अपने अपने विभागों मेर मितव्ययता करने के विस्तृत अधिकार देना। सन् १९३१ मेर इंग्लैण्ड मेर जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, उसका एकमात्र इकाज गोल्ड स्टैन्डर्ड को हटाना था। तब इंग्लैण्ड के पास ५,५०,००,००० पाउण्ड का सोना था और उसे २५,००,००,००० पाउण्ड का सोना अन्य देशों को देना था।

बहुत शीघ्र इंग्लैण्ड मेर राष्ट्रीय सरकार के नाम से नेया

निर्वाचन हुआ और उसमें देश के प्रायः सभी महत्वपूर्ण पत्रों की सहायतासे राष्ट्रीय सरकार बहुत बड़े बहुमत (६१ प्रति शत) से विजयी हुई। राष्ट्रीय सरकार को ५५६ सीटें मिलीं और विरोधी-दल को केवल ५६।

इस प्रकार जो अत्यन्त मज़बूत सरकार इंग्लैण्ड में स्थापित हुई, उसका प्रधान मन्त्री श्री रमेश मैकडानल्ड को ही बनाया गया, जिन् के अनुयाई बहुत ही कम थे। परिणाम यह हुआ कि मैकडानल्ड को कुछ समय के बाद त्यागपत्र देना पड़ा और श्री बाल्डविन प्रधान मन्त्री नियत हुए। राष्ट्रीय सरकार ने अनेक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किए, इन में से एक कार्य ३० अरब हजारों के युद्ध भूषण के सूद को ५ प्रति शत से २५ प्रति शत कर देना था। अंग्रेज जनता ने इस कार्य में अपनी सरकार को पूर्ण सहयोग दिया। राष्ट्रीय सरकार ने इंग्लैण्ड में खाद्य पदार्थों की उपज बढ़ाने का भी भरपूर प्रयत्न किया। विदेशी खाद्य पदार्थों पर कर लगा दिया गया।

परिणाम यह हुआ कि इंग्लैण्ड का आर्थिक संकट बहुत शीघ्र टल गया। इंग्लैण्ड फिर से एक समृद्ध देश बन गया और वहां प्रभूत मात्रा में सोना पहुँचने लगा। सन् १९३५ तक इंग्लैण्ड संसार का सब से समृद्ध देश बन गया। परन्तु इंग्लैण्ड की इस समृद्धि के लिये वहां के नागरिकों को काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी। सरकार ने कर दी गई और विदेशी खाद्य पदार्थों पर तटकर लग जाने से इंग्लैण्ड में खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ गई। यह सब तकलीफ़ सह

कर इंग्लैण्ड ने आर्थिक जगत् में फिर से अपनी धाक निस्सन्देह कायम करली।

**दूसरी राष्ट्रीय सरकार**—सन् १९३५ के नवम्बर मास में इंग्लैण्ड में नया निर्वाचन हुआ। इस निर्वाचन में इंग्लैण्ड की राष्ट्रीय सरकार ने ४२८ सीटें जीतीं। विरोधी दलों (मज़दूर तथा उदार) को कुल १८७ सीटें मिली। आजुकल, कतिपय उप-निर्वाचनों के परिणामस्वरूप, पार्लियामेंट में विरोधी दल की संख्या १६० के लगभग है।

सन् १९३५ तक संसार में अशान्ति के चिन्ह बढ़ रहे थे, इस से राष्ट्रीय सरकार ने अपना सम्पूर्ण ध्यान सैनिक तैयारी की ओर लगाया।

**सप्तांट्र अष्टम एडवर्ड का राजत्याग**—सन् १९३६ के ग्राम्य में सप्तांट्र पंचम जार्ज का देहान्त हो गया। उनके बड़े पुत्र अष्टम एडवर्ड के नाम से अंग्रेजी साम्राज्य के सप्तांट्र बने। वह शुरू ही से बहुत लोकप्रिय और स्वतन्त्र प्रकृति के युरुष थे। अपने प्रथम भाषण में उन्होंने 'हम' की जगह 'मैं' का व्यवहार किया। देश के मज़दूरों की भलाई आदि की ओर वह असाधारण ध्यान देते थे। अपनी जनता के लिए वह बहुत सहज में प्राप्य थे। इन बातों से वह और मी लोकप्रिय हो गए। परन्तु श्रीमती वालिस सिम्पसन नाम की एक अमेरिकन महिला से विवाह करने की उन की इच्छा को अंग्रेजी मन्त्रि-मण्डल ने स्वीकार नहीं किया। मंत्रि-मण्डल का कहना था कि यदि सप्तांट्र को अपनी पत्नी चुनने का अधिकार है तो हमें अपनी सप्तांगी को निर्वाचित करने का अधिकार है। और क्योंकि सप्तांट्र अंग्रेजी उपनिवेशों के भी सप्तांट्र थे,

अतः इस संबन्ध में उपनिवेशों से भी राय माँगी गई। उपनिवेशों के मन्त्रिमंडल अंग्रेजी मन्त्रिमण्डल से सहमत थे। श्रीमती सिस्प-सन अपने दो पतियों को तलाक दे चुकी थीं। उनके बे दोनों पति आज भी जीवित हैं। ऐसी महिला को अंग्रेज मन्त्रिमंडल अपनी समाजी नहीं बनाना चाहता था, इससे दिसम्बर १९३६ में समाट् अष्टम एडवर्ड ने स्वेच्छापूर्वक राजत्याग कर दिया। उनके छोटे भाई छोटे जार्ज के नाम से इंगलैंड की राजाद्वारा पर बैठे और अष्टम एडवर्ड समाट् से ह्यूक आफ विएडसर बन गए। जून १९३७ में उन्हें श्रीमती वालिस से विवाह कर लिया। इस असाधारण घटना से सम्पूर्ण साम्राज्य का बातावरण काफ़ी समय तक विद्वृत्य और चिन्तित बना रहा।

**युद्ध रोकने के प्रयत्न और युद्ध की तैयारी—उपर्युक्त संकट के बाद श्री बाल्डविन ने राजनीति से अवसर प्राप्त कर लिया और श्री नेवाइल चैम्बरलेन उनके स्थान पर इंगलैंड के प्रधान मन्त्री नियत हुए। श्री चैम्बरलेन एक शान्तिप्रिय व्यक्ति थे। अपनी शान्तिप्रियता के कारण उन्हे अनेक बार प्रतिकूल आलोचनाएं सुननी पड़ी। यूरोप का ज्वालामुखी जिस प्रकार दिन-दिन अधिक-अधिक उत्तम होता जा रहा था, उसे शान्त करने का श्री चैम्बरलेन ने काफ़ी प्रयत्न किया। यहाँ तक कि अपने मन्त्रिमण्डल में भी इसी उद्देश्य से उन्हें अनेक बार परिवर्तन करने पड़े।**

सन् १९३८ में परिविधि बहुत भीषण हो गई। जर्मनी ने सूदैटनलैरेण्ड को ले लेने की जो घोषणा की थी, उसी बात से यूरोप में महायुद्ध प्रारम्भ हो जाने का पूरा अवसर था। श्री चैम्बरलेन ने जिस तरह जर्मनी में जाकर हिटलर को युद्ध न करने के

## युद्ध रोकने के प्रयत्न और युद्ध की तैयारी १११

लिए प्रेरित किया, उसका वर्णन यथास्थान किया जा चुका है। तब युद्ध टल तो गया, परन्तु सिर्फ़ एक वर्ष के लिए। संसार के विचारकों में इस सम्बन्ध में मतभेद है कि तब युद्ध का सिर्फ़ एक वर्ष के लिए टल जाना उचित हुआ था नहीं।

शान्ति-स्थापना के उक्त प्रयत्नों के साथ ही साथ इंग्लैण्ड में युद्ध की तैयारी भी जोरों पर जारी थी। राष्ट्र का सम्पूर्ण ध्यान इसी ओर था और अखंड स्वयं आगामी युद्ध की तैयारी पर व्यवहार किया जा रहा था। जानकार लोगों का कहना है कि सन् १९३८ में युद्ध को एक साल के लिए टाल कर इंग्लैण्ड ने अपनी सामरिक तैयारी पूरी करने का अवसर प्राप्त कर लिया।

वर्तमान युद्ध और इंग्लैण्ड के सम्बन्ध में “वर्तमान महायुद्ध” शीषक अध्याय में लिखा जाएगा।

---

( ख )

## संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका

अमेरिका का प्रभाव—गत महायुद्ध के बाद से अमेरिका संसार का सब से अधिक महत्वपूर्ण देश बन गया है। उस युद्ध में मित्रराष्ट्रों की विजय का प्रमुख कारण उन्हे अमेरिका की क्रियात्मक सहायता प्राप्त होना था। युद्ध के बाद संसार के पुनर्निर्माण में भी अमेरिका ने बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया। युद्ध के दिनों में अमेरिका ने जिस प्रकार अपना आर्थिक संगठन किया था, युद्ध के बाद यूरोप के अधिकांश देशों ने उसी का अनुकरण किया। संसार भर के सभी देशों पर अमेरिकन व्यवसाय, अमेरिकन संगठन और अमेरिकन रीतिविवाजों का गहरा प्रभाव पड़ा। मित्रराष्ट्रों ने एक बहुत बड़ा कर्ज़ अमेरिका को

अदा करना था। महायुद्ध के बाद यूरोप के बहुत से देशों ने अपना आर्थिक पुनर्निर्माण करने के लिए अमेरिका से और भी बड़ी-बड़ी राशियां उधार लीं। इस तरह अमेरिका का प्रभुत्व और भी बढ़ गया। अमेरिका से धन उधार लेने कर संसार के प्रमुख राष्ट्र अपना व्यवसाय उन्नत करने लगे और संसार में आवश्यकता से अधिक उत्पत्ति होने लगी। उसी का परिणाम विश्वव्यापी आर्थिक संकट के रूप में दिखाई दिया।

अमेरिका एक नया महादेश है। आबादी के अनुपात से उसके उपज के स्रोत बहुत अधिक हैं। वहां की नई भूमि अत्यधिक उपजाऊ है, भारतवर्ष की तरह सब तरह का जलवायु वहां उपलब्ध होता है, वहां की खनिज सम्पत्ति बहुत ही बड़ी-बड़ी है। पिछली दो शताब्दियों में संसार से सर्वथा पृथक् रह कर अमेरिका ने शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से अपने आपको बहुत ही उन्नत तथा संमृद्ध बना लिया है। संसार की राजनीतिक हलचलों से अमेरिका अपने आप को पृथक् रखने का प्रयत्न करता है, यद्यपि विश्व की राजनीतिक परिस्थितियों से लाभ उठाने का अवसर अमेरिकां कभी नहीं चूकता।

संसार का सब से धनी देश—अमेरिका की भूमि इतनी सम्पन्न है कि निम्नलिखित अत्यन्त महत्वपूर्ण पद्धतों की संसार की मांगका निम्नलिखित भाग अमेरिका उत्पन्न करता रहा है—

|       |           |
|-------|-----------|
| कोयला | एक तिहाई  |
| लोहा  | आधा       |
| रुई   | आधा       |
| मका   | तीन चौथाई |

पैट्रोलियम                  दो तिहाई

इसके अतिरिक्त अमेरिकन लोग स्वभाव ही से बहुत अध्य-  
वसायी हैं और बहुमात्रोत्पत्ति जैसी प्रभावशाली संस्था के  
अत्यन्त विकास का श्रेय अमेरिका को ही है। वहां रेलवे लाइनें,  
पुल तथा पक्की सड़कों का जाल-सा बिछा हुआ है। अकेले अमे-  
रिका में ढाई करोड़ से ऊपर मोटरकारें हैं।

गत महायुद्ध में जब संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों का  
व्यापार-च्यवसाय बन्द था, अमेरिका ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यव-  
साय को खूब उन्नत किया। परिणाम यह हुआ कि संसार का  
बहुत-सा धन खिचकर अमेरिका के पास चला गया।

**गत महायुद्ध और अमेरिका—वर्तमान अमेरिकन  
लोगों का ४१ प्रतिशत भाग अंग्रेजों के बंशज हैं और १६ प्रति-  
शत जर्मनी के। शेष ४३ प्रतिशत अन्य बीसियों राष्ट्रों के।**  
गत महायुद्ध के अन्त में जब जर्मनी ने अमेरिका का एक बड़ा  
जहाज ढबो-दिया, अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध लड़ने का  
निश्चय कर लिया। १५ लाख अमेरिकन सिपाही यूरोप मे पहुँचे  
और जर्मनी हार गया।

महायुद्ध में इस तरह भाग लेने से अमेरिका को आर्थिक  
दृष्टि से और भी अधिक लाभ पहुँचा। अमेरिकन सेना का सम्पूर्ण  
व्यय भित्रराष्ट्रों ने देना स्वीकार किया था। गत महायुद्ध से  
पूर्व अमेरिका ने संसार के विभिन्न राष्ट्रों से ३,००,००,००,०००  
डालर लेने थे, महायुद्ध के बाद यह सख्ता ३०,००,००,००,०००  
डालर तक जा पहुँची।

**विल्सन की पराजय**—महायुद्ध के बाद यूरोपियन देशों के पुनर्निर्माण कार्य में सहायता देने तथा नेतृत्व करने के लिए अमेरिकन राष्ट्रपति विल्सन यूरोप में आए। वहाँ उन का भारी स्वागत हुआ। अपने देश के तत्कालीन वातावरण के समान राष्ट्रपति विल्सन में भी गहरी अन्तर्राष्ट्रीयता विद्यमान थी। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रसंघ ( League of Nations ) के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया। इधर यूरोप में तो यह सब हुआ परन्तु उधर अमेरिका में इवा का रूप एकदम बदल गया। अमेरिका में राष्ट्रपति का जो महत्वपूर्ण स्थान है, उस के कारण अमेरिकन लोगों को अपने राष्ट्रपति की अनुपस्थिति खटकने लगी। साथ ही वहाँ लोगों की यह धारणा भी बन गई कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों में अपना समय बरबाद नहीं करना चाहिए। हमें तो अपने देश की आर्थिक उन्नति की ओर ही अपना पूरा ध्यान और शक्ति लगानी चाहिए।

राष्ट्रपति विल्सन डैमोक्रेटिक दल के नेता के रूप में ही राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। डैमोक्रेटिक दल का दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय तथा उदार था। सन् १९१३ से १९१८ तक अमेरिकन लोगों में डैमोक्रेटिक दल के सिद्धान्त लोकप्रिय रहे। उस के बाद दूसरा पलड़ा भारी होना शुरू हुआ। रिपब्लिकन दल, जो मनरो सिद्धान्त के अनुसार इस पक्ष में था कि अमेरिकन लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जरा भी भाग नहीं लेना चाहिए, के सिद्धान्त अधिक लोकप्रिय बनने लगे। राष्ट्रपति विल्सन जब तक अमेरिका में वापस पहुँचे, तब तक वहाँ के लोगों का दृष्टिकोण रिपब्लिकन दल के अनुकूल बन चुका था।

अतः सब से पहले अमेरिका ने ही राष्ट्रसंघ का सदस्य बनने से इन्कार कर दिया। अमेरिकन सीनेट ने तो वरसाई की सन्धि, जो राष्ट्रपति विल्सन की अपनी अध्यक्षता मेरुदी थी, को ही अस्वीकार कर दिया। इन बातों से विल्सन को भारी निराशा हुई, उसे मानसिक आघात पहुँचा और वह बीमार पड़ गया। अपने राष्ट्रप्रतित्व का अन्तिम छेद वर्ष विल्सन ने बीमारी में ही कंटा।

**मनरो सिद्धान्त—रिपब्लिकन दल की लोकप्रियता**  
**क्रमशः** बढ़ने लगी और उस के साथ अमेरिकन लोगों का ध्यान अपने एक पुराने सिद्धान्त की ओर गया। इस का नाम ‘मनरो सिद्धान्त’ है। अमेरिका के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री मनरो ने संन् १८२३ मे अमेरिकन कांग्रेस को अपना यह सन्देश भेजा था—“यूरोप के राष्ट्रों के उपनिवेशों अथवा अधीन देशों के सम्बन्ध मे हम ने अब तक तटस्थिता की नीति बरती है। भविष्य में भी हम उन के प्रति तटस्थ ही रहेंगे। परन्तु जिन राष्ट्रों ने अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी है और वे उस की रक्षा कर रहे हैं, तथा जिन की स्वाधीनता का अधिकार हमें युक्तियुक्त और उचित प्रतीत होता हैं, उन्हें यदि यूरोप का कोई राष्ट्र दबाने अथवा फिर से अपने अधीन करने का प्रयत्न करेगा, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उस राष्ट्र के उक्त कार्य को अपने प्रति अभिन्नतापूर्ण समर्झेगा”।

राष्ट्रपति मनरो का यह उपर्युक्त सिद्धान्त अमेरिका के इतिहास मे अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। यद्यपि यह सिद्धान्त इतना लचकीला-सा है कि इसके, चाहे जो अर्थ निकाले जा सकते हैं। अमेरिका के इतिहास मे अनेक बार अनेक प्रतिकूल उद्देश्यों से इस सिद्धान्त का प्रयोग किया गया है। रिपब्लिकन दल इस

सिद्धान्त को विदेशी मामलों में तटस्थता का प्रतिपादक बताता है, इस से रिपब्लिकन दल की लोकप्रियता की वृद्धि के साथ-साथ मनरो सिद्धान्त की उक्त कैफियत भी लोकप्रिय होने लगी।

वर्तमान महायुद्ध के दिनों में भी उपर्युक्त मनरो सिद्धान्त के आधार पर ही अमेरिका अपने को तटस्थ बनाए हुए है।

**शराबबन्दी का परीक्षण—अमेरिका में सामाजिक, व्यक्तिगत तथा आर्थिक अपराधों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ रही थी। अमेरिका के विचारकों का ख्याल बना कि इस का एक मुख्य कारण शराब का अत्यधिक प्रचार है। कई वर्षों तक शराब के विरुद्ध आन्दोलन किया जाता रहा। अन्त में सन् १९१८ में, अमेरिका की कांग्रेस ने विधान में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक दो तिहाई वोटों के बहुमत से शराबबन्दी का कानून पास कर दिया।**

इस बात की एक मनोवैज्ञानिक कैफियत भी दी जाती है। कहा जाता है कि अमेरिका का वातावरण सही अर्थों में अन्तर्जातीय है। वहां के लोग विश्व-भ्रातृत्व के आदर्श का उदाहरण हैं। परन्तु युद्ध में मित्रराष्ट्रों का साथ देकर अमेरिका ने अपनी प्राचीन अमेरिकन-भावना के विरुद्ध काम किया था। बहुत शीघ्र, उस के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और आत्मशुद्धि तथा पश्चात्ताप के रूप में अमेरिका ने शराब का बहिष्कार कर दिया।

**साम्यवाद का विरोध—सन् १९२० में, विश्व के आर्थिक संकट के साथ-साथ रूसी साम्यवाद का प्रभाव संसार भर के सभी देशों पर पड़ने लगा। अमेरिका जैसे सम्पन्न देश पर साम्यवाद की लहर का प्रभाव पड़ने का एक अन्य ही कारण था। रिपब्लिकन**

भावना ने अमेरिकन लोगों का सम्पूर्ण ध्यान अपने देश की ओर आकृष्ट कर दिया। इस का एक मात्र अभिप्राय यही समझा जाने लगा कि अमेरिका का व्यापार और व्यवसाय, सम्पूर्ण सम्भव साधनों से उत्तर किया जाय। उधर विश्व भर में जो मंहगापन, व्याप हो गया था, उस के कारण अमेरिकन मज़दूरों ने अपने वेतन बढ़ाने की मांग की। अमेरिकन व्यवसायपतियों ने कहा कि मज़दूरों की यह मांग देशभक्ति के विरुद्ध है, क्योंकि मज़दूरों के वेतन बढ़ाने से अमेरिकन माल मंहगा हो जायगा और विदेशों में उसकी मांग कम हो जायगी। इस परिस्थिति का प्रभाव यह हुआ कि अमेरिकन मज़दूरों में साम्यवाद के सिद्धान्तों की लोकप्रियता बढ़ने लगी। तब अमेरिकन सरकार, जहाँ रूस की बोल्शेविक सरकार की ओर विरोधी बन गई, वहाँ उसने अमेरिकन साम्यवादियों का दमन भी शुरू कर दिया। ६ दिजार साम्यवादियों को जेल में डाल दिया गया और साम्यवादी संस्थाएं गैरकानूनी करार दे दी गईं।

इसी संकुचित राष्ट्रीयता की भावना का एक 'परिणाम यह भी हुआ कि अमेरिका में 'क्लू क्लक्स क्लैन' (Ku Klux Klan) जो "कें कें कें" नाम से प्रसिद्ध थी, संस्था का प्रभाव बढ़ने लगा। यह संस्था एक आतंकवादी गुप्त संस्था थी। अमेरिका के विरोधियों को छराना और उन की हत्या करना इस संस्था का उद्देश्य था। सन् १९२१ में इस गुप्त संस्था के सदस्यों की संख्या ५ लाख तक जा पहुँची। इस संस्था के सदस्य चौंचे के प्रकाश में, अपनी कबायद किया करते थे। हवशी, यहूदी, कैथोलिक और विदेशियों की

यह संस्था शान्त्रु थी। यह संस्था अपने शत्रुओं को जीवित छला देती थी। दस वर्ष के बाद हिटलर ने इसी संस्था का अनुकरण कर जर्मनी में नाजी संगठन की नींव डाली।

**रंगीन जातियों पर प्रतिबन्ध**—अमेरिका में मुख्यतः यूरोप की एंगलोसैक्सन और नौर्डिक जातियों के गोरे लोग आबाद हुए थे, इन में अंग्रेज़, स्कॉच, डच, आयरिश, जर्मन, स्कैटिष्नेवियन, इटेलियन, बाल्टिक आदि सभी राष्ट्रोंके लोग थे। रंगीन जातियों के लोग वहाँ नहीं गए, यद्यपि उन पर तब कोई प्रतिबन्ध नहीं था। महायुद्ध के बाद, जब 'अमेरिका अमेरिकनों के लिए' तथा 'अमेरिका की शुद्धता' आदि नारे बोले जाने लगे, तब सभी रंगीन जातियों को अमेरिका में आबाद होने से रोका जाने लगा। सन् १९२५ तक एशियाई लोगों को अमेरिका में बसने की अनुमति मिलना बन्द हो गया। उस के बाद यूरोप के लोगों पर भी इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाए जाने लगे। प्रति वर्ष यूरोप के किस देश से कितने लोग आकर अमेरिका में आबाद हो सकते हैं, इस की भी संख्या निश्चित कर दी गई। इस संख्या का पूर्णयोग १,६५,००० था।

**अबाध सम्पन्नता**—सन् १९२२ से लेकर १९२६ तक के सात वर्षों में अमेरिका अपने वैभव की दृष्टि से उन्नति के शिखर पर रहा। कुछ महत्वपूर्ण व्यवसायों पर तो अमेरिका का एकाधिकार-न्सा हो गया। इन में प्रमुख मोटरकार, रेडियो और सिनेमा फिल्में थीं। सन् १९२० में अमेरिका में ७० लाख करों थीं। सन् १९२६ में वह संख्या २ करोड़ ३० लाख जा पहुँची। सन् १९२० में वहाँ रेडियो कम्पनियों की पूर्ण विकी ६० लाख डौलर

थी। सन् १९२६ में यह संख्या ८४ करोड़ २० लाख (अर्थात् पहले से १४० गुना!) तक जा पहुँची। इसी तरह सिनेमा फ़िल्म, कपड़ा, चमड़े का सामान, टैलीफोन, पोर्सलीन, सिगारेट आदि का व्यवसाय भी बहुत अधिक उन्नति कर गया। उधर वहाँ की कानों से सोना और चांदी भी खूब निकाले गये। अमेरिका ने यूरोप के देशों से बहुत-सा धन लेना था, इस से संसार भर का सोना लिच कर अमेरिका आने लगा। १९२५ तक अमेरिकन सरकार के पास ४,५०,००,००,००० डालरों के मूल्य का सोना जमा हो गया। अमेरिका के बैंकों के पास भी प्रभुत भान्ना में सोना पहुँच गया। उधर अमेरिकन उपज और अमेरिकन व्यवसाय अपनी चरम सीमा पर जा पहुँचे थे, इधर सोने चांदी की वहाँ कमी नहीं थी। इस से लोगों के व्यय का माप 'बहुत बढ़ गया। अमेरिकन लोग पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक खर्च करने लगे। रेडियो, टैलीफोन, सिगारेट आदि को वहाँ जीवन की निन्तात आंवश्यक वस्तुओं में गिना जाने लगा। जब अमेरिकन लोग इतने समृद्ध बन गए, तो उन्होंने अपना औरबो रूपया चीन, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका में लगाना शुरू किया।

नई समस्याएं—इतने सम्पन्न देश के प्रमुख भी बहुत शीघ्र कतिपय विषम समस्याएं आ खड़ी हुईं। इन में से चार प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं—

१. वैज्ञानिक साधनों से अमेरिका की कृषि बहुत उन्नत हो गई। उधर अमेरिका के व्यवसाय भी उन्नत हो रहे थे। परन्तु कृषि और व्यवसाय पर इस समृद्धता का प्रभाव बिलकुल विभिन्न प्रकार का पड़ा। अमेरिकन व्यवसाय और अमेरिकन व्यापार कांएं

एक दूसरे से काफ़ी अंश तक सम्बन्ध था। वहाँ जब माल आधिक पैदा होने लगा तो उस की मांग भी साथ ही साथ बढ़ने लगी। लोगों (व्यापारियों और व्यवसाइयों) के पास धन भी बढ़ने लगा और वे आधिक-आधिक माल खरीदने लगे; इस से माल की कीमत नहीं गिरने पाई और व्यापारियों तथा व्यवसायजीवियों को आधिकाधिक मुनाफ़ा होने लगा। परन्तु कृषि पर, किसानों की हालियाँ से, इस बहुमात्रोत्पत्ति का प्रभाव स्पष्टतः द्युरा पड़ा। यह इस कारण कि गेहूँ, मक्की, आलू, फल, सब्ज़ी आदि की मांग की तो एक सीमा है, जो बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। परन्तु जब उपज उस मांग से ऊपर बढ़ गई तो गेहूँ आदि की कीमतें एक दम गिर गई। पाँच ही वर्षों में कृषिजन्य पदार्थों की कीमत पहले से सिर्फ़ एक तिहाई रुद्ध गई। परिणाम यह हुआ कि किसानों पर आर्थिक संकट आगया। उनकी अवस्था डांवाडोल हो गई। उन्होंने लाखों मन गेहूँ और लाखों मन मक्का आदि को आग लगा कर नष्ट भी कर दिया, परन्तु कृषिजन्य पदार्थों का मूल्य एक बार उत्तर कर फिर बढ़ने नहीं पाया।

२. विल्सन के बाद हार्डिंग राष्ट्रपति चुना गया। वह एक कमज़ोर व्यक्तित्व का पुरुष था। उस के शासन काल में अमेरिकन सरकार के अनेक उच्चतम आधिकारियों में ईमानदारी की कमी आ गई। हार्डिंग के मन्त्री, फ़ाल पर रिश्वत लेने का अभियोग चला और वह अभियोग सिद्ध भी हो गया। सरकारी अफ़सरों में इस तरह के अत्यन्त गम्भीर अपराधों की एक लहर-सी चल पड़ी। अमेरिका के राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर इस लहर का अत्यन्त घातक प्रभाव पड़ा।

- ३. शराब-निपेद कानून ने अमेरिकन सरकार के कार्य को बहुत अधिक पेचीदा बना दिया। अमेरिका में लाखों करोड़ों व्यक्तियों को शराब पीने का व्यवसन था। इन में से लाखों व्यक्ति शराब-निपेद कानून जारी हो जाने के बाद भी अनुचित उपायों से शराब प्राप्त कर उसे पीते रहे। उक्त कानून की रक्षा के लिए अमेरिकन सरकार ने २ करोड़ डालर वार्षिक के व्यय से एक सेना रखी, परन्तु फिर भी वह अमेरिका में शराब की अवैध खपत को बन्द नहीं कर सकी। सरकार को यह स्वयं स्वीकार करना पड़ा कि अब भी अमेरिका में करोड़ों रुपयों की शराब आ रही है; और उस में से केवल ५ प्रतिशत शराब ही सरकार जप्त कर पाती है। अमेरिका के जेलजाने शरावियों से भर गए, परन्तु वहाँ शराब का अवैध प्रवेश बन्द न हो सका।

- ४. अमेरिकन परिस्थितियों का एक अत्यन्त घातक प्रभाव यह पड़ा कि अपराधों की दृष्टि से अमेरिका संसार का सब से भयंकर दैश बन गया। इस के तीन करण थे—एक तो यह कि अमेरिकन सरकार के अधिकारियों के हीन चरित्र (ईमानदारी की दृष्टि से) का लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। दूसरा यह कि अमेरिका में जीवन का माप (स्टैण्डर्ड आफ लिविंग) बहुत मंहगा हो जाने पर लोगों के हृदय में धन की लिप्सा बहुत बढ़ गई। वहाँ सच्चे अर्थों में 'शक्तिशाली डालर' का राज्य हो गया और धन-प्राप्ति के लिए, हीन चरित्र के नवयुवक सभी तरह के उपाय काम में लाने लगे। तीसरा यह कि बहुत से लोग उचित अनुचित किसी भी उपाय से शराब पीना चाहते थे। जब वे अवैध उपायों से शराब प्राप्त करने में सफल हो जाते थे, तो मनो-

विदेशी दृष्टि से स्वभावतः उन में से अनेक के बी में यह इस्ता  
प्रकार होती थी कि वन्यों न इस अपेक्षा उपरों से ही उन  
प्रैक्टिस्ट्स और पूर्ण वस्तु नी प्राप्त करें। इस तथा अपराध  
उद्देश वी क्लोसुरि को प्रोत्साहन मिलता था। लंदन  
के अमेरिका में 'रैकेट' नाम से एक नवा गट्टा  
संगठन गया, जिसका अधिकार चोरी, ठाके वा इस्ता से बन  
पड़ने वाला था। दिन-रिहाड़े और सब लोगों के देखते-देखते  
वह आलमा और इस्ता करना एक मामूली बात का था।  
विदेशी विकास 'इस ऊरे करो' की आज्ञा देना वह ऐसा  
चीज़ के अवलोकन का अंग बन गया। यही तक कि पुलिस, सौन्दर्य और  
विदेशी वन्यों की चोरी कर रहे बहुत-सा बन लेकर तुल करते  
साथे दैनिकों विरोध अमेरिका में बन गए।

सूखी और अमेरिका की अदातों में बिनों-बिन बरक पहुँची  
जाती थी। साफ़ अपराध करके अपराधी अदावतः से झुटकारा  
पड़ता था। सिर्फ़ इसीलियों को ही कही सजाए मिलती थी।

इन परिस्थितियों का प्रभाव यह तुष्टा कि अमेरिका अप्रैलिंग और व्यापार बहुत ही विकस और भवपूर्ण बन गया।

**व्यापार के प्रसव—** सन् १९२३ में हार्डिंग के अपराध  
के बाद, व्यापार अमेरिका का राष्ट्रपति नियम में तुष्टा।  
सूखी अपराध विवरण में भी अमेरिका का राष्ट्रपति 'मुआ' गया।  
व्यापार के विवरण में वूलिंग ने राष्ट्रपतिर के लिय अमीरात  
प्रतिवादी व्यापार व्यापिक, तथा उस वा अपराध त्वयि व्यापक तुल  
संस्कार विवरण से ही अमीरात के 'होर्ड' विवरण  
का बहुत अवश्यक तुलने के कार्य मिला जिसे

शासनकाल में वह अमेरिका की समृद्धि को और भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। अमेरिका में बढ़ती हुई अपराधों की लहर को रोकने का भी उसने बायदा किया। अदालतों को हिदायतें की गई कि वे अधिक सतर्कता और कठोरता से काम ले।

**सट्टे की लोकप्रियता**—बहुत शीघ्र हूवर का प्रभाव अमेरिकन जनता पर स्थापित हो गया। लोगों को अमेरिकन व्यवसाय की उन्नति पर इतना भरोसा हो गया कि अमेरिकन कम्पनियों के हिस्सों की कीमत दिन-प्रति-दिन बढ़ने लगी। इसका एक परिणाम यह हुआ कि अमेरिकन लोगों को अपने देश की व्यावसायिक और व्यापारिक कम्पनियों के हिस्से खरीदने और मुनाफे पर बेचने का चाव हो गया। अमेरिकन लोगों ने अपने अरबों डॉलर स्टाक हिस्से खरीदने तथा उन के सट्टेबाजी में खर्च कर दिये।

**आर्थिक संकट**—व्यावसायिक कम्पनियों के हिस्सों की कीमत बढ़ते-जड़ते क्रमशः एक दिन अपनी सीमा तक जा पहुँची। उनकी कीमत सौ से हजारों तक पहुंच गई। यह नकली चढ़ाव एक दिन फ्रेल होना ही था। सितम्बर १९२६ में अमेरिकन लोगों को मालूम हुआ कि उन्होंने व्यावसायिक कम्पनियों के हिस्से बहुत ऊँचे दामों में खरीद कर गलती की है, क्योंकि उन कम्पनियों का मुनाफा अधिक नहीं है। सर्वसाधारण जनता में भय का सञ्चार हो गया और लोग अरबों रुपयों के हिस्से बेचने को उत्सुक हो गए। अब उनका खरीदार कोई नहीं था, इससे उन हिस्सों की कीमत बहुत तेज़ी से गिरने लगी। न्यूयार्क बैंक ने अमेरिकन जनता के इस भय को दूर करने के लिये २४ करोड़ डॉलर के

सूच के द्वितीय, तुम कम दामों पर, स्वयं भी खरीद लिए। फिर यही जनता का यह दूर न हुआ। अक्टूबर मास में अमेरिका को एक अत्यन्त अवृक्षक आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा। अमेरिकन जनता को कुल मिला कर ४,००,००,००,००,००,००० डॉलर का नुकसान हुआ। अर्थात् मिलरप्लॉट्स से अमेरिका को हिताह का प्राप्त होना चाहा, उसके ५ गुना बन से, इस आर्थिक जीवन में अमेरिका हार खो देता। सहेजती का इससे पड़ा अद्वितीय जीवन के इतिहास में दूसरा नहीं है। इस संकट में अमेरिका नेहरूरों वैक और हजारों ध्यावसायिक कल्याणियां अपना दिवाला छिपाये देतीं। वहां बेकार लोगों की संख्या ६० लाख तक जा चुकी है।

<sup>१२</sup> तब १९३१ तक अमेरिका की दशा नहीं सुधरी। अर्थ-जातियों के लिए अमेरिका के उन दिनों की आर्थिक दशा का अवृक्षक एक बहुत ही गुरीला और साथ ही रोकक बस्तु है। अमेरिका का ४ नीला रुपया सिर्फ़ एक महीने में, इहाँ तक गया! यह लिहाँ इतनी थी कि भावी समृद्धि की आशा पर अमेरिकन जनता ने अपना अरबों, रुपया अत्यन्त बड़े हुए दमों पर आरसायिक कल्याणियों के हिस्से खरीदने में व्यवह कर दिया। वह जीवनी थी, जिसमें जूए का सिद्धान्त काम करता है। इस तरह अमेरिकन जनता हार गई, क्यों कि भावी समृद्धि की ज्ञानीज्ञाना बहुत ज्यादा चलती।

## “न्यू डील” (नयी बाज़ी) —

**राष्ट्रपति रूज़वैल्ट**—सन् १९३२ के निवाचन में रिपब्लिकन दल ने पुनः हूबर को राष्ट्रपतित्व के लिए अपना उमीदवार खड़ा किया। डैमोक्रेटिक दल ने इस बार रूज़वैल्ट को अपना उमीदवार बनाया। हूबर की ईमानदारी और प्रचलशीलता का सम्पूर्ण अमेरिका कायल था, परन्तु उस के शासनकाल में अमेरिका अपने आर्थिक संकट से छुटकारा नहीं पासका, यह बात भी स्पष्ट थी। उधर रूज़वैल्ट ने न्यूयार्क का गवर्नर रहते हुए जिस तरह न्यूयार्क को शुद्ध करने तथा वहां अपराधों की संख्या घटाने का प्रयत्न किया था, उस से रूज़वैल्ट की लोक-प्रियता बहुत बढ़ गई थी। वैसे भी अमेरिकन उन्नता अव कोई नया कार्यक्रम चाहती थी और रूज़वैल्ट ने एक नया कार्यक्रम जारी करने का बायदा दिया था। इस से रिपब्लिकन दल की आशा के विरुद्ध रूज़वैल्ट को २,५५,००,००० वोट मिले और हूबर को केवल १,६०,००,०००। इस तरह रूज़वैल्ट बहुत बड़े बहुमत से राष्ट्रपति बना।

**फिर से शराब**—४ मार्च १९३३ को रूज़वैल्ट ने राष्ट्रपतित्व की बांगड़ोर अपने हाथ में ली। उसी सप्ताह अमेरिका के बहुत से बड़े-बड़े बैंक फेल हो गये थे और बाकी बैंकों को बचाने के लिए सरकार ने एक सप्ताह की छुट्टी घोषित कर दी थी। ४ मार्च बैंकों की छुट्टी का पहला दिन था। उस दिन हजारों-लाखों अमेरिकन घरों में खाना खरीदने तक को पैसा नहीं था। फेल हो गए बैंकों के साथ बहुत-से अमेरिकनों

कल्पनाहृदय का भी यह हो गया था। राष्ट्रपति करते ही लक्ष्मीनाथ ने एक महसूपूर्वी घोषणा द्वारा अमेरिकन जनता को लक्ष्मीनाथ द्वारा दो गए कानून बताएँगा। एक कानून द्वारा फैसलों के द्वारा उत्तरों की कठौती की जावागी और दूसरे कानून अमेरिकनी शराब पर से प्रतिक्रिया उठा दिया जावगा। शराब पर से प्रतिक्रिया उठाने का अभियान यह था कि सरकार की अरबी जनता बदल दें जावगी।

“एह महानुसार दृश्य—१२ मार्च १९३३ रविवार की रात दो बजे राष्ट्रपति ने रेडिओ द्वारा अपनी जनता से अपील की—  
“आज दोस्तावार है। कह दें कि तुम आयोगे। मैं अमेरिकन जनता के लालोंकर्न राष्ट्रीयता के नाम पर अपील करता हूँ कि कह कोई लोकलोक्सन बैंकों से उपया न निकाले। सभी लोग यहाँ तक आये हैं, जैसे मैं और इस्या ज्ञाना करताएँ।”

“एह लक्ष्मीनाथ ने एक भारी खतरा लिया था, परन्तु कह जीत नहीं। अपनों दिये बैंकों के तुकने से पहले ही उन पर हासिंग अमेरिकाओं की भीड़ पंखि बला कर दही थी। परन्तु आश्वर्य! फोर्म दी अमेरिकन, बैंकों से उपया निकालने नहीं आया था, सब लोग यहाँ एह कह पड़ा था, बैंकों में ज्ञाना करने के लिये उपया लाई जाना कोडर रहा आए थे।

“एह लक्ष्मीनाथ नहीं आया था। अमेरिका में से अमर्सिंह संसद जा गए लोकोंने लक्ष्मीनाथ को यह हो गया। लोगों का लक्ष्मीनाथ पर अकाल अमेरिकन द्वारा गढ़ा।

“एह लक्ष्मीनाथ—उन से पहले लक्ष्मीनाथ ने लेफ्टिनेंट की अमेरिकनी शराब की। उसने ५० कलोड चैम्पर बेकारों ने

वाँटने के लिए सुरक्षित करवा दिए। इन्हीं दिनों हजारों वेकारों ने अमेरिका की राजधानी की ओर प्रस्थान कर दिया। रूज़बैल्ट ने इन वेकारों को पोलीस की मार से भगा नहीं दिया, बल्कि स्वयं उन लोगों के बीच में जाकर उन से कहा कि आप लोग अमुक प्रदेश में जंगल पैदा करने का काम कीजिए। जंगलों की कमी से अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। आप लोगों को वहां भोजन, मकान और ३५ रुपया दैनिक मिलेगा। बहुत शीघ्र ₹२,५०,००० वेकार इस काम पर लग गए और अमेरिका की वेकारी की समस्या कुछ समय के लिए बहुत आसानी से हल हो गई।

कृषकों की दशा सुधारने के लिए रूज़बैल्ट ने कृषि की उत्पत्ति की एक मात्रा नियत कर दी। उस से अधिक उपज करना कानून से रोक दिया गया। यह इस लिए कि उपज के दाम बहुत न गिरने पावें। साथ ही उस ने २ अरब डालर इस बात के लिए सुरक्षित कर दिए कि उन के द्वारा किसानों को बहुत कम सूद पर रुपया उधार दिया जा सके।

सब से बड़ी समस्या अब व्यवसाय के पुनः संगठन की थी। अमेरिका की व्यावसायिक कम्पनियों में अब परस्पर इतनी तीव्र प्रतिस्पर्धा हो गई थी कि किसी को भी लाभ न होता था। बहुत सोच-विचार के बाद रूज़बैल्ट ने विभिन्न व्यवसायों की बड़ी बड़ी कम्पनियों को परस्पर मिल जाने की प्रेरणा करने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से अमेरिकन सरकार ने 'राष्ट्रीय व्यावसायिक पुनः निर्माण कानून' (National Industrial Recovery Act) जो 'एन० आई० आर० ए०, (N. I. R. A.)

नाम से प्रसिद्ध हुआ, पास किया। इस कानून के अनुसार मजदूरों के न्यूनतम वेतन तथा कार्य के अधिकतम घरटे नियत कर दिए गए। इस कानून का उद्देश्य बहुमात्रोत्पत्ति को रोकना भी था ताकि व्यावसायिक उत्पत्ति के पदार्थों की कीमतें गिरने न पाएं।

**टैनेसी घाटी**—उपर्युक्त नए कार्यक्रम के अतिरिक्त रूजवैलट ने रूस के पंचवार्षिक कार्यक्रम के ढंग पर अमेरिका की विस्तृत टैनेसी घाटी का व्यावसायिक संगठन करने का निश्चय किया। इस विस्तृत प्रदेश को, जो अब तक बंजर और वीरान पड़ा हुआ था, चार-पांच बर्षों में एक बहुत ही समृद्ध तथा व्यावसायिक केन्द्र बना दिया गया। रूस से बाहर, संसार भर में इस ढंग का अध्यवसाय और कहीं नहीं हुआ।

**राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कानून** — ( National Recovery Act ) अन्त मेरु रूजवैलट ने अमेरिका भर के सभी व्यवसायों पर पुनर्निर्माण का कानून लगाने का निश्चय कर लिया। मजदूरों के वेतन, इस नए कानून के अनुसार और भी बढ़ा दिए गए और उनके काम करने के घरटे घटा दिए गए। इस कानून का उद्देश्य बेकारी को दूर करना और बहुमात्रोत्पत्ति को रोकना था। रूजवैलट के सम्पूर्ण प्रयत्नों के बावजूद, भी-अमेरिका की बेकारी की समस्या बहुत शीघ्र पुनः चिन्ताजनक रूप धारण करने लगी थी।

सन् १९३६ तक अमेरिका की आर्थिक दशा पुनः बिगड़ने लगी। बेकारी बढ़ गई। पुनर्निर्माण के कानून सफलतापूर्वक नहीं चल सके, व्यवसायपत्रियों ने उनमे पूर्ण सहयोग नहीं

दिया। फिर भी रुज़वैल्ट ने इन परिस्थितियों का सुकाबला बड़ी धीरता और बुद्धिमत्ता के साथ किया।

सन् १९३६ तक अमेरिका के बहुत से व्यवसायपति रुज़वैल्ट के विरुद्ध हो गए थे। उनकी सम्मति में उसकी नीति से केवल किसानों, मजदूरों और मध्यम स्थिति के लोगों का ही भला था। वह अमेरिका के व्यापार-व्यवसाय को उत्तर नहीं कर सका। इन्हीं दिनों अमेरिका में राष्ट्रपति का नया चुनाव हुआ। पूँजीपतियों के विरोध के बावजूद भी रुज़वैल्ट को ६० प्रतिशत वोट मिले और वह पुनः अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ।

सन् १९३८ तक भी रुज़वैल्ट अमेरिका के पूँजीपतियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सका। परन्तु १९३८ के उत्तरार्ध में संसार की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बहुत विकट हो जाने के कारण अमेरिकन आर्थिक संकट खुद-खुद टल गया, क्योंकि अमेरिका को विदेशों से बड़े-बड़े आर्डर मिलने लगे।

**तटस्थता का कानून**—जब यह दिखाई देने लगा कि संसारव्यापी महायुद्ध पुनः शुरू होने को है, तो अमेरिका ने निश्चय किया कि वह किसी भी ऐसे देश को युद्ध की सामग्री नहीं देगा, जहां युद्ध जारी हो। इस कानून का उद्देश्य अमेरिका को आगामी महायुद्ध से एकदम पृथक् रखना था। अमेरिकन जनता अपनी सम्यता को अन्तर्राष्ट्रीय सम्यता कहती है। वह संसार के अन्य देशों के भागड़ों में पढ़ कर अपनी अन्तर्राष्ट्रीय भावना को छित्र नहीं पहुँचाना चाहती।

तटस्थिता के कानून में परिवर्तन—परन्तु सितम्बर १९३६ में जब वर्तमान महायुद्ध प्रारम्भ हो गया, तो मित्रराष्ट्रों ने अमेरिका को बहुत-से बड़े-बड़े आर्डर दिए। तटस्थिता के कानून के अनुसार अमेरिका इन आर्डरों को स्वीकार नहीं कर सकता था। तथापि यह प्रलोभन इतना बड़ा था कि अमेरिका के बहुत से पूंजीपति कैनाडा में अरबों रुपया व्यवहार कर युद्ध की सामग्री तैयार करने का इरादा बनाने लगे। इन परिस्थितियों में अक्टूबर १९३६ के अन्त में अमेरिकन सरकार ने तटस्थिता के कानून में यह परिवर्तन कर दिया कि चाहे जो राष्ट्र अमेरिका से युद्ध का सामान खरीद सकता है; परन्तु इस तरह का सामान केवल नकद दामों में, अमेरिका में ही बेचा जायगा। कोई अमेरिकन जहाज उस सामान को अमेरिका से बाहर नहीं ले जायगा। युद्ध का सामान लेजाने का प्रबन्ध खरीदार राष्ट्र को अपने जहाजों द्वारा स्वयं ही करना होगा। इस कानून के अनुसार इंग्लैण्ड और फ्रांस ने २,००,००,००,००,००० रुपयों के हवाई जहाजों तथा अन्य शक्तियों का आर्डर अमेरिका को दिये। अमेरिकन पूंजीपति पिछली सब बारों को भूल कर मित्रराष्ट्रों के आर्डर पूरा करने में सबद्ध हो गए।

परिणाम यह हुआ कि अमेरिका का आर्थिक संकट आज स्वयमेव हल हो गया। सम्भावना है कि वर्तमान महायुद्ध से सब से अधिक लाभ अमेरिका को ही पहुँचेगा।

पिछले दो वर्कों में महायुद्ध के सम्बन्ध में अमेरिका की जो नीति रही है, उस का वर्णन यथास्थान किया जायगा।

( ग )

## फ्रांस

एक अंग्रेज लेखक ने ठीक कहा है—“जर्मनी से व्यक्तिगत स्वाधीनता छीन लीजिए, जर्मनी एक संगठित राष्ट्र बन जायगा। फ्रांस से व्यक्तिगत स्वाधीनता छीनिए तो वहाँ क्रान्ति होजायगी।”

स्वाधीनता की भावना फ्रांस के कृणा-कृणा में व्याप्त है। फ्रांस को एक तरह से प्रजातन्त्र शासन का जन्मदाता कहा जा सकता है। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से फ्रांस संसार के सर्व-प्रथम देशों में रहा है। इस पर भी वहाँ स्थायी मन्त्रिमण्डलों का शासन नहीं रहता। वहाँ के ‘चैम्बर आफ डिपुटीज’ के ६१८ सदस्य बीसों दलों में विभक्त हैं। पिछले ६७ वर्षों में वहाँ पूरे १०१ मन्त्रिमण्डलों का शासन रहा है। एक मन्त्रिमण्डल के कार्यकाल की औसत ८ महीने से अधिक नहीं। फ्रांस के १५ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री आज भी

जीवित हैं त विर भी कैप लोगों का दर्शा है कि कांस का-जा  
निकाल अलग-लग राहु संसार में यूकरा नहीं है। अफली सरकारों की  
जागिरिया और अपने देश में राजनीतिक इलाजनी की जगी को  
कैप लोग अपने स्वास्थीनिटा-प्रेम का प्रमाण मानते हैं।

५. कांस की भूमि काफ़ी उपजाऊ है। अपने देश के लिए  
उपजाऊ पदार्थों का अधिकांश भाग कांस स्वर्वं उत्पन्न कर  
लगता है। कांस की कषी उपज और पहुँच उपकारों में पूरा सम-  
जान्वर है।

कांस की आवादी ४,२०,००,००० है। और वह एक  
संतोषजनक चीज़ है कि कांस की आवादी कमराः बटे रही है।  
वह १९४७ तक कहाँ जन्म और मृत्यु की संख्या में लगभग सम-  
तुल्यता रहा था। परन्तु १९४५ से कहाँ सम्मुद्रतट की  
जांगीज़ जन्मतारका कम हो गई है। जब कि साल १९४७ में जिनिह  
कौटुम्बी ३५७०० नियासियों के पीछे जन्म और मृत्यु का अनुपराह  
नियासित रहा—

| ३ जानूर्ष | जन्म | मृत्यु |
|-----------|------|--------|
| जन्मतारकी | १५.१ | १०.६   |
| जन्मतारकी | ४२.२ | १३.२   |
| जन्मतारकी | ४४.१ | २५.२   |

कांस-जन्मतारक के बाद जन्मतारकों के  
जन्मतारकों का जन्मतारक भाग बढ़ता रहा है।  
जैसे कहाँही की जन्मतारक में "कांस के" जीवों  
की जागिरप्रवासों कीहड़ीज़ोंकी संख्या  
गंभीर विकासी रूप से बढ़ी

बोक्स डाला गया था, उसका बहुत-सा उत्तरदायित्व फ्रांस पर ही था। अन्य भित्रराष्ट्र सम्भवतः जर्मनी को कुछ कम सज्जा देने को तैयार हो जाते। परन्तु फ्रांस के उस कार्य को अयुक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता। यह इस कारण कि फ्रांस और जर्मनी की सम्यता में अनेक आधारभूत मेंद हैं, और फ्रांस को इस बात का खतरा था कि अवसर पाते ही जर्मनी फ्रांस की स्वाधीनतापूर्ण सम्यता को कुचलने का प्रयत्न करेगा। फ्रांस निससन्देह संसार का सब से अधिक सम्य देश था। नम्रता और विनय फ्रैंच लोगों के जातीय गुण हैं। पिछले एक हजार वर्षों से फ्रांस को यूरोप का सम्यतम देश गिना जाता है। फ्रांस के रहन-सहन और फ्रांस के रीतिरिवाजों का अनुकरण यूरोप के सभी राष्ट्र सत्रहवीं सदी से कर रहे हैं। फ्रांस के इन्हीं गुणों के कारण फ्रैंच भाषा सम्पूर्ण यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन गई। फ्रांस ने ही सब से पूर्व संसार को स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृभाव की व्यवहारिक दीक्षा दी। फ्रांस की आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था संसार के अन्य राष्ट्रों के लिए आदर्श स्वरूप है। आधा फ्रांस गांवों में रहता है, आधा नगरों में; आधे फ्रांसीसी खेती-बाड़ी का काम करते हैं और आधे व्यवसाय-व्यापार का। सम्यता, व्यक्तिगत स्वाधीनता, विचारस्वतन्त्रता, कृषि, व्यवसाय, आदि का जितना अच्छा समलूलन फ्रांस में है, उतना संसार के अन्य किसी देश में दुर्लभ है। यही फ्रांस जब पिछले महायुद्ध में विनयी हो गया तो भविष्य के लिए अपने को निष्कंटक बनाने की दृष्टि से उस का सभी तरह के उपाय व्यवहार में लाना स्वाभाविक ही था।

३० आजमल का भव—फ्रांस की सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राज-  
कीरि का उद्देश्य, वहाँ आजमरणों से, विशेषतः जर्मनी के आज-  
मरणों से जर्मनी रहा करने का रहता है। फ्रांस में अभी ऐसे लोग  
हैं जो भास्त्रा में मौजूद हैं, जिन्होंने अपने देश पर जर्मनी के दीन  
चालाकता देसे हैं, वर्षापि तीसरा महायुद्ध आजमल जारी है। पहले  
आजमल में फ्रांस हार गया, दूसरे में जर्मनी और अब फ्रांस।

४० बिल्ले महायुद्ध के ८, १० बरसों के बाद अब जर्मनी के  
भौति विद्रोहों का दूसरा काफी उदार हो गया, फ्रांस की रक्षा रक्षा  
की ओर मैं शान्ति स्थापित रखने की इच्छि से फ्रांसीसी ग्रनात  
भौति विद्यान्द ने राष्ट्रसंघ के सन्मुख इस आशय का एक प्रस्ताव  
किया कि संसार के राष्ट्रों में से वहाँ आजमरणों का भव इटने  
के लिये राष्ट्रसंघ को अपनी एक स्वातंत्री सेना रखनी चाहिये, जो  
लिये रक्षा की पोकीस का काम करे। राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य उक्त  
सेना का खर्च पूरा करें। परन्तु राष्ट्रसंघ इस रुद्ध की किसी स्कौड  
को लेकर नहीं कर सका। यह स्पष्ट है कि बिल्ले महायुद्ध के बाद  
एक राष्ट्र रुद्ध, विशिक सन् १९३४ तक, संसार के अन्य राष्ट्र फ्रांस  
की एक आजमरणों से अपनी रक्षा करने की प्रक्रिया को बहुत  
स्फूर्तिपूर्ण के साथ नहीं देख सके।

५० ब्रिटिश वैश्वमत्ता—जैसा कि पहले कहा जा चुका है, फ्रांस  
की वैश्वमत्ता रिपुट्रीज में बीसों छोटे-बड़े दह है। उसका तुलाना  
उसके अन्तर्गत के बाद होता है। अब एक बाद तुलाना हो, जहाँ  
उसके अन्तर्गत को किए फ्रांस की सरकार जी फ्रेंच में तुमी  
मैं बोलते हो तब तुम्हारी बाँध बेवर का नहा। विश्वास नहीं करता  
कि फ्रांस की वैश्वमत्ता ब्रिटिश अंतर्गत दलों के सम्बन्ध से फ्रांस की

सरकार कायम होती है और छोटी-छोटी, यहां तक कि व्यक्तिगत बातों से भी फ्रांस की सरकार डार्वांडोल हो जाती है।

पिछले महायुद्ध के बाद, सन् १९१९ के अन्त में, अनेक दलों के सम्मिश्रण से फ्रांस में 'ब्लौक नैशनल' नाम की सरकार कायम हुई। इस दल में मुख्यतः अनुदार दल, कैथोलिक और फ्रांस के पूँजीपति शामिल थे। इस सरकार का ध्येय जर्मनी को अधिकतम जुर्माना अदा करने के लिये लाचार करना था। संसार भर में क्लीमैंशो के सम्बन्ध में यह धारणा फैल गई थी कि जर्मनी के प्रति उसका रुज़ बहुत ही प्रतिहिंसापूर्ण है, परन्तु ब्लौक नैशनल सरकार का कथन था कि क्लीमैंशो ने जर्मनी को बहुत सत्ते में छोड़ दिया। क्लीमैंशो को इसी बात पर त्यागपत्र दे देना पड़ा। गत महायुद्ध के बाद कुछ बरसों तक मिलरलैंड, पोइन्केर आदि के नेतृत्व में यही ब्लौक नैशनल फ्रांस की आन्तरिक राजनीति में बहुत प्रभावशाली दल बना रहा।

कर्टेल डे गोशे—फ्रांस की वर्तमान राजनीति में दूसरा प्रमुख दल कर्टेल डे गोशे ( बाम-Left-पक्ष का संगठन ) रहा है। वास्तव में यह 'दल न' तो वामपक्षी था और न साम्यवादी ही। वास्तव में यह उदार और शान्तिप्रिय लोगों का संगठन था। इस दल का प्रथम नेता हैरिएट है। दूसरा नेता ब्रिआंद था। ये दोनों व्यक्ति फ्रांस में बहुत लोकप्रिय रहे। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में इस दल की नीति थी, पारंस्परिक समझौते और विचार-विनिमय से शान्ति स्थापना करना। इंग्लैण्ड की मजदूर सरकार के साथ ही साथ फ्रांस में कर्टेल की सरकार ने रूसी बोल्शेविक सरकार के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्ध

क्लिंगर कर रहे हैं। उस से बाद कांसीसी प्रधानमन्त्री लिंगांद और लोड़ेज़ प्रधानमन्त्री रेस्टो मैनडानल्ड ने यह साथ मिल कर लूटर्ह को शक्तिशाली बनाने के उपायों पर विचार किया। परम्परा नेशनल में तुम भी नहीं हो सका। इंडिएट, की अनुबाद दस्त की रक्षाकालीन ही इन उपायों को स्वीकार नहीं किया।

इन प्रांतों के आमतौर पर इस दस्त की नीति बहुत सरल रही। दस्त में प्रधान किया कि फैंच लोगों पर और ट्रेक्स न लगाए जाय। कांसीसी लोगों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे अपने देश के लिंगांग्रामा बीचन तो आसानी से दे सकते हैं, परम्परा वे देश के लिंग लैकर रहीं दे सकते। इसी कारण फ्रांस में दैवतों का बोझ लौट आया रहा है। सन् १९१७ तक वहां आवकर भी नहीं कांसीलों द्वारा भी, बहुत समय तक आवकर पूर्णरूप से बहुत स्थानिक रूप से रहा।

इन दृष्टिगति ग्रांड ने तुम्हारा प्राप्त करने के लिए अर्थनी क्लिंगरकान्सों पर अपना अधिकार स्वापित किया था, उन आम नामांकित लोड़ेज़ करने के लिए फ्रांस को बहुत अधिक जल उपलब्ध कराया था, अर्थनी भी इरजाने की पूरी जात्रा अदा, जही नामांकित लोड़ेज़ को लैंडिंग की सरकार को भी, कोशल दोस्त नियंत्रित करने के लिए लड़ाक लगाने ही रहे। इस तो परिज्ञान था तुम्हा कि कॉर्टेंट की सरकार इस रही। .. १ ८ ८ ..

क्लिंगरनेपर लौगिनित—एसे असिस्टेंट थे, जो ऐसा नेशनल के लिए लड़ाक नहीं लड़ाक गे, लोग उठाया। उसने कॉर्टेंट के सिद्धान्तों में जो अधिकार किया और उसके लाइब्रेरी से संदर्भ इहां में यूनियन नेशनल नेतृत्व के लिए लिये गये थे, की सर्वरेंद्रा नहीं। ये दूसरे इस

सरकार का प्रधानमन्त्री बना और कर्टेल का नेता। ब्रिअंद वैदेशिक मन्त्री। सन् १९३२ तक इसी दल की सरकार फ्रांस में कायम रही। फ्रांस की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए पोइंकेर ने आयकर को सुव्यवस्थित किया और अमीरों पर यह कर बढ़ा दिया; सरकारी कर्मचारियों के वेतन घटाए और तमाङ्क पर से सरकारी एकाधिकार हटा दिया। सन् १९२८ में उस ने फ्रांस में भी गोल्ड स्टैबर्ड जारी कर दिया।

इसी एक बात से फ्रांस को असीम आर्थिक लाभ पहुँचा। फ्रैंक (फ्रांसीसी सिक्का) की कीमत अब युद्ध से पहले की अपेक्षा केवल दो रुखी गई थी और फ्रांस का सम्पूर्ण राष्ट्रीय ऋण, जो फ्रांस में जमा किया गया था, फ्रैंकों में था। इस से वह राष्ट्रीय ऋण स्वयमेव केवल ती ही बाकी रह गया। फ्रांस के पूँजी-पतियों को इस बात से नुकसान अवश्य हुआ, परन्तु बहुत शीघ्र फ्रांस की आर्थिक दशा इतनी सुधर गई कि वहाँ के पूँजी-पतियों को भी अपने उपर्युक्त नुकसान का अफसोस नहीं रहा। क्रमशः सन् १९२९ तक फ्रांस एक अत्यन्त समृद्ध देश बन गया। उस ने यूरोप भर के सब देशों से बड़ी सेना का संगठन कर लिया। उस के पास संसार के सब देशों से अधिक सोना जमा हो गया। फ्रांस के व्यवसाय समृद्ध हो गए। राइनलैण्ड और रूहर से भी अब उसे अच्छी आय होने लगी।

**संकट का प्रारम्भ**—सन् १९२९ में पोइंकेर ने राजनीति से विश्राम लेलिया और थोड़े ही दिनों के बाद ब्रिअंद का भी देहान्त हो गया। फिर भी सन् १९३२ तक 'यूनियन नैशनेल' की सरकार कायम रही। सन् १९३०, ३१ में संसार भर पर जो आर्थिक संकट

आया, उसका प्रभाव फ्रांस पर पड़ना स्वाभाविक था। सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए कर बढ़ाए और लोगों में असन्तोष फैलने लगा। अमेरिका और इंग्लैण्ड जैसे धनी फ्रांस में नहीं हैं। उधर विदेशों के आर्थिक संकट से फ्रांस के व्यवसाय पर विषम प्रभाव पड़ रहा था। केन्द्रीय यूरोप की राजनीतिक दशा सन्देहस्पद बनती जा रही थी, इस से फ्रांस में सैनिक संगठन और शस्त्री-करण आवश्यक हो गया। कर बढ़ाने पड़े और १६३२ के चुनाव में यूनियन की सरकार हार गई।

सन् १६३३ के प्रारम्भ से लेकर १६३५ तक फ्रांस में संकट काल रहा। उस समय देश को एक उम्र और स्थिर नीति की आवश्यकता थी। परन्तु चैम्बर आफ डिपुटीज में इतने दल थे कि आधे दर्जन दलों के संगठन के बिना वहां सरकार कायम न हो सकती थी। परिणाम यह हुआ कि वहां सरकार का बदलना रोजमर्रा का काम हो गया। इन परिस्थितियों से शासन और भी कमजोर हो गया, अनेक उच्च सरकारी कर्मचारी ईमानदार नहीं रहे। सन् १६३४ में इस तरह के अनेक अल्प सनसनीपूर्ण मामलों का पता चला। इन्हीं परिस्थितियों के परिणामस्वरूप पेरिस में ही फरवरी १६३४ को एक खतरनाक दंगा भी हो गया। जिस में १३०० लोग ज़ख्मी हुए।

**मोशिए ब्लम और शातां—बरसों की अव्यवस्था के बाद** सन् १६३६ में नया निर्वाचन हुआ और फ्रांस के इतिहास में पहली बार साम्यवादी दल के सदस्यों को चैम्बर आफ डिपुटीज़ में सर्वोच्च संख्या मिली। तब ब्लम ने, जो स्वयं जनता का नेता गिना जाता रहा है, कठिपथ अन्य दलों को सहायता से अपनी

सरकार कायम की। ब्लम की सरकार ने काफी छढ़ता के साथ फ्रांस का शासन किया। फ्रांस को एक मज़बूत और शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता थी। वह उसे मिल गई। ब्लम बहुत स्पष्टवादी और तेज़ था, इस से उस की जगह साम्यवादी नेता शातां प्रधानमन्त्री बना। शातां को फ्रांस की व्यावसायिक स्थिरता कायम करने में काफ़ी सफलता मिली, परन्तु सन् १९३८ के प्रारम्भ में फ्रांस में अनेक प्रभावशाली पूँजीपतियों के विरुद्ध कुछ ऐसे प्रमाण मिले, जिन से सिद्ध हुआ कि उनके गैरकानूनी कार्यों और पह्यन्त्रों को फ्रांस की सरेकार, उन के व्यक्तित्व के भय से सहन करती रही है। इस से शातां को भी खागपत्र दे देना पड़ा। और कुछ समय तक वहाँ पुनः स्थायी सरकार स्थापित नहीं हो सकी।

**मोशिए दलेदियर**—दलेदियर ८ एप्रिल १९३८ को तीसरी बार फ्रांस का प्रधानमन्त्री नियंत हुआ। सन् १९३३ में जब दलेदियर 'पहली बार फ्रांस का प्रधानमन्त्री बना था, लोगों को विश्वास हो गया था कि उस का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। खासे तौर से अंग्रेजों ने उसे बहुत पसन्द किया था। परन्तु बाद की घटनाओं से लोगों की यह धारणा बदल गई थी। ॥ ॥ ॥

इस बार दलेदियर के प्रधानमन्त्री बनते ही हंगैएंड और फ्रांस के पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त मिश्रतपूर्ण हो गए। चर्टमान महायुद्ध में फ्रांस का जो हाल हुआ, उसका बर्णन आगे चलकर कियां जायगा।

छठा अध्याय

## हमारे पूरब के पड़ोसी

( क )

चीन

चीन की आर्थिक पराधीनता—ब्रॉडेड रसल के कर्थना-  
मुसार 'चीन की दो हजार वर्ष-पुरानी सभ्यता मानवीय आल्हाद  
को उत्पन्न करने की दृष्टि से यूरोप की सभ्यता से बढ़ कर है।'  
परन्तु इस प्राचीन सभ्य देश की वर्तमान अवस्था का अन्दाज़ा  
मान्चेस्टर गार्डियन के निम्नलिखित उद्धरण से लगाया जासकता  
है—“कोई निष्पक्ष व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता  
कि शंघाई में रहने वाले विदेशियों का यह निरन्तर प्रयत्न रहा  
है कि वे चीन के अधिकारों को हड्डप करते चले जाय। जिस

समय शंघाई में विदेशियों को रहने का अधिकार मिला था, किसी को इस बात का ख्याल भी नहीं था कि यह नई विदेशी आबादी एक दिन पूर्णतः स्वतन्त्र होकर सम्पूर्ण चीन पर अपना आर्थिक प्रभुत्व कायम कर लेगी। यदि हम चीन के सन् १८४२ से लेकर १९१४ तक के इतिहास का अध्ययन करें, तो हमें ज्ञात हो जायगा कि इस युग में चीन की स्वाधीनता का क्रमशः हास होता चला गया है। चीन के तट-कर पर भी विदेशियों का नियन्त्रण हो गया था और वे उसका उपयोग अपने लाभ के लिए करते थे। इस तट कर से जो आय होती थी, वह विदेशों से उधार लिए गए धन का ऋण अदा करने के रूप में पुनः विदेशियों के पास चली जाती थी। चीन का अधिकांश सामुद्रिक यातायात विदेशी जहाजों में होता था। चीन के रेलवे विदेशियों के हाथ में थे। वहाँ के सम्पूर्ण आय-व्यय पर विदेशी राजदूतों का नियन्त्रण रहता था। और इस पर सब से बढ़ कर बात यह कि इस पर विदेशी लोग चीनियों को घृणा की दृष्टि से देखते थे।”

‘चीन इन परिस्थितियों को दूर करने में असमर्थ था। वसई की सन्धि के दिनों में चीन के प्रतिनिधि इस आशा से वहाँ पहुंचे कि शायद राष्ट्रपति विलसन चीन की खोई हुई आर्थिक स्वाधीनता पुनः स्थापित करवा सकें। परन्तु यह उनका ध्रम था। वसई की सन्धि से जहाँ जापान को भी शंदूंग और प्रशान्त महासागर का एक जर्मन द्वीप प्राप्त हो गया, वहाँ चीन को अपनी आर्थिक स्वाधीनता भी प्राप्त नहीं हुई। चीन के प्रतिनिधियों ने वसई की सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किए, परन्तु उनकी किसी ने परवाह नहीं की।

३० समवात सेव के तीन लिद्वान्त—चीन की

परिस्थितियों को समझने के लिए गत बहसुद से पहले  
की जीव राजा उदयो राज्यकान्ति पर प्रकाश उत्तरा आवश्यक  
है। अब १८५४ से १८११ तक चीन पर मंचू राजवंश का शासन  
था। ऐसे मंचू राजा निवेशी प्रमुख के प्रभाव से चीन की रक्षान्तरी  
प्रभावित हो दी, अतः सन् १८११ में नवोन चीन ने राज्यकान्ति कर  
की और वहाँ प्रजातन्त्र की स्वापना हो गई। इस राज्यकान्ति  
के बाद ३० समवातसेव था, जिसे कर्तमान चीन का शिवा कहा  
जाता है। चीन को एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने के लिए ३० सम-  
वातसेव ने जितना महान् अव्यवसाय किया, उसना अव्यवसाय  
के लिए चीन इतिहास में बहुत कम स्त्रेंगों ने किया होगा।

अंग नीति का चेत्रफल सामग्री समूर्द्ध बूरोप के बराबर है।  
सामग्री-जागतिकी बूरोप की पूर्ण अवधी हो भी अविक है।  
सन् १८११ की राज्यकान्ति के बाद अन्तिम मंचू राजा का एक  
प्राप्ति-समूर्द्ध चीन का शासक बन बैठा। सन् १८१६ में उसका  
प्राप्त हो गया। उसने चीन के प्रान्तों में जिन बोरों को दैनिक  
प्राप्ति किया था, वे अब स्वतन्त्र शासक बन गए। चीनी-  
जागतिकी बोरों-चीन की राजधानी रह गया। वहाँ की उत्तर-  
तापिक दृष्टिकोणी थी। चीन का अविकास अब वहाँ दैनिक

Ways lords ) के पास था। दैनिक चीन के दैनिक

काल और उत्तर-तापिक थी, जिस का संवाक्षण ३० सन के  
प्राप्ति-समूर्द्ध में था। उत्तर और दैनिक की इन बोरों

कम उत्तरों का और दैनिक-शासक  
का उक्त सुनने को उत्तर नहीं थे।

डा० सनयानसेन के राष्ट्रीय दल का नाम 'कोमिन्टांग' था। बर्साई की सन्धि के अवसर पर जब चीन के प्रतिनिधियों की किसी ने नहीं सुनी, तो चीन में कोमिन्टांग की लोकप्रियता बढ़ने लगी। इन्हीं दिनों जापान की सरकार ने उत्तर चीन की सरकार से जवाहरद्वारा अपनी २१ मांगों स्वीकार करवाई, जिसके प्रभाव से चीन आर्थिक दृष्टि से जापान का एक उपनिवेश-सा बन जाता था। कोमिन्टांग पार्टी इन २१ मांगों को स्वीकार करने को कदापि तैयार नहीं थी, इससे डा० सन के इस दल की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। मार्च १९२१ में डा० सन ने घोषणा की कि उसके निम्नलिखित तीन सिद्धान्त हैं :—

१. राष्ट्रीयता—चीन में से विदेशियों का प्रभाव नष्ट कर दिया जाय। उन्हें चीन के व्यापार, व्यवसाय, यातायात और समुद्र पर जो अधिकार प्राप्त हैं, वे छीन लिय जाय। चीन पर चीनियों का ही शासन रहे। इस शासन में चीन के चारों अल्पमतों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जायगा। ये चारों अल्पमत हैं—संचू, मंगोलियन, तातार और तिब्बती।

२. प्रजातन्त्र—चीनी जनता अपनी प्रतिनिधि सभा का स्वयं निर्वाचन करे। जब किसी सदस्य पर से उस के मतदाताओं का विश्वास ठठ जाय तो उसे त्यागपत्र दे देना पड़े। महत्वपूर्ण बालों का निश्चय सम्पूर्ण देश से बोट लेकर किया जाय। शांसन और व्यवस्था की शक्तियां प्रतिनिधि सभा के निर्वाचित मन्त्री-मण्डल में केन्द्रित रहें।

३. सार्माजिंक न्यायं या जीवन का अधिकार—चीन की सम्पत्ति का विभाजन इस ढंग पर किया गया जाय कि उस के द्वारा सम्पूर्ण चीनी आराम का जीवन व्यतीत कर सकें। उन की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

**पारिवारिक संस्था**—उपर्युक्त तीनों सिद्धान्तों को पूरा कर सकना लगभग असम्भव प्रतीत होता था। इस का मुख्य कारण यह है कि चीन में राष्ट्रीयता की भावना का नितान्त अभाव था। चीनी-जीवन की सब से महत्वपूर्ण संस्था वहाँ का परिवार है। सुप्र सिद्ध चीनी महिला चैनल्ज़ेन के शब्दों में—

“चीनी परिवार एक बहुत छोटे राज्य के समान है। पिता या माता इस राज्य के अधीश्वर होते हैं। पुत्रों, पुत्रियों और बहुओं की नौकरशाही इस राज्य के नौकरशाही अफसर हैं, जो छोटी बहुओं, पोतों, पोतियों तथा आन्तरिक रिस्तेदारों, जिन की संख्या प्रायः कम नहीं होती, पर कठोर शासन करते हैं। इस राष्ट्र में भी निरन्तर घड़्यन्त्र, राजनीति, विद्रोह आदि होता रहता है और जो खो घरेलू राजनीति में प्रवीण नहीं, वह परिवार में अपनी कोई स्थिति नहीं बना सकती। वास्तव में चीनी परिवार एक मशीन है, एक संस्था है और परिवार के व्यक्ति उस मशीन के कील, पेच, एंजिन, पटरी आदि के समान हैं। उन की सत्ता उन के व्यक्तित्व के लिए नहीं, परिवार के लिए है।”

चीनी परिवार की महत्ता का एक कारण यह भी है कि चीन में धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान परिवार द्वारा ही हो सकता है। चीन में विवाह का आधार प्रेम नहीं, अपितु कर्तव्य की भावना है और इस कर्तव्य भावना का लक्ष्य परिवार ही है।

परिवार की उक्त महत्ता के रहते हुए चीन में राष्ट्रीयता की भावना का विकास सुगम नहीं था। उस पर विदेशी साम्राज्यवादी चीन में राष्ट्रीयता की भावना को पनपने नहीं देना चाहते थे।

अन्य दिक्कतें—किसी राष्ट्र में प्रजातन्त्र की स्थापना तभी सफल हो सकती है, जब वहाँ पढ़े-लिखे लोगों की संख्या अधिक हो। और १९१६ तक चीन में पढ़े लिखे लोगों की संख्या केवल १२ प्रतिशत ही थी। इस अशिक्षा का एक कारण यह भी था कि चीनी लिपि बहुत ही कठिन है। इस की वर्णमाला में ४००० अक्षर हैं, जिन्हें याद रखना आसान काम नहीं। प्रजातन्त्र का दूसरा सिद्धान्त यह है कि लोग और पुरुष की स्थिति समान हो। परन्तु चीन में स्त्री को पुरुष से बहुत हीन माना जाता था। वहाँ बाल विवाह की प्रथा थी और विवाह के सम्बन्ध में स्त्रियों से कुछ भी न पूछा जाता था। पति को चीन में यह अधिकार प्राप्त था कि वह चाहे तो अपनी पत्नी को बेच भी सकता है।

डा० सन का तीसरा 'सिद्धान्त पूरा करने' के लिये चीन को सम्पन्न बनाने की आवश्यकता थी। चीन की आर्थिक दशा बहुत बुरी थी। वहाँ की ८० प्रतिशत जनता कृषि पर अवलम्बित थी और किसानों के पास बहुत थोड़ी जमीन थी। उन के साधन भी पुराने ढंग के थे। परिणाम यह होता था कि खुशहाली के बरसों में तो चीनी किसानों को रुखा-मुखा भोजन मिल भी जाता था परन्तु जब किसी भी कारण से फ़सल ठीक नहीं हो पाती थी, तो वहाँ भयंकर दुर्भिक्षा फैल जाती थी। इन दुर्भिक्षों में हजारों-लाखों चीनी मक्कियों की तरह मर जाते थे। इस पर भी चीनी

जनता इन दुर्भिज्ञों का पूरा उत्तरदायित्व वर्षा के अभाव या टिक्कियों के आक्रमण आदि पर ही डालती थी। “यह किसमत का खेल है”—बस, इतना ही। डा० सन ने चीनियों को बताया कि यह किसमत का खेल नहीं, यह तो गन्दी प्रथाओं का दोष है। किसानों के खेत बहुत छोटे-छोटे भागों में बैटे हुए हैं, उन के साधन रही हैं; उन में परस्पर सहयोग नहीं, इसी से वे भूखों मरते हैं। डा० सन ने अपने देशवासियों को राजनीतिक और अर्थशास्त्र के नवीनतम सिद्धान्तों का व्यावहारिक ज्ञान देने का गम्भीरतम प्रयत्न किया। उनकी कोमिन्तांग संस्था उपर्युक्त तीनों सिद्धान्तों के लिये ही निर्मित हुई थी, परन्तु चीन पर उक्त संस्था का प्रभाव बहुत शीघ्रता अथवा यथेष्टु गहराई से नहीं पड़ा।

**कोमिन्तांग को रूसी सहायता—**डा० सन के तीनों सिद्धान्त ‘पाश्चात्य सिद्धान्त’ पर आधित थे, इस से उन्हें आशा थी कि पाश्चात्य शक्तियां उन्हें उन के कार्यक्रम में सहायता देंगी। सन् १९२१ में उन्होंने इसी उद्देश्य से अमेरिका से अपील की। परन्तु अमेरिका ने सहायता देने से इन्कार कर कर दिया। उस के बाद डा० सन ने इंग्लैण्ड और जापान से अनुरोध किया, परन्तु इन दोनों देशों ने चीन के दो विभिन्न सैनिक शासकों को ही सहायता देने का निश्चय किया। तब डा० सन ने बोल्शेविक रूस से अपील की। रूस के अनेक नेताओं से डा० सन का व्यक्तिगत परिचय था। उनके उद्देश्यों में भी समानता थी, इस से रूस ने डा० सन के कार्यक्रम में सहायता देने का वचन दिया। कोमिन्तांग की सब से बड़ी और प्रथम कमज़ोरी यह थी कि उसका सैन्य-संगठन कमज़ोर था।

इसी कारण सन् १९११ में राज्यकान्ति करवाने में सफल हो जाने पर भी यह दल चीन का सम्पूर्ण शासन-सूत्र अपने हाथ में नहीं ले सका था। इस दल की सैनिक शक्ति अब भी दोषपूर्ण थी। लेनिन ने अपने व्यक्तिगत मन्त्री को चीन में भेजा। डा० सनयात सेन ने लेनिन के मन्त्री से कहा कि चीन को बोलशेविज्म कीं जरूरत नहीं; राष्ट्रीय एकता की जरूरत है। लेनिन के मन्त्री ने भी इस बात को स्वीकार किया। संसार का कोई राष्ट्र तब तक रूस का मित्र नहीं था, इस से रूस ने चीन को ही अपना प्रथम मित्र बनाना स्वीकार कर लिया।

रूसी देखरेख में कोमिन्तांग ने सन् १९२४ से अपना दृढ़ सैनिक संगठन शुरू किया। रूसी विशेषज्ञों ने डा० सन को बताया कि उनकी कमज़ोरी का एक कारण यह भी है कि उनकी सेना केवल विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों और व्यापारियों की सन्तान से बनी है। सेना में स्वस्थ किसानों को भरती करने की बात रूसी विशेषज्ञों ने ही सुझाई। रूसी देखरेख में कोमिन्तांग का अपना आन्तरिक नियन्त्रण भी कठोर और नियमित कर दिया गया। रूसी विशेषज्ञों का कहना था कि चीनी लोगों में नियन्त्रण की अत्यन्त कमी है।

कोमिन्तांग के संगठन को व्यापक और दृढ़ बना कर रूसी विशेषज्ञ बोडिन ने चीन में एक सैनिक कालेज खोला। इस कालेज में ४० रूसी सैनिक अफसर अध्यापक नियत किए गए। इस कालेज का प्रिन्सिपल चांग काई शेक को बनाया गया, जो वर्तमान चीन का राष्ट्रपति है। कोमिन्तांग का सैनिक संगठन बड़ी शीघ्रता और दृढ़ता से कायम होने लगा।

डा० सन का देहान्त—मार्च सन् १९३५ में डा० सनयात सेन का देहान्त हो गया। सम्पूर्ण जीवन में डा० सन ने चीन की अद्भुत सेवा की थी। सन् १८६५ में उन्हें देश निकाले की सज्जा मिली थी और तब जापान, होनोलूलू तथा यूरोप में उन्होंने चीनी क्रान्तिकारी दल का संगठन किया था। चीनी सरकार ने एक बार उनकी हत्या करने वाले के लिए इनाम की घोषणा भी कर दी थी। लखड़न में एक बार डा० सन गिरफ्तार भी हो गए थे, परन्तु वह भाग निकाले। सन् १९११ में उन्होंने के प्रयत्न से चीन में राज्यक्रान्ति हुई और तब से अपने देहान्त तक डा० सन चीन के सब से महान् नेता बन कर रहे। उन के देहान्त के बाद चीन उन के महत्व को और भी अच्छी तरह समझा। उन की समाधि चीन का सब से महान् तीर्थ बन गई। सम्पूर्ण चीनी उन की तसवीर के सन्मुख सिर झुकाने लगे। उन की वसीयत, जिसमें उन्होंने चीन को एक 'संगठित, शक्तिशाली' और स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने की इच्छा प्रकट की है, चीनियों का ध्येयमन्त्र बन गई।

उत्तर चीन के सैनिक शासक—अपने अन्तिम दिनों में डा० सन उत्तर चीन के सैनिक शासकों में चीनी राष्ट्रीयता के माव भरने का प्रयत्न कर रहे थे। उत्तर चीन में १२ स्वतन्त्र सैनिक शासक थे। इन में से तीन तो बहुत ही लड़के और उपद्रवी थे। आए दिन इन शासकों में युद्ध ठना रहता था। इन में चैंग-त्सो-लिन विशेष प्रसिद्ध है। सन् १९०४ के रूसी-जापानी युद्ध में चैंग-त्सो-लिन ने जापान की सहायता की थी, इस से जापान उसे आर्थिक सहायता देता था। क्रमशः उस ने अपनी

शक्ति बढ़ा ली और सन् १९२१ में पेर्किंग पर भी अपना अधिकार कर लिया। यह चैंग-त्सो-लिन ज़रा भी पढ़ा-लिखा नहीं था।

चैंग-त्सो-लिन का सब से बड़ा प्रतिद्वन्द्वी वू-पी-फू था। वह एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति था। पेर्किंग और हैंको के बीच के रेलवे पर वू-पी-फू का शासन था, इस से उसकी महत्ता भी कम नहीं थी। सन् १९२२ में इन दोनों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में चैंग-त्सो-लिन तो हार गया, परन्तु वू के स्थान पर उसका सहकारी सैनिक शासक फैंग-हू-सिआंग पेर्किंग का मालिक बन चैठा। यह एक दैत्याकार चीनी था, जिसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। क्रमशः उसने रूस से अपने सम्बन्ध स्थापित कर लिए। सन् १९२६ में वू तथा चैंग ने उस पर सम्मिलित आक्रमण कर दिया, तब वह रूस की ओर ही भाग गया।

**राष्ट्रीय दल का उत्तर-चीन पर आक्रमण—**  
जब उपर्युक्त तीनों सैनिक शासक एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, राष्ट्रीय दल की सुशिक्षिन सेना ने हैंको पर आक्रमण कर दिया। यांगसी नदी से, चीन के सब से बड़े नगर शंघाई तक का प्रवेश एक बार अपने हाथ कर लेने के बाद सम्पूर्ण उत्तर-चीन में राष्ट्रीय सेना का मार्ग रोक सकना किसी के लिए भी सम्भव नहीं था। नए कालेज की, देख-रेख में राष्ट्रीय सेना ने सात सेनाओं का संगठन किया था, जिनमे से प्रत्येक सेना में १४,५०० सैनिक थे। इस सेना को रूस हथियारों की सहायता दे रहा था। इन्हीं दिनों हैंगकाँग में चीनी मजदूरों पर अंग्रेज व्यवसायप्रतियों के कहने से पोलीस ने गोली चलाई थी। इस घटना से चीन भर में कोमिन्तांग की लोकप्रियता और भी

अमित यह गई की और अब उसे अपनी हाफि पर भरोसा भी नहीं रखा था ।

हैंको की विजय—राष्ट्रीय दल की इस सेना का सेनापति लक्ष्मण चांग-कार्हं-सेठ था । जून १९२६ में राष्ट्रीय सेना ने दूसरी हाफि पर हैंको पर अभिकार कर लिया । हैंको चीन का पूँछ चुहा ही महत्वपूर्ण और केन्द्र में स्थित नगर है । राष्ट्रीय सूखार अपनी राजवाली भी केन्द्र से हैंको में से आई । हैंको का व्यवसाय अभी तक जापानियों के हाथ में था । राष्ट्रीयसंघ की बाहर से प्रभावित होकर जापानी कारखानों में जूँग करने वाले मजदूरों ने आन्दोखन शुरू किया और जापानी लिंग जापियों को उन का बेतन ट सदाहों के भीतर ५० प्रतिशत छुटा देता था । हैंको का सब से बड़ा कारखाना एक लिंगरेट का कारखाना था । उसके गालिक अधिकारी थे । उन्होंने मजदूरों का बेतन बढ़ाने की अपेक्षा यह कारखाना ही बढ़ कर लिया । तीसी बार-बारी यह राष्ट्रीय बेताक बढ़ाने नगर की सड़कों पर यान्हीं बीच नहीं लिले थे । हैंको के लिंगरी पूँजीपति यह लिंगरेट देखे जाए थे । उन्होंने अधिक सरकार से अनुरोध किया कि लिंगरी ने राष्ट्रीय आन्दोखन में इस्तोत्रे प करे, परन्तु लिंगरी ने समझती थी । उसने राष्ट्रीय चीन से बोर्ड किया । हैंको उंचा कंतिपर्याय अंत नहीं में से बोर्ड नहीं कर कर लिया गया । सभी यहीं झूलत उनके किया गया था ।

राष्ट्रीय दल में फूट—यहाँ तक तो सब ठीक था। राष्ट्रीय सेना ने उत्तर चीन के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और कोमिन्टांग की सरकार चीन की सब से अधिक शक्तिशाली सरकर बन गई। परन्तु अब, शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद, चीन की राष्ट्रीय सरकार के नेताओं में परस्पर अविश्वास और फूट के भाव पैदा होने लगे। एशियाई देशों का सब से बड़ा और सब से भयंकर राजनीतिक मर्ज फूट है। डा० सनयात सेन के देहान्त के बाद चीनी राष्ट्रीय दल में नेतृत्व के लिए जो मण्डा अन्दर ही अन्दर उठ खड़ा हुआ, उस के चिह्न डा० सन की जीवितावस्था में ही दिखाई देने लगे थे। बहुत शीघ्र कोमिन्टांग दल वाम और दक्षिण ( Left and Right ) दो दलों में विभक्त हो गया। हैंको की सरकार पर वाम दल का प्रभुत्व था, इस से दक्षिण दल के नेता चांग-काई-शेक ने अपनी सेना की स्थायता से नानकिंग में नई सरकार की स्थापना कर दी।

।।।

चांग के लिये नानकिंग में नई सरकार स्थापित करना अत्यन्त कठिन हो जाता। यदि हैंको के वामदल में भी परस्पर फूट न होती। वामदल में उप राष्ट्रीय और समाजवादी लोगों के दो गुट थे। समाजवादी गुट का संचालन रूसी नेतृत्व में हो रहा था। उन का सीधा सम्बन्ध रूसी सरकार के साथ था। उधर उप राष्ट्रीय गुट के लोगों का दृष्टिकोण विशुद्ध राष्ट्रीय था। वे चीन के किसी भाग में किसी विदेशी का प्रभुत्व सहन करने को तैयार नहीं थे। इन परिस्थितियों में चांग जैसे दहु़ सेना-पंति ने बड़ी आसानी से न केवल नानकिंग में नई सरकार ही स्थापित कर ली, अपितु जुलाई १९२७ तक उप राष्ट्रीय और

सेवामाली दोनों दलों को हरा दिया। चैक्टन को भी, जो अमेरिकी दोनों का प्रसिद्ध केन्द्र था, दिसम्बर १९२७ तक, सिर्फ़ इन्हीं के बुद्ध के बाद चांग ने अपने अधिकार में कर लिया।

नानकिंग की सरकार—चहुत शोषण चांग-कार्ड-रोक और नानकिंग की सरकार को भीन में सब से अधिक शक्तिहाली सरकार कहा दिया। अधिकांश भीन पर उस का अधिकार हो गया। एवं अपने डो ढां० सनयातसेन का अनुसारी गान्ता था, जो ढां० सन की साली से विवाह कर एवं उसका उत्तराधिकारी की रूप गया। चांग ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। ढां० सन की साली संग एक चहुत प्रभावशाली और कठिनता से भड़क जाने वाला व्यक्ति था। चांग ने उसे अपना 'अर्थ-मन्त्री' घोषित कर अपने राजा में कर लिया। चांग की सरकार अब भी अपने दो कोमिन्टांग दल की सरकार कहती थी। उसका ढां० सन के दोनों सिद्धांतों पर विश्वास था। परन्तु व्यवहार में अमीर दल चांग में राष्ट्रीयता की भवना नहीं होई जाती थी। गंधूरिया एवं चांग भी 'वीग-सो-सिन' और 'उसके पुत्र का स्वतन्त्र शासन' का। एवं परिषम में कौन एक आक्रम बना हुआ था। इस तरह चांग के अनेक भवग अभी तक सेनिक शासकों के हाथ में थे। चांग भी सब से बड़ी शक्ति अब नानकिंग सरकार की रूप गयी।

आर्थिक उत्तापि—चांग-कार्ड-रोक ने अब अपना ध्यान अमेरिका की ओर कहाया। सब से अहम उसने अमेरिका चांग-कार्ड-रोक के अर्थ-ज्ञान की दोनों भीन में इन्हें

अपने विशेषाधिकारों को छोड़ते चले जायगे । बढ़ाव में चांग ने इन्हें चीन में जमीन खरीद सकने का अधिकार देड़िया ।

उसके बाद चांग ने चीनी व्यवसाय को उन्नत करने का प्रयत्न किया । जगह-जगह चीनी पूँजी से बड़े बड़े कारखाने खोले जाने लगे । विदेशी व्यापारियों ने अब चीन में कपड़ा आदि पक्का माल भेजने की वजाय बड़ी-बड़ी मशीनें भेजनी शुरू कीं । सन् १९२८ से १९३० तक अकेले इंग्लैण्ड से चीन में मशीनों का आयात तिगुना हो गया । कुछ ही वर्षों में चीनी कारखानों की संख्या ६७२ से १९४५ तक पहुंच गई । चांग ने विदेशोंसे, विशेष कर अमेरिका और जापान से, भारी राष्ट्रीय ऋण भी लिया । राष्ट्रसंघ की सहायता से नार्किंग को आवृत्तिकरण नगर बनाने का प्रयत्न किया गया । वहां गगनचुम्बी इमारतें बनने लगीं । उपर्युक्त रीति से चांग ने चीन का व्यवसाय तो अवश्य समृद्ध कर दिया, परन्तु वह चीनी मज़दूरों और चीनी किसानों की दशा नहीं सुधार सका । उनके लिए चांग में तथा सैनिक-शासकों में कोई अन्वर नहीं था । चांग ने मज़दूरों के वेतन घटा दिए और मज़दूर आन्दोलनों का, कोमिन्तांग के ज़बरदस्त संगठन की सहायता से, द्रमन किया । चीनी किसान अभी तक ढाँ सन के तीसरे सिद्धान्त को नहीं भूले थे । वे तो चीनी राष्ट्रीयता का अभिप्राय ही अपनी खुशहाली समझते थे । चांग की नीति से उन्हें बड़ी निराशा हुई ।

**सोविएट चीन—क्रमशः** चीन में चांग-कार्ह-शेक के विरुद्ध लोकमत प्रबल होने लगा । कैंटन में कोमिन्तांग का बामदल पुनः अपना संगठन करने लगा और मई १९३१ तक

जापानी असल्तुट सेनिक शासकों की सहायता से इस पहले वे ग्रामपौर्ष में कोमिन्सांग-सरकार नाम से एक नई सरकार की स्थापना कर दी ।

मैं १९३७ वर्ष चीन में क्रमशः समाजवादी दल का प्रबन्ध भी करने लगा । सन् १९३७ में चांग-कार्ह-शेक ने समाजवादी दल को तीक्ष्णतात्त्वीकरण कर दिया, परन्तु इस पर भी दल की सरगमियां बिही-तौर से जारी रहीं । समाजवादी नवयुवक अब भी सेनिक नियन्त्रण की शिक्षा लेने के लिए गुप्तरूप से मास्को जाका उरते हैं । यह शिक्षित नवयुवक चीन में वापस आकर जाह्नवी नदीपरिष्ठ पर संग्रह जायम कर रहे थे । सन् १९३१ तक केन्द्रीय ग्रामपौर्ष के एक और ग्राम पर सोविएट सरकार की स्थापना हो गई । इस सरकार का निर्माण इसी बोक्सेविक सोविएट सरकार के अन्तर्गत पर किया गया था । मास्को की सरकार ने सन् १९३१ में इस लिया था कि चीन की सोविएट सरकार का शासन १० लाख हीनियों प्रभ-स्वाप्ति है । परन्तु संघर्ष के अख्यातों का ग्रामपौर्ष चीन की सोविएट सरकार केन्द्र असल्तुट सेनिक नवयुवकों के अधिकारियों और अभेद्य शासन पर आर्थित है । यह अभेद्य होने वाले हैं वरदाने उठ दूषेद और होकर घायि के घारों पर अधिकारियों का ग्रामपौर्ष जायम रही । इस सरकार की सेन्ट्रल रिफि रेक्ट्रेटरी ३०,००० लक्ष आ पहुँची । सन् १९३७ में इस अप्राप्त तेरीज़ प्रभ-सरकार का लिया गया सोविएट चीन और द्वारीज़ चीन नियन्त्रण ग्रामपौर्ष के अन्तर्गत है ।

आक्रमण—भौतीक में भार भार्युष  
मैं, अप्रैल सन् १९३१ में आंदोलन के मंचूरिया

पर आक्रमण कर दिया। मंचूरिया पर उन दिनों सैनिक शासकों का अधिकार था। उन की सेना वर्तमान युद्ध नीति में निपुण नहीं थी। इस से बहुत शीघ्र जापान ने मंचूरिया को जीत लिया और वहां अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी। इस सम्बन्ध में विस्तार से जापान के अध्याय में लिखा जायगा।

**चीन-जापान युद्ध—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी**  
 रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आशा नहीं थी कि जापान केवल मंचूरिया पर अपना अधिकार स्थापित कर सन्तुष्ट हो जायगा। उस के बाद जापान ने क्रमशः जैहोल, चहार और पेरिंग पर भी अधिकार कर लिया। सन् १९३४ में चीन मुख्यतः तीन भागों में बँटा हुआ था। नानकिंग में चांग की सरकार, मध्य चीन में सोविएट सरकार, जिस में अनेक सैनिक शासक सम्मिलित थे और कैरेटन में कोमिन्टांग के बाम पह की राष्ट्रीय सरकार। इन में चांग-काई-शेक की सरकार सब से अधिक शक्तिशाली थी। चांग-काई-शेक का व्यक्तित्व भी निस्सन्देह प्रभावशाली था। परन्तु उस का ख्याल था कि चीन की राष्ट्रीयता के मार्ग की सब से बड़ी रुकावट वहां का समाजवादी दल है। जापान के बढ़ते हुए प्रभाव को चांग-काई-शेक अभी तक अपने देश के लिए सब से बड़ा खतरा नहीं समझता था। परन्तु सन् १९३७ में चांग-काई-शेक को अपनी गलती मालूम हुई।

इसी बीच में मंचूरिया का पदच्युत शासक चांग-सुह-लिअंग नानकिंग में पहुंचा। उसे जापान ने राज्यच्युत किया था, इस से जापान के प्रति उसकी नाराजगी स्वाभाविक थी। सन् १९३७ में चांग-सुह-लिअंग ने किसी तरीके से चांग-काई-शेक

को गिरफ्तार कर लिया और उसे वह चुपचाप पार्वत्य प्रदेशों में ले गया। नानिंग के राष्ट्रपति के गुम हो जाने का समाचार संसार ने अत्यधिक आश्चर्य के साथ सुना। परन्तु कुछ ही दिनों में चांग-काई-शेक से यह प्रतिज्ञा लेकर कि वह अब जापानी खतरे का सामना करने के लिए सम्पूर्ण चीन को संगठित करेगा, चांग-सुह-लिआंग ने उसे छोड़ दिया।

जापान ने जब देखा कि चीन उसके विरुद्ध संगठित होने का प्रयत्न कर रहा है और सम्पूर्ण चीन में, जापान का मुकाबला करने के लिए एकता की भावना ओत-प्रोत होगई है तो उसने और अधिक प्रतीक्षा किए बिना चीन के सन्मुख कतिपय असम्भव मांगे पेश कर दीं। जब चीन ने उन मांगों को स्वीकार नहीं किया, तो जापान ने चीन पर चढ़ाई कर दी।

चीन के लिए जापान की संगठित शक्ति का मुकाबला करना आसान नहीं था। फिर भी चांग-काई-शेक की अध्यक्षता में चीन वीरता पूर्वक जापान का मुकाबला कर रहा है। अब इस युद्ध को चार बरस लीत चुके हैं। युद्ध का विलूत वर्णन जापान के अध्याय में किया जायगा। यहाँ-इतना ही कहना काफ़ी है कि संसार के अनेक देशों की सहानुभूति प्राप्त होते हुए भी चीन अब तक अपना एक तिहाई से अधिक भाग खो चुका है। नानिंग, हैंको और शंघाई भी अब तक जापान के अधिकार में आ चुके हैं। फिर भी चीनी सेना का साहस भंग नहीं हुआ। मार्शल चांग-काई-शेक और उनके अनुयायीयों का विश्वास है कि इस युद्ध में संगठित चीन की ही विजय होगी।

(ख)

## जापान

जापान का उत्थान—उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध तक जापान एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था। बाहर के संसार से जापान का कोई सम्बन्ध नहीं था। जापानी जनता का ध्येय तब तक व्यर्थ के धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करना ही था। सन् १८६७ में जापानियों की नई पीढ़ी ने एक क्रान्ति-सी उत्पन्न कर दी। जापान ने अपने बन्दरगाह विदेशी व्यापारियों के लिए खोल दिए। कुछ ही वर्षों में पुराना कुलीनतन्त्र नष्ट हो गया और भूमि पर किसानों का ही अधिकार हो गया। पश्चिम के देशों की नकल पर जापान में एक पार्लियामेंट और मन्त्रमण्डल की स्थापना की गई। इस पार्लियामेंट की भावना विशुद्धरूप से जापानी ही थी। जापानी सम्राट् अपना शोसर्न मन्त्रमण्डल द्वारा करने

लगा, परन्तु जापान की सेना पर उस का सीधा नियन्त्रण रहा। सेना पर पार्लियामेंट का कोई भी अनुशासन या अधिकार नहीं रखा गया।

जापान में अपने सम्राट् के लिए अगाध अद्वा के भाव हैं। जापानी लोग अपने सम्राट् को सूर्य देवता का वंशज मानते हैं और एक देवता के समान ही उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। जापानी राष्ट्रीयता का आधार उनका सम्राट् ही है। इसी कारण देशभक्ति की भावना जापानियों के लिए एक धार्मिक भावना के समान है। सन् १८६७ के महान् राजनीतिक परिवर्तनों से भी जापानी-सम्राट् की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आने पाया।

सन् १८६७ से जापान का विकास पाश्चात्य आदर्शों पर, बड़ी तेजी के साथ किया जाने लगा। १० वर्षों के अन्दर ही अन्दर जापान का कायाकल्प हो गया। राष्ट्र ने अपनी ओर से लाखों रुपया जापान के व्यवसाय को उन्नत करने के लिये जापानी नागरिकों को दिया। जापान की कृषि, रेशम का व्यवसाय, चावल की खेती आदि, सभी को उन्नत करने का भरपूर प्रयत्न किया गया। परिणाम यह हुआ कि १६वीं सदी के अन्त तक पूर्वीय राजनीति में जापान की काफ़ी महत्ता स्थापित हो गई।

**कोरिया का अपहरण**—उन्हीं दिनों चीन में पश्चिम के राष्ट्र अपना आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे। चीन के अनेक प्रान्तों में उन्होंने अपने उपनिवेश-से भी बना लिए थे। जापानी सरकार को भय प्रतीत हुआ कि कहीं उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार न हो। खास तौर से उसे रूस का भय था। जापान के बहुत निकट कोरिया नाम का जो द्वीप है, उस पर रूस का

अधिकार हो जाना एक मामूली बात थी। और जापान की दृष्टि से कोरिया की भौगोलिक स्थिति बहुत भौके की है। तब तक कोरिया पर चीन का नामभाव का प्रमुख था। सन् १८४४ में जापान ने कोरिया पर आक्रमण कर उसे एक स्वतन्त्र हीप बना दिया। सन् १८०५ में उसने कोरिया पर अपना प्रमुख स्थापित कर लिया, और सन् १८१० में कोरिया को बाकायदा जापानी साम्राज्य का एक अंग बना लिया।

१ रूस से युद्ध—लगे हाथ जापान ने बंचूरिया के निकट समुद्रतट का एक जर्द-सा, परन्तु महत्वपूर्ण भाग भी हथिया लिया। रूस ने जापान की इस बात का विरोध किया। जापान ने वह भाग छोड़ दिया। इस के बाद रूस ने चीनी समुद्रतट के एक भाग पर अधिकार कर, वहाँ अपने दो बन्दरगाह बना लिए और अपना धन लंगा कर इन बन्दरगाहों तक जाने के लिए, चीन में एक रेलवे लाइन भी बना द्यी। वास्तव में रूस प्रशान्त महासागर में एक ऐसी बन्दरगाह बनाना चाहता था, जो सरदियों में भी जमने नहीं पाए। जापान रूस की इस ज्यादती को सहन नहीं कर सका। सन् १८०४ में अंग्रेजी सहायता का आश्वासन पाकर जापान ने रूस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। संसार को यह जान कर भारी अचम्भा हुआ कि उस युद्ध में जापान विजयी हो गया। उन दोनों बन्दरगाहों तथा रेलवे लाइन पर अब जापान का अधिकार हो गया।

गत महायुद्ध के बाद का जापान—सन् १८०४ में रूस को हरा कर जापान पूर्व की सब से बड़ी शक्ति बन गया। इंधर सन् १८१४ के विश्वव्यापी महायुद्ध में कोई भाग न लेकर भी

महानुद्धार की सब से महान् रुकियों में जिता जाने समझ। इससहित कि दुद के दिनों में जापानी व्यापार-व्यवसाय में अव्याहतीत आति की थी। इंग्लैंड के साथ जापान के सम्बन्ध मिशनामूर्त होने से जापान ने सम्पूर्ण एशिया, बिशेष कर भारतवर्ष की, दुद के दिनों में इतना अधिक पता माल खड़ाचाया कि उन्हीं दिनों के व्यापार-व्यवसाय से जापान को २०,००,००,००,००,००० डॉलर का काम हुआ। महानुद्ध के बाद रान्सिट-परिषद् में भी जापान को शारदुण तथा कठिपय अन्य-प्रदेश मिले। राष्ट्रसंघ में जापान की गणना संसार की सर्वश्रेष्ठ ह शक्तियों में की।

**जापान की वृद्धि**—जापान की आवादी चहुत तेजी से बढ़ रही है। सन् १८४६ में जापान की आवादी ३,६०,००,००० थी और सन् १८३० में वह आवादी छहकर ५,६०,००,००० हो गई। इसी कर्व जापान की आवादी में ८ लाख अर्थकियों की वृद्धि हो गयी है। इस में सन्देह नहीं कि जापान की भूमि चहुत उत्तम है, परन्तु इस भूमि का विस्तार इतना कम है कि जापान की भूमि हुई भा-संस्क्या का वातान-पोक्या उस से नहीं हो सकता। ऐसा की सम्पूर्ण प्राप्तव्य भूमि पर बहुं लेसी-आदी की बोलती है, इस से कुछियोग्य नहीं भूमि ग्राह्य कर सकता समझ नहीं है। इस में सन्देह नहीं कि बहु महानुद्ध से जापान को भारी अवृद्धि द्याया था, परन्तु दुद की विशिष्टियों दुद के अन्तर्वाली नहीं। दुद के बाद जापानी माल की मांग, अब येरों की उम्मीद-संभावना में आ जाने से, कम हो जाता इत्यापिक था। अप्रैल लाइनिंगों के पास वरपने विस्तार हो, जिसकी कोई न्याय नहीं दिलाई जाती। जापानी आवादी पहले भी चहुत कमी है। नए

महाद्वीपों, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड आदि में जापानियों के प्रवेश पर काफ़ी प्रतिबन्ध लगा दिए गए थे। वैसे भी जापानी लोग अपने फल फूलों से भरे हुए देश को छोड़ कर बाहर जाकर बसना पसन्द नहीं करते।

इन परिस्थितियों में, जापान को बढ़ती हुई जन-संख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक उपाय यह था कि उसे 'पूर्व का कारखाना' बना दिया जाय। जापानियों ने इस बात के लिए प्रयत्न भी किया, परन्तु जापान में कोइले और लोहे की जो कमी है, उस के कारण जापान का पूर्ण व्यवसायीकरण अत्यन्त कष्ट-साध्य है। देश को छोड़ कर शेष सभी कच्चा माल उसे विदेशों से लेना पड़ता है। अमेरिका और भारतवर्ष से वह रुई खरीदता है, आस्ट्रेलिया से ऊन और ढच साम्राज्य से तेल। इस का अभियाय यही था कि यदि अमेरिका या अंग्रेजी साम्राज्य जापान का विद्युक्त कर दें, तो वह तबाह हो जाय। जापानियों को यह स्थिति असह्य जान पड़ी।

**राजनीतिक दल**—जापान के सभी राजनीतिक दल इस बात से सहभत थे कि जापान को बहुत छड़े पैमाने पर व्यवसाय-प्रधान देश बनाने की आवश्यकता है। परन्तु साधनों के सम्बन्ध में उन मे सत्त्वेष था। सैयुकाई दल, जिसे कुछ अंश तक अनुदार दल कहा जा सकता है, चाहता था कि पहले आन्तरिक व्यापार को उन्नत किया जाय और इस के लिए सरकार कृषि और व्यवसाय को आर्थिक सहायता दे। मिन्सीतो दल, इंलैण्ड के पुराने उदार दल के समान, अपने विदेशी व्यापार को उन्नत करना चाहता था, आन्तरिक व्यापार के सम्बन्ध में वह अधिकतम

ज्ञानवाला का पहचानी था। सेना के नेता, जो अस्थन्त प्रभाव-कारी होने पर भी इसी राजनीतिक दल में संगठित नहीं थे, और जिन्हें “कैम्प” के नाम से पुकारा जाता था, उपर्युक्त होनों काले के बिल्ड थे। उन की राय थी कि व्यापार-व्यवसाय ये सब खोड़े की चाहतें हैं। हमें अपनो सैन्य-शक्ति कहा कर दिविजय खाली चाहिए। वह पहले ही कहा आ चुका है कि ‘कैम्प’ पर साम्राज्यिक दलों का कोई अधिकार नहीं था।

यादिये तो यह या कि जापान के दोनों राजनीतिक दल विलेक्ट कैम्प का विरोध करते। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। बात यह थी कि जापान के राजनीतिक दल बास्तव में कुछ विभिन्न कुलीन और अली शरिकतों के हाथ में थे और वे लोग सम्पूर्ण राजनीति के व्यापक व्याकुलात द्वितीय की दृष्टि से देखते थे। सन् १८८७ की यात्राकांड के बाद जापान के कुछ प्रभावशाली कुलीन गुपक सैनिक घटक, बन गये थे। कुछ व्यापार-व्यवसाय करने वाले थे। कमशा: यात्राकांड का आर्थिक जीवन पर इन्हीं कुलीनों का नियन्त्रण हो गया था। यात्राकांड परिवार इनमें सब से अधिक प्रमुख था। सैनुकार्ड दल यात्राकांड परिवार का प्रभाव था। मित्सुबिशो परिवार की भी अन्य-विलेक्ट थी, मिन्सीतो दल पर उसका विवरण था। मित्सु-बिशी परिवार के व्यापक व्यापार — जहाज बनाना, एंजीनियरिंग, बाहरी फैक्ट्री-हाउस बनाना आदि थे। इस दूर दुनिया की दूर सम्पादना वी, इस दूरी-दूरी से दूर ‘कैम्प’ की राय का विदेष नहीं दूर सम्पादना था। अंत मूर दूर दूर की परिस्थितियों वे जैव ते उद्देशों को बहुत दूरी-दूरी से दूर ही हो सकते थे जिन्होंने प्रांत और इंडोहिन्द्री गोलार्द्धेन्द्रिय

रूस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया था। इंग्लैण्ड ने इस कार्य के लिये जापान को भी निमन्त्रण दिया। जापान को और चाहिये ही क्या था, उसके ज़िन्मे जितनी सेना लगाई गई थी, उस से भी अधिक सेना जापान ने रूस से लड़ने के लिये भेजी थी। पूर्वीय चीनी रेलवे रूस की सम्पत्ति था। जापान ने बहुत शीघ्र उस पर अपना अधिकार कर लिया। साइबेरिया के थोड़े-से पूर्वीय भाग को भी जापान ने जीत लिया। इन विजयों से जापान की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई। वह सम्पूर्ण रूस को हराने और चीन के व्यापार-च्यवसाय पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित करने के स्वप्न लेने लगा।

**वांशिगटन कान्फ्रेंस**—परन्तु बहुत शीघ्र अमेरिका ने जापान के ये सुखस्वप्न भंग कर दिए। जापान उन दिनों अपने जहाजों की संख्या बढ़ा रहा था, परन्तु वह इस दृष्टि से अमेरिका का सुकाबला कर ही न सकता था, क्योंकि अमेरिका के स्रोत अनन्त हैं। जापान को प्रशान्त महासागर में जर्मन उपनिवेश मिले, उन से अमेरिका असन्तुष्ट हो गया। अब अमेरिकन सरकार ने स्पष्ट शब्दों में घोषित कर दिया कि उसे चीन में जापान का प्रभुत्व बढ़ाना पसन्द नहीं है। चीन के सम्बन्ध में अमेरिका की नीति मुक्तद्वार व्यापार की थी। परन्तु जापान की २१ मांगें चीन पर जापान का भारी प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी।

सन् १९२१ में परिस्थिति बहुत पेचीदा हो गई और यह सम्भावना होने लगी कि जापान और अमेरिका में बहुत शीघ्र युद्ध छिड़ जायगा। तब अमेरिकन राष्ट्रपति ने नौ राष्ट्रों की एक

कान्फ्रैंस वाशिंगटन मे बुलाई। काफी सोच-विचार के बाद जापान ने इस कान्फ्रैंस मे सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया।

वाशिंगटन कान्फ्रैंस के परिणामस्वरूप जापान, इंग्लैण्ड और अमेरिका के सम्पूर्ण जहाजों का अनुपात इस प्रकार रखने का निश्चय हुआ—३ : ५ : ५। जापान ने चीन के सम्बन्ध मे मुकद्दमा व्यापार की नीति स्वीकार कर ली। इसी वाशिंगटन की सन्धि के परिमाणस्वरूप जापान ने चीन को शान्तुंग का प्रदेश वापस कर दिया, साइबेरिया से अपनी फौज वापस भुला ली और अपनी सेना की संख्या ६० हजार तक सीमित करने का वचन दे दिया। जापान के इस व्यवहार से सम्पूर्ण संसार का लोकमत बहुत अधिक प्रभावित हुआ। थी एच० जी० वैल्स ने तो यहां तक लिखा कि—“वाशिंगटन कान्फ्रैंस की सफलता का अधिकांश श्रेय जापान को है। यूरोप के लोगों को जापान के सम्बन्ध मे अब तक अत्यन्त भ्रान्त धारणा थी। वास्तव मे जापानी बहुत समझदार, अवसरदर्शी और युक्तियुक्त लोग हैं। परिचम के राष्ट्र जापान के साथ पूर्ण सहयोग से कार्य कर सकते हैं।”

**भूकम्प**—सन् १९२३ मे जापान के सब से अधिक घनी आबादी वाले भाग मे जो भयंकर भूकम्प आया, उस की गणना संसार के सब से अधिक विनाशकारी भूकम्पो में की जाती है। इस भूकम्प में १,६०,००० जापानी मारे गए। लगभग ७ अरब लोगों की सम्पत्ति नष्ट हो गई। जापान की राजधानी टोकियो एक तरह से नष्ट-भ्रष्ट-सा हो गया। नगर के अनेक भाग ईंटों और पत्थरों के दुर्निवार और भयानक ढेरों से परिणत हो गए। सारा जापान

और उस के साथ ही साथ सम्पूर्ण संसार इस दैवीय विपत्ति से सञ्च-सा रह गया ।

परन्तु जापान अपनी इस क्षतिपूर्ति में जी-जान से जुट गया । सात ही सालों में जापानियों ने अपनी राजशानी का पहले से भी अधिक सुन्दर रूप में पुनर्निर्माण कर दिया ।

**भयानक विचार—**जापान ने अपनी भौतिक क्षति को तो बहुत शीघ्र पूरा कर लिया, परन्तु भूकम्प ने उन के मनोविज्ञान पर जो प्रभाव ढाला था, वह दूर न हो सका । भूकम्प के घड़े ने जापानियों के स्वभाव को क्षणिक उत्तेजनाओं से पूर्ण बना दिया । उन की राजशानी की भूमि के समान के उन के सामाजिक जीवन में भी बड़े बड़े फटाव पड़ गए । जापान के राष्ट्रीय जीवन में गहरी आशान्ति व्याप्त हो गई ।

जापान का व्यवसाय तो निस्सन्देह समृद्ध हो गया था, परन्तु वहां मजदूरों की दशा पहले से भी बिगड़ गई थी । बहुत से मजदूरों के पास रहने तक को कोई जगह न थी और वे कारखानों में ही सोते थे; वाकी मजदूर अत्यन्त सड़े-गले मोहल्लों में रहते थे और व्यावसायिक नगर इस तरह के गन्दे, मोहल्लों से भरे पड़े थे । कगावा नाम के एक प्रचारक ने मजदूरों को संगठित करना शुरू किया । वे हड्डतालें करने लगे । बहुत शीघ्र जापानी मजदूरों और जापानी नवयुवकों में साम्यवाद का प्रमाव बढ़ने लगा । बहुत से जापानी विद्यार्थी कार्लमार्क्स के भक्त बन गए । सैयुकाई सरकार ने समाजवाद के प्रचार को रोकने का अधिकतम प्रयत्न किया । उनका कहना था कि समाजवाद के विचार अत्यन्त 'भयानक विचार' हैं ।

परन्तु सन् १९२४ मेरे इंग्लैण्ड मे मंजदूरदल की विजय से जापान के मंजदूर आन्दोलन को बहुत प्रोत्साहन मिला। उसी वर्ष जापान मे भी नए निर्वाचन होने थे। मंजदूरदल के आन्दोलन से इस निर्वाचन मे सैयुक्ताई दल हार गया और कातो के नेतृत्व मे मित्सुबीशी दल विजयी हो गया। कातो ने सम्पूर्ण जापानी पुरुषों को मताधिकार दे दिय। मंजदूरों को तब तक मत देने का अधिकार नहीं था। इसके साथ ही साथ कातो ने घोषणा की कि वह मंजदूरों की दशा सुधारने के लिए नए कानून बनाएगा। परन्तु व्यवहार में जापानी पार्लियामेंट ने एक 'शान्ति रक्षा' नामक नया कानून पास किया, जिसके अनुसार शासन विधान और व्यक्तिगत जायदाद की प्रथा को नष्ट करने का प्रयत्न करने पर प्राणदण्ड देने की सज्जा घोषित कर दी गई। इस कानून का उद्देश्य भी 'भयानक विचारों' को रोकना था।

**व्यवसायिक उन्नति**—इस तरह के दमन के साथ ही साथ मित्सुबीशी सरकार ने जापानी मंजदूरों की दशा सुधारने का गम्भीर प्रयत्न किया। कातो के प्रधान-मन्त्रित्व मे जापान का कपड़े का व्यवसाय इतना उन्नत हो गया कि संसार मे लंकाशायर के कपड़े की मांग बहुत कम हो गई। जापान का कपड़ा इतना सस्ता था कि लंकाशायर के सैकड़ों कारखाने, जापानी प्रतिस्पर्धा के कारण, बन्द कर देने पड़े।

**शान्ति की नीति**—सन् १९२२ से लेकर १९३० तक जापान में शान्ति की नीति की प्रधानता रही। यद्यपि इन १० वर्षों मे भी जापान का सैनिक बजट उसके पूर्ण बजट का १८ से लेकर ४८ प्रतिशत तक रहा। तथापि जापान ने दुस बरसो मे

कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इस अरसे में अनेक बार जापान को लड़ाई के लिए उपरूप से उत्तेजित भी किया गया। परन्तु जापान लड़ने को तैयार नहीं हुआ। अमेरिका ने इन्हीं दिनों जापानी बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया, शंघाई में इन्हीं दिनों जापानी राजदूत भवन के निवासियों की हत्या हुई, परन्तु फिर भी जापान ने लड़ाई नहीं लड़ी।

सैयुकाई दल और कैम्प के फौजी नेता भित्तुबीशी सरकार की इस नीति से बहुत लिख छ हो उठे। उन्होंने अनेक तरह से इस बात के लिए आन्दोलन किया कि जापान को रूस के बिल्ड संगठित होने की आवश्यकता है। रूस ने अब साइबेरिया के पूर्वीय किनारे तक रेल की दोहरी लाइन बना दी थी। सन् १९३० में लखड़न में अंग्रेजी प्रधानमन्त्री श्री रैम्जे मैकडानल्ड के द्वारा बुलाई गई कान्फ्रैंस ने प्रत्येक देश के सैनिक जहाजों की जो संख्या निश्चित की थी, उसे जापानी प्रतिनिधियों ने तो स्वीकार नहीं किया, परन्तु जापान के प्रधानमन्त्री ने, अपने मन्त्रिमण्डल की सलाह से, स्वीकार कर लिया। फौजी नेता इस बात से अत्यन्त कुछ हो गए और उपर्युक्त घटना के केवल दो सप्ताह बाद नवम्बर १९३४ में जापानी प्रधानमन्त्री को हत्या कर दी गई।

**आर्थिक क्रान्ति**—सन् १९३० में संसार की आर्थिक क्रान्ति का अत्यन्त व्यापक प्रभाव जापान पर पड़ा। जापान का विदेशी व्यापार घट कर पहले से केवल  $\frac{1}{3}$  रह गया। संसार के और किसी देश पर आर्थिक क्रान्ति का प्रभाव इतना घातक न पड़ा होगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जापान की आबादी अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत अधिक है। वहाँ के ५० प्रतिशत

निवासियों का निर्वाह कृषि पर होता है। अधिकांश किसानों के पास बहुत छोटे-छोटे खेत हैं। ये खेत उपजाऊ तो अवश्य हैं, परन्तु उन का आकार इतना छोटा है कि एक खेत से एक किसान परिवार का निर्वाह नहीं हो सकता। अपनी आय की इस कमी को जापानी किसान अपने खेतों के एक भाग में रेशम के कीड़े पाल कर पूरा करते थे। सन् १९३० में एक दिन सहसा उन किसानों को बताया गया कि उन के रेशम के कीड़ों का अब कोई खरीदार नहीं रहा। जब उन्होंने ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्हे बताया गया कि अमेरिकन लोगों को सद्बैगाजी में इतना नुकसान हुआ है कि उन के पास विदेशों से कुछ भी खरीदने के लिए धन बाकी नहीं रहा। उधर किसानों की अन्य उपज, विशेषतः चावल, के दाम भी एकदम गिर गये थे।

नगर निवासियों की दशा भी कुछ अच्छी नहीं थी। उन का आर्थिक जीवन मुख्यतः ३ व्यवसायों पर निर्भर था—जहाजरानी, रेशम, और सूती माल। इस आर्थिक क्रान्ति के दिनों में माल का सामुद्रिक यातायत बहुत कम हो गया और रेशम तथा रुई के माल का बहिष्कार कर दिया और भारतवर्ष आदि में जापानी माल पर तटकर बढ़ा दिया गया।

**प्रतिक्रिया**—दस बरसों तक जापान ने अत्यन्त शान्ति-मय और ईमानदारी के उपायों से अपना आर्थिक निर्माण करने का जो प्रयत्न किया था, वह इस आर्थिक क्रान्ति पर आकर फेल हो गया। जापानी जनता का अब यह विश्वास हो गया कि शायद उनके सैनिक नेता ही ठीक कहते थे। परिणाम यह हुआ कि जापान ने अपनी नीति आमूलचूल परिवर्तन करने का निश्चय कर लिया। शान्ति की प्रतिक्रिया युद्धों के रूप में प्रारम्भ हई।

**मंचूरिया पर आक्रमण**—१८ सितम्बर १९३१ को दक्षिण मंचूरियन रेलवे पर एक शक्तिशाली बम फटा और इस बम ने घोषित कर दिया कि जापान ने मंचूरिया पर चढ़ाई कर दी है। बिना किसी तरह का नोटिस दिए, बिना युद्ध की घोषणा किए, जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और चांग-सुह-लिअंग को मंचूरिया की राजधानी से भगा दिया।

जापान के इस आक्रमण के समाचार को संसार ने आश्वर्य के साथ सुना। यद्यपि इस तरह अन्य राष्ट्रों को, बिना किसी कारण और बिना किसी उत्तेजना के हड्डप कर जाने का सिलसिला सम्पूर्ण उन्नीसवीं सदी में जारी रहा था। उन्नीसवीं सदी में एशिया अफ्रीका, मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका आदि के बहुत से प्रदेशों पर संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया था। परन्तु अब १९३१ में यह परिवर्तन आ गया था कि अब तक एक राष्ट्रसंघ का भी निर्माण हो चुका था।

जापान ने जब मंचूरिया पर आक्रमण किया, तब जैनेवा में राष्ट्रसंघ का अधिवेशन हो रहा था और इस अधिवेशन में चीन तथा जापान दोनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राष्ट्रसंघ ने जापान को इस बात की आज्ञा दी कि १६ नवम्बर तक वह अपनी सेनाएं मंचूरिया से हटा ले। परन्तु जापान ने राष्ट्रसंघ की इस आज्ञा पर कोई ध्यान नहीं दिया। १६ नवम्बर को उन्होंने मंचूरिया का एक और महत्वपूर्ण नगर जीत लिया। और उसके बाद एक वर्ष के भीतर, ही जापान ने मंचूरिया पर अपना अधिकार जमा लिया। जापानी सरकार ने अब मंचूरिया का नाम बदल कर 'मंचुकूओ' कर दिया।

**शंघाई का युद्ध**—चीन और जापान के पारस्परिक सम्बन्ध अब बहुत कट्टु हो गए थे। चीनी लोगों ने जापान का आर्थिक वहिष्कार कर दिया था। इस आर्थिक वहिष्कार को दूर करने के लिए जापानी सरकार ने शंघाई अन्तर्राष्ट्रीय उपनिवेश में रहने वाले चीनियों को दण्डित करने का निश्चय किया। शंघाई की गणना संसार के सर्वश्रेष्ठ ५ बन्दरगाहों में की जाती है। इस नगर में १० लाख चीनी रहते हैं। चीन में व्यापार-न्यवसाय करने वाले १६ राष्ट्रों के विदेशी लोग मुख्यतः शंघाई में ही रहते हैं और उन्हीं के द्वारा संगठित एक सरकार के अधीन शंघाई का शासन है। जापान ने एक जहाजी बड़ा चीनियों को डराने के लिए भेजा, परन्तु चीनी डरे नहीं। तब जापानियों ने चीनियों पर वम फैके, परन्तु चीनियों ने बड़ी वीरता दिखाई और सम्मुख युद्ध में जापानी फौजों को हरा दिया। लाचार होकर जापान को चीन से सन्ति कर लेनी पड़ी। मई १९३२ में जापानी फौजों ने शंघाई से प्रस्थान कर दिया। अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार जापान को यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह युद्ध के उद्देश्य से शंघाई में अपनी फौजें लाकर रखें, और जापान २५००० सेना, ४० जंगी जहाज और २०० जंगी हवाई जहाज वहां ले आया था। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार का लोकसत् जापान के और भी अधिक विरुद्ध हो गया।

**जापान और रूस**—संसार के जनसत् की उपेक्षा कर जापान आक्रमण और दिग्विजय के मार्ग पर अग्रसर होता चला गया। वहां अब सैनिक नेताओं का ही शासन स्थापित होगया। मंचुरिया की विजय के बाद जापान को रूसी आक्रमण का भय

प्रतीत हुआ। जापानी नेताओं का विश्वास था कि जापान की सुरक्षा के लिए उन्हें अपने को रूसी भय से मुक्त कर लेना चाहिए। सन् १९३५ में जापान ने राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र दे दिया। जापान की राष्ट्रीय आय का आधे से अधिक भाग अब सैनिक कामों पर व्यय हो रहा था, इस से संसार को आशा थी कि सन् १९३६ में जापान अवश्य ही रूस पर आक्रमण कर देगा।

**चीन पर आक्रमण**—परन्तु जापानी फौजी नेता एक और ही बात की ताक में थे। मंचूरिया के चीन से छिन जाने के बाद 'चीन' में जापानियों के विरुद्ध तीव्र घृणा की भावना उत्पन्न हो गई थी और सम्पूर्ण चीन जापान से बदला लेने के लिए उत्तावला हो रहा था। सन् १९३७ में जब चीन अपने सम्पूर्ण आन्तरिक भेदभाव भूल कर जापान से लोहा लेने को तैयार हो गया, तो जापान ने स्वयं चीन पर आक्रमण कर दिया।

शुरू-शुरू में जापान का उद्देश्य सम्पूर्ण चीन पर आक्रमण करने का नहीं था। जापानी सरकार मंचूरिया तथा चीनी समुद्र के निकट के कुछ महत्वपूर्ण भाग ही लेना चाहती थी। परन्तु चांग-काई-शेक की अध्यक्षता में जब चीन ने जापान की किसी मांग को स्वीकार नहीं किया, तब जापान ने चीन सरकार के विरुद्ध ही युद्ध की घोषणा कर दी। जैसा कि चीन के अध्याय में कहा जा चुका है, संसार के बहुत से प्रमुख राष्ट्रों की सदानुभूति प्राप्त होने पर भी चीन जापान की उन्नत सैन्य शक्ति का मुकाबला आसानी से नहीं कर सका और चीन के अनेक महत्वपूर्ण नगर, पैरिंग, कैण्टन, हैंको, टिन्स्टन आदि, और बड़े-बड़े महत्वपूर्ण प्रान्त अब तक जापान के हाथ में आ चुके हैं। चीनी सरकार

अब पश्चिमीय चीन के एक छोटे-से नगर में स्थापित है। फिर भी चीनी लोग अभी तक हताश नहीं हुए और चांग-काई-शेक के नेतृत्व में वे वीरतापूर्वक जापानी आक्रमण का सामना कर रहे हैं।

**रूस से विग्रह और सन्धि**—सन् १९३८ में, जापान ने यह अनुभव किया कि मंचुरिया के सीमाप्रान्त पर, रूसी उक्साहट से विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही है। जापान ने अपनी ३,००,००० सेना रूसी आक्रमण को रोकने के लिए भेज दी। यद्यपि रूस और जापान में कभी खुल कर लड़ाई नहीं हुई, तथापि दोनों ओर से छोटे-मोटे आक्रमण होते ही रहे। विकट लड़ाई न होने पर भी दोनों राष्ट्रों की सेना बहुत अधिक संख्या में ट्रैन्स-साइबेरियन तथा मंचुकूओ सीमाप्रान्त पर पड़ी थी। रूस के इस कार्य के द्वारा चीन को बढ़ी सहायता पहुंच रही थी। क्योंकि चीनी युद्ध में जापान अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा सकता था। सितम्बर १९३८ में रूस और जापान में एक अस्थायी सन्धि हो गई, जिसके अनुसार दोनों देशों ने एक दूसरे पर धावे करने बन्द कर दिये हैं। अभी तक दोनों देशों में बातचीत जारी है।

वर्तमान महायुद्ध के दिनों में संसार के सभी राष्ट्रों का ध्यान अपनी-अपनी समस्याओं और सुरक्षा की ओर केन्द्रित हो गया है, इस से चीन और जापान का युद्ध अब बहुत अंशों तक स्थानीय दिलचस्पी की चीज रह गया है, यद्यपि उस का महत्व कम नहीं है।

## सातवां अध्याय वर्तमान महायुद्ध

रूस और जर्मनी में सन्धि—सन् १९३४ के प्रारम्भ से अंग्रेज राजनीतिज्ञ इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि इंग्लैण्ड और रूस में एक सन्धि स्थापित कर ली जाय। इंग्लैण्ड के कुछ प्रतिनिधि इस काम के लिए रूस में गए भी हुए थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, रूस के विरुद्ध जर्मनी, इटली और जापान ने एटो-कोमिएटरन पैक्ट के नाम से एक समझौता किया हुआ था। जर्मनी और इटली में रूसी सरकार को खुले आम और सरकारी तौर पर गालिया दी जानी थीं। इस परिस्थिति में अंग्रेज राजनीतज्ञों को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि जर्मनी के बढ़ते हुए खतरे से अपनी रक्षा करने के लिए रूस अवश्य ही इंग्लैण्ड का सहयोग चाहेगा।

परन्तु २५ अगस्त १९३६ को वर्लिन के ब्रौडकास्टिंग स्टेशन से सरकारी तौर पर यह घोषणा की गई कि जर्मनी और रूस के बीच दोस बर्षों के लिए एक घनिष्ठ आर्थिक तथा तटस्थली की सन्धि हो गई है। संसार इस समाचार की सत्यता पर विश्वास करने को तैयार नहीं था कि आगले ही दिन मार्को से भी उपर्युक्त समाचार की पुष्टि हो गई और संसार को इस आर्थिक सन्धि की शर्तें भी मालूम हो गईं। इस सन्धि की मुख्त शर्तें ये थीं— रूस और जर्मनी एक दूसरे से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखेंगे। दोनों देश एक दूसरे को ८० अरब रुपय तक का क्रेडिट देंगे। दोनों देश एक दूसरे को परिवर्तन में विभिन्न आवश्यकताओं का माल दिया करेंगे। अगर कोई देश जर्मनी या रूस पर आक्रमण करेगा, तो उस देश को किसी तरह की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता नहीं दी जायगी।

उक्त सन्धि सम्पूर्ण संसार को एक बहुत बड़े अचम्भे के समान प्रतीत हुई। उक्त सन्धि के साथ ही साथ दोनों देशों में कठिपय अन्य समझौते भी हुए थे, जिन का परिचय बाद में जाकर मिला। रूस और जर्मनी की उक्त सन्धि से संसार का राजनीतिक बातावरण बहुत ही विच्छुब्ध हो गया। सभी राष्ट्र समझ गए कि युद्ध अब सिर पर है।

**डैन्जिंग और कौरीडौर की समस्या**—जैसा कि प्रथम अध्याय में कहा जा चुका है, गत महायुद्ध के बाद डैन्जिंग को एक स्वतन्त्र नगर बना दिया गया था, परन्तु उसके बन्दरगाह पर पोलैण्ड का अधिकार रखता गया। पोलैण्ड के पास और कोई बन्दरगाह न होने से डैन्जिंग के बन्दरगाह पर उसका

अधिकार रखना ज़रूरी समझा गया था। डैन्ज़िग को पोलैण्ड से मिलाने के लिए २६० मील लम्बा और लगभग ८० मील चौड़ा एक भाग, जो गत महायुद्ध तक जर्मनी के पास था, पोलैण्ड को दे दिया गया था। यह भाग कौरीडोर (वरामदा) के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रदेश के छिन जाने से जर्मनी और पूर्वीय प्रशिया एक दूसरे से पृथक् हो गए। जर्मनी को यह बात बहुत खटकी कि पूर्वीय प्रशिया और जर्मनी के बीच का प्रदेश पोलैण्ड को क्यों दिया गया है। परन्तु मित्राराष्ट्रों ने यह कार्य यों हीं नहीं किया था। बात यह थी कि इस कौरीडोर में आधे से अधिक आबादी पोल लोगों की है। कम से कम गत महायुद्ध के बाद कौरीडोर में जो निर्वाचन हुए थे, उन में पोल प्रतिनिधियों को ही अधिक वोट मिले थे। डैन्ज़िग में जर्मन लोगों की बहुत बड़ी संख्या थी। वहां की ६० प्रतिशत आबादी जर्मन थी। इससे डैन्ज़िग नगर पोलैण्ड को नहीं दिया गया था, केवल बन्दरगाह और तटकर आदि जमा करने के अधिकार पोलैण्ड को दिए गए थे। जर्मनी से पूर्वी-प्रशिया को मिलाने के लिए जर्मनी को यह अधिकार दे दिया गया कि वह कौरीडोर पर कुछ रेलवे लाइन बना सकता है।

सितम्बर १९३८ मे हिटलर ने घोषणा की थी कि अब यूरोप में वह कोई और दावा पेश नहीं करेगा। सन् १९३४ मे हिटलर ने पोलैण्ड के साथ १० वर्षों के लिए एक सन्धि की थी। इस सन्धि के अनुसार जर्मनी को कौरीडोर पर २० सड़कें बनाने का अधिकार मिल गया। इस सन्धि से कम से कम १० वर्षों तक दोनों देशों में मित्रता के सम्बन्ध रहने की आशा थी।

यद्यपि डैनिजग में जर्मनों का बहुमन देख कर पोलैण्ड ने कौरीडोर के डीनिया नामक स्थान पर २ करोड़ पाउण्ड के व्यय से एक बहुत अच्छा नया बन्दरगाह तैयार कर लिया था, तथापि पोल लोगों को कभी इस बात की आशा नहीं थी कि हिटलर उनके साथ की हुई सन्धि को तोड़ने का प्रयत्न करेगा।

सन् १९३६ के प्रारम्भ में हिटलर ने पोलैण्ड से यह मांग की कि वह डैनिजग और कौरीडोर जर्मनी को वापस कर दे। मध्य यूरोप के अन्य देशों में रहने वाले जर्मनों की देखादेखी डैनिजग में एक जवरदस्त नाजी संगठन स्थापित हो गया था और कौरीडोर के जर्मन भी अपने पर होने वाले कथित अत्याचारों की पुकार मचाने लगे थे।

**इंग्लैण्ड और फ्रांस का आश्वासन—अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को विषम होता हुआ देख कर फ्रांस और इंग्लैण्ड की सरकारों ने विदेशी मामलों में एक ही नीति स्वीकार करने का निश्चय कर लिया। अब दोनों देशों ने घोषणा की कि पोलैण्ड को राष्ट्रसंघ से कौरीडोर दिलवाने का उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। यदि कोई राष्ट्र डैनिजग की स्वाधीनता अथवा कौरीडोर पर आक्रमण करेगा तो फ्रांस और इंग्लैण्ड उस राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देंगे। इंग्लैण्ड और फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों से आश्वासन पाकर पोलैण्ड का सांहस खूब चढ़ गया।**

अगस्त १९३६ के प्रारम्भ में हिटलर ने पोलैण्ड को नोटिस दिया कि वह बहुत शीघ्र डैनिजग और कौरीडोर का प्रान्त्र

जर्मनी के अधीन कर दे, अन्यथा जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर देगा। अगस्त मास के अन्त में नूरम्बर्ग में नाजी दल का वार्षिक चत्सव होना था। संसार को आशा थी कि उस दिन हिटलर पोलैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगा और उक्त घोषणा का अभिप्राय यह होगा कि फ्रांस और इंग्लैंड भी जर्मनी से युद्ध प्रारम्भ कर दें। उधर डैन्जिग से जर्मन जाति के नायकों स्वयंसेवक इतना उपरूप धारणा करते जा रहे थे कि नगर के आसपास तथा कौरीडोर के प्रान्त में जर्मन और पोल लोगों में प्रतिदिन लड़ाई-दंगा होने लगा था। शरिस्थिति दिन प्रति-दिन गम्भीर होती चली जा रही थी।

### चेम्बरलेन और हिटलर का पत्र-व्यवहार—

२० अगस्त १९३६ को इंग्लैंड के प्रधानमन्त्री मिठो चेम्बरलेन ने हिटलर के पास इस आशय का एक पत्र भेजा कि इंग्लैंड ने पोलैंड को जो वचन दे रखा है, उसे दृष्टि में रख कर हिटलर को चाहिए कि वह डैन्जिग और कौरीडोर की समस्या का समाधान अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर न करे, पारस्परिक समझौते से करने का प्रयत्न करे। इस के साथ ही चेम्बरलेन ने यह भी प्रस्ताव किया कि जब तक उक्त समस्याओं का निर्णय न हो जाय, जर्मन सैनिकों को धैर्य और शान्ति से काम लेना चाहिए। अन्यथा कलह की ये चिंगारियां भयंकर अग्रिकाएंड का रूप धारण कर सकती हैं।

२३ अगस्त को हिटलर ने चेम्बरलेन के उपर्युक्त पत्र का यह जवाब दिया, कि :—

१. जर्मनी को इंग्लैण्ड से कोई कलह नहीं है, वह तो इंग्लैण्ड के साथ मित्रता बना कर रखना चाहता है।

२. डैनिंग एक जर्मन नगर है और कौरीडोर जर्मन प्रान्त है। प्रत्येक दृष्टि से ये प्रदेश जर्मनी को बापस मिलने ही चाहिए।

३. उपर्युक्त उद्देश्य से जर्मनी पोलैण्ड के साथ बातचीत करने को भी तैयार था, परन्तु इंग्लैण्ड के आश्वासन से पोलैण्ड की मनोवृत्ति बदल गई है।

४. इंग्लैण्ड ने पोलैण्ड को बिना किसी शर्त के जो सहायता देने का वचन दिया है, उस से प्रोत्साहित होकर पोल लोग ही डैनिंग तथा कौरीडोर में अशान्ति का बीजारोपण कर रहे हैं।

५. इंग्लैण्ड की सरकार का चाहे जो भी निश्चय हो, जर्मनी डैनिंग तथा कौरीडोर के सम्बन्ध में अवश्य ही अपना कर्तव्य पालन करेगा। पोलैण्ड की सरकार जिस प्रकार डैनिंग की नाकेवन्दी कर वहाँ के जर्मन नागरिकों को तंग कर रही है, उसे जर्मन राष्ट्र कदापि सहन नहीं करेगा।

६. यदि इंग्लैण्ड और फ्रांस इस सम्बन्ध में अपना वही रुद्र रखेंगे, जिस की उन्होंने घोषणा की है, तो जर्मनी भी अपनी सैन्य-शक्ति को काम में लाने से नहीं चूकेगा।

७. मैं इंग्लैण्ड तथा जर्मनी की मैत्री के लिए उत्सुक हूँ, परन्तु मैं वसई की अन्यायपूर्ण सन्धि की किसी बात को सहन नहीं कर सकता।

२५ अगस्त १९३६ को हिटलर ने अंग्रेजी राजदूत मिंहैंडरसन के पास इस आशय का नोट भेजा कि जर्मनी संसार

में अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहता। अभी तक तो स्थिति यह है कि—

|                    |   |
|--------------------|---|
| अंग्रेजी साम्राज्य | ४ करोड़ वर्ग किलोमीटर भूमि पर व्याप्त है, |
| रूस के पास         | २ करोड़ ६० लाख वर्ग किलोमीटर भूमि है,     |
| अमेरिका के पास     | ६५ " " "                                  |
| जर्मनी के पास      | केवल ६ , " "                              |

हिटलर ने यह भी कहा कि पोलैण्ड के निवासी डैनिंग और कौरीडोर के जर्मनों पर अत्याचार कर रहे हैं। २४ अगस्त की रात को इस तरह के २१ आक्रमण जर्मनों पर किए जा चुके हैं और जर्मनी अब इस स्थिति को और अधिक सहन नहीं करेगा। मिठो चेस्ऱ्डलेन अभी तक जो रुद्ध ले रहे हैं, उस से इंग्लैण्ड और जर्मनी में १९१४ के महायुद्ध से भी बहुत अधिक भयंकर एक और युद्ध होने की सम्भावना है।

इसी नोट में हिटलर ने यह भी कहा कि जर्मनी अब भी इंग्लैण्ड से मित्रता के भाव रखना चाहता है। डैनिंग और कौरीडोर प्राप्त कर लेने के बाद, जर्मनी इंग्लैण्ड से मैत्री बनाए रख कर, उस की सहमति से, अपने उपनिवेश प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध वह कुछ भी नहीं करेगा। परन्तु इटली और रूस से भी वह मित्रता के सम्बन्ध बनाए रखेगा।

हिटलर के इस नोट के उत्तर में २८ अगस्त को इंग्लैण्ड की सरकार ने निम्न आशय का नोट जर्मनी में भेजा—

इंग्लैण्ड भी जर्मनी के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखना चाहता है। परन्तु यह अवश्यक है कि जर्मनी इंग्लैण्ड के पोलैण्ड के प्रति दिए गए वचन को दृष्टि में रख कर पोल सरकार

के साथ इन समस्याओं के सम्बन्ध में कोई फ़ैसला कर ले। इंग्लैण्ड इस तरह का निर्णय करवाने में सब तरह की सहायता देने को तैयार है।

उसके बाद के दो दिनों में लगभग ५, ६ बार उपर्युक्त आशय का पत्र-व्यवहार इंग्लैण्ड और जर्मनी में होता रहा और उधर डैनिज़ग तथा कौरीडोर में परिस्थिति अधिक-अधिक विषम होती चली गई।

उक्त पत्र-व्यवहार के परिणामस्वरूप ३१ अगस्त की दोपहर को हिटलर इस बात के लिए तैयार होंगा कि यदि डैनिज़ग जर्मनी को वापस दे दिया जाय, तो कौरीडोर के सम्बन्ध में जर्मनी प्लेबीसाइट करवाने को तैयार है। परन्तु पोलैण्ड के राज-दूत को हिटलर के उपर्युक्त निर्णय का अभी पता भी नहीं चला था कि कुछ ही घण्टों के बाद हिटलर ने यह घोषणा कर दी कि क्योंकि पोलैण्ड के प्रतिनिधि इस बीच से उस से मिलने नहीं आए, अतः वह अब उन से बातचीत करने को तैयार नहीं है।

**पोलैण्ड पर आक्रमण—१** सितम्बर को प्रातःकाल डैनिज़ग के नाज़ी नेता फ़ोस्टर ने यह घोषणा कर दी कि आज से डैनिज़ग जर्मनी का भाग बन गया है। और उक्त घोषणा के साथ ही साथ जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया।

पोलैण्ड को इस आक्रमण की सम्भावना काफ़ी समय से हो गई थी। पोल लोग तैयार भी थे, अतः दोनों से घोर युद्ध ग्राह्य हो गया। पहले ही दिन जर्मनी ने पोलैण्ड पर हवाई जहाजों से ६४ आक्रमण किए।

इंग्लैण्ड की चेतावनी—जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया है, यह जान कर अंग्रेजी सरकार ने जर्मनी को चेतावनी दी कि वह बहुत शीघ्र पोलैण्ड से अपनी सेनाएं बापस बुला ले और आक्रमण करना बन्द कर दे; अन्यथा इंग्लैण्ड पोलैण्ड के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण करने को बोधित हो जायगा।

उसी दिन फ्रांसीसी प्रधान मन्त्री द्लेदियर ने भी हिटलर के पास यह सन्देश भेजा कि यदि जर्मनी आक्रमण बन्द कर दे तो फ्रांस, जर्मनी और पोलैण्ड में परस्पर कोई निर्णय करवाने में सहायता देगा। और यदि जर्मनी यह आक्रमण बन्द न करेगा तो फ्रांस को भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करना पड़ेगा।

परन्तु हिटलर ने पूरे इरादे के साथ पोलैण्ड पर आक्रमण किया था। बड़े नाटकीय ढंग से उस ने डैन्जिग में प्रवेश किया। युद्ध प्रारम्भ करते ही उस ने घोषणा कर दी कि यदि मैं मारा जाऊं तो मेरा स्वान फ़ील्डमार्शल गोवर्हिंग ले जाएगा और वह भी मारा जाय तो हेज़ जर्मनी का डिक्टेटर बनेगा।

इंग्लैण्ड और फ्रांस की युद्ध घोषणा—जब देखा गया कि जर्मनी पर फ्रांस और इंग्लैण्ड की चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो २ सितम्बर को इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री मिठेम्बरलेन ने हिटलर के पास यह अन्तिम चेतावनी भेजी कि यदि द३ सितम्बर के प्रातःकाल ११ बजे तक जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण करना बन्द न कर दिया, तो इंग्लैण्ड जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देगा। फ्रांस ने भी ठीक यही चेतावनी जर्मनी को दी। परन्तु हिटलर ने इन चेतावनियों की कोई परवाह नहीं की और ३ सितम्बर के मध्याह्नपूर्व ११ बज कर १५ मिनट पर चेम्बरलेन

ने एलान कर दिया कि “जर्मनी ने हमारी चेतावनी पर भी पोलैंण्ड से अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा नहीं की। इस से इंग्लैण्ड और जर्मनी में युद्ध घोषित किया जाता है।” फ्रैंच प्रधानमन्त्री ने भी यही घोषणा की।

इंग्लैण्ड में युद्ध की तैयारियां पूर्णरूप से हो चुकी थीं, सम्पूर्ण नागरिकों को गैस मास्क दिए जा चुके थे, रात को वहां अन्धकार रखा जाता था। बमों के प्रहार से बचने के लिए बमप्रूफ स्थान बना दिए गए थे, युद्ध की घोषणा होते ही लैण्डन के बालकों को लैण्डन से बाहर भेज दिया गया।

४ सितम्बर को जर्मनी ने इंग्लैण्ड का एक बड़ा जहाज छुबो दिया। उधर फ्रांस ने भी जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। परन्तु जर्मनी का पूरा ध्यान असी पोलैंण्ड को जीतने की ओर था। पोलैंण्ड के नगरों पर जर्मनी लगातार बम, विषेशी गैसों तथा आग लगाने वाले अस्त्रों का प्रहार कर रहा था। इंग्लैण्ड और फ्रांस के लिए पोलैंण्ड को किसी तरह की सहायता पहुँचा सकना सम्भव ही नहीं था, क्योंकि डैनिज़ग पर तो जर्मनी का अधिकार हो ही चुका था। और बालिक समुद्र के मार्ग को जर्मनी ने बन्द कर दिया था। उधर खस एक और ही धुन मे था।

माजीनो और सीगफ्रीड लाइनें—इंग्लैण्ड की सेनाएं फ्रांस पहुंच गईं और फ्रांस तथा अंग्रेजी सेनाओं ने इस उद्देश्य से जर्मनी पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया कि इस कार्य द्वारा वे शायद पोलैंण्ड की यस्किर्चित् सहायता कर सकें। क्योंकि इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिये जर्मनी को अपनी काफ़ी सेना-अपने पश्चिमीय सीमाप्रान्त पर भी भेजनी पड़ेगी। परन्तु

जहां फ्रांस की पूर्वीय और जर्मनी की पश्चिमी सीमा आपस में मिलती है, वहां दोनों देशों ने जंबरदस्त किलेबन्दी कर रखी थी। इस स्थान को पश्चिमी मोर्चा (Western Front) कहा जाता है। जर्मन किलेबन्दी का नाम सीगफ्रीड लाइन था और फ्रैंच किलेबन्दी का नाम माजीनो लाइन। ये दोनों किले-बन्दियां अत्यन्त दृढ़ समझी जाती थीं। परन्तु बाद में माजीनो लाइन एकदम व्यर्थ सिद्ध हुई।

**रूस का पोलैण्ड पर आक्रमण**—१७ सितम्बर को संसार ने अत्यन्त आश्चर्य के साथ सुना कि रूस ने अपनी ४० लाख सेना को एकत्रित होने की आज्ञा दी है और अपनी सेना का काफी बड़ा भाग पोलैण्ड के सीमाप्रान्त की ओर रवाना कर दिया है। १८ सितम्बर को रूसी सेना आंधी के समान पोलैण्ड में प्रवेश कर गई। पोलैण्ड इस बात के लिए कदापि तैयार नहीं था। पोल सेना अब तक अत्यन्त वीरतापूर्वक वार्सा की रक्षा कर रही थी। पश्चिमी पोलैण्ड के अधिकांश भाग पर जर्मनी का अधिकार हो गया था। अब, जब पूर्व की ओर से रूसी सेना ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया तो ३ ही दिनों के भीतर वार्सा के अतिरिक्त, शेष सम्पूर्ण पोलैण्ड पर जर्मनी और रूस ने अधिकार कर लिया। पोल सरकार भाग गई। २८ सितम्बर १९३९ तक वार्सा का भी पतन हो गया।

**पोलैण्ड का विभाजन**—मालूम होता है कि पोलैण्ड पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में रूस और जर्मनी में पहले ही से कोई गुप्त समझौता हो चुका था। उस समझौते के अनुसार डैनिज़ा, सैलीशिया, कौरीडोर और वार्सा तक के पोलैण्ड पर

जर्मनी ने अपना अधिकार कर लिया और पश्चिमी यूक्रेन तथा अन्य प्रान्तों पर, जो प्रदेश गत महायुद्ध के बाद रूस से छीने गए थे, रूस ने अपना शासन स्थापित कर लिया। इस विजित प्रदेश में भी रूस ने बोल्शेविज्म और सोविएट शासन प्रयाती जारी कर दी।

पोलैण्ड की विजय के बाद लिटविया और अस्तोनिया के बाल्टिक राष्ट्रों में रहने वाले जर्मन स्वयमेव पोलैण्ड के जर्मनी हारा विजित प्रदेशों में आ बसे। मालूम होता है कि यह कार्य भी रूस ने अपनी रक्षा के लिए करवाया। और यह भी दोनों देशों की गुप्त सन्धि का एक भाग था। इस से बाल्टिक राष्ट्रों पर रूस का प्रभुत्व स्थापित होगया।

**रूस का फ़िनलैंड पर आक्रमण**—रूस ने बाल्टिक राष्ट्रों में अपनी स्थिति बहुत सुरक्षित बना ली थी। परन्तु उसे फ़िनलैण्ड की ओर से अब भी भय प्रतीत होता था। फ़िनलैण्ड के कुछ भाग लेनिनग्रेड के अत्यन्त निकट हैं, मुख्यतः इन्हीं भागों तथा बाल्टिक समुद्र के कुछ महत्वपूर्ण फीनिश उपहारों पर रूस अपना अधिकार करना चाहता था, परन्तु फीनिश सरकार इस सीमा-परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थी। एक लम्बे बाद-विवाद के बाद रूस ने १ दिसम्बर १९३९ को फ़िनलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। फ़िनलैण्ड में उन दिनों जो भयंकर सरदी पड़ रही थी, उस के कारण रूस फ़िनलैण्ड पर अपना अधिकार काफी समय (१ फरवरी १९४०) तक नहीं स्थापित कर सका। परन्तु ३८ लाख आबादी का छोटा-सा फ़िनलैण्ड रूस जैसे शक्तिशाली देश का मुकाबला कर सकेगा, ऐसी सम्भावना किसी को भी

नहीं थी। अन्त में वही हुआ, फ़िनलैण्ड रूस का मुकाबला न कर सका।

इंग्लैण्ड, फ्रांस और टर्की में सन्धि—१६ अक्टूबर १९३६ को इंग्लैण्ड, फ्रांस और टर्की में एक सन्धि स्थापित हुई, जिसे अंग्रेजी राजनीति की एक महान् विजय गिना जाता है। इस से पूर्व रूस टर्की से सन्धि स्थापित करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न कर रहा था। बाल्कन राष्ट्रों में अपनी महत्ता स्थापित करने तथा छुष्ण समुद्र की ओर से अपने को सुरक्षित करने के लिए रूस टर्की के साथ समझौता करना चाहता था। परन्तु रूस की बजाय टर्की ने मित्रराष्ट्रों की मित्रता को अधिक महत्व दिया। उक्त सन्धि की शर्तें ये थीं—यदि कोई राष्ट्र टर्की पर हमला करेगा तो फ्रांस और इंग्लैण्ड टर्की की सहायता करेंगे। यदि तीनों राष्ट्रों के मैडिटरेनियन समुद्र के किसी हित पर किसी राष्ट्र ने हमला किया, तो तीनों राष्ट्र एक दूसरे की सहायता करेंगे। बाल्कन राष्ट्रों के प्रति इंग्लैण्ड और फ्रांस के जो आश्वासन हैं, उन्हें निभाने में टर्की भी सहायता देगा। इस सन्धि का काल १५ वर्ष रखा गया।

इस तरह मैडिटरेनियन समुद्र की ओर मित्रराष्ट्रों ने अपनी स्थिति सुरक्षित बना ली।

सामुद्रिक युद्ध—शुरू शुरू में इंग्लैण्ड और जर्मनी में जो युद्ध हुआ, वह सामुद्रिक ही था। युद्ध से पहले जर्मनी ने पनडुब्बियां बनाने की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। जहाजों की दृष्टि से जर्मनी इंग्लैण्ड का मुकाबला कदापि नहीं कर सकता, परन्तु उसकी पनडुब्बियों ने मित्रराष्ट्रों के जहाजों, विशेष

कर इंग्लैण्ड के जहाजों, को छुवोने में आंशिक सफलता प्राप्त की। इंग्लैण्ड की जलसेना ने जर्मन पनडुब्बियों को खोज-खोज कर नष्ट करना शुरू किया और शीघ्र जर्मन पनडुब्बियों की मुसीबत से छुटकारा पा लिया। परन्तु नवम्बर १९३६ के अन्त में जर्मनी ने 'मैग्नेटिक माइन्ज' नाम की नई माइन्ज का प्रयोग शुरू किया, जो हवाई जहाज से समुद्र में डाली जाती हैं, और स्वयं ही आसपास से आने-जाने वाले जहाजों से जा टकराती हैं। इन माइन्ज के कारण जहां बहुत-से अंग्रेजी जहाज फूटे, वहां तटस्थ देशों के जहाजों को भी बहुत ज़हर पहुँची। इंग्लैण्ड ने बहुत शीघ्र इन माइन्ज को नष्ट करने का उपाय भी खोज निकाला।

**वर्तमान महायुद्ध की विशेष परिस्थितियां—वायु युद्ध की महत्ता बढ़ जाने के निम्नलिखित प्रभाव हुए हैं—**

१. “समुद्र में बहुत थोड़े द्वीप वाकी हैं”—

युद्ध प्रारम्भ होने पर हिटलर ने बड़े सन्तोष के साथ घोषणा की थी कि अब समुद्र में बहुत कम द्वीप वाकी हैं। उस का अभिप्राय यही था कि वायुयुद्ध में अब द्वीपों को भी उतना ही खतरा है, जितना यूरोपियन महाद्वीप के विभिन्न राष्ट्रों को। पिछले महायुद्ध तक इंग्लैण्ड की परिस्थिति चारों ओर के समुद्र के कारण बहुत सुरक्षित थी। विशेषतः इस कारण कि इंग्लैण्ड की सामुद्रिक शक्ति बहुत उत्तम है। परन्तु अब वह बात नहीं रही। अब हवाई जहाजों के द्वारा इंग्लैण्ड से जर्मनी और जर्मनी से इंग्लैण्ड बहुत आसानी से तथा शीघ्र पहुँचा जा सकता है।

२. “संख्या की महत्ता कम हो गई है”—उपर्युक्त परिस्थिति का एक सीधा प्रभाव यह हुआ है कि सैनिक शक्ति की

संख्या की महत्ता पहले की अपेक्षा कम होगई है। अब नवीन शस्त्राखों से सुसज्जित, और आधुनिक युद्ध विद्या में प्रवीण थोड़े से सैनिक बड़ी-बड़ी सेनाओं के दांत खट्टू कर सकते हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि दोनों ओर के सैनिकों की योग्यता, तथा शस्त्राखों की समानता होने पर अधिक संख्या वाले राष्ट्र के विजयी होने की ही सम्भावना है। यही कारण है कि यह युद्ध बहुत महंगा, सिल्ह द्वारा रहा है। इंग्लैण्ड वर्तमान महायुद्ध पर प्रति दिन १५ करोड़ रुपया व्यय कर रहा है।

**३. प्रचार का महत्व—मुख्यतः** रेडियो के कारण इस महायुद्ध में नवीनतम घटनाओं के समाचार सम्पूर्ण संसार को कुछ ही घण्टों में ज्ञात हो जाते हैं, इस से प्रचार (प्रोफेंएडा) की महत्ता अब बहुत अधिक हो गई है। जर्मनी में डा० गौवेल्स जैसा महत्वपूर्ण और उपजाऊ दिसाग का नाजी नेता 'प्रचार' का अध्यक्ष है और इंग्लैण्ड का प्रचार विभाग भी पूर्णरूप से संगठित किया जा चुका है।

**विशाल रूस—** फ़िल्मलैण्ड के पराजित हो जाने के बाद बाल्टिक समुद्र के निकट वे छोटे-छोटे राज्यों (एस्टोनिया, लिट्विया और लिथुआनिया) ने स्वेच्छापूर्वक यह निश्चय किया कि वे रूसी सोविएट रिपब्लिक (यू० एस० एस० आर०) के आन्तरिक अंग बन जायें। रूस ने इस बात को स्वीकार कर लिया और मार्च १९४० में ये तीनों राष्ट्र रूस में सम्मिलित कर लिए गए। इस तरह विशाल रूस की जन-संख्या १६ करोड़ १० लाख से भी ऊपर जा पहुँची। आर्थिक दृष्टि से रूस को बहुत लाभ हुआ।

वारें और डैमार्ह एवं बोकारह—संख. १९४० की बंस्त के आलादे के साथ-साथ गदानुद्देश में देखी जाती है। ८ अगस्त १९४० की प्रातःकाल संसार ने अस्तक्षण आपराह्य के साथ मुनाँ कि अर्जन देलाओं ने सूखोंदेश से भूमि ही डैमार्ह और तारें के एक चौड़े बाब बोकारह का आविष्ट संकलित कर दिया है। डैमार्ह में अर्जन देलाओं का प्रतिरोध करने का उद्देश ही नहीं किया गया। डैमिता सरकार ने चुपचाह आल-जामानेक बार दिया; परन्तु नहीं दें, वहां तक कि सहा, अर्जनों का दुष्करण करने का प्रबन्ध किया। अर्जन देलाओं के दूसरे देलानिवो का ऐसा बारह कर वार्ड के सुनूर-कमरणाहों तक या पहुंचे हो चौड़े बाब बोकारह अर्जनों की गदा से छोड़ दुख साक्षी पहुंचाई जा रही ही। इंडिपेंडेंस बी. बी. नहीं को साक्षाता देने का निर्णय दिया। बोकारह-नर्सिंह बूद्ध-गढ़-पर-जा बदली। दुख-दुख में उसे दुख बोकारह यी दियी; अंगूष्ठी देता को वारों में अवंकर कहों का साक्षा करना गहरा। २ अगस्त १९४० को फ्रेंच अधिकारी शिंदे-पेन्जालेज ने अंगूष्ठी देता के अविवाह यात्रा को वारों दे दारपत्र दुखने की बोकारह बार दी।

इन्हीं बोकारह की शिंदे-पर्सिल—ज्ञाने की इच्छा सद्व्यवहार से दूरी-दूरी चुकू बोकारही देता रहे और शिंदे-पेन्जालेज ने अविवाह नर्सिंह से त्यागाद दे दिया। उनके स्वाम पर शिंदे-पर्सिल बूद्ध-बूद्धी दिया हुआ; शिंदे-पर्सिल बोकारह साइन, अमरादिला ज्ञाने को देते हुए अपनी दुखना; जो शिंदे-पर्सिल बोकारह से दूरी-दूरी चुकू रहे, जो शिंदे-पर्सिल बोकारह से दूरी-दूरी चुकू रहे। शिंदे-पर्सिल बोकारह बोकारह से दूरी-दूरी चुकू रहे।

के वह शुरू ही से घोर विरोधी थे। इंग्लैण्ड की जनता ने अनुभव किया कि युद्ध के दिनों में चर्चिल जैसे साहसी नेता की आवश्यकता है।

नवें की पदार्जय के बाद अंग्रेजी जनता को वर्तमान महायुद्ध की गम्भीरता का पूर्ण अनुभव हुआ। शत्रु इतना प्रबल होगा, इस का अनुमान तब तक किसी को नहीं था। इंग्लैण्ड की रक्षा का गम्भीर प्रयत्न अब जाकर पूर्ण वेग से शुरू हुआ।

**हालैरेड पर आक्रमण**—१० मई १९४० की प्रातःकाल ३ बजे जर्मनी की सेनाएं, लाखों की संख्या में हालैरेड, बेल्जियम और लैक्समर्क के सीमाप्रान्त को पार कर गईं। जर्मनी ने इस युद्ध में नई नीति का अनुसरण किया। इस युद्ध नीति को “विद्युत-आक्रमण” (ब्लिट्ज क्रीग) (Blitz Crieg) कहा जाता है। विद्युत-आक्रमण में आक्रमण की प्रचण्डता और तेजी का महत्व बहुत अधिक है। इस के सन्मुख शत्रु, अभी परिस्थिति को समझ भी नहीं पाता कि, हार जाता है। इस नवीन युद्ध नीति में सम्पूर्ण सेना मोटरों पर सवार रहती है। पैदल या धूड़सवारों की यहाँ कोई कदर नहीं। हवाई जहाज, पैराशूटिस्ट (छतरी की सहायता से हवाई जहाजों से नीचे उतरने वाले सैनिक), टैक और मोटरों पर सवार दस्तों (Motorized Divisions) की सहायता से यह युद्ध लड़ा जाता है।

हालैरेड के निवासी सचमुच बहुत वीर हैं। परन्तु वे इस नवीन युद्ध-नीति का मुकाबला करने में असमर्थ थे। ५ दिनों में लाखों डच सैनिकों का विलिदान देकर हालैरेड की सरकार ने आत्म-समर्पण कर दिया।

वेलिजयम का पतन—इंग्लैण्ड की पराजय के बाद फ्रांसीसी और अंग्रेज सेनाओं की सहायता से वेलिजयन सेनाओं ने जर्मनी का छठ कर मुकाबला किया। मौस, वज और जैप नामक स्थानों पर मित्र-राष्ट्रों की सेनाओं ने जर्मन सेनाओं के वेगवान प्रवाह को रोकने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु जर्मनी की नई युद्ध-नीति के समुख उनका बस नहीं चला। २८ मई १९४० को वेलिजयन राजा ने अपने मन्त्रिमण्डल से सलाह लिये विना आत्मसमर्पण कर दिया। उक्त युद्धों में लाखों वेलिजयन सैनिक मारे गए। युद्ध की भयंकरता इतनी अधिक थी कि तोपों का गर्जन सुदूर इंग्लैण्ड तक सुनाई देता था।

डन्कर्क की घटना—वेलिजयन राजा के इस आत्म-समर्पण का सब से अधिक हानिकर प्रभाव मित्रराष्ट्रों की सेना पर पड़ा। जर्मनी ने अपनी नई युद्ध-नीति से फ्रांस के भी कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। इस से मित्रराष्ट्रों की सेनाएं चारों ओर से शत्रु-सेनाओं से घिर गईं। मित्र राष्ट्रों ( इंग्लैण्ड और उपनिवेशों ) के करीब ४ लाख सैनिक डन्कर्क नामक बन्दरगाह में एकत्र हो गए। इसे चारों ओर से शत्रुओं ने घेरा हुआ था।

डन्कर्क की सेनाओं की रक्षा का सब से बड़ा श्रेय केले के उन ३००० अंग्रेज और १००० फ्रांसीसी सैनिकों को है, जिन्होंने पूरे ४ दिनों तक लाखों जर्मन सैनिकों को सफलतापूर्वक रोके रखा। ४ दिन के बाद जब इन ४ हजार सैनिकों में से केवल ३० सैनिक अवश्यत रूप में बाकी बच रहे, कैले का पर्तन हो पाया।

इन ४ दिनों में- २००, अंग्रेजी जहाज दिन-रात मेहनत करके मित्रराष्ट्रों के ३ लाख सैनिकों को इंग्लैण्ड ले आए। जर्मनी

की वायु सेना के हजारों जहाजों ने अंग्रेजी सेना को ले जाने वाले सामुद्रिक जहाजों पर भरसक हमले किये, परन्तु सेना का अधिकांश भाग सही सलामत इंग्लैण्ड पहुँच गया। इंग्लैण्ड की नौ-सेना का यह एक आश्चर्यजनक करिश्मा था।

**फ्रांस पर आक्रमण**—डन्कर्क की घटना के साथ ही साथ जर्मनी की करीब ३० लाख सेना ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर आक्रमण कर दिया था। जून १९४० के पहले सप्ताहों में ( ५ जून से ) फ्रांस को एक ऐसे प्रचरण महायुद्ध का सामना करना पड़ा, जैसा 'युद्ध संसार के' इतिहास में तब तक और कहीं नहीं हुआ था। जर्मनी ने जो बहुत बड़े-बड़े हजारों टैंक बना रखे थे, वे इस युद्ध में 'काम आए। ये टैंक नाना प्रकार के थे। इन विशालकाय और अद्युपूर्व टैंकों की गति को फ्रांसीसी सेनाएं किसी प्रकार रोक नहीं सकीं। ८ जून १९४० को ब्रैस्टी से लेकर ओइस तक के ६० मील के युद्धस्थल में ६००० हवाई जहाज, ४००० विशालकाय टैंक और ५०,००० मोटराइज्ड जर्मन सेनाएं भाग ले रहीं थीं। इन सेनाओं की गति प्रचरण बाढ़ के समान थी।

'इटली' का युद्ध में प्रवेश—जब यह स्पष्ट 'दिखाई देने लगा कि अब फ्रांस की विजय के 'कोई आसार नहीं हैं, तब १० जून १९४० को इटली ने भी भित्रराष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध के लिए इटली 'कोई लचर-सा बहाना' तक भी तालाश नहीं कर सका। फ्रांस अपने उत्तरीय मोर्चे पर जर्मनी का सुकाबला कर रहा था, अब उसके पूर्व-दक्षिणी ओर से इटली ने भी उस पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के सम्बन्ध

मेरा राष्ट्रपति रूज़वैल्ट ने कहा था—“इटली का छुरे वाला हाथ आखिर अपने पढ़ौसी की पीठ पर ही पड़ा !”

पेरिस का पतन—फ्रांसीसी सेनापति जनरल वेगां ने १३ जून १९४० के दिन पेरिस को “खुला शहर” घोषित कर दिया। फ्रैंच सरकार तब तक ‘विशी’ चली गई थी। पेरिस इस समय तक चारों ओर से शत्रु सेनाओं से घिर गया था। फ्रैंच लोग पेरिस से इतना प्यार करते हैं, जितना संसार का कोई अन्य राष्ट्र अपनी राजधानी से नहीं करता। इस कारण फ्रांसीसी जनता पेरिस का विनाश सहन नहीं कर सकी। १४ जून की प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही जर्मन सेनाओं ने पेरिस पर अधिकार कर लिया। पेरिस में जरा भी रक्तपात नहीं हुआ।

फ्रांस का आत्म-समर्पण—उक्त घटना के ३ ही दिन बाद फ्रांस की तत्कालीन सरकार का पतन हो गया और नई सरकार के प्रधान मार्शल पेतां ने १७ जून १९४० को हिटलर के पास यह सन्देश भेज दिया कि वह सन्धि की शर्तें बताए। परिणाम स्वरूप केवल दो सप्ताह के युद्ध के बाद फ्रांस ने ‘आत्म-समर्पण’ कर दिया। फ्रांस जैसे बड़े और शक्तिशाली देश की १४ दिनों के युद्ध में ही पराजय हो जाना ‘बिल्ट्ज़ क्रीग’ नीति की महान् विजय थी। संसार के इतिहास में यह घटना तब तक अकल्पनीय मानी जाती थी।

‘सन्धि की शर्तों के अनुसार २० लाख फ्रांसीसी सैनिक जर्मनी ने कैद कर लिए और उन्हें खिलाने-पिलाने का ज़िम्मा फ्रांस पर रखा गया। फ्रांस के जितने भाग (लगभग आधा फ्रांस) पर जर्मनी ने अधिकार कर लिया था, वह भाग वर्तमान महायुद्ध

की समाप्ति तक जर्मनी के पास ही रहने का निश्चय हुआ। फ्रांस की सम्पूर्ण युद्ध सामग्री जर्मनी ने जम कर ली। फ्रांसीसी बड़े के एक बड़े भाग को जर्मनी ने नज़रबन्द कर लिया। कुछ प्रदेश इटली को भी देने पड़े। इस पर भी फ्रैंच लोगों ने समझा कि हम सस्ते छूटे। हजारों फ्रांसीसी जनरल डी० गाल की अध्यक्षता में जर्मनी सं लड़ाई जारी रखने के लिए इंग्लैण्ड चले गए।

फ्रांस के आत्म समर्पण ने कुछ समय के लिए संसार भर को भयपूर्ण आश्र्य में डाल दिया। यह घटना सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हिटलर अब अपने उत्थान की चरम सीमा पर पहुँच गया था। उसने इंग्लैण्ड को इकमण्ड की धमकी दी। परन्तु इंग्लैण्ड ने इस धमकी की कोई परवाह नहीं की। हिटलर की सेनाएं तो अब विजय की लूट बांटने, विजित यूरोप को संभालने और टैकों आदि की मरम्मत के काम में लगी। इधर इंग्लैण्ड ने 'अपने' को पूर्णतः सुरक्षित बनाने का प्रयत्न शुरू किया।

**भूमध्य सागर का युद्ध**—फ्रांस की पराजय तथा इटली के युद्ध में सम्मिलित हो जाने से युद्ध 'जेव अब पश्चिमी मोर्चे' से हट कर भूमध्य सागर में जा पहुँचा। भूमध्य सागर के प्रायः सभी महत्वपूर्ण जहाज़ी अड़े अंग्रेजों के पास हैं। अंग्रेजों की सामुद्रिक महत्त्व स्थिर रखने के लिए इन अड़ों का महत्व बहुत अधिक है। यही भूमध्य सागर अब इंग्लैण्ड के लिए अपेक्षाकृत असुरक्षित बन गया। कारण यह कि इटली और उसके टापू भूमध्य सागर में अब शत्रु प्रदेश बन गए। फ्रांस के पतन के बाद मारेको में इंग्लैण्ड की सेनाओं का प्रवेश सम्भव

नहीं रहा। अब अप्रीका में एकीमीनिया और लोडिंग के इंट्रेजिन उपनिवेश भूमध्य सागर के दिये भी लाते का कारब्ब बन गए। अतः भूमध्य सागर अब महामुद्रा का एक बहुत गहरा-पूर्ण फैल्ड बन गया।

**सरठन पर हवाई आक्रमण—भगवत् १६४० से सरठन पर मुकाबला:** और समूचे इंग्लैण्ड पर साथसाथूः जर्मन हवाई बेटा “तुफ्त वाक़” ज़ेर-रोर से आक्रमण करने रहा। इन आक्रमणों की भीषणता क्रमशः चढ़ती रही। डिल्टर में वे हवाई बहुत ही अच्छा कर रहे। डिल्टर का उचाव या कि कृष्ण द्वारा द्वैत समर्पण कर देगा। फल्टु खेजोंकी दुजा। सरठन भर को आग लगा देने का ग्रन्ति करेके, यह दुजा। सरठन तथा अन्य ग्रन्ति अंग्रेजी नवसेनी-प्राप्तः सभी महावृद्ध इमारतों पर हवाई टन कम गिराय गए। फल्टु, अंग्रेजों के हौसों तक भी नहीं दौड़े। अस्य अस्य के साथ ये तीन हमलों का मुकाबला करते रहे। नवम्बर १६४० के दूसरे दिन दूसरे अंग्रेजों हवाई अड्डों से हात लेकर जर्मन तुफ्त वाक़ को अपने इस अन्वालुन्च हवाई हमले की अपेक्षा बहुमात्र में जारी। सरठन पर हवाई हमलों की प्रवरठणा कम हो गई।

३. एक सौ वर्ष में भारी हवाई बेटा ( आर० ४० यक० ) , यही लौटोंगा से चलनीकरी बहा रहा था। इंग्लैण्ड ने अपेक्षित अंग्रेजों-के-डो चारों दे रखते थे; अंग्रेजों-को लाव लाउने वालों-के-डो चारों दे रखते थे; अंग्रेजों-के-डो चारों नवाक्स लाव लाउने वालों-के-डो चारों दे रखते थे; अंग्रेजों-के-डो चारों नवाक्स लाव लाउने वालों-के-डो चारों दे रखते थे।

**अफ्रीका का युद्ध**—सन् १६४० की सरदियों में युद्ध का मुख्य केन्द्र इंग्लैण्ड से हटकर अफ्रीका में जा पहुँचा। अगस्त १६४० में अंग्रेजों ने सुमालीलैण्ड खाली कर दिया था। परन्तु नवम्बर १६४० में जनरल वेवल के सेनापतित्व में अंग्रेजी, अस्ट्रेलियन, भारतीय और दक्षिण अफ्रीकन सेनाओं ने लीबिया पर ऐसा जबरदस्त आक्रमण किया कि वहां से इंटैलियनों को खदेह कर बाहर कर दिया। उधर मिश्र को केन्द्र बना कर इटली के एबीसीनियन साम्राज्य पर भी आक्रमण किया गया। क्रमशः इटली की पराजय होती गई और जून १६४१ तक व्यावहारिक रूप में सम्पूर्ण एबीसीनिया का इंटैलियन साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। इटली के अनेक जनरल और वायसराय तथा लाखों सैनिक और अफसर गिरफ्तार कर लिए गए। इटली ने अफ्रीका के युद्ध में जर्मनी से सहायता सांगी। हजारों जर्मन अफ्रीका जा पहुँचे। परन्तु जर्मन सेनाओं की सहायता से भी अफ्रीका के युद्धों में इटली की विजय बहुत कम हुई। हां, बैनगाजी और लीबिया के कुछ भाग पर उनका अधिकार पुनः स्थापित हो गया। इन प्रदेशों में आज भी युद्ध जारी है।

**अमेरिका और वर्तमान महायुद्ध**—नवम्बर १६४० में अमेरिकन राष्ट्रपति का नया निर्वाचन होना था। राष्ट्रपति रूज़वैल्ट वर्तमान महायुद्ध को अमेरिका का महायुद्ध समझते थे। महायुद्ध की सम्पूर्ण घटनाओं और परिस्थितियों का अध्ययन कर वह इस परिणाम पर पहुँचे थे कि वर्तमान महायुद्ध वास्तव में सिद्धान्तों का महायुद्ध है। एक और प्रजातन्त्रवाद है और दूसरी ओर डिक्टेटरशिप। यूरोप के इस महायुद्ध में यदि नाल्सीइज़म की विजय हो गई

तो संसार भर मे कहीं भी प्रजातन्त्र नहीं रहेगा। इससे उनका कहना था कि, इंग्लैण्ड अमेरिका की लड़ाई लड़ रहा है और अमेरिका का यह कर्तव्य है कि वह इंग्लैण्ड की भरसक सहायता करे।

इसी विचार को अमेरिकन राष्ट्र का लोकप्रिय विचार बनाने की इच्छा से रुज़बैल्ट तीसरी बार राष्ट्रपतित्व के लिये उम्मीदवार खड़े हुए। अमेरिका के इतिहास में आज तक कोई व्यक्ति, यहां तक कि अमेरिकन स्वाधीनता के पिता जार्ज वाशिंगटन भी, तीन बार राष्ट्रपति नहीं बने थे। दूसरी ओर अमेरिका मे ऐसे 'लोगों की' कमी भी नहीं थी जो अमेरिका को युद्ध से एकदम पृथक् रखना चाहते थे। रिपब्लिकन दल ने मिठ विएडल विल्की को अपना उम्मीदवार खड़ा किया। अमेरिकन जनता ने इस चुनाव मे बड़ी दिलचस्पी ली। चुनाव मे मिठ रुज़बैल्ट ही विजयी हुए।

इस निर्वाचन से अमेरिका की नीति स्पष्ट हो गई। राष्ट्रपति रुज़बैल्ट का कहना था कि हम इंग्लैण्ड की पूरी सहायता करेंगे। सीधे युद्ध मे भाग लेने की बात छोड़ कर वह सभी कुछ करने को तैयार थे। निर्वाचन के कुछ समय बाद मिठ विल्की स्वयं इंग्लैण्ड की दशाओं का आध्ययन करने गए। इंग्लैण्ड मे पहुँच कर उनकी आंखे खुल गईं। वह मानो रुज़बैल्ट से भी बढ़ कर इस महायुद्ध मे इंग्लैण्ड की सहायता करने को उतारू हो गए। मिठ विल्की पर इतना प्रभाव डालना अंग्रेजी जनता का एक अत्यन्त गौरवपूर्ण कार्य था।

उधार और पट्टे का कानून—अमेरिका की सरकार अब जीजान से इंग्लैण्ड के लिए युद्ध का सामान तैयार करने मे जुट

गई। इंग्लैण्ड यथेष्ट सामान पैसा देकर नहीं खरीद सकता था, इस कारण 'नकद खरीद कानून' को बदल, कर इंग्लैण्ड तथा मित्रांशूओं को यथेष्ट माल उधार और पट्टे पर देने का कानून बना दिया गया। अरबों रूपयों की युद्ध सामग्री अमेरिका ने इंग्लैण्ड को दी।

**एटलांटिक महासमुद्र का युद्ध**—जब अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध सामग्री, शख्स और हवाई जहाज इंग्लैण्ड को देने लगा 'तो जर्मनी को इस बात की चिन्ता होना स्वभाविक ही था। मार्च १९४१ में हिटलर ने एटलांटिक महासमुद्र के युद्ध की घोषणा की और वहाँ बहुत बड़ी संख्या में यू० बोट (पन-डुब्लिंबर्यां) इस डरादे से भेज दिए कि वे इंग्लैण्ड को माल पहुँचाने वाले जहाजों को छुबो दें। एमिल और मर्ड १९४१ में करीब १२ लाख टन के जहाज जर्मनी ने छुबो दिये। यह सख्त्या बहुत चिन्ता-जनक थी। इस से मई १९४१ में अमेरिकन राष्ट्रपति रूज़वैल्ट ने यह घोषणा कर दी कि भविष्य में अमेरिका इंग्लैण्ड को माल ले जाने तथा पहुँचाने में भी यथेष्ट सहायता देगा। तदनुसार जुलाई १९४१ के प्रारम्भ में अमेरिका की एक बड़ी सेना ने आइसलैण्ड में अपनी छावनी बना ली।

यह कहा जा सकता है कि अब अमेरिका पूर्णरूप से इंग्लैण्ड के साथ है और नाजी जर्मनी का शत्रु है।

**यूगोस्लाविया और ग्रीस पर आक्रमण**—सन् १९४१ की बसन्त के आगमन के साथ-साथ जर्मन सेनाओं को पुनः कुछ करके दिखाने की धुन सवार हुई। इटली ने बहुत समय से ग्रीस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की हुई थी, परन्तु ग्रीस को हराने की बजाय वह स्वयं अपने ऐल्बानियन प्रदेश के कुछ भाग से हाथ धो

बैठा था। इस बीच मे जर्मन राजनीति के प्रभाव से क्रमशः द बालकन राष्ट्रों, हंगरी, रूमानिया और बल्गेरिया ने जर्मनी के सन्मुख आत्म समर्पण कर दिया था। केवल यूगोस्लाविया और ग्रीस ने जर्मनी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। एप्रिल १९४१ के प्रारम्भ मे जर्मनी ने इन देशों पर एक साथ आक्रमण कर दिया। इंग्लैण्ड ने इन देशों की सहायता करने का निश्चय किया, परन्तु अंग्रेजी सेनाओं के ग्रीस तक पहुँचने से पहले ही यूगोस्लाविया की पराजय हो गई और लगभग दो सप्ताह की अत्यन्त वीरतापूर्ण लड़ाई के बाद ग्रीस को भी पराजय स्वीकार कर लेनी पड़ी। ये दानों देश जर्मनी की भयकर शक्ति का मुकाबला नहीं कर सके। भूमध्य सागर मे अंग्रेजी प्रभुत्व को इस पराजय से भारी झंति पहुँची। परन्तु यूगोस्लाविया और ग्रीस की वीरता से जर्मनी का भी कम नुकसान नहीं हुआ।

**क्रीट पर आक्रमण—भूमध्य सागर मे यूनानी टापू क्रीट की सैनिक महत्ता बहुत अधिक है। ग्रीक सरकार अब इसी टापू पर आ गई थी। जून १९४१ मे जर्मनी ने अपनी पैराशूटिस्ट सेना की सहायता से इस टापू पर आक्रमण कर दिया। हजारों जर्मन सैनिक हवाई जहाजों की मदद से क्रीट मे जा उतरे। अंग्रेजी और यूनानी सेनाओं ने जर्मन सेनाओं का जमकर मुकाबला किया, परन्तु १२ दिनों के घमासान युद्ध के बाद क्रीट जर्मनी के हाथों से चला गया। अंग्रेजी और यूनानी सेनाएं वहां से चली आईं।**

**ईराक सीरिया पर अंग्रेजी प्रभुत्व—**इस बीच मे जर्मनी के उत्साह देने पर ईराक मे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रयत्न

किया गया था, जिसे अंग्रेजी सेनाओं ने देवा दिया। कीट पर जर्मनी का प्रभुत्व स्थापित हो जाने के बाद सभी राजनीतिज्ञों का विचार था कि अब साइप्रेस पर अपना अधिकार करने के लिए जर्मन सेनाएं सीरिया पर आक्रमण करेंगी। सैनिक दृष्टि से इस फ्रांसीसी उपनिवेश की महत्त्वा बहुत अधिक है। विशी की कमज़ोर सरकार सीरिया पर जर्मनी का प्रभुत्व स्थापित हो जाने के मार्ग में कोई वाधा देगी, ऐसी सम्भावना किसी को नहीं थी। इस कारण जून १९४१ के प्रारम्भ में अंग्रेजी तथा भारतीय सेनाओं ने स्वाधीन फ्रांसीसी सेनाओं के साथ सीरिया पर आक्रमण कर दिया। १२ जुलाई १९४१ को सीरियन सरकार ने शब्द डाल दिए और सीरिया पर मित्रराष्ट्रों का प्रभुत्व स्थापित हो गया।

**रूसी-जर्मन युद्ध**—२२ जून १९४१ की प्रातःकाल सम्पूर्ण संसार ने अत्यन्त आश्चर्य के साथ सुना कि जर्मनी ने अपने शक्ति-शाली पड़ोसी रूस पर आक्रमण कर दिया है। वर्तमान महायुद्ध से कुछ ही दिन पहले ( २६ अगस्त १९३६ ) जिस प्रकार अत्यन्त नाटकीय ढंग से इन दोनों में अत्यन्त विरोधी आदर्शों के शक्तिशाली राष्ट्रों में परस्पर मित्रतापूर्ण सन्धि हुई थी, उससे भी अधिक नाटकीय ढंग से २२ जून १९४१ की प्रातःकाल जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। एक विचारक का कथन है कि रूसी-जर्मन सन्धि से इस महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ था और रूसी-जर्मन विघ्न से इस युद्ध का अन्त होगा। भविष्य ही बताएगा कि यह कथन कहाँ तक ठीक है।

रूस एक अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्र है। उसकी आवादी १६ करोड़ से ऊपर है और जेनरल इतना बड़ा है कि रूस के एक

छोर से दूसरे तक पहुँचने में एक तेज एक्सप्रेस गाड़ी पर एक सप्ताह का समय लगता है। रूस के पास भौतिक साधन तथा खनिज सम्पत्ति भी बहुत अधिक है। जर्मनी की देशादेखी रूस ने अपने को सैनिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली बना रखा है। आज तक कोई भी राष्ट्र या कोई भी विदेशी विजेता रूस पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सका।

जर्मनी ने करीब १८०० भौल लम्बे भू-भाग से रूस पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में ल्यानिया, फिल्लैंड और हूंगरी की सेनाएं भी जर्मनी का साथ दे रही हैं। पहले दो सप्ताहों में जर्मन सेनाएं अवश्य ही कुछ अंश तक रूसी सेनाओं को पीछे धकेल सकीं, परन्तु बाद में उनकी रक्खार बहुत कम हो गई। यह युद्ध प्रारम्भ होते ही इंग्लैण्ड और अमेरिका ने रूस को पूरी सहायता देने का वचन दिया। रूसी लोग बड़ी वीरता और सफलता पूर्वक जर्मन सेनाओं का मुकाबला कर रहे हैं। रूस और इंग्लैण्ड में परस्पर एक दूसरे को पूरी सहायता देने की एक सन्धि १३ जुलाई १९४१ को हुई।

स्टालिन ने इस युद्ध में एक नई नीति का प्रारम्भ किया है, इसे 'भरभूमि की नीति' ( Scorched earth policy ) कहा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि पीछे हटते हुए रूसी सेनाएं और रूसी जनता अपना सभी कुछ नष्ट कर देती हैं। ऐसी एक भी चीज या खाद्यपदार्थ बाकी नहीं रहने देते जो शत्रु के काम आ सके। जर्मन सेनाओं के मार्ग में इस नीति से भारी वाधा आती है।

युद्ध के ४० दिनों में जर्मनी को बहुत कम सफलता है। रूसी और जर्मन हाई कमांडो की विज्ञापियों से प्रतीक्षा

कि १८०० मील लम्बे इस भव्यंकर महायुद्ध में दोनों ओर के लालों सैनिक इस समय तक हताहत हो चुके हैं। इनकी संख्या ३० लाख से ऊपर पहुँच गई है। रूसी सेनाओं की हिम्मत अभी जरा भी नहीं दूटी। वे लोग अब संगठित होकर आक्रमण करने का इरादा कर रहे हैं। वर्तमान महायुद्ध में इस रूसी-जर्मन युद्ध की महत्ता बहुत अधिक है। इस युद्ध में दोनों ओर के लगभग १ करोड़ सैनिक भाग ले रहे हैं। संसार के इतिहास में इससे अधिक भव्यंकर युद्ध और कोई नहीं हुआ।

उधर यूरोप से सुदूर पूर्व में जापान अब बहुत समय तक तटस्थ देश बना रहेगा, इसकी सम्भावना प्रतीत नहीं होती। पिछले दिनों यद्यपि टर्की ओर जर्मनी में तटस्थता की एक सन्धि हुई है तथापि टर्की की सहानुभूति इंग्लैण्ड के साथ है।

हाल ही में जापान में नई सरकार स्थापित हुई है। यह सरकार उप नीति की पक्षपाती है। इस जापानी सरकार ने, विशी सरकार की अनुमति से इण्डो चाइना के एक प्रमुख भाग पर अधिकार कर लिया है। रूस के साथ भी इस सरकार के सम्बन्ध मित्रतापूर्ण रहेगे, इससे सन्देह है।





---

# भारतवर्ष स्वराज्य की ओर

---

( १ )

## भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना

भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग है, अतः भारतीय शासन-पद्धति के समझने के लिये भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना कैसे हुई, यह जानना आवश्यक हो जाता है। इस पर आजकल की शासनपद्धति एक राजनीतिक विकास के फलस्वरूप में हमें मिली है। यद्यपि १८३५ के विधान के “घड़ने” के लिये लगभग ५ वर्ष लगे थे तो भी यह विधान केवल पाँच वर्ष के परिश्रम का फल नहीं। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस विषय का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना है।

भारतवर्ष के वेल एक देश मात्र नहीं, बल्कि वह एक उप-महाद्वीप है। यूरोप से यदि रूस को निकाल दिया जाये तो भारत यूरोप के बराबर में बैठता है। कई भारतीय प्रान्त यूरोप के अनेक देशों से क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में बड़े हैं। उदाहरण के लिये पंजाब को लीजिये। इसका क्षेत्रफल इटली से; तथा इसकी आबादी की घनता फ्रांस से अधिक है। भाषाओं की संख्या की दृष्टि से वह यूरोप से कम नहीं। पिछली १८३१ की गणना के

अनुसार भारत-साम्राज्य में २२५ भाषाये थीं—जिन में मूल्य हिंदी, बंगाली, तेलगु, मराठी, तामिळ, पञ्जाबी, राजस्थानी, कन्नड़ी, उड्हिया, गुजराती, मलयालम, लैहड़ा आदि भाषाओं को कम से कम ८५ लाख तथा अधिक से अधिक ७ करोड़ से अधिक बोलने वाले लोग हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की पचास करोड़ जनता में से ३५, २८, २७, ७७८ भारतवर्ष में बसते हैं। अतः अंग्रेजों की हाइ में भारत का मूल्य क्या है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। केवल इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य में से भारतवर्ष को निकाल दिया जाय तो ब्रिटिश साम्राज्य रहता ही नहीं। विशेषतया जब कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भाग—कैनेडा, दक्षिण अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया को औपनिवेशिक स्वराज्य मिल चुका है। इसी लिये तो 'भारत' को ब्रिटिश राज्य-मुकुट का उज्ज्वलतम हीरा माना जाता है। यह उज्ज्वलतम रत्न इन अंग्रेजों के हाथ में कैसे आया?

सीले (Seeley) आदि ब्रिटिशकालीन इतिहास के प्राचीन ऐतिहासिकों के कथन के अनुसार तो यह रत्न दैववशात्, बिना जाने वूमें अंगरेजों के हाथों पड़ा। यह बात कुछ अश मठीक अवश्य है—क्योंकि जब सर्वप्रथम “इंस्ट इण्डिया कम्पनी” के जहाज़ भारतीय तट पर आकर लगे—तो उन जहाजों में थैटे हुए तथा ग्रेट ब्रिटेन से उन जहाजों को भेजने वालों के मन में भारत में साम्राज्य स्थापित करने का विचार नहीं था। वे तो केवल व्यापार करके लाभप्राप्ति के लिये ही यहाँ आये थे। लेकिन बाद में ऐसा नहीं रहा। डच लोगों की देखादेखी—इन्होंने सोचा कि यदि कुछ प्रान्त भी अपने अधिकार में कर लिये जायें

तो उससे दो लाभ होंगे । एक ओर तो व्यापार में सहायता मिलेगी, दूसरे उस प्रान्त का लगान हाथ में लगेगा । सन् १८८७ के इस निश्चय के परिणामस्त्रूप उन्होंने औरंगजेब के साथ टक्कर ली । पर उस समय ऐसा करना बचपन था, क्योंकि कम्पनी वालों ने औरंगजेब की शक्ति का अनुमान न लगाया था । उसके बाद लगभग १७ वर्ष तक तो साम्राज्य-स्थापना के स्वप्नों को छोड़ना पड़ा, लेकिन उस नीति का त्याग नहीं किया गया । सन् १७०२ के 'चार्टर' ने कम्पनी को फौज भरती करने की आज्ञा दी ।

'जानवृल' का स्वभाव है कि वह कार्य प्रारम्भ करने में कुछ सुस्त रहता है । लेकिन जब दूसरा को काये में लगा देख-कर एक बार कार्य को हाथ में ले ले तो सब को पीछे ही छोड़कर रहता है । भारत में साम्राज्य स्थापना करने का फिर से पाठ इसे छुप्ले महाशय ने पढ़ाया । पहले तो क्लाइव ने छुप्ले को हरा कर भगा दिया, बाद में उसी के कदमो पर चल कर पज्जासी के युद्ध के उपरान्त बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । छुप्ले की सफलता से अगरेज़ों ने सीखा कि कैसे देशी राजाओं को भारतीय सिपाहियों की सहायता से, सरक्ता से पराजित किया जा सकता है । छुप्ले की असफलता से उन्होंने सीखा कि साम्राज्य स्थापना के लिये किन किन गलतियों से अपनेको बचाना है । सबसे अधिक ध्यान रखने वाली बात यह थी किसी अन्य युरोपियन राष्ट्र को भारत में न रहने दिया जाय, क्योंकि यदि अपेक्षा न होते तो फ्रांसीसियों को भारत छोड़कर जाने की आवश्यकता कदाचित् न पड़ती । इसी लिये तो पहला काम अंगरेज़ों के सामने अपने राजनीतिक गुरु—फ्रैंच लोगों को देश से निकालने का था और यह काम उन्होंने करके ही छोड़ा ।

क्राइब के बाद साम्राज्य-वृद्धि का सिलिसिला चलता रहा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद की अंगाधुंधी में ऐसा होना ही था। पहले ऐसा होता भी आया था। यदि बाबर सा अकेला जवान कुछ हजार घोड़ाओं से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल सकता था, तो अंग्रेजों जैसी शक्तिशाली जाति का—चाहे वह हजारों मीलों की दूरी से आई हो—भारत को अधीन करना समझ में आसकता है।

क्राइब के बाद वारनहेस्टिंग को, कुछ क्राइब की गलतियों के कारण, कुछ तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से, और कुछ अपनी गलतियों के कारण दक्षिणी भारत में हैदराबाली, मराठों तथा निजाम का सामना करना पड़ा। इस काल में ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता तक मिट जाने का अदेश था। इसी काल में अंग्रेज़ों के हाथों से संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका निकल कर स्वतंत्र होगया था। इस महान आपत्तिकाल में वारनहेस्टिंग ने ही ब्रिटिश साम्राज्य के जहाज़ को चकनाचूर होजाने से बचाया। चाहे ऐसा करने के लिये उसे कुछ ऐसे कार्य करने पड़े जो कि उसके नाम को उज्ज्वल नहीं करते। पर जब एक बार ब्रिटिश साम्राज्य का जहाज़ चट्टान से बच निकला तो उसके बाद वह आगे ही बढ़ता गया। +गर्ग में तूफान आये, उन से जहाज़ ढोला अवश्य, लेकिन झूंझा नहीं। पर वारनहेस्टिंग के काल के बाद अंग्रेजी सरकार ने कम्पनी की महत्वाकांक्षाओं को काबू करने में बुद्धिमत्ता सभभी। सन् १७८३ में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि “भारतवर्ष में साम्राज्य-वृद्धि”

---

\* “ To pursue schemes of conquest and extension of dominion in India are measures

तथा युद्ध-विजय, इस राष्ट्र (अंगरेजों) की नीति, इच्छा तथा मान की दृष्टि से घृणित कार्य हैं।” पर यह तो कहने की बात थी। और वास्तव में राजनीतिक दृष्टि से ऐसा करना एक और अत्यन्त हानिकारक था, और दूसरी ओर असम्भव। यहाँ तक कि कार्नवालेस जैसे शान्ति-प्रिय व्यक्ति को भी, इस नीति को छोड़ कर टीपू से जान ढूँफ कर टक्कर लेनी पड़ी। कार्नवालिस के बाद सर जौन शोर के इस नीति के अनुसरण करने का परिणाम—भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए—हानिकारक सिद्ध हुआ। जब अंग्रेजों ने निकाम को मराठों के विरुद्ध सहायता देने से इनकार करदिया, तो मराठों तथा टीपू के हौसले बढ़ गए। उनके मन में यह विचार बैठ गया कि अंग्रेजों राज्य का अन्तिम काल निकट ही है। इस विचार को, वैलजली ने आकर पूरी तरह से दूर किया। उसने इस नीति को एक और रख कर घोषणा की कि भारत में अंग्रेज भी एक प्रमुख शक्ति हैं। और युद्ध-विजय से, सब-सिडिआरी-सिस्टम (Subsidiary system) से, तथा राजा महाराजाओं को कुछ पैन्शन और डपाधियाँ देकर उनके राज्य-कार्य को अपने हाथ में लेकर—वैलजली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जितनी वृद्धि की, उतना कदाचित् अन्य किसी गवर्नर जनरल के काल में नहीं हुई। वैलजली की इस सरपट दौड़ से थक कर, कुछ काल के लिये, नाम मात्र को, लार्ड मिएटो तथा विलियम बैटिक के काल में पुनः अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया गया।

repugnant, to the wish, the honour, and policy of this nation.”

परन्तु परिणाम यह निकला कि इनके बाद जब हेस्टिंग गवर्नर जनरल बन कर आया तो उसे वैल्ज़ली की नीति का ही अनुसरण कर, वैल्ज़ली के शेष कार्य को समाप्त करना पड़ा। मज़ा इस बात में है कि हेस्टिंग, वैल्ज़ली के शासन काल में उसकी नीति का नितान्त विरोधी था। बाद में लार्ड डलहौज़ी ने कुछ अवश्यकता से अधिक इस नीति का पालन किया। उसकी “डाक्ट्रिन आफ लैप्स” (Doctrine of lapse) १८५७ के विद्रोह का एक मुख्य कारण बनी। सन् १८५७ तक भारत को अधीन करने का लगभग सारा कार्य समाप्त हो चुका था। बाद में केवल १८७६ में कोइटे को, तथा १८८६ में शेष बर्मा को अधीन करना बाकी रह गया था।

१९८४ में, जब कि “विट्स-इंडिया एक्ट” में इस अहस्तक्षेप की नीति की घोषणा हुई थी—तब तो वास्तव में इंग्लैड में वैठ हुए डाइरेक्टर इस नीति के पक्ष में थे। परन्तु बाद में वह अपने नियुक्त किये हुए गवर्नर-जनरलों के कार्यों का आंख मूंद कर ही निरीच्या करते रहे। और हर्ज भी क्या था, जब कि वह सफलता पर सफलता प्राप्त करते चले जाते थे। परन्तु जब कभी कोई असफलता हुई, अथवा अधिक धन व्यय हुआ—तभी वह अपने महत्वाकांक्षी अनुचरों को छाटने की आशयकता समझते थे।

अब ब्रिटिश सरकार की “साम्राज्य-वृद्धि की नीति” प्रतिपादन करने के उपरान्त “साम्राज्यवृद्धि का संक्षिप्त विवरण” देन। आवश्यक है। सन् १८०० से १९४५ तक तो “ईस्ट इंडिया कम्पनी” एक व्यापारिक संघ ही रहा। इसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे और

प्रायः समुद्रतट के निकट इसकी बस्तियां तथा कारखाने थे। सबसे प्रथम सूरत में इनके पास कुछ फैक्टरियां थीं। सन १८४० में चन्द्र गिरि के राजा से कुछ भूमि खरीद कर, मद्रास नामक स्थान पर किलाबन्दी बनाए और मद्रास नगर और प्रान्त की नींव रखी गई। सन १८५६ में चार्ल्स ड्विनीय को पुरतगाल देश की राजकुमारी से विवाह के अवसर पर बम्बई द्वेज मेरिला, जिसे उसने नाममात्र किया था पर “इस्ट इण्डिया कम्पनी” के हवाले कर दिया। १८४० में जौब चार्नेक ने भारत की भाषी राजधानी कलकत्ता की नींव रखी। इस काल में कम्पनी अपने व्यापारिक स्थानों की किलाबन्दी तो करती रही, परन्तु मुख्यतः वह व्यापारकार्य में लगी हुई थी।

अठारहवीं शताब्दी में, दक्षिण की “अन्धाधुन्धी” में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के विरोध में स्थानीय राजाओं की सहायता करना प्रारम्भ किया। १८४६ में कर्नाटक के महायुद्धों का सूत्रपात हुआ, जिनमें अन्त में कंपनी विजयी हुई और मसलिपटम तथा उसके साथ का ८० मील लम्बा तथा ४० मील चौड़ा प्रान्त उनके नाथ लगा। पर यह तो केवल आरम्भ ही था।

सन् १७५६ ई० में अलीबद्दी खाँ की मृत्यु से ही बंगाल में भारतीय राज्य का अन्त समझना चाहिए। क्योंकि यद्यपि सिराजु-दौला बंगाल की गदी पर बैठा, लेकिन न तो इस में अलीबद्दी खाँ की समझ थी और न वह व्यक्तित्व। यही कारण है कि पलासी के युग-प्रवर्तक युद्ध को युद्ध कहना भी उचित नहीं। नवाब के ५४००० योद्धाओं में से केवल ५०० या ६०० सैनिक मारे गये और अंग्रेज़ों की ओर से केवल ७०। यह युद्ध केवल सेनाओं से ही नहीं बल्कि कौटिल्य से जीता गया था—यद्यपि

इससे कलाइव का राजनीतिक दृष्टि से महत्व कम नहीं होता। परन्तु इसका प्रभाव क्या पढ़ा, इसे समझने के लिये हमें १७५६ की परिस्थितियों से तुलना करनी चाहिये। १७५६ में बंगाल में अंग्रेज़ अन्य युरोपियन जातियों की अपेक्षा अधिक सम्पन्न थे। परन्तु इनके अधिकार में केवल एक ही स्थान था। इसके अतिरिक्त इनकी फ़ैक्टरियाँ कासिम बजार, ढाका, बालासोर, जगदेश्वी तथा पटना में थीं। पर अभी तक अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वे अलीवर्दी खाँ के कड़ु शासन के विरुद्ध सिर उठा सकें। पर पालसी के युद्ध के उपरान्त, अंग्रेजों को यद्यपि नाम को तो केवल २४ परगने मिले, परन्तु बास्तव में भारतवर्ष के सब से अधिक सम्पन्न प्रान्त—बंगाल, बिहार, ढ़ीसा—पर इनका राजनीतिक प्रभाव छा गया। कारण, केवल एक अंग्रेजी सेना ही शेष रह गई थी, जिस पर इन प्रान्तों की रक्षा का उत्तरदायित्व था। और इन प्रान्तों का नवाब उनकी मुट्ठी में था, इन्हीं का बनाया हुआ था। सन् १७५६ तक कलाइव ने बगाल में फ्रांसीसियों तथा डचों को भी पूरी तरह से दबा दिया था, ताकि भविष्य में इन से कोई आशंका न रहे। १७६६ में बक्सर के युद्ध के उपरान्त अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार तथा ढ़ीसा के दीवानी तथा निजामत के अधिकार प्राप्त कर लिये, जिस से बास्तव में यह प्रान्त भी इनके हाथ में आगए। इन सम्पन्न प्रान्तों के हस्तगत होने से एक और कम्पनी की सम्पन्नता इतनी अधिक बढ़ गई कि अंग्रेज सरलता से फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकाल सकते थे, और दूसरी ओर साम्राज्यवृद्धि करने के लिये इन्हें साधन मिल गये। इसके बाद के इतिहास में तो वेवल भारत के शेष प्रान्तों

का क्रम से अंग्रेजों के अधीन होने की सूची देने का कार्य ही शेष रह जाता है। १७७५ में बनारस अवध के नवाब से ले लिया गया। १७८८ में कार्नवालिस ने निजाम से गन्तुर छीन लिया।

इसके बाद अंग्रेजों को मुख्यता पांच काम और करने थे अर्थात् उन्हे मैसूर, मराठों, सिखों, बर्मा निवासियों को जीतना था तथा सीमा प्रान्त की समस्या का हल करना था। मैसूर के काम को कार्नवालिस तथा वैलजली ने, मराठों को वैलजली तथा हेस्टिङ्ग ने, सिखों को हार्डिंग तथा ढलहौजी ने, बर्मा को एमहस्ट ढलहौजी तथा डफरिन ने सम्भाला। सीमा प्रान्त की समस्या के प्रबन्ध के लिए लार्ड एलनबरो के काल में सर चार्ल्स नेपियर ने सिन्ध को हस्तगत किया, उससे पूर्व आकलैण्ड ने अफगानों के प्रथम मठायुद्ध में मुंह की खाई थी। वही मूर्खता दोबारा लार्ड लिटन ने पाठानों के साथ दूसरे युद्ध करने म की। इसी बीच मे लिटन ने १८७६ मे कोइटे के आस पास के प्रान्त को अधीन किया। लेकिन सीमाप्रान्त की समस्या तो सदा बनी रहती है। इसीलिये सभी गवर्नर-जनरलों को इस पर विचार करना पड़ता है।

वर्षक्रम के अनुसार कार्नवालिस ने मैसूर-युद्ध की विजय के उपरान्त मलाबार, बारामहल, सलेम तथा दिन्दिगुल हथिया लिये। लार्ड वैलजली ने, जैसा कि हमने ऊपर भी कहा है, जिस तरह हो सका, साम्राज्यवृद्धि की। अन्तिम मैसूरयुद्ध की विजय मे कनारा कोयम्बटोर को, बुन्देलखण्ड, वैली, आगरा, दोआब को सीनिध्या से, कटक तथा बालासोर भोंसला से, तथा सरसिद्धियरी

सिस्टम ( Subsidiary System ) के अन्तर्गत कोटा, अला-हावाद तथा रुहेलखण्ड अवध से; विलारी और कडपा के जिले नज़ाम से, तथा कुछ प्रांत बसीन की सन्धि के अवसर पर पेशवा से लिये गए।

बसीन की सन्धि का विशेष महत्व है। क्योंकि इस से से अंग्रेजों का भारत में राज्य 'अंग्रेजी भारतीय राज्य' बन गया। कारण यह कि मैसूर के दमन के उपरान्त भारत में पंजाब को छोड़ कर केवल दो प्रबल शक्तियाँ थीं—अंग्रेज तथा मराठे। पेशवा मराठों का मुखिया था, चाहे नाम को ही केवल। परन्तु जब पेशवा ने अंग्रेजों का प्रभुत्व मान लिया तो अपने आप ही उस के सभी सरदार भी अंग्रेजों के अधीन हो गये। यद्यपि इन सरदारों को वास्तव में अपने अधीन करने के लिये वैलज़ली तथा हैस्टिंग्ज़ को महा संप्राप्त करने पड़े। इसी संप्राप्त में ही, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, वैलज़ली ने सिधिया तथा भोसला से कुछ प्रान्त अपने हाथ मे लिये। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, सूरत तथा तंज़ौर को, इन प्रदेशों के नवाबों तथा राजा की मृत्यु पर, अपने अधिपत्य में कर लिया। लार्ड वैलज़ली की इस वृद्धि से मद्रास प्रान्त पूरा हुआ, आगरे का प्रान्त नया बना तथा अन्वई प्रान्त की वृद्धि हुई।

१ लार्ड मिलटो के शासनकाल में जमुना तथा सतलुज के मध्य का प्रान्त, अंग्रेजों के सरकार मे आगया। बाद में लार्ड हैस्टिंग्ज़ ने १८१६ में गढ़वाल, देहरादून तथा शिमले को; १८१८ में पेशवे का प्रदेश, खानदेश, सम्मल तथा नर्मदा प्रदेश को ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया। एमहर्स्ट ने बर्मा के प्रथम युद्ध के उपरान्त

( १८२६ ) मेरा आसाम, कच्छार, तथा १८३४ में कुर्ग को; ऐलन वौरौ ने १८४३ मेरा सिन्ध को, और हाँडिंग ने प्रथम सिल्ह युद्ध के बाद सतलुज-ध्यास नदी के बीच के प्रान्त को अधीन किया। साम्राज्य को लगभग सम्पूर्ण बनाने का कार्य लार्ड डलहौजी ने किया। उसने बाकायदा सिल्हसिलेवार 'हस्ताक्षेप तथा मिलाने की नीति' का प्रयोग किया। लैप्स के सिद्धान्त के उपयोग से सिलारा, नागपुर, झाँसी, जौनपुर, उदयपुर ( मध्यप्रान्तीय ) तथा सम्बलपुर को हस्तगत किया। अब वह को, नवाब पर कुशासन का अभियोग लगाकर ले लिया, बरार को निजाम के श्रगण व सेना को रखने के व्यय के लिये ब्रिटिश राज्य के अन्तर्गत किया। पंजाब के द्वितीय युद्ध के बाद समस्त पजाब तथा उत्तरपश्चिम सीमा प्रान्त के कुछ जिले तथा बर्मायुद्ध की विजय के अन्तर पीगू को भी ले लिया। डलहौजी के बाद लार्ड लारैस ने भूटान के कुछ प्रदेश, १८५६ मेरा लार्ड लिटन ने कोईटा तथा १८८६ मेरा लार्ड डफरिन ने सम्पूर्ण बर्मा को ब्रिटिश आधिपत्य मेरा ले लिया।

यह तो हुआ ब्रिटिश साम्राज्य की वृद्धि का एक संक्षिप्त विवरण। परन्तु दो एक विशेष बाते ध्यान में रखने की आवश्यकता है। प्रथम यह कि अंग्रेजों ने जैसा कि भारत के वर्तमान नकशे के पीले रंग से पता चलता है—सम्पूर्ण देश को पूर्णतः अपने अधीन नहीं किया। भारत के १८,०८, ६७६ वर्गमील ज्योत्रफल में से ७,१२, ५०८ वर्गमील तथा ३१,२८, ३७, ७७ जनसंख्या में से—८,१३,१०, ८५४ व्यक्ति देशी राजाओं तथा नवाबों के अधीन हैं।

दूसरी विशेष बात ( सीलेंड के शब्दों में ) यह है कि “यह एक विदेशी विजय नहीं बल्कि एक आन्तरिक क्रान्ति थी ।” अभिप्राय यह है कि भारत के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिये केवल दो शासनों का मुकाबला न था क्योंकि भारत में कोई एक शासन नहीं था । वास्तव में भारतीय समाज की आन्तरिक क्रान्ति तथा शिथितता के समय, देसी सेनाओं की सहायता ले अंग्रेजों ने यह विजय प्राप्त की थी । यहां पर अंग्रेजों की नीतिज्ञता का परिचय देने के लिये एक और बात कहनी है । अंग्रेज देसी सेनाओं को रखने का व्यय देशी राजाओं से लेते थे । विशेषतया लार्ड वैलजली के “सबसिडिअरी सिस्टम” ( Subsidialy system ) के प्रयोग से । इस नीति के अनुसार प्रत्येक रियासत को, जो कि इस प्रणाली के अन्तर्गत थी—अपने प्रदेश की रक्षा के लिये अंग्रेजों को सेना रखने का सर्व देना पड़ता था । इस तरह ग्रिटिश सरकार बिना कुछ खंचे किये एक खासी सेना रख सकती थी, जिसका आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सकता था ।

अन्त में एक बात कह कर इस अध्याय को समाप्त करना है । यद्यपि मुगलसाम्राज्य के पतन ने अंग्रेजों को ग्रिटिश राज्य स्थापित करने के अवसर दिया—तो भी अंग्रेजों ने सम्पूर्ण भारत पर एका धरपत्य जमाकर, भारतवर्ष को मुशासन देकर और इस निशात देश में एकता और राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न कर इस अवसर का उपयोग किया ।

---

“It was not a foreign conquest, but rather an internal revolution.”

( २ )

## शासन विधान का विकास

हमने कहा था कि आजकल की भारतीय शासन-पद्धति एक विकास का परिणाम है। इस विकास के दो मुख्य पहलू हैं, ब्रिटिश सरकार तथा भारत की राजनीतिक परस्तिहति।—अब भी एक तरह से भारतीय शासन का अन्तिम उत्तरदायित्व ब्रिटिश पार्लियामेट के हाथों में है, क्योंकि भारतीय शासन-विधान का परिवर्तन उसी के हाथों में है। सन् १९०० ईसवी से लेकर आज तक के काल को, इस दृष्टि से चार भागों में विभक्त किया जाता है। प्रथम काल १७५५ में, द्वितीय १८५७ में, तृतीय १९१७ में समाप्त हुआ और चतुर्थ अभी चल रहा है। प्रत्येक काल का यहाँ हमने विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं करना, केवल प्रधान सिद्धान्तों का विश्लेषण करना है, प्रथम काल इस दृष्टि से हमारे लिये कोई विशेष महत्व नहीं रखता। १९००—१७५५ तक तो प्राचीन या उत्तरकालीन कम्पनियों के प्रस्तर भलाहे चलते रहे। इसी काल में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों पर विजय पाई। इसके बाद भारतीय इतिहास के ब्रिटेश काल में फ्रांसीसी आतंक का भूत कभी कभी रगभग पर आया रही। लेकिन वास्तव में फ्रांसीसियों के भारत में साम्राज्य स्थापित करने के स्वप्न स्वप्न ही रहे।

वास्तव में आज की शासनपद्धति का सूत्रपात १७६५ के बाद से ही होता है। क्योंकि १७६५ में बगाल, विहार, ढड़ीसा में दीवानी तथा निजामत की शास्त्रिया प्राप्त करने के बाद ही से अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन करना प्रारम्भ किया। इस काल में (१७६५-१८५७ शासन की बागडोर कम्पनी के नाम पर ही रही—यद्यपि शनैः शनैः पार्किंथामेंट का कम्पनी के ऊपर नियमन बढ़ता गया। इसी काल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक व्यापारिक संघ से एक शासक संस्था बन गई तथा इस समय जिस शासन का विकास हुआ—उसका कुछ अंश मुगल शासन पद्धति से तथा कुछ अंश समुद्र के पार से लाया गया।

अंग्रेजों का स्वभाव है कि वे सिद्धांत या प्रथा पहले निकाल लेते हैं और उसका नामकरण बाद में करते हैं। उनके अपने देश के शासन-विधान को लीजिये। वह एक लिखित वस्तु नहीं है। और तो और, १८०५ तक इन्होंने ब्रिटिश प्रधानसचिव के—जो कि संसार भर के सब से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से है—पद की, अन्य सचिवों के मुकाबले में, उच्चता को शासन-विधान में स्वीकार नहीं किया था, यद्यपि व्यवहार में प्रधान मन्त्री अन्य मन्त्रियों का नेता माना जाता रहा है। भारत में भी ऐसा रहा है। नाम को तो ब्रिटिश सरकार ने १८५७ में महाविद्रोह के बाद ही भारत के शासन की बागडोर को अपने हाथों में ले लिया। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। और वह कहना कि १८५७ के विद्रोह के फलस्वरूप कम्पनी से भारत पर शासन करने के अधिकार छीन लिये गये—एक भ्रम है। कारण, कम्पनी को महाविद्रोह के लिये उत्तरदायी ठहरा कर उससे

अधिकार नहीं छीने गये, क्योंकि राजनीतिक कार्य सम्पूर्ण रूप से पहले भी ब्रिटिश सरकार के नियन्त्रण में थे।

वास्तव में यदि हमें कम्पनी के हाथों से अधिकार लेने के कारणों पर विचार करना हो, तो हमें १७८७ सन—जब कि पार्लियामेंट ने सर्वप्रथम भारतीय मामलों में हस्तक्षेप किया—की परिस्थिति को समझना चाहिये। १७८५ में दीवानी मिल जाने से ब्रिटिश सरकार को मालमाल होने की आशा थी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। एक ओर तो भारतवर्ष से इकट्ठा करके लाये हुये धन से बने नये अग्रेज़ नवाब विलयत पहुँचे। उधर कम्पनी के हिस्सेदारों को बहुत लाभ हुआ, दूसरी ओर कम्पनी की सरकार पर ६० लाख पौंड का ऋण चढ़ गया। कम्पनी को ब्रिटिश सरकार के आगे ऋण के लिये हाथ पसारने पड़े। इस गड्बड़ का प्रबन्ध करने के लिये पार्लियामेंट को कम्पनी के मामलों पर निगरानी तथा नियन्त्रण रखने की आवश्यकता पड़ी। १७७३ में रैग्लेटिंग एक्ट (Regulating Act) के अन्तर्गत उन्होंने डायरेक्टरों का एक बोर्ड बनाया जिसके नियन्त्रण में भारत में कम्पनी की कारेबाई को रखा गया। १७७३ से पार्लियामेंट का प्रायः प्रत्येक बीस वर्ष के बाद कानूनों का सिलसिला चला, जिससे एक ओर तो कम्पनी के ऊपर पार्लियामेंट का नियन्त्रण अधिक से अधिक होता चला गया और दूसरी ओर कंपनी को एक व्यापारिक संघ से शासनस्था बना दिया गया।

११ वर्ष के बाद सन् १७८४ में पिट्स इण्डिया एक्ट (Pits India Act) के अन्तर्गत एक बोर्ड आफ कंट्रोल (Board of Control) बनाया गया, जिसके ६ मेम्बरों में इलेंड का अर्थ सचिव, सैक्रेटरी आफ स्टेट्स तथा चार प्रीवी-

कौंसिल के सदस्य रखे गये। इनका काम पूर्वी प्रदेश के जीते हुए देशों पर निगरानी तथा नियन्त्रण करना था। इसके अनुसार उस द्वैधशासन की नींव डाली गई, जो कि १८५७ तक काथम रही—क्योंकि कानून की दृष्टि से एक ओर कम्पनी तथा दूसरी ओर पालिंगमेंट का एक बोर्ड मिलकर शासन करते थे। इसलिये यह कहा जाता है कि कानैवालिस के समय से लेकर सभी राजनीतिक कार्यों में ब्रिटिश सरकार का उत्तरदायित्व था।

१७६३ में आज़कल के सैकेटरी आफ़ स्टेट के पद की नींव रखी गई। इस कानून ( १७६३ ) के अनुसार, बोर्ड आफ़ कण्ट्रोल के प्रथम सदस्य को बोर्ड का सभापति बना दिया गया। इस काल से इस बोर्ड के सामूहिक अधिकार नौमानी के ही रह गये क्योंकि सभापति के हाथ में समस्त अधिकार चले गये थे। और साथ ही में इस सभापति को ब्रिटिश मन्त्र-मण्डल में स्थान मिल जाने से इस का गौरव और भी बढ़ गया।

१८१३ के एकट ने भारत के साम्राज्य तथा लागान को और बीस साल के लिये कम्पनी के संपुर्दे कर दिया। ऐसा करने से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों पर अपने प्रभुत्व की घोषणा की। १८३३ के कानून ने कम्पनी को अपना व्यापारिक कार्य बंद करने का आदेश किया और बीस वर्ष के लिए कम्पनी को भारत पर शासन करने की अनुमति दी। ऐसा करने से कम्पनी एक व्यापारिक-संघ से शासन-संस्था बन गई। अब से यह भारत में ब्रिटिश सरकार की शासन व्यवस्था के विषय में प्रतिनिधि के रूप में भारत में काम करने लगी। अभी तक कम्पनी के हाथों में भारत में नौकरियाँ आदि देने का अधिकार था, लेकिन १८५३ के एकट ने वह भी उससे ले लिया।

इस एकट से पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार अपने कन्वॉर्ड पर भारत का शासन उठाने का विचार कर रही थी क्योंकि पहले की तरह इस कानून ने कम्पनी को किन्हीं विशेष वर्षों के लिये अधिकार नहीं दिये थे। यह सब होने पर भी डायरेक्टरों के हाथों में काफी अधिकार थे, क्योंकि उनसे बहुत अधिकार ले लेने पर भी शासन का कार्य तो इन्हीं के हाथ में था। महाविद्रोह के बाद १८५८ के एकट ने केवल एक ही नई बात की। डायरेक्टरों के हाथ में जो शेष शासनाधिकार थे उनको लेकर हृष्ट-शासन का अन्त कर दिया। बोर्ड आफ करेट्रोल के सभापति का स्थान भारत मन्त्री (Secretary of State) ने तथा बोर्ड आफ डायरेक्टर का स्थान इण्डिया कॉर्सिल ने लिया। इसका कार्य केवल सम्मति प्रबन्ध करना था। भारतमन्त्री तथा इण्डिया कॉर्सिल, ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर राज्य करते थे। यह हमारी भारतीय शासनपद्धति का एक अंग है।

‘तृतीयकाल १८५७ से लेकर १९१७ तक चलता है। इस काल में, जैसा कि ऊपर भी कहा जा चुका है, ब्रिटिश सम्राट् ने भारत का शासन अपने हाथों में लिया। इसी काल में प्रतिनिधि-सच्चात्मक संस्थाओं की स्थापना हुई तथा स्थानीय शासन-पद्धति बनाई गई। इस काल में भारतशासन में पार्लियामेण्ट का हस्तांत्रेप कम हो गया, यद्यपि सम्राट् के शासन की बागडोर को अपने हाथ में लेने से पार्लियामेण्ट से अधिक हस्तांत्रेप की आशा थी। पर ऐसा नहीं हुआ, कारण पार्लियामेण्ट ने भारत का उत्तरदायित्व एक मन्त्री के ज़िम्मे छालकर और अधिक बष्ट उठाने की आवश्यकता न समझी। एक और बात भी हुई। भारतीय मामलों को

पार्लियमेंट के दल-संघर्ष से पृथक् रखने की पथा चल पड़ी।

यह काल तीन मुख्य कानूनों के लिये प्रसिद्ध है। हमारा अभिप्राय १८६१, १८६१, तथा १८६६ के इण्डिया कॉैसिलज् एकटों से है। १८६१ के एकट से व्यवस्थापिक सभा में गैर-सरकारी सदस्योंको भी स्थान मिला। इसी एकट से बंगाल, बम्बई, मद्रास उत्तरपश्चिमीय प्रान्त तथा पंजाब के लिए एक एक स्थानीय कॉैसिल बनाई गई। अतः इस एकट ने भारत में आधुनिक व्यवस्थापिक सभा की नींव ढाली। परन्तु इन सभाओं में केवल कुछ विषयों पर विचार-विनियम करनेकी अनुश्वास थी। इनके सदस्यों की संख्या केन्द्रीय सरकार की शासनकारिणी समिति के अतिरिक्त कम से कम ६ तथा अधिक से अधिक १२ थी। प्रान्तीय सभाओं में ४ से ८ तक मेघ्वर हो सकते थे। परन्तु यह सब असन्तोषजनक था, क्योंकि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कम थी और सभायें भी-छोटी छोटी थीं। उनको व्यवस्थापक प्रस्तावों पर केवल विचार प्रकट करने का अधिकार था। अतः सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिये और सभाओं में बजट पर विचार करने, प्रश्नों को पूछने तथा प्रस्तावों को पेश करते के अधिकार के लिए भारतीय कांग्रेस ने मांग की। इस मांग का इंग्लैण्ड के उदार दल ने तथा भारत में रहने वाले गैर सरकारी यूरोपियनों ने भी समर्थन किया। इसका परिणाम यह निकाला कि १८६२ के एकट से एक और तो सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और दूसरी ओर उनको वार्षिक बजट पर विवाद करने का, तथा प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। एक और बात भी हुई। १८६२ के एकट से एक प्रकार से परोक्ष निर्वाचन-पद्धति प्रारम्भ हुई। अब तक कुछ विशेष संस्थाएँ सदस्यों को निर्वाचित कर लेती थीं। आर-

सरकार उनको सदस्य नामजद कर देती थी। इस एकट के अनुसार प्रान्तीय सभाओं में सदस्य गैर सरकारी होने लगे।

परन्तु इससे उद्युद्ध जनता को सन्तोष न मिला। एक और तो पाश्चात्य विद्याध्ययन से उनके विचार तथा उनकी महत्वाकान्तर्यामें बढ़ने लगी और दूसरी ओर रूस जापान युद्ध में जापान के रूस को पराजित करने से पाश्चात्यों की अजेयता का भ्रम दूर होने लगा। उस पर बांगल प्रान्त को दो भागों में बांटने से एक और आंदोलन चठ खड़ा हुआ। इन सब बातों ने भारत की शिक्षित जनता में शासन में अधिक अधिकार प्राप्त करने की भावना जागृत हुई। अतः जब १९०६ में उदार दल ने इंग्लैण्ड में ब्रिटिश सरकार की बागडोर अपने हाथ में ली, तब मिस्टर भाँते भारतमन्त्री बने। आप इंग्लैण्ड के सुप्रसिद्ध उदारदल के नेता ग्लैडस्टन के अनुयायी थे। इसीलिए इनके पद प्राप्त करने पर भारतीयों को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति होने की आशा बनी। १९०६ के मिन्टो माले सुधार ने सदस्यों की सख्त्या और उनके कुछ अधिकार भी बढ़ा दिये। प्रान्तीय सभाओं में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या सरकारी सदस्यों से अधिक कर दी गई। परन्तु केन्द्रीय सभा में सरकारी सदस्यों की ही सख्त्या अधिक रही। परेन्ह निर्वाचन की पद्धति को जारी रखा गया। मुसलमानों का निर्वाचन हिन्दू सदस्यों के निर्वाचन से पृथक कर दिया गया।

पहले पहल तो मिन्टो माले सुधार का स्वागत किया गया। परन्तु बाद में सभाओं में सरकारी सदस्यों की उपस्थिति और प्रभाव ने तथा मिस्टर माले के वक्तव्य

ने—कि इस एकट से भारत में पार्लियामैन्टरी संस्था स्थापन करने का विचार बिल्कुल नहीं—भारत की शिक्षित जनता में फिर से असन्तोष जगा दिया। उस पर भारतीयों को उच्च सरकारी नौकरियों में भी स्थान बहुत कम मिलता था। अतः भारतीय शिक्षित जनता ने, विशेषतया राष्ट्रीय कंप्रेस ने और सुधारों के लिये मांग की। पहले तो इन मांगों की ओर ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान न दिया। परन्तु १९१४ के महायुद्ध में भारतीयों के महत्वपूर्ण भाग को स्मरण कर, ब्रिटिश सरकार को, भारतीयों की उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की मांग के सम्बन्ध में विचार करना पड़ा। १९१७ सन् की १० अगस्त को ओ मैटिगू ने, जो कि उस समय भारत मंत्री थे, यह घोषणा की—

“The policy of His Majesty's Government,.....is that of the increasing association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to the progressive realisation of responsible government in India as an integral part of the British Empire.”

—कि “ब्रिटिश सरकार की, भारत में, यह नीति होगी कि भारतीयों को शासन के सभी विभागों में क्रमशः अधिक से अधिक स्थान दिया जायेगा। तथा भारत में क्रमशः उत्तरदायित्वपूर्ण शासन को स्थापित करने के लिए शनैः शनैः स्वराज्य संस्थाओं का विकास किया जायेगा। इस तरह जो उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित होगा वह ब्रिटिश साम्राज्य का एक आन्तरिक भाग होगा।” परन्तु

किस गति से यह विकास होगा यह पार्लियामेंट के निर्णय पर छोड़ा जायेगा।

इस घोषणा से भारत-शासन-विधान के विकास का आधुनिक युग प्रारम्भ होता है। यह युग अभी तक चल रहा है। इस नीति को अनुसरण करते हुए ब्रिटिश सरकार ने अभी तक सुधार की दो किश्तें दी हैं। एक १९१६ में; दूसरी १९३५ में।

१९१६ का एक्ट-जैसा कि उपर कहा जा चुका है, पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्राप्ति के लिये केवल एक प्रथम किश्त मात्र था। इसमें से प्रथम सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणत किया गया। उनमें से प्रथम सिद्धान्त यह है कि जहाँ तक हो सके स्थानीय संस्थाओं पर सार्वजनिक नियन्त्रण रहे। दूसरा—क्रमशः उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के लिये प्रांतों को उपयुक्त ज्ञेत्र मान कर कुछ अशों में उत्तर दायित्व देना। इसका अभिप्राय यह है कि प्रांतीय शासन को, कानून बनाने में, शासन व्यवस्था में, वथा अर्थिक मामलों में, केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से छुटकारा मिलना चाहिये, और कुछ शासन-विभाग भारतीय निर्वाचित मन्त्रियों के हाथों में दिये जाने चाहिये। इसका अनुसरण करते हुए इस एक्ट के अनुसार प्रान्तों में हैं शासन का सूचनात किया गया। प्रांतों के शासन विभागों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया, एक भाग को—जिसे ट्रांसफर्ड विषय कहते हैं—भारतीय मन्त्रियों के अधीन कर दिया गया। यह मन्त्री प्रांतीय व्यवस्थापिका समा के निर्वाचित सदस्यों में से गवर्नर द्वारा चुने जाते थे। [यहाँ यह भी कह दिया जाय कि इस एक्ट के अनुसार कौन्सलों के सदस्यों की सख्त बढ़ा दी गई, वथा कम से कम ७०% सदस्य जनरा द्वारा चुने जाने लगे]

दूसरे भाग को—जिसे रिजर्वूड विषय कहते हैं—गवर्नर की कार्य-कारिणी समिति के सरकारी सदस्यों के अधीन कर दिया गया।

तीसरा सिद्धांत यह था कि भारत के शासन के लिये पार्लियामेण्ट सबैथा ज़िम्मेदार है। लेकिन फिर भी केन्द्रोय व्यवस्थापिका सभा को बृद्धि कर दी जानी चाहिये, तथा इसके सदस्य निर्वाचित होने चाहिये—ताकि ऐसा करने से शासन विभाग को लोकमत से परिवर्तित तथा प्रभावित होने का अवसर मिल सके। इस भाव को क्रियात्मक रूप में लाने के लिये केन्द्रोय व्यवस्थापिका सभा के द्वे हाउस कर दिये गये। एक का नाम था कांडसिल आफ स्टेट और दूसरे का व्यवस्थापिका सभा। कांडसिल आफ स्टेट के अधिक से अधिक ६० सदस्यों में से ३३ निर्वाचित तथा अधिक से अधिक २० सरकारी हो सकते थे। यह कांडसिल भारत की धनिकश्रेणी की प्रतिनिधि थी। और व्यवस्थापिका सभा, जनना की। व्यवस्थापिका सभा के अधिक से अधिक १४० सदस्य हो सकते थे, जिनमें से १०० निर्वाचित तथा २६ सरकारी होते थे।

चौथा सिद्धांत यह था कि उपर्युक्त परिवर्तनों के लिये पार्लियामेण्ट के नियमन को जितना कम करने का आवश्यकता हो उतना कम कर दिया जाय। इस सिद्धांत के अनुनार इंग्लैण्ड में “इंडिप्रा हाउस” की नियानों करने के अधिकारों में परिवर्तन किया गया तथा, भारत मन्त्री को पार्लियामेण्ट की ओर से अपना वेतन भिलने लगा।

यहाँ हमने इस शासन-विधान पर टीका टिप्पणी नहीं करनी, बल्कि सचेत से १९१६ से लेकर १९२५ तक का इतिहास देता है।

यहाँ केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि १९१६ के विधान ने देश की महत्वाकांक्षाओं को सन्तुष्ट नहीं किया। भारत भर में इसके विरुद्ध मत प्रकट किया गया। उस पर कुछ निराशा और असन्तोष को बढ़ाने वाली घटनाओं ने जले पर नमक का काम किया। इन्हीं दिनों रौलट बिल कानून बना था। इसके विरुद्ध भारत में इतनी हलचल मची कि पंजाब में “मार्शन ला” की घोषणा करनी पड़ी और जलियाँवाला बाग, गोली चलाई गई, जिसे सारा देश ठप ढठा। इसी काल में मुसलमान भी खिलाफ़त के प्रश्न पर ज़ु़ूध हुए बैठे थे। उन्होंने मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्कित्वान के दुकड़े करने की नीति का विरोध करने के लिये देश भर में एक आन्दोलन खड़ा कर दिया। इस सारी हलचल ने १९२१ में गांधी जी के नेतृत्व से सत्याग्रह आन्दोलन का रूप धारण किया। तथा राष्ट्रीय कांग्रेस ने नये कानून के अन्तर्गत स्थापित की गई सभाओं का बायफ़ाट किया।

तो भी, सब से प्रथम केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा ने—जिसमें गरम दल के कोई प्रतिनिधि नहीं थे—१९२१ के सितम्बर मास में इस एकट को बदलने के लिये एक प्रस्ताव पास किया। तीन वर्ष बाद, कांग्रेस के बहुत से सुरक्षिद नेताओं ने लेजिस्लेटिव सभाओं में प्रवेश किया और वहाँ स्वराज्य दल की स्थापना की। इस असैम्बली ने, पं० मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, बहुमत से भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना करने के लिये एक गोलमेज़ कॉन्फ्रेस बुलाने का प्रस्ताव पास किया। सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, परन्तु सर अल-क्झैएडर मुहीमैन के सभापतित्व में, १९१६ के एकट की जांच करने के लिये एक कमेटी नियुक्त कर दी। इस कमेटी के अधिक

सदस्यों ने, जिनमें सरकारी अफसर भी थे, यह मत प्रकट किया कि १९१६ का शासन विधान अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन अल्पसंख्यक सदस्यों का मत इसके विरुद्ध था। उनके मत के अनुसार दैध शासनप्रणाली चल नहीं सकती थी। अतः उन्होंने बताया कि इस विधान का प्रयोग असफल रहा है। सरकार बहुमत से सहमत थी, अतः सरकार ने उस कमेटी के प्रस्तावों का समर्थन करने के लिये एक प्रस्ताव पेश किया। लेकिन स्वराज्य पार्टी के नेता ने उस पर एक संशोधन पेश कर एक गोल मेज़ा कान्फ्रेस बुलाने की आवश्यकता पर पुनः ज्ञोर दिया।

१९१६ के शासन-विधान के अनुसार अंग्रेज़ सरकार ने दस वर्ष बाद भारत में शिक्षावृद्धि और उत्तरदायित्व पूर्ण संस्थाओं के विकास की जांच करने के लिये एक सरकारी कमेटी नियुक्त करनी थी। इस कमेटी का काम जांच करने के अतिरिक्त नये परिवर्तनों के विषय में प्रस्ताव पेश करना भी था। साधारण तौर पर तो इसे १९३० में भारत में आना चाहिये था, लेकिन भारतीय आन्दोलन के कारण यह कमेटी १९२७ में नियुक्त की गई। इसका समाप्ति था सर जोन साइमन। लेकिन इस कमेटी ने भारतीय मान को और भी ठेस पहुँचाई, क्योंकि इस कमेटी में एक भी सुदृश्य भारतीय नहीं था। परिणाम यह निकला कि भारतीय उदारदल ने भी इसका बाय-काट कर दिया। कांग्रेस ने तो ऐसा करना ही था। इसके उपरान्त १९३० में जब इस कमीशन की रिपोर्ट निकली—तो इसकी सभी ओर से निन्दा की गई।

इसी बीच में मज़दूर दल इंग्लैण्ड में शासनाधिरुद्ध हुआ। मज़दूर दल की भारत के प्रति सदाज्ञभूति होने से भारतीयों में अब तक कुछ आशा धंधी हुई थी। मज़दूर सरकार ने लण्डन में गोल-मेज़ कान्फ्रेस बुलाने की घोषणा की तथा भारतीय नेताओं को भावी शासन विधान पर विचार-विनिमय तथा परामर्श के लिये बुलाया।

परन्तु, दुर्भाग्य से, ब्रिटिश सरकार के इस निश्चय में यह बात स्पष्ट नहीं की गई थी कि इस शासन विधान का उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज्य होगा। अतः राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका भी बायकाट किया, और दोबारा सत्याग्रह आनंदोलन चलाया, जिसमें हजारों तथा लाखों की संख्या में पुरुष तथा हित्रियों ने जान बूझकर कानून को तोड़ कर जेतायात्रा की।

नवम्बर के द्वितीय सप्ताह में प्रथम गोल मेज़ कान्फ्रेस सम्राट् जार्ज पंचम द्वारा उद्घाटित की गई। प्रधान सविव श्री रैम्जे मैकडानल्ड इसके समाप्ति चुने गये। कुछ भाषणों के अनन्तर कान्फ्रेस को उपसमितियों में बाँट दिया गया, ताकि वह विधान के विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट कर सकें। दस सप्ताह के विचार विनिमय के बाद प्रधान सचिव ने नये विधान के निम्नलिखित सिद्धान्तों की घोषणा की—

१.—अखिल भारतीय संघ की योजना

२.—वेन्द्र मे उत्तरदायित्व

३.—प्रान्तों मे पूर्ण-स्वराज्य

४.—भारत के हित के लिये “सेफ़गार्ड्स”

(Safeguards)

कांफ्रेंस के समाप्त होने पर भारत सरकार तथा राष्ट्रीय कांग्रेस में समझौता करने का प्रयत्न किया गया। इसके उपर्युक्त बातावरण पैदा करने के लिये बन्दी नेताओं को मुक्त कर दिया गया। बायसराय लार्ड इरविन तथा महात्मा गांधी जी लम्बी बातचीत के बाद एक समझौते पर पहुँचे। कांग्रेस ने सत्याग्रह आनंदोलन को बन्द कर दिया, सत्याग्रहानंदोलन के बन्दी छोड़ दिये गये, तथा लार्ड इरविन ने ब्रिटिश सरकार की अनुमति से घोषणा की कि द्वितीय गोल मेज़ कांफ्रेंस में सध-शासन को एक स्वीकृत सिद्धान्त माना जायगा; बैन्ट्रीय सरकार में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन दिया जायगा तथा रक्षा, बाह्य मामले, अल्प संख्यक जातियों की स्थिति आदि विषयों पर भारत के हित की दृष्टि से सेफ्टार्ड-ज़ भी होंगे। १९३१ के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने, गोलमेज़ कांफ्रेंस को बायकाट करने का विचार छोड़ दिया। महात्मा गांधी को कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि बना कर भजा गया। इन्हीं दिनों, इंग्लैण्ड में मज़दूर सरकार ने स्यागपत्र दे दिया तथा इसका स्थान “नैशनल गवर्नमेण्ट” ने लिया। इसमें अनुदार दल का बहुमत था। अब सैमुअल होर नया भारत मंत्री बना।

द्वितीय गोलमेज़ कांफ्रेंस में को निश्चय नहीं किया जासका। रियासतों के राजाओं ने अपने अधिकारों की रक्षा की मांग की-तथा इस बात पर ज़ोर दिया कि रियासत निवासियों के प्रतिनिधि न चुने जायें। अल्प-संख्यक जाति-समस्या का भी इल न होसका। इस पर रैंज़ मैकडानल्ड ने घोषणा की ‘ब्रिटिश सरकार यथासम्बन्ध बुद्धिमता तथा न्यायशीलता से इस समस्या को इल

करेगी”। राष्ट्रीय मन को रक्षा, विदेशी नीति आदि विषयों पर सेफांगाड़से प्रसन्न न आये। कांग्रेस के समाप्त हो जाने पर इस कार्य को जारी रखने के लिये भारत में वाःसराय के सभायतिंत्र में एक विमर्श समिति बनाई गई। अन्य उपसमितियाँ भी सुधार-संबंधी अन्य समस्याओं की जांच करने के लिये, नियुक्त की गई। इनका काम भारत में दौरा करके मताधिकार, तथा निर्वाचन सेना बनाने तथा संघ की आर्थिक स्थिति आदि विषयों पर ज्ञान दीन कर अपनी रिपोर्ट देना था।

महात्मा जी के भारत लौटने पर १९३२ के प्रारम्भ में ही सर्वै-आज्ञाभाग आंदोलन फिर से प्रारम्भ हुआ। महात्मा गान्धी तथा अन्य प्रमुख नेता फिर से जे तो मे छाल दिये गये। १९३२ में जैसा कि श्री रैम्से मै छानल्ह ने घोषणा की थी—ब्रिटिश सरकार की ओर से “कम्यूनल आवार्ड” दिया गया। इससे भारतवर्ष में व्यवस्थापिका समाजों में अल्पसंख्यक जातियों के लिये पृथक् निर्वाचन निश्चित करके, मुख्तमान, सिखो तथा हरिजनों के लिये पृथक् २ हल्के बना दिये गये। इस प्रकार पृथक् निर्वाचन पद्धति जारी की गई, घोषणा के कुछ दिन बाद महात्मा गांधी ने ‘कम्यूनल आवार्ड’ की हरिजन सम्बन्धी धाराओं के विरोध में आमरण उपवास प्रारम्भ करने की घोषणा की। महात्मा जी के इस उपवास ने सारे देश भर में एक लहर सी उत्पन्न कर दी। इस के परिणाम स्वरूप पूना-पैकट हुआ, जिसके अनुसार “कम्यूनल आवार्ड” के मुकाबले में हरिजनों को व्यवस्थापिका समाजों में हुगने स्थान मिले। लेकिन इनका चुनाव पृथक् निर्वाचन पद्धति के अनुसार न कर समिलित रूप में करने का निश्चय किया गया। प्रत्येक हल्के के लिये हरिजन

मिलकर चार उम्मीदवार चुन लेंगे। उन चारों में से सामान्य निर्वाचन में एक हरिजन ले लिया जायगा। इस तरह एक और तो हरिजनों के स्थान सुरक्षित रहेंगे, दूसरी ओर वह हिन्दु जाति से पृथक् न होंगे।

१९३२ के अन्त में तृतीय गोल मेज़ कांफ्रेस का अधिवेशन हुआ, जिस में भिन्न भिन्न उपसमितियों को रिपोर्टों की जांच कर कांफ्रेस ने अपने निर्णयों को ब्रिटिश सरकार के आगे पेश कर दिया। उन पर विचार कर के मार्च १९३३ में 'ब्हाइट पेपर' प्रकाशित किया गया। इस में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन विधान में सुधार करने के लिये अपने प्रस्ताव उपस्थित किये। कुछ दिनों के बाद पार्लियामेंट के दोनों भवनों से कुछ सदस्य लेकर एक संयुक्त कमेटी बनाई गई। इस का काम "ब्हाइट पेपर" पर भारतीय प्रतिनिधियों की सहायता से विचार करना था। लाडे लिनलिथोगो इस कमेटी के सभापति थे। इस कमेटी ने एक बड़ी-सी रिपोर्ट पेश की।

इस के बाद ब्रिटिश सरकार ने इतने लम्बे चौड़े विचार विनियम के परिणाम को क्रियात्मक रूप देने के लिये पार्लियामेंट में एक विल पेश किया, जो कि १९३५ के सितम्बर में कानून बन गया।

इस नवीन विधान के मुख्य सिद्धान्त ये—

प्रथम—रियासती भारत तथा ब्रिटिश भारत का एक अखिल भारतीय संघ।

द्वितीय—संघ के केन्द्र में किसी सीमा तक उच्चराज्यित्व सिद्धान्त का स्थान। (इसके साथ ही पर्याप्त संकारण सभी रक्षे

गए। गवर्नर जनरल के हाथों में भारी संख्या में अधिकार तथा विशेष उत्तरदायित्व दिये गये हैं। )

तृतीय—प्रान्तों में पूर्ण स्वराज्य।

( यहां भी गवर्नर को भारी संख्या में अधिकार तथा विशेष उत्तरदायित्व दिये गए हैं। )

---

( ३ )

## शासन विधान के कुछ सिद्धान्त

भारतीय शासन विधान के अध्ययन में हमने मुख्यतया इसके सीन अंगों को समझा है। प्रथम अंग—इंग्लैण्ड में भारतीय शासन-सत्र, दूसरा केन्द्र तथा सीसरा प्रान्तीय सरकारें। लेकिन इसके पूर्व नि हम इन तीनों विषयों पर कुछ विल्तार से कहें, यहाँ व्यवस्थापिका सभा तथा संघ शासन के सिद्धान्तों पर कुछ कहना आवश्यक है। ताकि पाठक इसके बाद लिखे जाने वाले पृष्ठों को समझ सकें और उन पर अपने विचार बना सकें।

### व्यवस्थापिका सभा—

इस शीर्षक के अन्तर्गत हमने चार मुख्य बातों पर विचार करना है। प्रथम यह देखना है कि आधुनिक शासनविधानों में व्यवस्थापिका सभाओं का क्या महत्व है, दूसरे इनके कार्य क्या हैं। उसके बाद मताधिकार तथा निर्वाचिकामण्डल के विषय पर और अन्त में व्यवस्थापिका सभा की हो भवनों की पद्धति पर विचार करना है।

लोकतन्त्र तथा प्रजातन्त्र के नाम से सभी विचित हैं। शब्दार्थ इसका है—लोगों का राज्य। लेकिन लोगों का राज्य कैसे होता है—यह सभी लोग नहीं जानते। लोकसन्त्र के अदर्श को कियाहमक रूप देने का ऐसे अपेक्षाओं को है। यह कार्य कोई

एक बार बैठकर कुछ दिनों या मासों या वर्षों में नहीं हुआ, वल्कि इसके विकास होने में शताब्दियाँ लगीं। हमने यहाँ इस विकास का डिनिहास नहीं देना। केवल लोकतन्त्र को क्रियात्मक रूप में लाने के द्वां का वर्णन करना है। यह तो सभी समझ सकते हैं कि शासन के कार्य में सारी की सारी जनता भाग नहीं ले सकती। इस समान्या को हल करने के लिये प्रतिनिधि प्रणाली की आवश्यकता पड़ी। अर्थात् सारे देश को कुछ भागों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक हल्के से प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। उनकी एक या दो कार्यसिलें बनती हैं—उपरला हाऊस तथा निचला हाऊस। निचले हाउस के बहुमत दल में से दल का नेता मन्त्रियों को चुनता है। यही मन्त्रिमण्डल कहलाता है। यह मन्त्रिमण्डल सारे देश के शासन के लिये व्यवस्थापिका सभा की अनुमति से सामान्य नीति को स्थिर करता है। इस नीति को शासक विभाग (executive) कार्यरूप में लाता है। इस प्रकार देश के शासन पर मन्त्रिमण्डल का, मन्त्रिमण्डल पर व्यवस्थापिका सभा का; तथा व्यवस्थापिका सभा पर लोगों का प्रभुच होता है। इस पद्धति को प्रतिनिधि सत्तात्मक या पार्लियामेन्ट्री शासनविधान कहते हैं।

इस संचिप्त विवरण देने का अभिप्राय प्रजातन्त्र में व्यवस्थापिका सभा के महत्व का निर्देश करना है। पहले व्यवस्थापिका सभा का काम देश के लिये कानून बनाना ही होता था। परन्तु अब उस सरल स्थिति से बढ़कर इसका कार्य शासन पर सामान्य नियन्त्रण करना भी है।

उत्तरदायी शासन की धुरड़ी है—शासकवर्ग पर व्यवस्थापिका सभा का पूर्ण नियन्त्रण। अतः लोकतन्त्र शासन में उत्तरदायी

शासन को जाँचने की कसौटी है—व्यवस्थापिका सभा की शक्तियाँ तथा कार्य। आधुनिक व्यवस्थापिका सभाओं का कार्य केवल कानून बनाना ही नहीं, बल्कि आवश्यक धन को व्यय करने की अनुबंध देना, मन्त्रियों को एक प्रकार से चुनना, मन्त्रमण्डल की नीति पर नियन्त्रण, उनके कार्य पर निगरानी रखना तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन करना। यदि मन्त्रमण्डल की नीति प्रतिनिधियों को ठीक न लंचे और मन्त्रमण्डल अपनी बात पर छढ़ा रहे तो उसे हटाया तक जा सकता है। एवं, यद्यपि व्यवस्थापिका सभा शासन कार्य की दैनिक कार्रवाही का निरीक्षण नहीं करती तो भी शासन के तथा राष्ट्र नीति के सामान्य सिद्धान्तों का निर्णय उसी के द्वारों में रहता है। ऐसे शासन को उत्तरदायी शासन कहते हैं। ऐसे शासन के लिये ही भारतीय मांग कर रहे हैं। अतः किसी भी शासनविधान में प्रजातन्त्रत्व तथा उत्तरदायित्व को मापने के लिये यह देखना होगा कि उस विधान में व्यवस्थापिका सभा का शासक-वर्ग पर कितना प्रभाव है।

व्यवस्थापिका सभा के कार्यों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—कानून बनाना, शासन की देख-भाल करना तथा आय-व्यय पर नियन्त्रण रखना। अर्थात् देश में जो भी कानून लागू हों, जिनका पालन जनता से करवाना हो तथा जो कानून कच्छिरियों में चलते हैं, वे सब इस सभा में पास होने चाहिए।

शासन की देख-भाल कई उपायों से की जाती है। सार्वजनिक महत्वशाली विषयों पर अपने स्पष्ट मत को प्रकट करने के लिये सभा प्रस्ताव को पास करा देनी है। इससे कानून बनाते समय की येचीदारी से मुक्त हो सकती है। यद्यपि ऐसे प्रस्तावों का कानून की

हष्टि में महत्व नहीं होना, तो भी यह शासकर्ग को प्रदर्शित करने का कार्य आवश्य करते हैं। यदि शासकर्ग अधिक अडियल हो और वह सदस्यों के मत का तिरस्कार करे तो सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव पास कर उनको होश में लाया जा सकता है। अविश्वास के प्रस्ताव के पास हो जाने पर उत्तरदायी शासकर्ग को शासन कार्य से हटा दिया जाता है और नया मन्त्रिमण्डल बनाया जाता है। और यदि कोई विशेष घटना हो जाय, जिसका सार्वजनिक हित से सम्बन्ध हो तो सरकार का व्याप उम पर खींचने के लिये स्थगित-प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। शासन के किसी विभाग के रूटीन कार्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछे जासकते हैं। इसमें शासन कार्य की गढ़बड़ी को लोगों के सन्मुख लाया जा सकता है।

व्यवस्थापिका सभा का तीसरा मुख्य कार्य है, आय-व्यय का नियन्त्रण तथा निरीक्षण। वास्तव में यह लोकतन्त्र का एक सार है, क्योंकि जैसे शरीर के लिये इवासप्रश्वास की आवश्यकता है, वैसे ही एक राष्ट्र को धन की आवश्यकता है। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिये, इंग्लैण्ड में चिरकाल तक, विशेषतया ब्रिटिश इतिहास के स्टूअर्ट-काल में लोगों तथा इंग्लैण्ड के राजाओं में भारी संघर्ष रहा। अब तो इंग्लैण्ड में पार्लियामेंट का ही आर्थिक मामलों पर अखण्ड प्रभुत्व है। शासक-र्ग के बल उतना ही व्यय कर सकते हैं, जितना पार्लियामेंट पास करे। वास्तव में उत्तरदायी शासन की परीक्षा के लिये व्यवस्थापिका सभा का आय-व्यय पर नियन्त्रण एक कसौटी है।

## मताधिकार तथा निर्वाचक-मण्डल

प्रजातन्त्र शासन का अन्तिम आधार है, निर्वाचन पद्धति। अतः आदर्श स्थिति में तो प्रजातन्त्र में सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को वोट देने का अधिकार होना चाहिये और जहाँ तक हो सके, कम से कम व्यक्तियों को वोट के अयोग्य समझा जाना चाहिये। फिर व्यक्तियों को वोट नहीं मिलना चाहिये; इस प्रैत के उत्तर पर प्रजातन्त्र का प्रजातन्त्रत्व निर्भर है। इस कार्य के लिये कुछ अयोग्य व्यक्ति तो स्पष्ट ही हैं—जैसे बच्चे, लड़के, पागल, अपराधी, दिवालिये। पहले तो प्रतिनिधि-सत्त्वात्मक शासन में स्त्रियों, निर्धनों, अमज्जीवियों तथा मज़दूरों को भी वोट का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन आखुनेक काल में ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता। अब तो भताधिकार के लिये जायदाद, टैक्स तथा शिक्षामञ्चन्यी शर्तें होती हैं। कुछ पाश्चात्य देशों ने जायदाद की शर्त भी हटा दी है। नेहरू रिपोर्ट ने भारत में सभी बालियों को भताधिकार देने के प्रस्ताव का समर्थन किया था।

भारत में भताधिकार प्रायः जायदाद, जाति तथा विशेष हितों की शर्तों पर दिया जाता है। भारत में इसके अतिरिक्त निर्वाचन मण्डल भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं। सामान्य निर्वाचक-मण्डल में किसी प्रकार के जातीय भेद का विचार नहीं किया जाता। भारत में ऐसे मण्डल नहीं हैं। कुछ थोड़ा-बहुत सामान्य-मण्डल से मिलते-जुलते निर्वाचक-मण्डल गैर-मुसलमानी हैं। इनमें हिन्दु, पारसी, ईसाई आदि सभी वोट देते हैं। इन भताताओं को केवल जायदाद की शर्त पूरी करनी होती है, और किसी विशेष दल के में निवास करना होता है। साम्प्रदायिक निर्वाचनमण्डलों में किसी विशेष सम्प्रदाय को

अधिकार प्राप्त होता है। भारत में पृथक् निर्वाचन पद्धति के अनुसार मुसलमानों, बिक्लों तथा कई नारों में यूरोपियनों का चुनाव होता है। इन दोनों पद्धतियों को मिलाया भी जा सकता है—जिसमें संयुक्त निर्वाचन पद्धति के साथ विशेष जातियों के लिये विशेष स्थानों की संख्या सुरक्षित रखी जाती है। उदाहरण के तौर पर एक हल्के को लीजिये, जिस में से तीन प्रतिनिधियों में से एक स्थान मुफ्लमान को मिलता है। इस अवस्था में यदि सब से अधिक वोट प्राप्त करने वाले प्रथम सीन व्यक्ति हिन्दु हों तो दो स्थान तो हिन्दुओं को दिये जायेंगे और तीसरा स्थान मुसलमानों को मिलेगा। ऐसे इनना ही होता है कि पृथक् निर्वाचन-पद्धति में उम्मीदवार को केवल अपनी जाति की दृष्टि में अपने को योग्य सिद्ध करना होता है, परन्तु संयुक्त निर्वाचन में उसे सभी लोगों में सर्वप्रिय होना होता है।

इसके अतिरिक्त विशेष निर्वाचक-मण्डल भी होते हैं। इनके द्वारा देश के जमोदार, व्यापार-क्यवमाय तथा विश्व-विद्यालय आदि अपने प्रतिनिधि में जते हैं। इस विशेष निर्वाचन से देश के उन विशेष हितों को—जो कि राष्ट्र के लिए उपयोगी हों—प्रतिनिधि में जने का अवसर मिलता है। भारत में कुछ विश्व-विद्यालयों को तथा यूरोपियन व्यापार संघ, भारतीय व्यापार संघ आदि संस्थाओं को अपने प्रतिनिधि में जने का अधिकार दिया गया है।

एक बात। और १९१९ के एकट के अनुसार—६० लाख व्यक्तियों को मताधिकार मिला था। लेकिन १९३५ के एकट ने ३ करोड़ व्यक्तियों को वोट के अधिकार दे दिये हैं।

## पृथक् निवांचन पद्धति क्यों ?

भारत में यह पद्धति, सर्वप्रथम १९०६ में मिल्टो नोलें सुधार के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई थी। इसका छेश्य भारत में अल्प-संख्यक जातियों के हिनों की रक्षा करना था। प्रजातन्त्र में सबसे बड़ी त्रुटि है—बहुमत से अल्पसंख्यक जातियों को भय। ज्योंकि बहुमत वालों जातियां प्रायः अपनो संकुचित भावनाओं के कारण अल्पमत वाले लोगों की परवाह नहीं करतीं, और शासनकार्य में पक्षपात से काम लेती हैं। ब्रिटिश सरकार की हांडि में भारत जैसे देश में इस भय के लिये विशेष स्थान है। ज्योंकि यहाँ दलशन्दो राजनीतिक तथा सामाजिक विचारों से भी हैं; जोले साहबों को इसका सबसे अच्छा उपाय १९०६ में पृथक्-निवांचन पद्धति ही सूझा।

परन्तु इससे राष्ट्र की राष्ट्रीयता को हानि होती है, ज्योंकि पृथक्-निवांचन में पृथक् पृथक् दलों की विभिन्नता पर अधिक ज्ञार दिया जाता है, जिससे उस देश के बसने वाले संगठित होने के स्थान पर एक दूसरे से शंकित रहते हैं। एक दूमरे के पड़ोसी बनने के स्थान पर अतिवृन्धी तथा शत्रु बन जाते हैं। इस पद्धति में कहर व्यक्तियों के चुने जाने की अधिक सम्भावना होती है। पृथक्-निवांचन से चुने जाने के कारण, इन जातियों के प्रतिनिधि के बाज़ माम्प्रदायिक हितों का ही व्यान रखकर अपने निवांचक मरणदल की हांडि में सर्वप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में वह राष्ट्रीय हितों की परवाह नहीं करते। लेकिन अब तो साम्प्रदायिक निवांचन पद्धति भारतीय शासन विधान का स्थिर अंग बन गई है।

### व्यवस्थापिका सभा के दो भवनों की पद्धति

इप पद्धनि के अनुमार व्यवस्थापिका सभा के दो भवन होते हैं। इन दोनों भवनों के पृथक् पृथक् निर्वाचक मण्डल होते हैं। इनकी शक्तियाँ, तथा राजनीतिक महत्व एक जैसा नहीं होता। ऊपरले हाउस में देश के धनिक वर्ग तथा जर्मीदारों आदि के प्रतिनिधि रहते हैं। निचला हाऊस जनता द्वारा निर्वाचित होता है। इसलिए इसके अधिकार भी अधिक होते हैं, क्योंकि ऊपरले हाऊस के सदस्य सम्ब्रान्त व्यक्ति होते हैं, अतः वे राष्ट्र के सभी आगों की आवश्यकताओं को नहीं समझ सकते, इसीलिए उनके हाथों में अर्थनीति और आय-ज्यय सम्बन्धी क्षेत्र में अधिकार नहीं दिया जाता। इन प्रश्नों पर प्रायः निचले हाऊस का निर्णय अनिम होता है।

इस विषय पर—कि व्यवस्थापिका सभा के दो भवन होने चाहिये या नहीं—राजनीतिक विचारकों में मतभेद है। कई राजनीति शास्त्रज्ञ उत्तरले हाउस को निर्णयक समझते हैं, क्योंकि इससे शासन कार्य में पेचीदगी बढ़ती है, अतः इससे राष्ट्र के बहुमूल्य समय, धनादि की हानि होती है। भारत में १९१९ के एक्ट से केन्द्र में दो भवनों की व्यवस्थापिका सभा बनाई गई। अब नये एक्ट के अन्तर्गत कुछ प्रान्तों में भी ऊपरला हाऊस बना दिया गया है, ताकि वह निचले हाऊस के प्रस्तावों में परिवर्तन कर सके। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय विचार वाले इसे भारतीय प्रगति में एक बाधा मानते हैं।

### संघ शासन

जैसा कि प्रायः विद्वित ही है, लोकतन्त्र का सिद्धान्त ईसा

से पहले भी इतिहास में प्राचीन ग्रीस की कतिपय जातियों में तथा भारत में लिङ्गवी आदि जातियों में मिलता है। लेकिन संघ शासन एक नवीन संस्था है। इसका नामकरण संस्कार एक प्रकार से १९०७ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के स्वतन्त्रता प्राप्त करने के अवसर पर हुआ था। संघ शासन की आवश्यकता परिस्थितियों ने पैदा की। अवश्यकता का कारण था स्वतन्त्र छोटे छोटे राज्यों का पड़ोम। ये छोटे छोटे राज्य एक और अपनी स्वतन्त्रता को छोड़ना नहीं चाहते थे और दूसरी ओर विदेशी आकमणों से अकेले अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। उस पर आधुनिक युग में आर्थिक हितों के लिये बड़े र छू तथा एक नीति का होना लाभदायक होता है। ऐसी परिस्थितियों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कैनेडा तथा आर्ट्रेजिया में पैदा हुई—अतः वहां संघशासन स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी।

सुनिद्ध विधान-शास्त्रज्ञ डाइसे ने संघशासन स्थापित करने के लिये दो अवस्थाओं का होना आवश्यक माना है। एक तो यह कि जो राष्ट्र या प्रान्त अपने आपको संघशासन के अधीन करना चाहें वे जातीय, ऐतिहासिक आदि किसी भाव के कारण सम्पूर्ण संघ को एक राष्ट्र के रूप में जान सकें ताकि उन पर एकराष्ट्रीयता की सुदृढ़ लग सके। दूसरे वे संघ (union) के इच्छुक हों, एकता (unity) के नहीं। अर्थात् एक और तो वे अपनी स्वतन्त्रता सुरक्षित रख सकें, और दूसरों ओर राष्ट्रीय कार्यों के लिये वे एक साथ जुट सके।

इस विधान के बनान के लिये, स्वतन्त्र राष्ट्र अपने प्रभुत्व के कुछ विभागों को संघ के हाथों में सौंपना स्वीकार करते हैं। बस, उसी सीमा तक आन्तरिक सामलों में वे संघ के सीधा

अधीन रहेंगे। ऐसी अवस्था में भविष्य के भागों को रोकने के लिये इस विधान को विस्तारपूर्वक लिखा जाता है। विशेषतया इसमें प्रभुत्व के जिस भाग को छोटे राष्ट्र संघ को सौंपा जाता है, उसको स्पष्टतया लिखा जाता है। तो भी ऐसे विधान में, विधान की व्याख्या पर भागड़ा होने की काफ़ी गुज्जायश रहती है। इन भागों को निवारने के लिये फ़िडलर कोर्ट की आवश्यकता पढ़ जाती है। इस कोर्ट का काम संघ के सदस्य प्रांतों से; तथा एक सदस्य प्रान्त का दूसरे सदस्य प्रान्त के बीच भागड़ा निपटना होता है।

ऊपर के विवरण से यह पता चल गया होगा कि संघ शासन की मुख्य विशेषतायें क्या क्या हैं। पहली बात तो विधान की प्रभुत्वता है, क्योंकि संघशासन का अस्तित्व ही इससे है। इस प्रसंग में करिपय बातों को नोट करना चाहिये। एक विधान लिखित, तथा अपरिवर्तनीय होता है। दूसरे, संघ के सदस्य प्रान्तों में जितनी व्यवस्थापिका सभाएं होती हैं वे संघ की व्यवस्थापिका सभा के अधीन होती हैं। तीसरी बात शक्तियों का संघ के सदस्य विभागों में बांटना तथा फ़िडलर के नियमों की व्याख्या करने का सर्वमाननीय अधिकर शक्तियों को बांटते समय, जो शक्तियाँ सम्पूणे राष्ट्र के हिन के लिये आवश्यक होती है, उन्हे संघ के अधीन कर दिया जाता है। तथा स्थानीय आन्तरिक आवश्यकताओं के लिये जिन शक्तियों की ज़रूरत होती है, वे प्रान्तों के पास ही रहने दी जाती हैं।

अगले अध्याय में भारतीय शासन विधान का विवरण देना है। इसको हम तीन भागों में विभक्त करेंगे—झालैरड में, केन्द्र में तथा प्रान्तों में। परन्तु इस क्रम को कुछ बदल

दिया जायेगा। सब से प्रथम केन्द्र के सम्बन्ध में अर्थात् भारतीय संघ शासन पर लिखा जायेगा। उसके बाद प्रान्तों पर और सबसे अन्त में इंग्लैण्ड से संचालित होने वाले भारतीय शासन पर। यहाँ यह भी बता दिया जाय कि १६३५ के एकट में भारत मन्त्री के अधिकार ११ वें अध्यायों से दिये गये हैं। ऐसा क्यों किया गया। यह अपने आप बाद में पता चल जायेगा।

(४)

## अखिल भारतीय संघ

अंग्रेजों ने सारे भारत को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, इसी लिये नक्शे में आज भारत के दो भाग नजर आते हैं, एक पीला तथा दूसरा लाल, अर्थात् रियासती तथा ब्रिटिश। लेकिन यह तो एक ऐतिहासिक घटनामात्र है। इन देसी राजाओं के पूर्वज या तो स्वतन्त्र राजे थे या शक्तिशाली शासक सचिव, व सेनापति। १८ वीं तथा १९ वीं शताब्दी के राजनीतिक बवण्डर के सन्मुख बहुत से ऐसे महत्वाकांचियों का नाश होया। कंवल वही जो कि उस बवण्डर के आगे मुकने की बुद्धिमता रखते थे—अपने गौरव तथा राजनीतिक अधिकारों का मूल्य देकर अपने आप को बचाये रख सके।

परन्तु रियासती तथा ब्रिटिश भारत के इस द्वैष के होते हुए भी भारत, वास्तव में, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से; बहुत हद तक एक ही देश है। मूगोल की दृष्टि से तो वह एक ही है। ऐतिहासिक दृष्टि कोण से, चन्द्रगुप्त, अशोक, अकबर आदि सम्राटों के काल में वह एक रह चुका है। रियासती तथा ब्रिटिश भारत की जनता जाति तथा धर्म की दृष्टि से एक जैसी हैं। सम्पूर्ण भारत की अर्थीक समस्यायें भी भिन्न नहीं। राजनीतिक दृष्टि से सम्पूर्ण भारत अंग्रेजों के अधीन है। उस पर राष्ट्रीय भावना भी जनता में जागृत हो चुकी है। ऐसी अवस्था में संघशासन की वांच्छनी-

यता स्पष्ट हो जाती है। ऐसा विचार श्री मौखेगु के मनमें भी था। बटलर कमेटी<sup>१</sup> तथा साइमन कमीशन के सामने भी ऐसा विचार था। लेकिन यह कभी उनके मन में न था कि यह बात इन्होंना शीघ्र वैधानिक रूप धारण कर लेगी, क्योंकि तब यह सम्भव प्रतीत नहीं होता था कि रियासती नरेश भी इसमें प्रवेश करना चाहेंगे। वे प्रवेश क्यों नहीं करना चाहते थे?

इस विषय को समझने के लिये हमें रियासतों की तथा प्रान्तों की वैधानिक स्थिति की जाँच करनी होगी। रियासतों की वैधानिक स्थिति बड़ी अजीब-सी है। उनकी राजनीतिक स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में स्वीकार नहीं की जाती। उनके रक्षा तथा बाह्य मामले तो ब्रिटिश सरकार के हाथों में हैं, लेकिन आन्तरिक मामलों में कई रियासती राजाश्वों को सम्पूर्ण शासन के अधिकार प्राप्त हैं। आन्तरिक क्षेत्र में भी, कुशासन के समय ब्रिटिश सरकार हस्तांत्रिप घर सबती है। लेकिन ऐसा प्रायः नहीं किया जाता। यद्यपि उब कभी हस्तांत्रिप किया जाता है तो वह प्रभावरहित नहीं होता। सन्नाट<sup>२</sup> की ओर से यह नियन्त्रण सन्नाट का प्रतिनिधि बायसराय तथा भारतसरकार किया जाता थी।

ब्रिटिश भारत में रेगुलेटिंग एक्ट और विशेषतया १८३३ तथा १८५८ के कानूनों ने, एक अति कोन्द्रित शासनप्रणाली स्थापित करदी थी। सम्पूर्ण फौजी तथा सिविल अधिकार इसके हाथ में थे। शासन की सुगमता के लिये प्रान्तों को बनाने की अवश्यकता पड़ी और वहाँ प्रान्तीय शासन की स्थापना भी की गई, लेकिंत उनकी यह सारे अधिकार कोन्द्रिय सरकार से मिले थे। प्रान्तीय सरकार वही कार्य कर सकती थी

जिन के लिये उन्हे केन्द्रीय सरकार से आदेश मिलते थे। लार्ड मेयो ने १८७० से अधिकार विभाजन (Decentralisation) प्रारम्भ किया। यह विभाजन मोएटफोर्ट सुधार के समय काफी हद तक पहुंच गया था, लेकिन ऐसा होने पर भी प्रान्तों को कोई नई वैधानिक पदवी नहीं मिली। केन्द्रीय सरकार ही भारत के शासन के लिये उत्तरदायी थी। प्रान्तीय सरकार तो केवल केन्द्रीय सरकार की एजेंट-मात्र थी।

इस प्रकार आज भारत में दो अंग हैं, जो राजनीतिक भारत को बनाते हैं। एक अंग तो इनमे से आन्तरिक सामलां में स्वतन्त्र है। अतः इस अंग को अखिल भारतीय संघ में प्रवेश करने के लिये अपने अधिकारों के कुछ भाग का त्याग करना पड़ेगा। दूसरा अंग ब्रिटिश प्रान्तीय सरकारें हैं, जिनको केन्द्रीय सरकार से अधिकार मिले हैं और जो केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसार घटाये अथवा बढ़ाये जा सकते हैं। उन्होंने तो संघ में प्रदिष्ठ होने के लिये कुछ भी नहीं छोड़ना। उनके पास अपने अधिकार हैं ही कौन से, जिनको उन्होंने छोड़ना हो। बल्कि संघ शासन में प्रवेश करने से उन्हें तो एक नई वैधानिक पदवी प्राप्त हो जांगी।

इस अवस्था में रियासतें संघ में प्रवेश करने से भिन्न हनी थीं। उनको प्रवेश करने के लिये कोई वाधिन भी नहीं कर सकता। एक और दात भी थी। रियासतों के सम्बन्ध में सप्राट् के स्थान पर वायसराय तथा भ.रत सरकार सप्राट् की पैरामाउंट (Paramount) शक्ति का प्रयोग करते थे। अब तक भारतसरकार का रूप तो नौकरशाही था। लेकिन ब्रिटेश भारत में राजनीतिक प्रगति के साथ-साथ भारतसरकार के

स्वरूप में भी परिवर्तन आना था, इसे अपना नौकरशाही रूप छोड़कर उत्तरदायी रूप धारण करना था। उत्तरदायी रूप की प्राप्ति पर भारतीय रियासतों पर ( चाहे परोक्ष रूप में ) भारतीय जनता का नियन्त्रण हो जाना था। यह रियासती नरेश भला कैसे पसन्द कर सकते थे ? इसलिये उनके कहने पर बटलर कमेटी बैठाई गई, जिसने यह निश्चय किया कि रियासतों का सम्बन्ध सीधा सम्राट् से है, भारतीय सरकार से नहीं। दूसरी बात इस कमेटी ने यह कही कि रियासतों को, बिना उनकी अपनी मर्जी के ब्रिटिश भारत में नई उत्तरदायी सरकार के साथ किस प्रकार से सम्बद्ध न किया जाये। यह १९२७ की बात है।

गोलमेज्ज कॉफेस पर छिसी को यह आशा न थी कि रियासतें संघ में प्रवेश करना स्वीकार करेंगी। अतः सभी को, रियासती नरेशों के संघ में प्रवेश करने के निश्चय को सुन कर अचम्भा हुआ था। इसका विशेष कारण था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता को सन्तुष्ट करने के लिये कुछ अंशों में केन्द्र में उत्तरदायित्व शासन देना था। लेकिन इस बात से वह घबराती भी थी। यदि छिसी प्रकार से केन्द्र में अनुदार दल का बहुमत कायम हो जाता, तो उनको घबराने का कोई कारण न रहता। भारतवेस आफ रीडिङ्क के शब्दों में “यदि संघशासन में भारतीय नरेश प्रवेश करें तो मैं भारत को कुछ सेफगाड़ज के साथ उत्तरदायी शासन देने को तैयार हूँ।”

भारतीय राजाओं के निश्चय को मान कर ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि भारतीय रियासतों का राजनीतिक सम्बन्ध ब्रिटिश सम्राट् से अथवा उसके प्रतिनिधि वायसराय से है, न कि भारत सरकार से। रियासती नरेशों को संघ में प्रवेश करने के

लिये उन्हें उनके अनुपान से कही अधिक स्थान फिरलं व्यवस्था-पिका समा में दिए गए ।

नरेशों को अपना रुख बदलने में लाभ नजर आया, संघ में प्रवेश करने से वे ब्रिटिश भारत में राजनीतिक प्रगति के प्रभाव को रियासतों में फैलने से रोक सकेंगे । इस पर उनका “पैरामाऊंट पावर” से कुछ सीमा तक मुक्ति मिलेगी, तथा पोलिटिकल डिपार्टमेंट के बर्ताव से छुटकारा मिलेगा । संघ में प्रवेश करने से ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के परस्पर विरोधी हितों का समीकरण हो सकेगा और भारतीय सरकार में उनकी आवाज सुनी जायगी ।

अब रियासतों के संघ में प्रवेश करने से उनकी चैधानिक स्थिति तीन तरह की हो जायगी । आन्तरिक मामलों में वे लंग-भग स्वतन्त्र होंगे, दूसरे उस सीमा तक वे सघ शासन के अन्तर्गत होंगी, जिस सीमा तक उन्होंने अपनी शक्तियाँ संघ शासन को संतुष्ट दी हैं । तीसरे वे सम्राट् की पैरामाऊंट पावर के अधीन होंगी ।

दूसरी ओर प्रान्तों को, कुछ सेफागार्डों के साथ, आंतरिक स्वराज्य मिला । इस विषय पर हम अगले अध्याय में विस्तार से लिखेंगे

### भारतीय संघशासन की विशेषताएँ

पिछले अध्याय में हमने सामान्य सघ शासन की विशेषताएँ संक्षेप से बताई थीं । उनमें से कुछ विशेषताएँ इस में भी हैं । यह भी लिखित है । इसमें श्री केन्द्र तथा प्रान्तीय अधिकारों की बाट की गई है । यहां भी एक फिरल कोर्ट की स्था-

पता की गई है। लेकिन अन्य बहुत चारों में भेद भी है। सबसे पहले तो संघ में शासन राष्ट्र की एकता को तोड़ रहा है। संघ शासन तो वहाँ स्थापित किया जाता है, जड़ी चिन्ह-मिश्र राष्ट्रों को, आक्रमण आदि भयों तथा अन्य कारणों से अपनी रक्षा करनी हो। यहाँ तो पहले ही सारा देश केन्द्रीय सरकार के अधीन था। यहाँ वह स्थिनियाँ-जिन में प्रायः संघ शासन का निर्माण किया जाता है- थीं ही नहीं। यह बात संयुक्त-पालियामेण्ट्री कमेटी ने भी मानी है।

दूसरी बात यह है कि रियासतों तथा प्रान्तीय सरकारों की वैयानिक स्थिति में भेद है। रियासतें तो राजाओं के व्यक्तिगत शासन के अन्तर्गत हैं। लेकिन प्रान्तीय सरकारें लगभग उचरदायित्व पा चुकी हैं। उस पर रियासतों के प्रतिनिधियों को देशी नरेश नामज्ञाइ करेंगे, लेकिन प्रान्तीय प्रतिनिधि, निर्वाचन से हो फिडरल व्यवस्थापिका सभा में स्वान प्राप्त करेंगे। प्रायः संघ शासन का संघ के सदस्य प्रान्तों में एक जैसा प्रमुख होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों में तो संघ शासन का प्रमुख्त्व सामान्य होगा। लेकिन रियासतों में केवल उन्हीं ज्ञेत्रों में प्रमुख्त्व होगा, जिन में देशी-रियासतों के नरेश उसका प्रभुत्व सनाना स्वीकार करें। इसके अतिरिक्त रियासतों का संघ में प्रवेश करना उनकी मर्जी पर निर्भर है। लेकिन ब्रिटिश भारत के प्रान्तों को तो संघ शासन में प्रवेश करना ही होगा।

तीसरी बात यह कि इस विधान में परिवर्तन करने का ब्रिटिश पालियामेण्ट को ही अधिकार है।

चौथी बात फिडरल व्यवस्थापिका सभा के दोनों भागों निर्माण करने के सम्बन्ध में है। आम तौर पर निचले हाड़स में

संघ के सभी सदस्यों को आवादी के अनुपात से स्थान दिये जाते हैं तथा उपरले हाउस में राष्ट्रीय एकना की दृष्टि से सभी को समन प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लेकिन यहाँ इस सिद्धान्त का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ तो व्यवस्थापिका सभा के उपरले हाउस के लिये सीधा चुनाव होता है तथा निचले हाउस के लिये परोच्च ढंग से—वह भी सम्बद्धाधिक पद्धति का अनुसरण करते हुए। इसके फल स्वरूप, संघ-शासन स्थापित करने के उद्देश्य—अर्थात् भारत की सङ्ग एकता तथा राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से—को एक प्रकार से हानि पहुंचती है।

पांचवीं बात; यह-संघशासन नाममात्र को ही संघ-शासन है। बास्तव में यह अति केन्द्रित शासन रहेगा। और तो और, प्रान्तीय विषयों पर भी यहाँ गवर्नर जनरल का नियन्त्रण रहता है। अतः एक गरह से प्रान्तीय सरकारें भी पूर्णतया उच्चरदायी नहीं।

उस पर अतिरिक्त शक्तियों (Residuary powers) के विषय में निर्णय करना गवर्नर जनरल की विवेचनात्मक शक्तियों के अन्तर्गत कर दिया गया है।

एक अजीब बात यह है कि रियासतों के प्रतिनिधि तो त्रिटीय भारतीय कानून बनाने के समय बोट दे सकते हैं, लेकिन रियासती भागों पर विचार करते समय त्रिटीय भारतीय प्रतिनिधियों को बोट देने का अधिकार नहीं।

इन्हीं युक्तियों को ध्यान में रखते हुए भारत के सभी राजनीतिक दलों ने इस संघ शासन की निन्दा की है। क्योंकि प्रान्तीयता तथा साम्राज्याधिकरा आदि के भावों के बढ़ने से राष्ट्रीयता के भावों में, और नरेशों के प्रतिनिधियों के व्यवस्थापिका सदा में होने से भारतीय प्रगति में बाधा पड़ेगी।

संघ शासन स्वायत्त प्रान्तों, चीफ़ कमिश्नरियों तथा रियासतों के प्रबेश करने से स्थापित होगा। संयुक्त पार्लियामेण्ट्री कमेटी के शब्दों में “यह बात स्पष्ट है कि यदि नये विधान में सम्ब्राट के अधीन स्वायत्त प्रान्त, संघ योजना में मिलाये जायेंगे—तो न केवल प्रान्तीय सरकार अपनी शक्तियाँ तथा अधिकार केन्द्रीय सरकार से नहीं पायेगी, बल्कि केन्द्रीय सरकार भी इन्हीं भ्रमों से स्थित भारत मन्त्री की एजेंट नहीं रहेगी। बल्कि दोनों ही सम्ब्राट से अपने अधिकार प्राप्त करेंगी। इसीलिये सन् १९३५ के विधान में भारत मन्त्री को ११ वें अध्याय में स्थान दिया गया है। प्रान्तों में उच्चराज्यीय शासन स्थापित होने पर भारत मन्त्री को प्रान्तीय शासन के लिये उच्चराज्यित्व कैसे रह सकता है ?

इसी बात को ध्यान में रख कर संघशासन की स्थापना होने से पहले, सम्ब्राट, ब्रिटिश भारत प्रदेश के सभी सत्त्वों, तथा अधिकारों को अपने-हाथ में लेगा, चाहे यह अधिकार भारतमन्त्री के जिम्मे हों, चाहे गवर्नर जनरल या प्रान्तीय गवर्नरों के। इसके बाद उन अधिकारों को एक और केन्द्रीय सरकार तथा दूसरी और प्रान्तीय सरकारों में बाँट दिया जायेगा। यह बंटवारा कैसे होगा, यह विधुन में दिया गया है। एवं केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनों सरकारें एक ही स्रोत से अपने-अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगी।

रियासतों नरेशों का संघ मे प्रबेश करना उनकी मर्जी पर निर्भर होगा। उनको संघ मे प्रबेश करने से पहले एक “ईस्टूमेण्ट आफ़-एक्सैशन”--भरना पड़ेगा, जो सम्ब्राट द्वारा स्वीकरणीय होना

चाहिये। इस में यह लिखा जायगा कि किस सीमा तक नरेश अपने अधिकारों को फिडरेशन के सुपुर्द करेंगे। संघशासन तब तक स्थापित नहीं हो सकेगा, जब तक फिडरल काँचंसिल आफ्स्टेट में उतने नरेश प्रवेश न कर लें, जिनके प्रतिनिधियों की संख्या ५२ हो। इन प्रवेश करने वाली रियासतों की जनता की संख्या, सभ्पूर्ण रियासतों जनता की संख्या का आधा होनी चाहिए। यहां यह भी बता दिया जाय कि बीस वर्ष के बाद जो रियासत संघ में प्रवेश करना चाहेगी, उसके प्रवेश होने का प्रस्ताव पहले फिडरल हाउसो द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक होगा। जब ऊपर की दोनों शर्तें पूरी हो जायेगी, तब पार्लियामेण्ट के दोनों भवनों के द्वारा प्रार्थना किये जाने के अनन्तर सम्नाट् अखिल भारतीय संघ की स्थापना की घोषणा करेंगे।

### अधिकार-विभाजन—

संघ शासन स्थापित करते हुए फिडरल तथा उसके सदस्य प्रान्तों के अधिकारों का विभाजन करके उनकी सूची तैयार की जाती है। यहां भी वैसा किया गया है। धारा ६६ से ११० तक में फिडरल तथा प्रान्तों के व्यवस्थापक अधिकारों की परिभाषा दी गई है। इसके अतिरिक्त उन अधिकार क्षेत्रों की सूची तैयार की गई है, जिन पर फिडरल सरकार तथा प्रान्तों को समानाधिकार होंगे। संघ व्यवस्थापिका सभा उसी सीमा तक रियासतों के लिये कानून बना सकती है, जहाँतक कि “इंस्ट्रुमेण्ट आफ्स ऐक्सेशन” में निश्चित किया गया है। इसके इलावा “अतिरिक्त अधिकारों” (residuary powers) को गवर्नर जनरल के अन्तर्गत कर दिया गया है। वास्तव में यह अधिकार फिडरल या प्रान्तीय सभाओं

को दिये जाते हैं। लेकिन दुर्माग्य से इस विषय को साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से जांचा गया। हिन्दू चाहते थे कि यह अतिरिक्त अधिकार केन्द्र के लिम्मे कर दिये जायें। मुसलमान इन्हें प्रान्तों के अधीन करना चाहते थे। ब्रिटेश सरकार ने इम भगाड़े को निपटाने के लिये न इनको प्रान्तों के अधीन किया, न केन्द्र के। धारा १०४ के अनुसार गवर्नर जनरल बैन्ड व प्रान्तों को इन हेतुओं से कानून बनाने का अधिकार दे सकता है।

एकट की सातवीं तालिका में इन विभाजित अधिकारों की सूची दी हुई है। केन्द्रीय सरकार के अधीन जो विभाग हैं, उनमें से कुछ यह हैं—रक्षा, वाहा मामले, देशी रियासतों से सम्बन्ध, रेल, जहाज़्रानी, डाक-तार, कस्टम्स, हई या एक्साइज़ कर, नमक पर कर, मुद्रा तथा करैसो, भारत का सार्वजनिक शूण्य, अफीम, कापोराइट, पठिजक सर्विस कमीशन।

प्रान्तीय सरकार के अधीन मुख्य विभाग हैं—शिक्षा, स्थानीय स्वराज्य, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लगान, अकाल-निरोध, कृषि, आवपाशी, उद्योग-व्यवसाय, पोलीस तथा न्याय।

इस विभाजन के समय यह छ्यान रखा गया है कि जिन विषयों का सम्पूर्ण भारत से सम्बन्ध है, उनको केन्द्र के अन्तर्गत रखा जाय—जैसे डाक-तार, रक्षा आदि। तथा शिक्षा, कृषि, स्थानीय स्वराज्य आदि हेतु जिनका स्थानीय स्थितियों से गड़ा सम्बन्ध है—प्रान्तीय सरकार के अधीन छोड़ दिये गए हैं।

१९३५ के शासन विधान का दूसरा सिद्धान्त पर्याप्त सेफाराईज़ के साथ संघ—केन्द्र—में किसी सीमा तक उत्तर-

द्वायित्व देना था। हम ऊपर बता चुके हैं कि उच्चरदायित्व देने के लिये केन्द्र पर एक प्रकार की हैथ शासन प्रणाली का निर्माण किया जायेगा। फिडरल सूची के विषयों को दो भागों में विभक्त किया गया है। इनमें से एक विभाग को सुरक्षित विभाग कहा जा सकता है। रक्षा, बाह्य तथा अर्थ-सम्बन्धी कार्य आदि विषय इसके अन्तर्गत होगे। इस विभाग पर गवर्नर-जनरल सलाहकारों की सम्मति से शासन करेंगे। ये सलाहकार फिडरल व्यवस्थापिका सभा के सन्मुख उच्चरदायी नहीं होंगे। इन सलाहकारों की संख्या तीन होगी और यह गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

**दूसरा विभाग**—जिसको हस्तान्तरित विभाग(transferred) कहा जा सकता है—पर गवर्नर-जनरल मन्त्रिमण्डल के परामर्श से शासन करेगा। इस मन्त्रिमण्डल के सदस्य व्यवस्थापिका सभा के सदस्य होंगे। इनका नियुक्त करना तथा हटाना गवर्नर जनरल के हाथों में होगा।

इसके अतिरिक्त, गवर्नर जनरल को एकट की १५ वीं धारा के अन्तर्गत एक आर्थिक-सलाहकार को नियुक्त करने का अधिकार है। यहां यह बता दिया जाय कि यह व्यक्ति अर्थ-संचिव से भिन्न है। इसका अर्थ विभाग से सम्बन्ध नहीं होगा। सलाहकारों तथा मन्त्रियों के चेत्रों को स्पष्टतया पृथक-पृथक कर दिया गया है। लेकिन तो भी ऐसी हैथ प्रणाली में त्रुटियाँ रह ही जाती हैं, जैसा कि प्रान्तीय चेत्र की हैथ प्रणाली के अनुभव से विदित ही है।

इनके अतिरिक्त लोकमत के प्रतिनिधियों को जो उच्चरदायित्व दिया भी गया है, वह सेफ़ाद्दूर्जी तथा गवर्नर

के विवेचनात्मक अधिकारों और उनके विशेष उत्तरदायित्वों के होने से बहुत कम हो जाता है। जैसा संयुक्त पार्लियमेंट कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है, अंग्रेजों के मन में, उत्तरदायित्व देते समय यह भाव निरन्तर रहा कि कहीं भारतीय इन अधिकारों को दुरुपयोग न करें। फज़ास्वरूप एक और तो वह अधिकार देने की इच्छा प्रकट करते हैं और दूसरी ओर उनको अपने हाथ में रखने की।

बैधानिक दृष्टि से वास्तव में सारा शासन कार्य तो गवर्नर जनरल तथा गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व के अन्तर्गत आ जाता है। यह विशेष उत्तरदायित्व (special responsibilities) पहले नहीं थे। इन विशेष उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत केवल कुछ विशेष बातों पर ही नहीं, बल्कि सभूर्ण प्रान्तीय तथा केन्द्रीय शासन-कार्य पर एक प्रकार से नियन्त्रण हो जाता है।

एकट की १२वीं धारा में गवर्नर जनरल के तथा ५२वीं में गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्वों की जो परिसंरक्षा की गई है, वह नीचे दी जाती है:—

१—भारत में शान्ति और व्यवस्था को भारी खतरे से बचाना।  
२, ३, ४—संघ शासन की आर्थिक स्थिरता और साल की और अल्पसंख्यक जातियों तथा सिद्धि सर्विस के अधिकारों की रक्षा करना। ५, ६—प्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध किसी प्रकार के अनुचित विशेष को रोकना।

७ रियासतों के अधिकारों की रक्षा करना।

८, जो कार्य विशेष उत्तरदायित्व को निभाने के लिये तथा विवेचनात्मक अधिकारों के अध्यवा अपने व्यक्तिगत निर्णय अनुसार किए जाने हों, उनको ठीक तौर से करवाना।

इस सूची पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि शासन के सभी विभाग - शान्ति तथा व्यवस्था, आर्थ, सरकारी नौकरियाँ, आर्थिक स्वातन्त्र्य, अल्पसंख्यक समस्या, प्रेट्रिटेन के विरुद्ध अनुचित विरोध—इस सूची के अंतर्गत आजाते हैं। इस प्रकार संघशासन एक व्यक्ति के हाथ में अति-केन्द्रित बन गया है।

इसके अतिरिक्त, गवर्नर जनरल जिस कानून को चाहे रद्द कर सकता है, नये आईंडीनैन्स जारी कर सकता है। और तो और, एकट की ४५वीं धारा के अन्तर्गत वह गवर्नर जनरल के कानून भी बना सकता है। इसके लिये उसे केवल व्यवस्थापिका सभा को, उस कानून की आवश्यकता बताने के लिए एक संदेश में जना ही आवश्यक है।

### व्यवस्थापिका सभा

व्यवस्थापिका सभा में सम्राट् का प्रतिनिधि गवर्नर जनरल तथा दो हाउस होंगे। गवर्नरजनरल के हाथ में सभी शासनाधिकार होंगे। उपरले हाउस का नाम होगा, कार्डिसिल आफ स्टेट तथा निचले का ‘हाउस आफ ऐसेम्बली।’ इनकी बनावट का इन तालिकाओं से पता चल जायेगा:—

| नाम                | ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधि |         |         |          | कुल जोड़ |
|--------------------|--------------------------|---------|---------|----------|----------|
|                    | निर्वाचित                | नियुक्त | नियुक्त | कुल जोड़ |          |
| कार्डिसिल आफ स्टेट | १५०                      | ६       | १५६     | १०४      | २६०      |
| फ़िल्डरल ऐसेम्बली  | २५०                      | ...     | २५०     | १२५      | ३७५      |

## काँड़सिल आफ़ स्टेट में ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि

| प्रान्त व जाति       | छोटा स्थान | सामान्य स्थान | कैनूनी विधि के | सिक्खी विधि | मुसलमानों की विधि | यहूदी विधि के |
|----------------------|------------|---------------|----------------|-------------|-------------------|---------------|
| महाराष्ट्र           | २०         | १४            | १              | —           | ४                 | १             |
| बंगलुरू              | १६         | १०            | १              | —           | ४                 | १             |
| बंगाल                | २०         | ८             | १              | —           | १०                | १             |
| संयुक्त-प्रान्त      | २०         | ११            | १              | —           | ७                 | १             |
| पंजाब                | १६         | ३             | —              | ४           | ८                 | १             |
| बिहार                | १६         | १०            | १              | —           | ४                 | १             |
| मध्यप्रान्त तथा बरार | ८          | ६             | —              | —           | १                 | —             |
| आसाम                 | ५          | ३             | —              | —           | २                 | —             |
| सीमाप्रान्त          | ५          | १             | —              | —           | ४                 | —             |
| छड़ीसा               | ५          | ४             | —              | —           | १                 | —             |
| सिन्ध                | ५          | २             | —              | —           | ३                 | —             |
| ब्रिटिश बलोचिस्तान   | १          | —             | —              | —           | १                 | —             |
| दिल्ली               | १          | १             | —              | —           | —                 | —             |
| अजमेर भारवाड़        | १          | १             | —              | —           | —                 | —             |
| कुर्ना               | १          | १             | —              | —           | —                 | —             |
| एंड्लो-इण्डियन       | १          | —             | —              | —           | —                 | —             |
| यूरोपियन             | ७          | —             | —              | —           | १                 | —             |
| भारतीय ईसाई          | २          | —             | —              | —           | —                 | —             |
| <b>कुल जोड़</b>      | <b>१५०</b> | <b>७५</b>     | <b>६</b>       | <b>४</b>    | <b>४६</b>         | <b>६</b>      |

अखिल भारतीय संघ

4

अब इस अध्याय को समाप्त करने से पहले इन भवन की निर्वाचन पद्धति पर कुछ कहना है। “काउंसिल आफ स्टेट” के सदस्य तो सीधे ही चुने जायेगे, लेकिन “फिडरल असेम्बली” में परोक्ष चुनाव होगा। काउंसिल आफ स्टेट्स के सदस्यों को चुनने का मताधिकार बड़ी-बड़ी जायदाद वालों या बड़े व्यापारियों तथा सम्भ्रान्त श्रेणी को ही दिया गया है। फिडरल असेम्बली के लिये प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएं निर्वाचन करेंगी। प्रत्येक प्रान्तीय असेम्बली के मुसलमान तथा सिख मेम्बर मुसलमान तथा सिख प्रातिनिधियों को चुनेगे। स्त्रियों के प्रतिनिधियों को सारे भारत की प्रान्तीय सभाओं की सदस्य महिलाये चुनेंगी। इसी तरह ऐंग्लो इण्डियन, यूरोपियन तथा भारतीय ईसाई भी अपनी-अपनी जातियों के प्रान्तीय सदस्यों द्वारा चुने जायेगे।

१९३३ के ब्हाइट पेरर मे फिडरल असेम्बली के चुनाव के लिये सीधे निर्वाचन का ही प्रस्ताव था। किन्तु बाद में संयुक्त कमेटी ने इसे परोक्ष कर दिया। कारण यह दिया गया था कि भारत जैसे विस्तृत तथा घनी आबादी वाले देश मे ऐसा करने के लिये या तो निर्वाचक-मण्डल बहुत बड़े बनाने की, और या फिडरल असेम्बली के सदस्यों को संख्या को अधिक बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये दोनों बाते करना कमेटी ने ठीक नहीं समझा। लेकिन कमेटी की आपत्तियों के उत्तर में बताया जा सकता है कि यदि अमेरिका, कैनेडा तथा आस्ट्रेलिया में सीधा निर्वाचन किया जा सकता है, तो भारत में भी हो सकता है। विशेषतया जब अमेरिका में मताधिकार प्राप्त लोगों की संख्या भारत में मताधिकार प्राप्त लोगों से कम नहीं।

## फ़िडरल कोर्ट—

संघशासन के विषय पर लिखते हुए फ़ीडरल कोर्ट पर लिखना क्यों आवश्यक हो जाता है यह तो स्पष्ट ही है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि फ़िडरल कोर्ट संघविधान का संरक्षक तथा व्याख्याकार होता है। इसके अतिरिक्त संघ के सदस्य प्रान्तों के परस्पर भागड़ों को निवाटाने के लिये ट्रिब्युनल भी यही होता है। फ़िडरल तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका समाजों के कानून बनाने पर जो भागड़े उठें—इन सब के लिये एक निष्पक्ष, स्वतन्त्र, न्यायाधिकारी की आवश्यकता होती है। परन्तु इस न्यायाधिकारों पर किसी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ सकना चाहिये। इसलिये यह कोर्ट किसी भी भारतीय अधिकारी—चाहे वह गवर्नर-जनरल भी क्यों न हो—द्वारा नहीं हटाया जा सकता। इसका कार्य, संघ सम्बन्धी मामलों में निर्णय देना है। इस कोर्ट के आगे, जहां कानून की व्याख्या का प्रश्न हो—प्रान्तीय हाईकोर्टों के निर्णय पर अपील भी की जा सकती है। इसका तीसरा कार्य गवर्नर जनरल को कानूनी मामलों के तथा विधान की व्याख्या के विषय में परामर्श देना होता है। इस कोर्ट के आगे फौजदारी मामले नहीं लाये जा सकते। केवल इस बात का निश्चय करने के लिये—कि विशेष कानून वहाँ पर लागू हो सकता है या नहीं—इस कोर्ट के आगे अपील की जा सकती है। यह कोर्ट संघ की सदस्य रियासतों के हाईकोर्टों पर भी अधिकार रखता है। इस कोर्ट का एक प्रधान न्यायाधीश है। तथा उसके अतिरिक्त ६ और न्यायाधीश हो सकते हैं। इस कोर्ट का प्रारम्भ ६ दिसम्बर १९३७ में हुआ।

( ५ )

## प्रान्तीय स्वराज्य (Provincial Autonomy)

कदाचित् सन् १९३५ के शासनविधान पर लिखते समय प्रान्तीय स्वराज्य पर सबसे पहले लिखना चाहिये। कारण, अखिल भारतीय संघ शासन की स्थापना के लिये प्रान्तीय स्वराज्य केवल आश्रयक ही नहीं, बल्कि पहली सीढ़ी है। यह तो सर्वविदित ही है कि प्रान्तीय स्वराज्य प्रान्तों को मिल चुका है, लेकिन अखिल भारतीय संघ अभी बनना है। वह बनेगा भी या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। और यदि बनेगा, तो उसका क्या स्वरूप होगा, यह भी निश्चय से नहीं कहा जा सकता। क्यों कि युद्ध के प्रारम्भ होने पर वायसराय ने घोषणा की थी कि इस विधान के अंतर्गत जिस संघ शासन की स्थापना होनी थी-उसको अब युद्ध काल के लिये स्थगित कर दिया गया है। युद्ध के बाद एक कांग्रेस बुलाई जायेगी। उस में क्या होगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन प्रान्तीय स्वराज्य तो प्रान्तों को मिल चुका है। यद्यपि इस समय कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के त्यागण्डे दे देने पर पंजाब, बंगाल, सिंध तथा आसाम को छोड़ कर अन्य सभी प्रान्तों में शासन विधान को बन्द करना पड़ा है। यहाँ इस विषय को नहीं लेना। यहाँ हमें प्रान्तीय सरकारों का ग्रिटिंग सर-

कार के अन्तर्गत विकास दिखाना है तथा प्रान्तीय स्वराज्य की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है।

नये विधान के पूर्व, भारत में अति केन्द्रित शासन था। देश को प्रान्तों में बांटा गया था, लेकिन शासन को सरल बनाने की हाइटि से। उनके अधिकार उन्हें केन्द्रीय सरकार से मिलते थे। सब से पहले १७७४ में रेगुलेटिंग कानून ने भारत के सभी ग्रिटिश प्रान्तों को गवर्नरजनरल के अधीन कर दिया था। प्रान्तीय सरकारों का विकास अध्ययन करते समय हमें इस विषय को तीन भागों में बांटना होगा—कानून बनाना, शासन करना तथा आद्यय का नियन्त्रण रखना। हम इस विषय को शासन-कार्य से प्रारम्भ करेगे।

**शासन-कार्य**—सन् १७७४ के “रेगुलेटिंग एक्ट” से पहले तीनों प्रान्त, बंगाल, मद्रास तथा बम्बई स्वतन्त्र थे और अपने कार्य के लिये इंग्लैण्ड से ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगे उत्तरदायी होते थे। वारेन हेस्टिंग के काल में, रेगुलेटिंग एक्ट के बावजूद भी, गवर्नर जनरल का शेष दो प्रान्तों पर प्रभुत्व नाम को ही था। लेकिन वैलंजली के आने पर अन्य छोटे प्रान्तों के गवर्नरों को उसका प्रभुत्व स्वीकार करना ही पड़ा। एक कारण और भी था। साम्राज्य वृद्धि के लिये भी शासन को केन्द्रित करना आवश्यक था। वैलंजली ने, गवर्नर जनरल बनने पर घोषणा की कि भारत में सभी सिविल, फौजी तथा राजनीतिक कार्यों में केन्द्रीय शासन का ही प्रभुत्व सानना पड़ेगा। इस काल के बाद जो भी अधिकार प्रान्तीय गवर्नरों अथवा चीफ कमिशनरों के हाथ में होते थे, वह गवर्नर जनरल द्वारा ही उनको सौंपे जाते थे। साम्राज्य की वृद्धि होने पर, गवर्नर जनरल

को सारे देश पर शासन की अच्छी तरह से निगरानी रखने की आवश्यकता पड़ी। इस लिये १८५४ में गवर्नर जनरल को बंगाल की गवर्नरी के भार से छुटकारा दिलाया दिया गया। अब से गवर्नर जनरल का काम प्रान्तों पर निगरानी करना, आदेश देना तथा पथ निर्देश करना ही रह गया था। इसके अतिरिक्त रक्षा, सीमा-प्रान्त, राजनीतिक सम्बन्ध, रियासतें, तट-कर, सुदूर, विनियम, ढाक, तार आदि विषय गवर्नर जनरल के अधीन कर दिये गये। ऐसा करना ठीक भी था। क्योंकि व्यापार, व्यवसाय, रक्षा आदि की दृष्टि से सारे भारत के लिये एक जैसी नीति होनी चाहिये थी। इस पर केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों के कार्यक्रम पर निष्पक्ष होकर त्रुटियाँ निकाल सकती थीं, तथा उन्हें दूर करना सकती थी।

### कानून बनाने का कार्य

१८०७ के चार्टर ने प्रैक्टीडैन्सी सरकारों को अपने-अपने प्रदेशों के लिये कानून बनाने की आज्ञा ही थी। लेकिन धीरे-धीरे यह अधिकार छीन लिये गये। १८३३ में यह अधिकार केन्द्रीय सरकार के सुपुर्द कर दिये गये। तब से सारे भारत के लिये कानून बनाने का कार्य गवर्नर जनरल के हाथों में हो गया। लेकिन १८५१ में कानून बनाने के अधिकार फिर से प्रान्तों को मिले। तब से दोनों—केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारे—ही कानून बना सकती थीं। यह बात सन् १९११ के विधान तक रही। इस काल में व्यवस्थापिका सभाएं केवल शासकवर्ग (executive) में कुछ सदस्य और ढालकर बनादी रही थीं। प्रजातन्त्र की दृष्टि से उन्हें व्यवस्थापिका सभाएँ कहना उचित नहीं, क्योंकि न तो जनता के प्रतिनिधि इन

के मेम्बर थे और न वह उत्तरदायी हो सकती थीं। उस पर कानून बनाने में कई प्रतिबन्ध थे। कानून बनाने से पहले गवर्नर जनरल की आज्ञा लेनी पड़ती थी। पार्लियामेण्ट के किसी भी कानून को रद्द नहीं किया जा सकता था। किसी प्रकार के धार्मिक अथवा रियासत सम्बन्धी कानून बनाने की उसे आज्ञा न थी। उस पर सन् १८२२ तक बहुत से कानून पहले ही बन चुके थे। प्रान्तीय सरकारों के पास कानून बनाने के विषय ही बहुत कम रह गये थे। साथ ही गवर्नर जनरल जिस कानून को बनवाना चाहे उसे प्रान्तीय सरकार को आदेश देकर बनवा सकता था। इस तरह से प्रान्तीय सरकारों के कानून बनाने के अधिकार बहुत नियमित थे।

### आय-व्यय पर नियन्त्रण

ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक व्यापारिक संघ था। उनका हिसाब-किताब व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुपार ही रखा जाता था। इसी से केन्द्रीय नीति की भारत में स्थापना हुई। प्रान्तीय सरकारों की हैसियत केवल केन्द्रीय सरकार की प्रबन्ध-कारी एजेंट की ही थी। करों को, किन से, कहाँ से तथा कैसे इकट्ठा किया जाये—ये सभी अधिकार केन्द्र के हाथों में थे। आय का व्यय करने के लिये भी केन्द्र से ही आदेश लेने पड़ते थे।

कर इकट्ठा हो जाने के बाद, उसे प्रान्तों में आवश्यकता-नुसार बांटा जाता था। लेकिन आय के अनुपात के अनुसार नहीं, बल्कि शासन की आवश्यकताओं की हिटि से। ऐसा करने के लिये केन्द्रीय सरकार को आर्थिक-मामलों के शासन कार्य का बड़ा भार सहना पड़ता था। उस पर प्रान्तों को मित्रव्यवहा करने के लिये कोई प्रेरणा न थी।

इस त्रुटि को दूर करने के विचार से सन् १८७० में लार्ड मेयो ने अधिकार-विभाजन (devolution) करना ही उपयुक्त समझा । एक और कारण भी था । भारत में साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, अतः सारे शासन का फौजी आधार अब लोप होना जा रहा था । मेयो साहब ने पोलिस, जेल, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि कुछ विभागों को प्रान्तीय सरकारों के अधीन कर दिया । इन विभागों से जो आय होती थी, वह प्रान्तों को मिलती थी । इसके अतिरिक्त प्रान्तों को कुछ निश्चित रकम सहायता के लिये दी जाती थी । प्रान्तों को, कर आदि लगा कर अपनी आय बढ़ाने का थोड़ा-सा अधिकार भी दे दिया गया ।

यह अधिकार-विभाजन सघ के सिद्धान्त की दृष्टि से नहीं किया गया था । बल्कि ऐसा करने का उद्देश्य तो शासन कार्य में सुगमता स्थापित करना ही था । इससे कार्य-भार में बँटवारा हो जाता था । इस विभाजन से केन्द्रीय सरकार ने अधिकारों को छोड़ा नहीं, केवल प्रान्तीय सरकार के सपुर्द कर दिया । अर्थात् ऐसा करने के उपरात भी उस पर केन्द्र का अधिकार बैसा ही रहा । हाँ, ऐसा करने से केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों में अधिक अनुकूलता हो गई और पहले की तरह आय को बाँटने के समय होने वाले माड़े बन्द होगये तथा प्रान्तीय सरकारों को प्रान्त के हितों के लिये कार्य करने की प्रेरणा मिली ।

सन् १८७७ में लिटन साहिब ने कुछ और विभाग प्रान्तों के अधीन कर दिये और यह निश्चय किया कि जितनी अधिक आय हो, उसका आधा भाग केन्द्रीय सरकार को और आधा प्रान्तीय सरकारों को मिले । और हानि के समय उसी तक केन्द्रीय

सरकार को हानि पूरी करनी पड़ती थी। आसाम तथा बर्मा जैसे पिछड़े हुए प्रान्तों में लगान में से भी कुछ भाग उन प्रान्तीय सरकारों को दिया गया। इसके अतिरिक्त बर्मा को चावल तथा नमक पर नियंत्रित कर का भी कुछ भाग मिला। इससे केन्द्रीय सरकार की आय में से प्रान्तों को भाग मिलने का एक नया सिद्धान्त चल पड़ा।

सन् १९८२ में लार्ड रिपन ने कुछ और विभाग प्रान्तीय सरकारों के अधीन कर दिये। अब से सरकारी विभागों को तीन मुख्य भागों—केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा विभक्त—मं बाँट दिया गया। यह विभाजन पांच वर्ष के लिये किया जाता था। इससे प्रान्तीय शासन की नियंत्रता दूर जाती थी, क्योंकि यह नियंत्रित नहीं होता था कि अब आगे कितना रुपया मिलेगा। इस त्रुटि को दर करने के लिए १९०४ में कर्जन ने लगभग स्थायी विभाजन कर दिया। इसके बाद १९१२ में लार्ड हार्डिङ्गन ने इस विभाजन को स्थायी मान लिया। इससे प्रत्येक पांच वर्ष बाद होने वाले भागों का भी अन्त होगया।

सन् १९१६ के सुधार के पूर्व, सम्पूर्ण भारत से सम्बन्ध रखने वाले—रक्षा, विदेशी नीति, डाक, तार, रेलवे, कस्टम, आवपाशी, आदि विषयों को केन्द्रीय, पोलिस, जेल, शिक्षा, सिविलविभाग की आय आदि को प्रान्तीय विषय तथा लगान, आय कर, जांगल, स्टेम्प, रजिस्ट्रेशन आदि को विभक्त विभाग के अन्तर्गत किया हुआ था। टैक्स लगाने का अधिकार भारत सरकार के हाथों में था। प्रान्तीय सरकारों को प्रश्न लेने की अनुमति नहीं थी। प्रान्तीय वज्रों को ड्राफ्ट रूप में केन्द्रीय सरकार के पास भेजना आवश्यक होता था। इस दशा में प्रान्तों के हाथों में बहुत थोड़ी-

सी स्वतन्त्रता रह जाती थी।

लेकिन १९१६ सुधार के बाद प्रान्तों को वैधानिक परीक्षण का उपयुक्त क्षेत्र चमका गया। श्री मौटेगू ने तभी प्रान्तीय स्वराज्य का स्वप्न देखा था। उस स्वप्न के अनुसार स्वायत्त प्रान्त एक संघशासन के अंग होगे। पता नहीं, मौटेगू को प्रान्तीय स्वराज्य की सब् १९३७ तक मिलने की आशा थी या नहीं, लेकिन उसके बह स्वप्न कुछ अंशों में तो पूरे हो गये हैं। अस्तु।

सब् १९१६ में न तो संघ शासन स्थापित करने का और न प्रान्तीय स्वराज्य देने का ही विचार था। प्रान्तों में द्वैध प्रणाली स्थापित कर, शासन कार्य में किसी सीमा तक केन्द्र के नियन्त्रण को ढीका कर दिया गया था। आय-द्वय के नियन्त्रण में भी प्रांतों को कुछ अधिक स्वतन्त्रता मिली। प्रान्तों के बजटों को पृथक कर दिया गया। प्रांतों से बसूल किये गये आय कर की वृद्धि में से प्रान्तों को कुछ भाग मिलने लगा। प्रान्तीय सरकारें अब से सार्वजनिक लाभ—नहरें आदि बनवाने—के लिये ऋण भी ले सकती थीं। तथा प्रान्तों को, बिना केन्द्र की अनुमति के लगाने का अधिकार प्राप्त हो गया था। कानून बनाने से पूर्व अब गवर्नर जनरल को आज्ञा लेने की आवश्यकता न रही।

यहाँ हमने १९१६ के कानून पर चिठ्ठार से नहीं कहना। केवल इस बात पर ज़ोर देना है कि १९१६ के एकट ने यह सिद्धान्त मान लिया कि भारत जैसे विस्तृत देश की सब प्रकार की दबाविति के लिये प्रान्तों को स्वतन्त्र करना हो ठीक है।

१९३५ का विधान, १९१६ के विधान के बाद, प्रान्तीय स्वराज्य प्राप्ति की ओर दूसरी सीढ़ी ही नहीं। केवल सीढ़ी ही नहीं,

वास्तव में प्रान्तों को बहुत हद तक स्वराज्य मिल गया है। कंसा ? - किस सीमा तक ? इन प्रश्नों का उत्तर अब आगे देना है।

१६३५ के विधान की ४६वीं धारा में गवर्नर ड्वारा शासित ११ प्रान्तों के नाम दिये हैं। इनमें दो नये प्रान्त सिन्ध तथा उड़ीसा हैं। यहाँ यह भी बता दिया जाय कि बर्मा प्रान्त को भारत से पृथक् कर दिया गया है।

संघशासन के स्थापित हो जाने पर प्रान्तीय सरकारें अब केन्द्रीय सरकार की एजेंट मात्र नहीं रहेगी। बल्कि उनके अस्तित्व तथा अधिकार उस ही स्रोत से उनको प्राप्त होंगे, जिससे संघ (केन्द्र) को। सभसे पहले, सआट भारत सम्बन्धी सभी अधिकारों को अपने हाथ में लेंगे, उसके बाद केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार के अधिकार चेत्रों को विलकुल पृथक्-पृथक् कर उन दोनों को सौंप दिया जायगा। इन अधिकारों की पृथक्-पृथक् सूचियाँ तैयार की गई हैं, जो कि एकट की सातवीं तालिका में दी गई हैं। प्रान्तीय सूची में, प्रान्तीय शासन तथा फिडरल सूची में संघ के अधिकार दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रान्तों तथा संघ के अधिकार, कुछ चेत्रों में समान भी होंगे।

प्रान्तों को इस नई पदवी देने के विरुद्ध एक मुख्य बात यह है कि इन प्रान्तों को बनाने में व्यर्थ रुपये की हानि करनी पड़ेगी। सिन्ध तथा उड़ीसा जैसे प्रान्तों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये लगभग छेढ़ करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष संघ को देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त संयुक्त प्रान्त को पहले पाँच वर्षों के लिये २५ लाख, आसाम को ३० लाख, सीमाप्रान्त को एक करोड़ रुपया प्रतिवर्ष देना पड़ेगा। नये विधान को कार्यरूप में काने के लिये छेढ़

करोड़ सप्तया और खर्च होगा। लेकिन यहाँ यह भी कह दिया जाय कि प्रान्तों को स्वराज्य देने के विषय पर मतभेद हैं।

## प्रान्तीय शासन विभाग तथा द्वैधशासन प्रणाली का अन्त

सन् १९१६ के एकट के अनुर्गन प्रान्तों में द्वैधशासन प्रणाली स्थापित की गई थी, जिस में शासन के कुछ विभाग सुरक्षित (reserved) रखे गये थे। उनका शासन अनुत्तरदायी गवर्नर की शासन-समिति के सदस्य करते थे तथा कुछ विभागों को हस्तान्तरित (transferred) कर दिया गया था। लेकिन अब नये शासन विभाग से इस द्वैध प्रणाली का अन्त कर दिया गया। अब कोई सुरक्षित विभाग नहीं है। तथा अब से प्रान्तीय मन्त्र-मण्डल, निर्वाचित सदस्यों के बहुमत के दल से, उस दल के नेता द्वारा चुने जाते हैं। मन्त्रमण्डल का काम गवर्नर को परामर्श तथा सहायता देना है। कानूनन गवर्नर ही प्रत्येक प्रान्त में एकमात्र शासक है।

गवर्नर को सन्त्राट् नियुक्त करता है। गवर्नर को सिवाय उन ज्ञेत्रों के, जिनमें उसने अपने विवेचनात्मक अधिकारों का प्रयोग करना होता है, अथवा व्यक्तिगत निश्चयों के अनुनार कार्य करना होता है, अथवा अपने विशेष उत्तरदायित्वों का विचार रखना होता है—शेष ज्ञेत्रों में अपने मन्त्रमण्डल के परामर्शी तथा सहायता से शासनकार्य चलाना होगा। उन विषयों के लिये, जिन पर उसने अपने विवेचनात्मक अधिकारों से काम लेना होता है—गवर्नर को मन्त्रियों से सलाह लेना तक आवश्यक नहीं। तथा जहाँ उसके अपने विशेष उत्तरदायित्वों का प्रशंसन है, वहाँ

वह मन्त्रियों के विचारों को सुन कर, इनके परामर्श के अनुसार कार्य करने पर आधित नहीं। इसके अतिरिक्त गवर्नर किसी भी विषय में अपने व्यक्तिगत निर्णय से काम ले सकता है। उन लेंत्रों में, जहां उसने अपने निर्णय से काम लेना होता है, उसके निर्णय को सिवाय गवर्नर जनरल के कोई काट नहीं सकता, एवं किसी सीमा तक गवर्नर ने अपने हाथ अधिकार रखने हैं, इसका निश्चय गवर्नर अपने आप ही करता है। यदि वह चाहे तो मन्त्रिमण्डल की बैठकों का समाप्ति भी बन सकता है।

गवर्नर जिसको चाहे मन्त्रिमण्डल बनाने के लिये निमन्त्रण दे सकता है। यद्यपि “इंस्ट्रुमेण्ट आफ इंस्ट्रक्शन” (Instrument of Instructions) के अनुसार उसे उस ही व्यक्ति, को बुलाना होगा जो कि असैम्बली में बहुमत को अपने साथ रख सके। उसके बाद शेष मन्त्रियों को, गवर्नर, उस नेता की सलाह पर ही रखेगा। ऐसा करने का उद्देश्य मन्त्रिमण्डल को संयुक्तरूप से उत्तरदायी बनाना है। यद्यपि यह बात विधान में नहीं लिखी गई। इन मन्त्रियों के वेतनों को असैम्बली निश्चित करेगी। मन्त्रि-मण्डल को बनाते समय गवर्नर को अल्पसंखक जातियों के हितों का भी विचार रखना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त गवर्नर एडवोकेट-जनरल को भी नियुक्त करता है, जो कि प्रान्तीय शासन को कानूनी मामलों पर परामर्श देता है। उसे अन्य कुछ कानूनी कार्य भी करने होते हैं।

शान्ति तथा व्यवस्था को कायम रखने के लिये गवर्नर को विशेष शक्तियां दी गई हैं। पोलीस के नियमों को परिवर्तन करना

गवर्नर के व्यक्तिगत निर्णय पर होता है। पोलीस विभाग के कर्मचारी बिना इन्सपेक्टर-जनरल की आज्ञा के किसी व्यक्ति को भी, चाहे वह मन्त्री भी क्यों न हों—किसी प्रकार की सूचना का स्रोत नहीं बना सकते। जिन क्षेत्रों में गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व हो, उन क्षेत्रों के विषय में सभी प्रकार की सूचना गवर्नर को पहुँचाना—मन्त्रियों तथा विभागाध्यक्षों (Secretaries) का कार्य है।

गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं—

१. शान्ति तथा व्यवस्था के खतरे को दूर करना।
२. अल्पसंख्यक जातियों के समुचित हितों की रक्षा करना।
३. नौकरशाही सेवकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना।
४. शासन क्षेत्र में ग्रेटब्रिटेन के विरुद्ध अनुचित विरोध से रक्षा करना।

५. आंशिक बाह्य प्रदेश ( Partially Excluded Areas ) की शान्ति तथा सुशासन को कायम रखना।

६. भारतीय रियासतों के गौरव तथा अधिकारों की रक्षा करना।

७. गवर्नर जनरल, की अपनी विवेचनात्मक शक्तियों ( discriminatory powers ) के अन्तर्गत दी गई आज्ञाओं का पालन करना।

ऊपर लिखित गवर्नर के अधिकारों के रहते हुए हम प्रांतीय स्वराज्य को केवल बनावट के लिहाज से ही उत्तरदायी शासन कह सकते हैं। बास्तव में गवर्नर की इतनी असाधारण शक्तियों के रहते हुए ऐसा कहना अनुचित हो प्रतीत होता है। पर इन सब शक्तियों का प्रांतीय स्वराज्य के मिल जाने पर प्रयोग नहीं

किया गया। लेकिन जब कभी यहुमन चाला दल नीति विरोध होने से शासन कार्य को हाथ मे न ले, तब गवर्नर विना मन्त्रिमण्डल व व्यवस्थापिका सभाओं के छः मास तक शासन कर सकता है। मद्रास, बम्बई, युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, विहार, उडीसा, तथा सीमाप्रान्त मे आजकल ऐसी ही स्थिति है।

### इन्स्ट्रूमेण्ट आफ इन्स्ट्रूक्शन —

उत्तरदायी शासन मे, सिद्धान्त से, राष्ट्र के राजाओं के हाथों मे ही सभी शासनाधिकार होते हैं। लेकिन वैधानिक प्रथा तथा अस्यास से इन सभी अधिकारों का प्रयोग “राजा” सदैव अपने उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के परामर्श के अनुपार ही फरता है। यह बात इंग्लैण्ड के शासन विधान मे विशेषरूप से है। वास्तव मे तो गवर्नर का प्रान्तीय शासन मे वही स्थान होना चाहिए, जैसा कि प्रेट्रिटेन के नरेश का प्रेट्रिटेन के शासन मे है। लेकिन क्योंकि एक-दम से ही प्रेट्रिटेन के सभी वैधानिक सिद्धान्तों को किसी अन्य देश मे प्रयोग करना ठीक नहीं, इसलिये औपनिवेशिक विधान का निर्माण करते समय एक उपाय निकाला गया था, ‘जिसे इंस्ट्रूमेण्ट आफ इन्स्ट्रूक्शन’ कहा जाता है। इसमे उपनिवेशों (Dowmions) के गवर्नर जनरल को हिदायतें दी जाती हैं कि कहां तक उन्हों ने अप्रेज़ी सिद्धान्तों का प्रयोग करना है। अथवा किन-किन परिस्थितयों मे उन्हे कैसे कार्य करना होगा। इस रीति से जिस प्रदेश को अप्रेज़ी सिद्धान्तों के प्रयोग की जितनी आवश्यकता होती है, उतना ही उनका प्रयोग किया जा सकता है। अथवा जो सिद्धान्त देश के अनुकूल बैठे उनको अपनाया जा सकता है। इससे ज्ञाम यह होता है कि विधान के छांचे मे परिवर्तन किये बिना ही परिस्थितियों के अनुसार विधान

में, वास्तव में, परिवर्तन किया जा सकता है। इसी साधन की सहायता से उपनिवेशों ने अपने विधान का ढांचा बदले बिना उत्तरदायी शासन प्राप्त कर लिया है।

यह इंस्ट्रूमेण्ट, सम्राट् द्वारा, गवर्नर की नियुक्ति के अवसर पर गवर्नर को दिये जाते हैं। यह इंस्ट्रूमेण्ट भी पार्लियामेन्ट की अनुमति से ही बनाए गये हैं। इनमें जो हिदायतें होती हैं, उनसे बताया जाता है कि गवर्नर को अपनी विवेचनात्मक शक्तियों का प्रयोग कैसे करना है तथा अपने विशेष उत्तरदायित्वों को कैसे निभाना है। अतएव इंस्ट्रूमेन्ट तथा विधान का परस्पर श्वास और जीवन-सा सम्बन्ध है।

### प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभायें

शासन को व्यवस्थापिका सभा के आगे उत्तरदायी बनाने के लिये सब शासनाधिकार नाममात्र के एक वैधानिक नरेश या गवर्नर के लिपुर्द कर दिये जाते हैं। वह गवर्नर उन अधिकारों का प्रयोग अपने मन्त्रिमण्डल के परामर्श से—जो कि व्यवस्थापिका सभा के बहुमत वाले दल से से चुना जाता है—करता है। उत्तरदायी शासन होने के लिये व्यवस्थापिका सभा को देश का पूर्णरूप से, जहां तक हो, प्रतिनिधि होना चाहिये। अतः उत्तरदायी शासन देने के लिये धरासम्बद्ध अधिक जनसंख्या को मताधिकार मिलना चाहिये। इसी बात को ध्यान में रख कर १९१६ के मुकाबले में १९३५ के कानून के अन्तर्गत मताधिकार प्राप्त लोगों की संख्या बहुत अधिक कर दी गई है। १९१६ के एकट के समय के बाल जनसंख्या के ३ प्रतिशत भाग को ही बोट देने के अधिकार प्राप्त थे। साइमन कमीशन ने १० प्रतिशत के लिए सिफारिश की।

प्रथम गोलमेज़ कानूनीस के अवसर पर १५ प्रतिशत जनता को बोट देने का विचार था। लेकिन मताधिकार पर विचार करने के लिए जो उपसमिति बैठाई गई, उसने १४ प्रतिशत जनता को मताधिकार देने के लिये कहा। उसी के अनुसार ही भारत की १४ प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार मिला है। हरिजनों में १० प्रतिशत को मताधिकार मिला है। मताधिकार प्राप्त करने के लिये जायदाद की मुरुख शर्त है, जिसको लगान, आय कर तथा किराये आदि की रकम से पाया जाता है। यह सम्पूर्ण निर्वाचन पृथक् निर्वाचन पद्धति से होता है।

प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के दो या तीन विभाग हैं। प्रथम, सम्राट् का प्रतिनिधि गवर्नर, द्वितीय—उपरता हाउस ( Legislative Council ) तथा तृतीय निचला हाउस ( Legislative Assembly ) मद्रास, बंबई, बगाल, संयुक्त प्रान्त, आसाम तथा झिहार में दो हाउस हैं। पंजाब, मध्यप्रान्त, उड़ीसा, सिन्ध तथा सीमाप्रान्त में एक-एक।

मौटेंगु तथा चेम्सफोर्ड के सामसे भी दो भवनों के बनाने का प्रश्न उठा था। लेकिन उन्होंने दो हाउसों को अनावश्यक खम्ख कर इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। अब इस विधान में दो हाउसों को स्थापित कर दिया गया है। पहले पहल केषल तीन ज़मींदार-पंच प्रान्तों में ही ऐसा करने का विचार था, लेकिन बाद में तीन अन्य प्रान्तों में भी दूसरा हाउस स्थापित कर दिया गया। पंजाब में भी उपरता हाउस स्थापित करने का विचार था, लेकिन मुसलमानों के विरोध के कारण इस विचार को छोड़ दिया गया। इस दूसरे हाउस के निर्माण करने का

अभिप्राय यह था कि निचले हाउस द्वारा पास किये कानूनों का पुनरवलोकन किया जा सके तथा निचले हाउस को बिलों पर दोबारा विचार करने का अवसर दिया जाय, जिससे निचले हाउस वाले जलदबाजी तथा नासमझी न कर बैठे। लेकिन गवर्नर के विशेषाधिकारों के रहते हुए इनकी ऐसी कौनसी आवश्यकता थी, यह समझ में नहीं आता। देश के राष्ट्रीय विचारों वाले नेता तो इसे अनुदारत्व का गढ़ तथा प्रगति के पथ की बाधा मानते हैं।

उपरला हाउस एक स्थायी सभा है। इसको विसर्जित नहीं किया जायेगा। प्रति तीन वर्षों के बाद इस भवन के  $\frac{2}{3}$  सदस्य अवसर प्राप्त कर जाया करेंगे। अतः ऐसे अनुदार तथा स्थायी भवन का, उत्तरदायी शासन में प्रतिबन्ध होना बहुत सम्भव है। जैसा कि “टैनेंसी-कानून” के अवसर पर संयुक्तप्रान्त तथा बंगाल में हुआ भी है।

ऊपर जो मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या बताई गई थी, वह निचले हाउस के लिये थी। निचला हाउस पांच वर्षों के बाद विसर्जित कर दिया जायेगा। इसके लिये मुसलमान, सिक्ख, युरोपियन, ऐंगलो इण्डियन तथा भारतीय इसाई अपनी जाति के निर्वाचक-मण्डल से ही अपने-अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे।

दोनों हाउस अपने अपने सभापति आप चुनेंगे। निचले हाउस के सभापति को स्पीकर (Speaker) कहा जायेगा। इन दोनों भवनों के अधिकार एक जैसे नहीं होंगे। बजट पर यह उपरला हाउस बोट नहीं देगा। किसी बिल के पास होने में देर करताने का, तथा उसके पुनरवलोकन करने का ही ऊपरले हाउस को प्रधान अधिकार होगा। लेकिन थदि निचला हाउस एक बिल

पास कर दे और उपरला हाउस उसे पास करने से इनकार कर दे, तो उस अवस्था में गवर्नर बारह मास के बाद एक संयुक्त अधिवेशन बुलायेगा, जिसमें दोनों भवनों के सदस्य इकट्ठे बैठेंगे। तब उस प्रस्ताव पर वोट लिये जायेगे और यदि वहुमत से वह प्रस्ताव पास हो जाये, तो वह कानून बन जायगा। लेकिन यदि उपरला हाउस कोई प्रस्ताव पास करे और निचला हाउस उसे रद्द करदे—तो उस अवस्था में प्रस्ताव रद्द ही हो जाता है। उसके लिये नंगुक अधिवेशन नहीं किया जायेगा।

प्रान्तीय वजट में भी कुछ रकमें ऐसी होंगी, जिन पर लैजिस्ट्रेटिव असैम्बली को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। उन रकमों की, जिन पर वोट नहीं दिया जा सकता—सात शेषियाँ हैं। उन पर असैम्बली के बेतावत बहस कर सकती है। गवर्नर के वेतन तथा गवर्नर के स्टाफ के व्यय पर बहस तक भी नहीं की जा सकती।

प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं की शक्तियाँ एकट में एक स्थान पर एकत्र करके नहीं लिखी गईं, बल्कि इन के अधिकार ६६ वे और १०० वें सैकशन में तथा सार्वी तालिका में दिये गये हैं। इन में दिये गये विषयों पर प्रान्तीय सभायें, अपने सारे प्रान्त के लिये अधिकार प्रान्त के किसी विभाग के लिये जो कानून चाहें, बना सकती है। उन विषयों पर, जहाँ प्रान्तीय तथा संघ सरकार दोनों को ही देश तथा प्रान्त का कानून भाना जायेगा। ऐसे भागों के अवसर पर ही फिफ्टरल कोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। इसके अति-

रिक्त कुछ नये कानून बनाने से पहले गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। किसी बिल के व्यवस्थापिका सभा द्वारा पास हो जाने पर गवर्नर की स्वीकृति का मिलना कानून बनने के लिये अनिवार्य होता है। गवर्नर अपनी स्वीकृति को रोक भी सकता है। यदि गवर्नर ठीक समझे तो किसी कानून को गवर्नर जनरल द्वारा विचार किया जाने के लिये भी भेज सकता है। गवर्नर जनरल भी यदि किसी प्रस्ताव में परिवर्तन करवाना ठीक समझता हो, तो वह उस बिल को गवर्नर के पास वापस भेज सकता है। तब व्यवस्थापिका सभा को उस संशोधित प्रस्ताव पर विचार करना ही पड़ता है।

इसके अतिरिक्त जब गवर्नर आवश्यकता अनुभव करे, तब वह सैक्षण ६० के अन्तर्गत गवर्नर्स एकट (Governor's Act) जारी कर सकता है। गवर्नर को ऐसा करने के लिये व्यवस्थापिक सभा को एक सन्देश भेजना होता है, जिसमें उस एकट को बनाने के कारणों का प्रतिपादन तथा एकट का छाफ होता है। यदि व्यवस्थापिका चाहे तो उस पर अपनी राय प्रकट कर सकती है। पर इस एकट के बनने के लिए व्यवस्थापिका सभा की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती।

क्योंकि नये विवान में प्रान्तों को स्वराज्य प्राप्त हो गया है, अतः गवर्नर को भी गवर्नर जनरल की तरह ऑर्डिनेंस (Ordinance) जारी करने का अधिकार मिल गया है।

## प्रान्तीय स्वराज्य

٩٦

प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउंसिल  
( उपरला भवन )

| प्रान्त         | कुल स्थान                             | प्रान्त                               | कुल स्थान                             |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| महाराष्ट्र      | कम से कम आधिक ५४ }<br>आधिक से कम २६ } | कम से कम आधिक १० }<br>आधिक से कम ३८ } | कम से कम आधिक १० }<br>आधिक से कम ३४ } |
| दास्तावंश       | आधिक से कम २० }<br>आधिक से कम ३० }    | आधिक से कम ८ }<br>आधिक से कम ८ }      | आधिक से कम ८ }<br>आधिक से कम ८ }      |
| यांगाल          | कम से कम आधिक ३३ }<br>आधिक से कम ६५ } | कम से कम आधिक ८ }<br>आधिक से कम १७ }  | कम से कम आधिक ८ }<br>आधिक से कम ८ }   |
| संयुक्त प्रान्त | कम से कम आधिक ३४ }<br>आधिक से कम ५८ } | कम से कम आधिक ६० }<br>आधिक से कम ३८ } | कम से कम आधिक ८ }<br>आधिक से कम १० }  |
| विहार           | कम से कम आधिक ३८ }<br>आधिक से कम ३० } | कम से कम आधिक ११ }<br>आधिक से कम २१ } | कम से कम आधिक ११ }<br>आधिक से कम २१ } |
| आसाम            | —                                     | —                                     | —                                     |

## प्रान्तीय लैजिस्लेटिव असेम्बलियां (निचले-

| प्रान्त              | कुल स्थान | सामाजिक स्थान | सामाजिक स्थान किंवा इनिजिटो के लिए सुरक्षित पिछड़े हुए प्रदेशों तथा बांग के लिए | स्थानों के लिए | सुसाहसरों के लिये | उच्चो-इनिजिटो के लिये | शूरोपियों के लिये |
|----------------------|-----------|---------------|---|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| महाराष्ट्र           | २१५       | १४६           | ३०  | १              | —                 | २८                    | २ ३               |
| बंगलादेश             | १७५       | ११४           | १५  | १              | —                 | २६                    | २ ३               |
| बंगाल                | २५०       | ७८            | ३०  | —              | —                 | ११७                   | ३११               |
| संयुक्त प्रान्त      | २२८       | १४०           | २०  | —              | —                 | ६४                    | १ २               |
| पञ्चाब               | १७५       | ४२            | —   | —              | ३१                | ८४                    | १ १               |
| बिहार                | १५२       | ८६            | १५  | ७              | —                 | ३६                    | १ २               |
| मध्यप्रान्त तथा बरार | ११२       | ८४            | २०  | १              | —                 | १४                    | १ १               |
| आसाम                 | १०        | ४७            | ७   | ६              | —                 | ३४                    | — १               |
| सीमाप्रान्त          | ५०        | ६             | —   | —              | ३                 | ३६                    | — —               |
| झीसा                 | ६०        | ४४            | ६   | ५              | —                 | ४                     | — —               |
| सिन्ध                | ६०        | १८            | —   | —              | —                 | ३३                    | — २               |

भावन)

### स्थानों की तालिका

( ६ )

## “सिविल-सर्विसेज़” (Civil Services)

पालियामेण्टी लोकतंत्र में शासन कार्य का, नाममात्र को अधिप्राप्ता तो “वैधानिक राजा” होता है। उसके बाद मन्त्र-मण्डल का स्थान आता है, जो देश का शासन करने के लिए व्यवस्थापिका सभा की अनुमति से शासन सिद्धान्त निश्चित करता है तथा इस बात का निरीक्षण भी करता है कि शासन कार्य उन्हीं सिद्धान्तों तथा नीति के अनुसार ही रहा है या नहीं। लेकिन शासन कार्य तो वास्तव में सिविल सर्विसेज को ही करना होता है। अतः किसी भी शासन विधान के अध्ययन करने के लिये सिविल सर्विसेज को समझना आवश्यक होता है।

भारत में शासन कार्य मार्वजनिक सर्विसेज को सौंपा जाता है। उन सर्विसेज को सुगमता के लिये—भारतीय, केन्द्रीय ( प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी ), रेलवे के लिये ( प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी ) तथा प्रान्तीय—इन ही भागों में विभक्त किया जाता है। इन में कुछ को भारत सचिव, कुछ को गवर्नर जनरल,

कुछ को रेलवे शासन, तथा कुछ को गवर्नर अथवा प्रान्तीय सरकार नियुक्त करती है। सब शासन के विशेष शासक-वर्ग को संघ की सर्विसिज्ज का नाम दिया गया है। फिडरल कोर्ट के स्टाफ को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करेगा।

इनको नियुक्त करने के लिये, केन्द्र में “फिडरल पब्लिक सर्विसिज कमीशन” तथा प्रान्तों में “प्रांतीय पब्लिक सर्विसिज कमीशन” का निर्माण किया गया है। ये कमीशन नौकरियों पर नियुक्त करने के लिये मुकाबले की परीक्षा लंते हैं। कुछ लोग तो इन मुकाबले की परीक्षाओं के परिणाम पर लिये जाते हैं, और कुछ लोग सीधे नामजद किये जाते हैं।

उत्तरदायी शासन में इन पर व्यवस्थापिका सभा का पूरा-पूरा नियन्त्रण होना चाहिए। लेकिन ऐसा करना अंग्रेजी जनता को भला न लगा। क्योंकि भारतीय नौकरियों में से अंग्रेजों को निकाल देना, अथवा भारतीय शासन में उनकी स्थिति को फिसी प्रकार की हानि पहुंचाना, उन्हें बहुत खतरनाक जान पड़ा। उत्तरदायी शासन मिजने से पहले सिविल सर्विस के हाथ में ही शासन के पूर्ण अधिकार थे। नौकरशाही सरकार में उन पर जनता का किसी प्रकार से भी कोई नियन्त्रण न था। अतः तब से शक्तियों का प्रयोग करना इन कर्मचारियों का स्वभाव बन गया है। लेकिन उत्तरदायी शासन में उन्हे ‘अफसर’ नहीं, बल्कि वास्तविक ‘सेवक’ बनना पड़ता है। इस बात से स्थिति में फरक पड़ना ही था। इसके बिल्द एक और तो सरकारी अफसरों ने आवाज़ उठाई। अंग्रेजी जनता ने उनका समर्थन किया, क्योंकि यदि सिविल सर्विसिज की स्थिति में कुछ अन्तर पड़ गया, तो अंग्रेजों का

भारत सरकार पर नियन्त्रण कम हो जाएगा । अतः सिविल सर्विसिज़ को गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा भारत मन्त्री के अधीन कर दिया गया । मज़ा इस बात का है कि कहने को तो शासक मन्त्रि-मण्डल को बनाया जा रहा है परन्तु राज्य कर्मचारी उनके अधीन नहीं होंगे । उनकी भर्ती, उनके वेतन, उनके छुट्टी मिलाने के नियम आदि सभी बातों का निश्चय करने का व्यवस्थापिका सभा को अधिकार नहीं । इन नौकरियों के ऊपर जितना व्यय होगा, उस पर व्यवस्थापिका सभा बोट भी नहीं दे सकती । नये विधान में सर्विस वालों की पेन्शन, चिरित्सा, विदेशों से आकर नौकरी करने के लिये विशेष उपचेतन आदि विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखा गया है । यहा यह नोट कर लेना चाहिये कि इन उच्च नौकरियों के वेतन के लिये प्रति वर्ष १०० करोड़ रुपया खर्च होता है । यह व्यय सम्पूर्ण व्यय का ३० प्रतिशत है ।

### भारतीयकरण ( Indiansation )

वास्तविक स्वराज्य में एक और तो कर्मचारी-वर्ग व्यवस्थापिका सभा के नियन्त्रण में होना चाहिये । दूसरे सभी कर्मचारी भी भारतीय ही होने चाहियें । ताकि भारतीयों को अपना शासन आप करने का अवसर मिले, त्रिशतः जब भारतीयों में शासन कार्य करने की आवश्यक ज़मता विद्यमान है । उस पर भारतीय करण से व्यय भी कम हो जायेगा । समरण रहे कि प्रान्तीय आय में से, संयुक्त पार्लियामेण्ट्री कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ४० प्रतिशत व्यय सर्विसिज़ पर होता है । भारतीयों की यह मांग किसी सीमा तक पूरी भी की गई है । “ली” कमिशन ने १९२४ में इण्डियन सिविल सर्विस में १९३५ तक ५० प्रतिशत; पोलीस में

१९४६ तक ५० प्रतिशत; जंगलात विभाग में ७५ प्रतिशत तथा आषपाशी विभाग में ५० प्रतिशत भारतीयों को नियुक्त करने का वचन दिया था। इसके अतिरिक्त केन्द्र के राजनीतिक विभाग में २५ प्रतिशत; कस्टम्ज में कम से कम ५० प्रतिशत; तार तथा वायरलैस विभाग में ७५ प्रतिशत, रेलवे में ७५ प्रतिशत स्थान भारतीयों को देने का निर्णय हुआ था।

संयुक्त पालियामेन्ट्री कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार १९३३ में भारतीय तथा प्रान्तीय सरकारों में यूरोपियन भारतीय उच्च कर्मचारी निम्नलिखित सख्त्या में थे:—

|                        | यूरोपियन | भारतीय | कुल   |
|------------------------|----------|--------|-------|
| सिविल सर्विस           | ८१६      | ४७८    | १२९७  |
| पोलीस                  | ५१३      | १४२    | ६५५   |
| जंगल                   | २०३      | ६६     | २६९   |
| इंजीनियरिंग विभाग      | ३०४      | २६२    | ५६६   |
| चिकित्सा विभाग (सिविल) | २००      | ६८     | २६८   |
| शिह्वा विभाग           | ६६       | ७६     | १४२   |
| कृषि विभाग             | ४६       | ३०     | ७६    |
| पशु-चिकित्सा विभाग     | २०       | २      | २२    |
|                        | <hr/>    | <hr/>  | <hr/> |
|                        | २२०१     | १२८७   | ३४८८  |

( ७ )

## संघ शासन

( प्रान्तों और रियासतों में शासन सम्बन्ध )

१९३५ के विधान से एक प्रकार से भारतवर्ष को तीन भागों में विभक्त किया गया है। एक भाग ब्रिटिश प्रांत तथा चौथे कमिशनर के प्रदेश हैं, दूसरा भाग रियासतें, तथा इन दोनों को सुलबद्ध करने क्षमता तीसरा भाग—संघ—केन्द्र है। हम ने यहाँ संघ शासन तथा प्रान्तीय और रियासती सरकारों के पारस्परिक शासन सम्बन्ध को समझा है।

ब्रिटिश भारत केन्द्रित शासन से संघ शासन बनेगा। इस लिये संघ तथा प्रान्तों के अधिकार चेत्रों को पृथक्-पृथक् भी कर दिया गया है। दो भी सम्पूण भारत में शान्ति तथा व्यवस्था का अनिरिक्त उत्तरदायित्व गवर्नर जनरल पर है। इस लिये चाहे प्रान्तों को स्वराज्य मिल गया है, तथापि गवर्नर जनरल का प्रान्तीय शासनों पर पर्याप्त नियंत्रण रहता है।

नये विधान के अनुसार प्रान्तों के शासनाधिकारों का इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिये, जिससे संघ के प्रान्तों तथा रियासतों में लागू कानून की अवह्ना न हो। उन चेत्रों में, जिन में संघ तथा प्रान्तों का समानाधिकार (Concurrent issues) है—संघ की सरकार प्रान्तों को आदेश दे सकती

है। प्रान्तों को संघ की फौजी आवश्यकताओं के लिये मार्ग आदि ठोक रखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इस बात का प्रबन्ध कानूनन कर दिया गया है। संघ के कानून को लागू करवाने के लिये गवर्नर जनरल प्रान्त के गवर्नर को अपने एजेंट के रूप में अपनी विवेचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने का आदेश दे सकता है। गवर्नर को जिन अधिकारों में अपनी विवेचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करना होता है, अथवा जहाँ उसके विशेष उत्तरदायित्व का प्रभ करना होता है—उस सीमा तक वह गवर्नर जनरल के अधीन रहता है।

शासन कार्य में तोन सीढ़ियां होती हैं। सबसे पहले तो सब के कानूनों को काय रूप में लाने के लिये नियमों का बनाना, दूसरे, उन नियमों का अफसरों द्वारा कार्य रूप में लाना; तीसरे, यह देखना कि वह ठोक तरह से कार्य रूप में लाये जा रहे हैं या नहीं। ऐसा करने के लिये जहाँ तक जिटिश प्रान्तों तथा चीफ कमिशनरियों का सम्बन्ध है—तरीका सीधा है। संघ के कुछ कानून तो स्वयं संघ के कर्मचारियों द्वारा लागू करवाये जायेंगे, तथा कुछ कानूनों को लागवाने का कार्य प्रान्तीय शासन की अनुमति से प्रान्तीय सरकारों के ज़िम्मे सौप दिया जायेगा। संघ शासन, कोई विशेष कानून बना कर प्रान्तीय सरकार तथा उसके कर्मचारियों को विशेष अधिकार भी दे सकता है।

रियासतों में यह तरीका कुछ भिन्न होगा। संघ शासन के कानूनों को लागू करने का काम नरेशों के सुंपुर्द कर दिया जायगा। उसके बाद यह नरेशों का काम होगा कि विभिन्न कर्मचारियों द्वारा उनको कार्य रूप में लाया जाय। फिर उसके

केवल यही आदेश दे सकता है कि किस प्रकार उनको लागू करवाना है। यदि संघ-सरकार चाहे तो रियासत के नरेशों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को सीधा अपने अधीन भी कर सकती है। पर उस अवस्था में रियासत को, संघ-शासन से इन कर्मचारियों का वेतन मिलेगा। कुछ रियासतों को यह कार्य सीधा ही सौंप दिया जायगा। लेकिन यह कार्य रियासतें संतोषपूर्वक न करेंगी, तो गवर्नर-जनरल विवेचनात्मक शक्तियों का प्रयोग कर रियासती नरेशों को अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक तौर से निभाने के लिये आज्ञा दे सकता है। इस ढंग से केवल वे रियासतें संघ कानूनों को कार्य रूप दे सकेंगी, जिनका अपना शासन-ढग उच्च कोटि का हो। कुछ रियासतों में तो फिरल कर्मचारी सीधा भी कानून लागू करवा सकेंगे, लेकिन ऐसा केवल उन्हीं रियासतों में हो सकेगा, जिन्होंने ऐसा करवाना “इंस्ट्रुमेण्ट आफ एक्सेशन (Instrument of accession) में मान लिया गया हो।

### ब्रौडकास्टिंग

आधुनिक-युग में ब्रौडकास्टिङ सार्वजनिक मत को बनाने, प्रभावित करने तथा जनता को पथ निर्देश करने का एक अति प्रभावयुक्त साधन है। इसी लिये एकट में इस विषय का विशेष ध्यान रखा गया है। ब्रौडकास्टिङ को संघ-विषय नहीं रखा गया, यद्यपि कुछ स्थितियों में इस पर केन्द्र का नियन्त्रण रहता है। प्रान्तों तथा रियासतों को भी ब्रौडकास्टिङ स्टेशन बनाने की अनुमति दी गई है। इसका एक कारण यह था कि भारत जैसे विस्तृत तथा बहुभाषायुक्त देश में इस विषय को केन्द्रित करके केन्द्र से भारत की सब भाषाओं से ब्रौडकास्ट करना

असम्भव सा हो जाता है। और यदि केवल एक ही भाषा में ब्रौडकास्ट किया जाय, तो ब्रौडकास्ट करने का लाभ बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ब्रौडकास्टिङ् का प्रभाव तो तभी हो सकता है, जब कि लोग उसे समझें। उसके लिये लोगों की अपनी-अपनी भाषाओं में ब्रौडकास्ट किया जाना चाहिये।

### कृषि के लिये पानी

१९१६ के विधान में “कृषि के लिये जल” एक प्रान्तीय विषय था। लेकिन जब इसका सम्बन्ध एक से अधिक प्रान्त से होता था, तब वह केन्द्रीय विषय माना जाता था। लेकिन नये विधान के अन्तर्गत जब कभी दो या दो से अधिक प्रान्तों में पानी के प्रश्न पर झगड़ा हो जाय, तो गवर्नर जनरल, आवपाशी, इन्जी-निअरिंग, अर्थ, तथा कानून के विशेषज्ञों का एक कमीशन नियुक्त करेगा। यह कमीशन अपनों रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट पर विचार कर गवर्नर जनरल जो निर्णय देना ठीक समझेगा, वह दे देगा। लेकिन यदि इस निर्णय से प्रान्तों तथा रियासतों को सन्तोष न हो, तो वह सम्राट् (King in Council) से भी निर्णय प्राप्त कर सकते हैं।

### अन्तप्रान्तीय सहयोग

भारत जैसे महादेश में कई ऐसो समस्याएं उठेंगी, जिनका सम्पूर्ण भारत से सम्बन्ध होगा तथा जिनको हल करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर प्रयत्न करना आवश्यक होगा। १९१६ के विधान में तो ऐसी अवस्था में यदि सभी प्रान्त इकट्ठे होकर काम न कर सकें, तो इस बात का निर्णय गवर्नर जनरल कर सकता था। लेकिन १९३५ के विधान में इस बात का कानूनन

कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। समाट को, ऐसी परिस्थितियों के उपस्थित होने पर अन्तप्रान्तीय काँड़सिल बनाने का अधिकार दिया गया है। इस काँड़सिल का कर्तव्य, किसी अन्तप्रान्तीय विषय के सम्बन्ध में, जिस पर फ़ाड़ा उठ खड़ा हो, जांच करना तथा परामर्श देना होगा।

उपर्युक्त विवरण से यह पता चल गया होगा कि यद्यपि नया विधान प्रान्तीय स्वराज्य को मानता है, तो भी इस में संघ तथा इसके सदस्य प्रान्तों अथवा रियासतों के बीच एक ऐसा शासनात्मक तथा व्यवस्थात्मक सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है, जिस से एक और तो रियासतों के स्वत्वों की रक्षा की जा सकती है और दूसरी ओर सामान्य हितों वाले विषयों पर सम्पूर्ण भारतवर्ष के सहयोग का प्रबन्ध भी किया जा सकता है, और यदि किन्हीं दो प्रान्तों अथवा रियासतों में फ़ाड़ा उठ खड़ा हो, जिसका होना बहुत सम्भव है, तो उसका भी इन्तजाम किया जा सकता है।

१९३५ के विधान से पहले भारतवर्ष में केन्द्रित शासन था, और उस शासन की छाप अब भी नये शासन-विधान पर प्रत्यक्ष हिटिगोचर होती है।

---

( c )

## संघ की आर्थिक व्यवस्था

हम इस विषय को दो भागों में विभक्त करेंगे। प्रथम इस नये विधान को क्रियात्मक रूप देने में कितना अधिक व्यय होगा। दूसरे संघ तथा इसके सदस्य प्रान्तों और रियासतों में आय के स्रोतों को किस प्रकार बांटा जायगा।

इस विधान को क्रियात्मक रूप देने के लिये, व्यवस्थापि का समाओं के आकार को बढ़ाने के लिये तथा फिडरल कोर्ट की स्थापना आदि के लिये ७५ लाख रुपया केन्द्र में तथा ७५ लाख रुपया प्रान्तों में व्यय होगा। इसके अतिरिक्त बर्मा के भारत वर्ष से पृथक हो जाने से केन्द्र की आय में प्रति वर्ष ३ करोड़ रुपये का अन्तर पड़ा है। उस पर सिन्ध को १०५ लाख, चंडीसा को ४० लाख तथा सीमा प्रान्त को १०० लाख रुपया देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त रियासतों से आर्थिक निवारण में एक करोड़ रुपया प्रति वर्ष हानि होगी। यह सारा व्यय तथा हानि, संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी के मतानुसार इतना अधिक नहीं कि संघ शासन के विचार को छोड़ दिया जाय।

दूसरा प्रश्न—अर्थात् संघ, इसके सदस्य प्रान्तों तथा रियासतों में आय के स्रोतों का बैंटवारा बड़ा महत्वपूर्ण है। १९१६ के विधान में भी आय के स्रोतों को बांट दिया गया था।

कानून की हिति में तो वह बैटवारा केन्द्र द्वारा शासन की सुगमता के लिये किया गया था, संघ के आदर्श को ले कर नहीं, लेकिन आर्थिक हिति से वह संघ पद्धति के आदर्श पर ही था। उसमें भी आय के स्रोतों को स्पष्टता के साथ पृथक्-पृथक् किया गया था।

यहां यह बता देना कदाचित् ठीक होगा कि किसी भी संघ शासन में आय के स्रोतों का बैटवारा करना एक कठिन कार्य होता है, क्यों कि एक ही देश में, एक ही जनता से, दो भिन्न तथा स्वतन्त्र अंशों ने अपनी आय प्राप्त करनी होती है। इस अवस्था में, दोनों स्वतन्त्र अंशों के लिये आय हेतुओं का पृथक् कर देना सम्भव भी है, क्योंकि वैधानिक स्थिति तो अवश्य सरल हो जाती है, परन्तु इस बैटवारे से जो आय होती है, वह दोनों अंशों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती।

भारत में यह बैटवारा करते समय इस बात का विचार रखना था कि केन्द्र का व्यय, सिवाय युद्ध की अवस्था के, प्रायः एक तरह का रहता है। लेकिन प्रान्तों के राष्ट्रीय निर्माण सम्बन्धी कार्यों के लिये व्यय की वृद्धि की कोई सीमा नहीं। उस पर एक बात यह है कि केन्द्र की आय के स्रोतों से आय की वृद्धि होनी बहुत सम्भव है और प्रान्तों के आय-स्रोतों से ऐसी कोई आशा नहीं। अतः समस्या यह थी कि यह बैटवारा इस प्रकार से होना चाहिये जिस से एक ओर तो केन्द्र में आर्थिक स्थिरता रहे तथा दूसरी ओर प्रान्तीय सरकारों की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त आय का प्रबन्ध हो सके।

इस समस्या में कठिनाइयां यह हैं कि एक ओर तो प्रान्तों तथा केन्द्र के लिये आय को एक ही जनता से प्राप्त करना

होता है। उस पर बन्धवी तथा बगाल की प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकार से तट कर की आय का एक विशेष भाग माँगती हैं, क्योंकि औद्योगीकरण से उन प्रान्तों में आय अधिक होती है। आय अधिक होने से केन्द्रीय सरकार को आय-कर भी, अन्य प्रान्तों की अपेक्षा इन प्रान्तों से अधिक मिलता है। उस पर कस्टम्ज से जो आय केन्द्रीय सरकार को होती है— उस में से रियासते भी अपना भाग लेना चाहती हैं। बात यह है कि जो पदार्थ अन्य देशों से भारत में आते हैं, उन पर तट-कर लगाया जाता है। इस तट-कर से जो आय होती है, वह केन्द्रीय कोष में जाती है। लेकिन जो पदार्थ अन्य देशों से यहां भारत में आ कर विक्रते हैं, उनका केवल ब्रिटिश-भारत बाले ही उपयोग नहीं करते। रियासत निवासी भी उसको खरीदते हैं। अन: रियासती नरेश इस तट-कर की आय के कुछ अंश पर अपना अधिकार समझते हैं। और वह अंश उन्हें दिया भी जायगा। इस दशा में केन्द्र की आय में कुछ और कमी होगी। संघ शासन को जो अन्य व्यय करने होंगे, वह तो हम प्रारम्भ ही में बता चुके हैं।

इसके अतिरिक्त एक और पेचीदगी पैदा हो जाती है। रियासतों के संघशासन में प्रवेश करने पर, सिद्धान्त तो यह है कि संघ शासन के सभी अगों से एक ही रीति से संघ कोष में आय पहुंचे। अब केन्द्रीय सरकार की आय का  $\frac{1}{2}$  वां भाग तो परोक्ष-कर (indirect taxes) से आता है शेष  $\frac{1}{2}$  वां भाग ब्रिटिश भारत से आय-कर द्वारा। परोक्ष-कर के विषय में तो कोई मांगड़ा नहीं। लेकिन रियासती नरेश किसी भी प्रकार का सीधा-कर अपनी रियासतों में से इकट्ठा किये जाने

के विरुद्ध हैं। उनकी युक्ति यह है कि हम रियासत वाले, घाटे वाले प्रान्तों (सिंध, उड़ीसा तथा सीमाप्रान्त) के लिये पैसा क्यों दें और न वे यह चाहते हैं कि संघशासन स्थापित होने से पहले भारत सरकार जो ऋण ले चुकी है—उनका उत्तरदायित्व उन पर हो। लेकिन मजे की बात यह है कि वे संघ शासन में प्रवेश करना चाहते हैं, तथापि उनकी सीमा में ब्रिटिश भारत से जाने वाले पदार्थों पर जो कर लगा हुआ है, उसे वह नहीं हटाना चाहते। यहाँ यह सब बताने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि रियासतों के संघ शासन में प्रवेश करने से संघ शासन की आर्थिक स्थिति में हानि ही होगी, लाभ कोई नहीं।

इस जटिल समस्या को सुलझाने के लिये सर ओटो नीमेअर के प्रधानमंत्र में एक कमीशन नियुक्त किया गया था। १९३५ के विधान में तो संघ शासन की आर्थिक व्यवस्था का ढाँचा मात्र ही दिया था। उसको पूरा करने का काम इस कमीशन ने करना था। इस कमीशन के सपुर्दे एक और भी काम था। इसने भारत तथा प्रान्तीय सरकारों की आर्थिक रित्थिति का अध्ययन करके यह बताना था कि भारतीय आर्थिक स्थिति संघ शासन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी या नहीं। संघ शासन के स्थापित करने से पहले जिन आर्थिक शर्तों का पूरा होना आवश्यक था, वे हैं—आर्थिक स्थिरता, रिजर्वबैंक की स्थापना, बजटों का समतुलन, पर्याप्त सुरक्षित धन का प्रबन्ध तथा आयात-निर्यात का भारत के हक में समतुलन। सर ओटो नीमेअर ने केन्द्र तथा प्रान्तों की आर्थिक स्थिति को सन्तोषजनक बताया, तथा केन्द्र और प्रान्तों से आय के स्रोतों का बंटवारा निर्दिष्ट किया। ऐसा करने पर ३ जुलाई १९३६ को, जो ढाँचामात्र १९३५ के

विधान मे दिया गया था, सम्राट् के आदेश से उसे पूरा कर दिया गया।

### केन्द्र की आय के मुख्य स्रोत

केन्द्र की आय के मुख्य स्रोतों को पांच भागों मे विभक्त किया जा सकता है।

१—उत्तराधिकार कर, स्टैम्पर, रेल तथा चायुयानों द्वारा लाई गई वस्तुओं पर टर्मिनल-टैक्स (Terminal tax) तथा रेलवे के किरायों आदि पर कर।

इन करों से जो आय होगी, उसे कानून के अनुसार प्रान्तों तथा रियासतों मे बांट दिया जायगा।

### २. आयकर।

इसका ५० प्रतिशत भाग उसी प्रान्त तथा रियासत (जिन रियासतों मे वह कर लगाया जायेगा) को दिया जायगा, जहाँ से वह प्राप्त होगा। लेकिन, पहले पांच वर्षों के लिये प्रान्तों को इस आय मे से कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद भी उसी अवस्था मे उन्हें भाग मिलेगा, जब कि सभ शासन की आर्थिक व्यवस्था स्थिर हो जाय।

इसके अतिरिक्त संघ की आवश्यकताओं के लिये बहुत बड़ी आयों पर अतिरिक्त आय-कर (surcharge) भी लगाया जा सकता है। इसमे रियासतों को भी अपना भाग देना पड़ेगा।

### ३. कारपोरेशन कर;

यह कम्पनियों की आय पर लगाया जायेगा। इस कर को रियासतों ने भी लगाना स्वीकार किया है। रियासतों से या तो यह कर सीधा वसूल किया जायगा, अथवा रियासतें इकट्ठा करके संघ को देंगी। इस अवस्था मे कुल कर नियंत्र कर दिया

जायगा। यदि रियासतों को यह कर अधिक प्रतीत हो, तो वे किंडरल कोर्ट में अपील भी कर सकती हैं। लेकिन रियासतों में यह कर दस वर्षों के बाद से ही वसूल किया जायगा।

#### ४. नमक कर

संघ का आन्तरिक (एक्साइज-excise) कर;

#### निर्यात-कर

इस आय में सारा या उसका कुछ अंश उस प्रांत तथा रियासत को दे दिया जायगा, जहाँ से यह वसूल किया गया होगा। जैसे जट पर के निर्यात कर की आय में से ६२ प्रतिशत भाग बंगाल, बिहार, आसाम तथा उड़ीसा को दिया जायगा।

#### ५—अन्य स्रोत ...

इस आय में से संयुक्त प्रान्त को ५ वर्ष के लिये २५ लाख, आसाम को ३० लाख, सीमा प्रान्त को १०० लाख, उड़ीसा को ५० लाख तथा सिन्ध को दस वर्षों के लिये १०५ लाख रुपया प्रति वर्ष दिया जायगा।

#### प्रान्तीय आय के स्रोत

१. आय-कर मे से भाग।
२. भूमि कर और मकानों आदि पर कर।
३. कृषि की आय पर लगान; तथा कृषि-भूमि पर उत्तराधिकार प्राप्त करने पर कर।

४ अपने प्रान्त तथा भारत मे बनाई गई शराब, अफ्रीम आदि वस्तुओं पर एक्साइज कर।

५. खनिज द्रव्यों के अधिकारों पर कर। इस कर को लगाते समय संघ व्यवस्थापि श सभा द्वारा खनिज द्रव्यों के निकालने के लिये जो पाबन्दियाँ लगाई गई होंगी; उनका ध्यान रखना होगा।

६. नौकरियों, पेशों अमदि पर कर।

—इत्यादि १६ विभाग १६३५ के विधान में दिये गये हैं।

### संघ तथा रियासतें

रियासतें संघ-कोष में अपना भाग परोक्ष कर के रूप में देती हैं। सिवाय, कारपोरेशन कर के (जो कि १० वर्ष बाद से ही लगाया जा सकता है) तथा संघ की आवश्यकताओं के लिये एक अतिरिक्त-आय कर (Surcharge) के—रियासतों से और किसी प्रकार का सीधा कर नहीं बसूल किया जा सकता।

इनके अतिरिक्त रियासतों के संघ शासन में प्रवेश करने पर कुछ आर्थिक परिवर्तन करने होंगे। आजकल बहुत सी रियासतें फौजी तथा अन्य खर्चों के लिये जो रुपया केन्द्रीय सरकार को देती हैं, वह २० वर्ष में कमशः बन्द कर दिया जायगा। इससे रियासतों की आय में प्रति वर्ष ७५ लाख रुपयों की वृद्धि या बचत हो जायगी। रियासतों को संघ शासन में जाने के लिये यह प्रलोभन दिया गया था।

### रिजर्व बैंक (Reserve Bank)

रिजर्व बैंक का महत्व इसी बात से स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक की स्थापना संघशासन प्रारम्भ करने के लिये एक आवश्यक शर्त थी। यह संस्था किसी भी केन्द्रीय शासन की अर्थ-व्यवस्था में एक प्रधान अंग होती है। रिजर्व बैंक की बहुत-सी परिभाषायें हैं। आसान भाषा में रिजर्व बैंक वह बैंक है जो जनता के आर्थिक लेनदेन, मदद तथा ऋण की मांग को पूरा करता है और राजनीति के प्रभाव या लोभ से पृथक् रहता है।

भारत में रिजर्व बैंक खोलने का उद्देश्य भारत की आर्थिक स्थिरता को कायम रखना था। यह बात स्वीकार की गई थी कि

मुद्रा ( Currency ) तथा साख ( Credit ) का नियन्त्रण एक स्वतन्त्र संस्था, रिजर्व बैंक, के हाथों देना चाहिये। बैंक नोट चलाने का तथा स्थायी कोष ( reserve ) रखने का जिम्मा भी रिजर्वबैंक को दिया गया। १९३४ में रिजर्व बैंक आफ़ इण्डिया कानून पास हुआ और १९३५ में यह बैंक प्रारम्भ किया गया।

रिजर्व बैंक का मूलधन ५ करोड़ रुपया है, जो सौ-सौ रुपयों के हिस्सों में बंटा हुआ है, इसका मूलधन सरकार ने नहीं दिया है। यह एक हिस्सेदारों का बैंक है। रिजर्व बैंक का मूलधन सरकार देया आम जनता—इस प्रश्न पर काफी बहस हुई थी, और अन्त में जनता से ही मूलधन जमा करने का निश्चय हुआ था। संसार के जित देशों में केन्द्रोय बैंक हैं, उनमें से अधिकांश बैंक हिस्सेदारों के ही हैं, सरकार के नहीं। बैंक को राजनीतिक प्रभाव से बचाने के लिये ऐसा करना आवश्यक है।

रिजर्वबैंक का प्रबन्ध एक बोर्ड द्वारा होता है। इस बोर्ड के १६ मेम्बर हैं। उनसे एक गवर्नर और एक सहायक गवर्नर को गवर्नरजनरल चुनता है। इनके सिवा ४ अन्य सदस्यों को भी गवर्नर जनरल ही नियुक्त करता है। एक सरकारी अफसर भी बोर्ड का सदस्य होता है। शेष ८ सदस्यों को हिस्सेदार चुनते हैं। इस प्रकार बोर्ड के सदस्यों में ८ सरकारी सदस्य और ८ गैर सरकारी सदस्य हैं। इतने अधिक सरकारी सदस्यों का होना किसी दशा में भी उपयुक्त नहीं है। ऐसी अवस्था में बैंक का राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहना सम्भव नहीं मालूम पढ़ता।

व्यवस्थापिका सभा का भी इस बैंक पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं। व्यवस्थापिका सभा में मुद्रा तथा रिजर्व बैंक की

बनावट तथा कार्यों के विषय में किसी प्रकार का विल या सशोधन नहीं पेश किया जासकता।

अब अन्त में संघ की आर्थिक व्यवस्था की कुछ आलोचना करनी है। इस आर्थिक व्यवस्था तथा १९१६ के विधान के अन्तर्गत आर्थिक व्यवस्था के अधार में कोई मेद नहीं। देवज यहाँ सूचियों को अधिक विस्तार से बनाया गया है—अन्यथा बँटवारा प्रायः एक जैसा ही है।

संघ के सन्मुख वास्तव में समस्या यह थी कि किस प्रकार प्रान्तों को अधिक रूपया मिल सके। चाहे ऐसा करने के लिए केन्द्रीय आय में से कुछ भाग देना पड़े, चाहे प्रान्तों को आय के उन स्रोतों को दिया जाय, जिनके भविष्य में बढ़ने की आशा हो। यह तो सयुक्त पार्लियामेण्ट्री कमेटी ने भी माना है कि केन्द्र को जो आय के स्रोत दिये गये हैं, उन से भविष्य में आयवृद्धि होने की आशा है। मगर प्रान्तीय स्रोतों से आयवृद्धि होने की कोई सम्भावना नहीं। प्रान्तों को बहुत धन की आवश्यकता है, लेकिन इन को केन्द्र से भी कोई आशा नहीं। केन्द्रीय आय बढ़ेगी सही, लेकिन उससे प्रान्तों को क्या लाभ ?

उस पर रियासतों के संघ में आने से और हानि होगी। प्रति वर्ष ७५ लाख रुपये का अधिक बोझ भारतीय जनता के सिर पड़ेगा। भविष्य में भी रियासतों पर किसी प्रकार का कर लगाकर आयवृद्धि की आशा नहीं रखी जा सकती। ऐसा काम रियासतों भला क्यों स्वीकार करने लगी ! वे तो परोक्ष-कर पर ही जोर देंगी। जिससे खरीदारों पर बोझ पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता

है कि भविष्य में रियासतों को जितने अधिक रुपये की संघ-शासन के लिए आवश्यकता पड़े, उसे प्राप्त करने के लिए वे ब्रिटिश भारत पर और सीधे कर लगवा दें, क्योंकि परोक्ष कर एक सीमा से आगे बढ़ाये नहीं जा सकते।

---

( ६ )

## अंग्रेजी सरकार का भारतीय विभाग

१८५८ के विधान ने भारत शासन को कम्पनी के हाथों से लेकर अंग्रेजी सरकार के हाथों में दे दिया था। उस समय से “बोर्ड आफ कन्ट्रोल” के समाप्ति का स्थान भारत मन्त्री ने ले लिया, तथा “बोर्ड आफ डाइरेक्टर” और “बोर्ड आफ कन्ट्रोल” का स्थान एक “परामर्श दायिती समिति” ने। भारत मन्त्री (Secretary of State for India) का अंग्रेजी सरकार के मन्त्रिमण्डल में प्रमुख स्थान है। यह व्यक्ति इंग्लैण्ड की पार्लियामेन्ट के दोनों में से किसी एक भवन का सदस्य होता है। यह आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति को भारत से व्यक्तिगत परिचय हो। वह सम्पूर्ण रूप से पार्लियामेन्ट के आगे उत्तरदायी होता है। पार्लियामेन्ट साधारण प्रस्तावों से, अविश्वास नथा स्थगित प्रस्ताव से, प्रश्नों तथा पूरक प्रश्नों द्वारा इसके कार्य पर नियन्त्रण रखती है। पार्लियामेन्ट के अतिरिक्त यह भर्त्ता-मण्डल के सन्मुख भी उत्तरदायी होता है, तथा उनके सामने भारत सम्बन्धी सभी स्कीमें रखता है। यदि इसका अपने मन्त्री-मण्डल के साथियों से गम्भीर मत-भेद हो जाय तो इसे त्यागपत्र देना पड़ता है।

इसके दो सहायक होते हैं। स्थायी उप-मन्त्री तथा पार्लियामेन्ट्री उप-मन्त्री। स्थायी उप-मन्त्री एक खरकारी अफ़सर है, वह

इंग्लैण्ड में भारत कार्यालय का अधिकार होता है। इसका कुन एक ओर तो शासन-कार्य करना होता है तथा दूसरी ओर स्तर नन्त्री को सूचनाएं प्रक्रम करके देता। पार्टियनेपट्री द्वारा नन्त्री का पढ़ एक राजनीतिक पढ़ है।

### भारत मन्त्री तथा भारत समिति

नए विधान से पहले भारत ने शासन ऊपर से नीचे को होता था। लोकतन्त्र की सांति नीचे से ऊपर को नहीं अर्थात् यहाँ नौकरशाही राज्य था। इन नौकरशाहीों पर नियन्त्रण रखने के लिये भारत मन्त्री की आवश्यकता पड़ी। लेकिन भारत मन्त्री के ऊपर भारत जैसे देश के शासन का उचरदायित्व छोड़ना भी तो ठीक न था। कारण, भारत-मन्त्री प्रायः भारत से विशेष परिचिन नहीं होता। अब उसे अपने उचरदायित्व को निभाने में सहायता तथा परालरों द्वारे के लिए भारत समिति की आवश्यकता पड़ी। १८५८ के स्टूट के अंतर्गत तो इसके १५ सेवर थे। लेकिन १८१६ के विधान अनुसार कम से कम ८ और अधिक से अधिक १८ सदस्य होने थे। इन में से तीन स्थान भारद्वायों के लिए थे। इन सदस्यों ने से कम से कम आधे ऐसे होने चाहिए जिन का भारत से व्यक्तिगत परिचय हो। पहिले (१८०७ नक) तो यह दृष्ट वर्ष नक सेवर रह सकते थे। लेकिन १८१६ स्टूट के अनुसार इन्हें पाँच वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता था।

भारत-मन्त्री को, इस विधान के अनुसार, दृष्ट अधिकारों का प्रयोग करते समय, भारतसमिति वे परामर्श लेकर काम करना होता था। दोनों को निलालकर समिति सहित भारत मन्त्री' ( Secretary-of-State-in-Council ) कहते हैं।

साधारण तौर पर सभी विषयों का निर्णय बहुमत से किया जाता था, पर भारत-मन्त्री को इस समिति के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार था। लेकिन भारतीय आय और व्यय तथा शाहीनौकरियों के विषय में सब निर्णय बहुमत से होने आवश्यक थे। गोपनीय विषयों के लिए भारत-मन्त्री, विना भारत-समिति के काम करता था। अतः भारतसमिति तो केवल परामर्शसमिति मात्र ही थी। भारत का राष्ट्रीय लोकमत तो इसके विरुद्ध ही रहा, क्योंकि एक तो इससे कोई लाभ न था। उस पर इसके सदस्य प्रायः भारत से अवसरप्राप्त व्यक्ति होते थे। इस समिति में अनुदारत्व का अश अधिक होने में यह समिति भारत की राष्ट्रीय प्रगति के पथ में बाधक हो जाती थी। नये विधान में इसका स्थान भरतमन्त्री के परामर्शदाताओं ने ले लिया है।

### भारत मन्त्री तथा गवर्नर जनरल

भारतमन्त्री का पालियामेण्ट में स्थान तथा उसका भारतसमिति से सम्बन्ध तो बताया जा चुका है। यहा भारत के वास्तविक शासक गवर्नर जनरल से उसका सम्बन्ध बताना शेष रह गया है।

कानून की दृष्टि से तो गवर्नर जनरल को भारत मन्त्री के सभी आदेशों का पालन करना पड़ता है। लेकिन ऐसा होता नहीं रहा। कारण, गवर्नर जनरल भारत जैसे विस्तृत देश के शासन का अधिष्ठाता ठहरा। और भारतमन्त्री भारत से, स्वेच्छ नहर खुलने से पहले, हजार मील पर इंग्लैण्ड मे रहता था। इस अवस्था में शासन का उत्तरादायित्व गवर्नर जनरल पर ही रहता रहा। तब भारत मन्त्री का भारतशासन में हस्ताक्षेप करना उठ की पीठ पर बैठकर भेड़ों को चराने के समान होता। लेकिन यह बात बहुत कुछ भारत मन्त्री तथा गवर्नर जनरल के पारस्परिक

ध्यक्तिगत सम्बन्ध पर ही निर्भर होती थी। कई भारत मन्त्री गवर्नर जनरल को अपना एजेंट मात्र समझते थे और कई ऐसे गवर्नर जनरल भी थे जिनके समय के भारत मन्त्री का काम पार्लियामेण्ट से उनकी नीति का प्रतिपादन करना ही था।

लेकिन स्वेज़ नहर के खुलने तथा समुद्री तार लगाए जाने से भारत तथा इंग्लैण्ड परस्पर निकट हो गये तथा दूसरी ओर भारतमन्त्री को भारत से विशेष ज्ञानकारी रखने वाले भारतसभियों के सदस्य मिल गये। इससे गवर्नर जनरल की सशतन्ता में कमी आने लगी और भारतमन्त्रियों ने भारत के शासन कार्य में हस्ताक्षेप करना भी आरम्भ किया। लार्ड एलिंगन तथा लार्ड रिपन ने हस्ताक्षेप के विरुद्ध आवाजें उठाईं। लेकिन तो भी उनको भारतमन्त्री की नीति तथा आदेशों का पालन करना ही पड़ा।

### शासनविधान में भारत-मन्त्री का स्थान

सिद्धान्त की हड्डि से तो उत्तरादायी शासन में भारतमन्त्री के लिये कोई स्थान नहीं रहता। 'नौकरशाही राज्य' में तो उसकी आवश्यकता थी। क्योंकि ऊपर से नीचे वाले शासन में उत्तरदायित्व सब से ऊपरवाले अर्थात् भारत-मन्त्री में रहता था। लेकिन प्रांतों को स्वराज्य मिल जाने पर शासन का उत्तरादायित्व भारतीयों के हाथ हो गया है। उदाहरण के लिये अर्थ विभाग को लोकिये। अब प्रान्तों में प्रान्तीय आय-ज्युप का जिम्मा उत्तरादायी मन्त्रिमण्डल पर है। इससे पहले सारे भारत के आय-व्यय का किस्मा भारत-मन्त्री पर था। लेकिन अब, जब कि भारत का उत्तरदायित्व ही भारतमन्त्री पर नहीं रहता है, तो भारतमन्त्री की आवश्यकता ही क्यों हो ?

उसके अतिरिक्त किसी नये विधान में, जहाँ कि सिद्धान्त की हष्टि से स्वतन्त्र प्रांतों को संघ शासन में इकट्ठा करना हो, वहाँ न तो प्रान्त अपने अधिकार गवर्नर जनरल से, और न गवर्नर या केन्द्रीय सरकार अपने अधिकार भारतमन्त्री से पाते हैं। संघशासन के इन दोनों भागों को अपने अधिकार सीधे समाट से मिलने चाहिये। इस बात को संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी माना था। अतः नये विधान में भारत सरकार को वैधानिकरूप से भारतमन्त्री के अधीन नहीं किया गया। इसी कारण से भारतमन्त्री को विधान के ११वें विभाग में रखा गया है। लेकिन केवल ११वें विभाग के अध्ययन से ही भारत मन्त्री के अधिकारों का पता नहीं चल सकता है। उसके अधिकारों को छूटने के लिये विधान के सभी विभागों की छानबीन करने की आवश्यकता पड़ती है। उनमें से मुख्य यह है:—

नये विधान में निम्नलिखित क्षेत्रों में भारतमन्त्री के पुराने अधिकार सुरक्षित रखे गये हैं—

१—भारतीय रियासतें।

२—बाह्य मामले (भारत के अन्य उपनिवेशों के साथ सम्बन्ध के अतिरिक्त)।

३—रक्षा।

४—अर्धसभ्य जातियों के प्रदेश।

५—आबपाशी विभाग के उच्चतम कर्मचारियों को नियुक्त करना।

६—आई. सी. एस. (सिविल विभाग), आई. एम. एस. (चिकित्सा विभाग) तथा आई. पी. एस. (पोलीस विभाग) में नियुक्तियां करना।

७—उच्च सिविल कर्मचारी विभाग के विषय में अन्तिम अपील।

इसके अतिरिक्त भारत मन्त्री का गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों पर भी नियन्त्रण रहेगा। क्योंकि जिन द्वित्रों में गवर्नर ने अपनी विवेचनात्मक शक्तियों से अथवा अपने व्यक्तिगत निर्णय से काम लेना होगा, वहाँ वह गवर्नर जनरल के सामान्य नियन्त्रण में रहेगा। इसी प्रकार जिन द्वित्रों में गवर्नर जनरल ने अपनी विवेचनात्मक शक्तियों से अथवा व्यक्तिगत निर्णय से काम लेना होगा—वहाँ गवर्नर जनरल, भारतमन्त्री के सामान्य नियन्त्रण में रहेगा। गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की विवेचनात्मक शक्तियों के अन्तर्गत एक प्रकार से शासन के सभी मुख्य आग आ जाते हैं। अतः चाहे भारत मन्त्री को वैधानिक दृष्टि से कोई भी स्थान नहीं दिया गया—तो भी वास्तव में भारत मन्त्री की स्थिति बदली नहीं। अब वह रामेंद्र पर चाहे न भी दृष्टिगोचर हो, तो भी कर्त्ता-धर्ता एक प्रकार से वही रहेगा। हम इस बात को और स्पष्ट करते हैं। आर्थिक व्यवस्था किसी राष्ट्र की जीवात्मा के समान होती है। भारत के आय-व्यय के जिस अंश पर व्यवस्थापिका सभा को बोट देने का अधिकार नहीं, वह परोक्ष रूप से भारत-मन्त्री के नियन्त्रण में आ जाता है।

रेलवे विभाग (Federal Railway Authority) को लीजिये। इस विभाग को संघ शासन के नियन्त्रण में नहीं रखा गया, ताकि इसे राजनीतिक प्रभावों से पृथक् रखा जा सके और इसका कार्य व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार निर्बाध रूप से चल सके। संघ शासन रेलवे विभाग सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में केवल निर्देश ही है सकता है। लेकिन गवर्नर जनरल का रेलवे विभाग पर पूरी तरह से नियन्त्रण रहेगा। क्योंकि वह

विभाग गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत है। विशेष उत्तरदायित्व होने के कारण गवर्नर जनरल को इस विषय में व्याकुंगत निर्णय से काम लेना होगा और जिसे ज्ञेत्र में गवर्नर जनरल अपने उपकिंगत निर्णय से काम ले,—इस ज्ञेत्र में वह भारत मन्त्री के नियन्त्रण में रहेगा। रेलवे विभाग को गवर्नर-जनरल के अधीन करने के महत्व के समझाने के लिये यहाँ यह घटा दिया जाय कि १९३५-३६ के भारत सरकार के बत्तिय के अनुसार भारत सरकार पर १२२५ करोड़ रुपये का ऋण था। इस सम्पूर्ण ऋण में ७५६ करोड़ रुपया रेलवे पर व्यव किया गया था। इसके अतिरिक्त “रिजर्व बैंक” पर भी भारत-मन्त्री का नियन्त्रण रहेगा। इस अवस्था में नये विधान में भारत मन्त्री के महत्व पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं।

---

( १० )

### रचा

सर ए० बी० कीथ के शब्दों में—“बिना भारतीयों की अपनी प्रबल सेना के स्वराज्य का होना असम्भव है।” यह बात प्रायः हम नहीं समझते यद्यपि आधुनिक परिस्थितियों में यह बात सब से पहले किसी भी विचारशील व्यक्ति के मन में उनी चाहिए। संसार का यह नियम है—चाहे बुरा या भला, इस बात से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं—कि बलबान निर्बल को अपने काढ़ु में रखना चाहता है। चीन, ऐबीसीनिया, जैकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, फिनलैण्ड, यूनान आदि के नग्न उदाहरण इस विषय पर दो मतों के लिए स्थान नहीं छोड़ते। भारत के इतिहास को ही लीजिए। आर्यों के समय से लेकर आज तक यूनानी, शक, कुशान, हूण, अफगान, तुर्क, मंगोल आदि कितनी ही विदेशी आक्रमणकारी जातियों ने भारत की स्वतंत्रता को हरण किया। तब तक तो उत्तर पश्चिमीय देशों से ही आक्रमणकारियों के आक्रमण करने का मार्ग था। लेकिन १७ वीं, १८ वीं शताब्दी में भारत की स्वतंत्रता सामुद्रिक मार्ग से आने वाले व्यापारी सैनिकों के द्वारा छीन ली गई। अभी तक भारत स्वाधीन नहीं है परन्तु भारत में राष्ट्रीय भावना के जागृत होने पर अंग्रेजों ने शनैः शनैः भारत के शासन कार्य को भारतीयों के सुपुर्द करना

प्रारम्भ हिया। कहा तक? और कैसे? इस बात पर हम विचार कर चुके हैं। लेकिन रक्षा के विषय में क्या परिस्थिति है, अथवा यों कहिए कि अपनी रक्षा का भार कहाँ तक भारतियों के जिम्मे है—इस विषय पर यहाँ हमने विचार करना है।

भारत की रक्षा सम्बन्धी व्यवस्था को समझने के लिए हमें भारतीय सेना के ऐतिहासिक विकास को देखना होगा। जब अंगरेज १७ वीं सदी में भारत में आए थे, तो उनके साथ सेना नहीं थी और उस समय मुगल सम्राटों में सारे देश में शांति तथा व्यवस्था स्थापित करने की ज़मता थी। जो थोड़े-बहुत सिपाही अंग्रेजों के पास थे—उनका कार्य कारखानों की चौकीदारी करना था। तब अंग्रेजों के मन में राज्य स्थापना करने के लिए युद्ध करने का कोई विचार न था। यह परिस्थिति १७०८ तक रही।

१७०८ से, भारत में ब्रिटिश सेना के इतिहास का दूसरा काल आरम्भ होता है। इस काल में अंग्रेजों ने देशी फौजों को भरती करना प्रारम्भ हिया। सेन्ट टामस के युद्ध में मुट्ठी भर फ्रांसीसियों द्वारा अनवरुद्धीन की सेना की पराजय ने, यूरोपियनों की उत्कृष्टता की धाक जमा दी। फ्रांसीसियों के हौसले खुले। देखादेखी अंग्रेजों ने भी फ्रांसीसियों का अनुसरण किया, तथा १७४८ से मेजर लारेस ने महास में बहुत से देशी सिपाहियों की भर्ती की। इसके बाद अंग्रेज़ों-फ्रांसीसियों की प्रतिकूलिता से, अंग्रेज़ों की सेना की सख्त बुत बढ़ गई। इस लिये क्लाइव को सेना की व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ी। १७८६ में पुनः व्यवस्था की गई। इस समय कम्पनी के पास १८००० यूरोपियन तथा ५७००० देशी सैनिक थे। इस व्यवस्था से अंग्रेजी अफसरों की संख्या और उनके अधिकार अधिक कर दिये गए।

भारतीय अफसरों के अधिकारों तथा उनके गौरव को हानि पहुँची। इसके बाद १८२१ में कुछ और परिवर्तन किये गये। इस काल में सेना के तीन विभाग किये जा सकते हैं। भारतीय सैनिक, यूरोपियन सैनिक तथा स्थानीय आवश्यकताओं के लिये रक्खे जाने वाले अनियमित सैनिक। यूरोपियन सैनिक दो प्रकार के थे—एक कम्पनी के नौकर तथा दूसरे ब्रिटिश सम्राट् के। १८५७ में इस सेना में ३६, ५०० यूरोपियन तथा, ३, १०३८ भारतीय थे।

इसी सेना ने अग्रेजों के लिये, बर्मा से लेकर अफ़गानिस्तान की सीमा तक तथा पंजाब से लेकर मैसूर तक—सम्पूर्ण भारत को जीता था।

लेकिन समय-समय पर इसमें विद्रोह भी होते रहे थे। १७६४, १८०६, (बैलौर), १८०८ तथा १८२४ में कभी भारतीय सिपाहियों ने और कभी यूरोपियन सिपाहियों ने विद्रोह किया। लेकिन सब से महत्वपूर्ण तथा अन्तिम विद्रोह १८५७ में हुआ। यह विद्रोह एक प्रकार से बंगाली सेना का विद्रोह था। धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारणों से यह केवल बंगाल तक ही सीमित न रहा। बम्बई, मद्रास, पंजाब तथा कुछ राजभक्त देसी रियासतों की सेनाओं की सहायता से इस विद्रोह का दमन किया गया। लेकिन १८५७ का प्रभाव अभा तक हट्टियोचर होता है। कारण, आज की सेना नावि का प्रारम्भ १८५७ से ही होता है।

विद्रोह का एक कारण भारतीय सेनाओं में, यूरोपियन सैनिकों की कम संख्या भी थी। और यदि यूरोपियन अधिक संख्या में भारतीय सेना में होते, तो १८५७ का विद्रोह इतना प्रचलित रूप थारण न करना। १८५७ से पहले लार्ड डलहौजी ने यूरोपियनों की संख्या बढ़ाने के लिये कहा था। लेकिन तब उसकी

किसी ने नहीं सुनी। १८५७ के बाद, भारतीय सिपाहियों की सख्ता घटा कर, सेना में यूरोपियनों का भारतीयों के मुकाबले में अनुपात बढ़ा दिया गया। सारी सेना की ४० प्रतिशत सख्ता कम की गई। लेकिन अंग्रेज सिपाहियों की सख्ता ६० प्रतिशत सख्ता बढ़ा दी गई। एक और बात भी की गई। पूरवियों की पलटनों को विसर्जित करके सिक्कों तथा गोरखों की अधिक भर्ती का गई। एक पलटन किसी विशेष जाति या सम्प्रदाय से भर्ती की जाने लगी तथा इन पलटनों के बीच स्पर्धा को प्रोत्साहन दिया जाने लगा।

भारत में अप्रेज़ी सिपाहियों का स्थान तथा उहैश्य क्या होगा, इस बात पर बहुत वहस हुई। अन्त में अप्रेजों की साम्राज्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर अप्रेजी सिपाहियों की संख्या निश्चित करदी गई। इसके बाद १८७२ में भिस्टर कार्डवेज़ ने एक नई योजना आरम्भ की, जिसके अनुसार अंग्रेज सिपाही के बल १० वर्ष तक नौकरी करता है और दस साल के बाद वह पैशन का हकदार हो जाता है। मज़े की बात यह है कि उसे पैशन तो हिन्दुस्तान से मिलती है, पर वह इंग्लैण्ड की स्थायी सेना का सिपाही बन कर रहता है।

१८७६ में लार्ड लिटन ने एक सेना-संगठन-कमीशन बैठाया। जिसने सेना के अफसरों की संख्या को कम कर दिया और तीनों मुख्य प्रान्तीय सेनाओं को एक ही नियन्त्रण में रखने की सिफारिश की। लेकिन १८६३ तक इसको कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया। १८८५ की सीमाप्रान्त की दुर्घटना के अनन्तर, उत्तर-पश्चिमीय सीमाप्रान्त के सुरक्षा के लिये १२,६०० सैनिक और भर्ती किये गये। इसी घटना के बाद रियासतों ने सहायता के लिये एक सेना खड़ी की, जिसे ईस्पीरियल सर्विस

ट्रूप्स ( Imperial Service Troops ) कहा जाता है।

१८६५ से भारतीय सेना के इतिहास के चतुर्थ काल का आरम्भ होता है। क्योंकि १८६५ में ही भारत की मुख्य प्रान्तीय सेनाओं (Presidency armies) को एक नियन्त्रण में कर दिया गया। इन तीन मुख्य प्रान्तीय सेनाओं के स्थान पर सम्पूर्ण सेना को चार भागों में विभक्त किया गया। एक भाग पञ्चाब के, दूसरा मद्रास के, तीसरा बम्बई के तथा चौथा बंगाल के लेफ्ट-नेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया। लार्ड किचनर के प्रधान सेनापति वनने पर वर्षा में एक पॉचबां विभाग स्थापित किया गया।

लार्ड किचनर तथा लार्ड कर्जन दोनों एक ही टक्कर के व्यक्ति थे। भारत में आने पर लार्ड किचनर ने प्रस्ताव किया कि युद्ध सम्बन्धी मामलों में, प्रधान सेनापति को ही भारत सरकार का एकमात्र परामर्शदाता होना। चाहिये। इससे पहले प्रधान सेनापति शासन समिति के युद्ध सचिव के हारा ही अपने प्रस्ताव भारत-सरकार के संमुख पेश कर सकता था। इस प्रस्ताव का मतलब यह था कि युद्ध सचिव (Military Member) के पद को हटा दिये जाय। पर ऐसा करने से प्रधान सेनापति के अधिकार बहुत अधिक बढ़ जाते थे। इस लिये तत्कालीन वायसराय, लार्ड कज़न इस प्रस्ताव के विरह था। लेकिन अन्त में ब्रिटिश सरकार ने किचनर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बिरोध में लार्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। अतः १८०६ से, युद्ध सम्बन्धी मामलों में प्रधान सेनापति ही भारत-सरकार का एकमात्र परामर्शदाता होता है।

१८०८ में ५ सेना विभागों के स्थान पर उत्तरीय तथा

दक्षिणीय दो सेना विभाग कर दिये गये ।

१९१४ में पिछला महायुद्ध प्रारम्भ हुआ । भारतीय पलटने फ्रांस, फ्लैण्डर्ज, पूर्वी-अफ्रिका, तुकिस्तान, इजिप्ट पैज़ेन्टाइन तथा इराक में लड़ीं । लेकिन इराक युद्ध के अवसर पर भारतीय सेनाओं को त्रुटियां सामने आईं । उनको दूर करने के लिये एशर कमेटी (Asher Committee) बैठाई गई । यह एक महत्वपूर्ण निश्चय पर पहुंचता । वह निश्चय था कि भारतीय सेना का उद्देश्य भारत की रक्षा करना ही है ।

१९१८ में मौंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने यह प्रस्ताव किया कि सेना में भारतीयों को अफ़सर भी बनाया जाना चाहिये । भारतीय सेना में दो प्रकार के अफ़सर होते हैं—एक वे जिन्हे किंग, कमिशन (King's Commission) मिलता है, दूसरे वे जिन्हे वायसराय कमिशन (Viceroy's Commission) दिया जाता है । वायसराय-कमिशन का पद, किंग-कमीशन की अपेक्षा बहुत नीचा होता है । महायुद्ध से पहले भारतीयों को वायसराय कमिशन तो मिलता था । लेकिन किंग-कमिशन किसी को भी नहीं मिलता था । युद्ध में बीरता दिखाने पर कुछ भारतीयों को किंग कमिशन मिला था, लेकिन ऐसे भारतीय इने-गिने थे, यद्यपि भारतीय सैनिकों की संख्या यूरोपियन सैनिकों के मुकाबले में दुगनी थी ।

राष्ट्रीय भावना के जागृत होने पर, अपने देश के रक्षाकार्य को अपने हाथों में लेने को आकांक्षा का होना स्वाभाविक है । विशेषनया जब इसके बिना स्वराज्य शब्द ही निरर्थक हो जाता है । अतः गत महायुद्ध के बाद इस बात पर भारतीय जनता में एक आनंदोलन उठ खड़ा हुआ । यह आनंदोलन दो मुख्य रूपों

में जनता तथा सरकार के सन्मुख आया। एक और तो भारतीयों ने यह मांग की कि जहाँ तक हो सके, जलदी से जलदी स्थायी सेना के सभी कमिशन प्राप्त अफसर भारतीय हों। दूसरे, भारतीयों के लिये सेना सम्बन्धी शिक्षा का अधिकतम प्रबन्ध किया जाय। इसके अतिरिक्त फौजी खर्च कम करने की भी मांग की गई। क्योंकि तब, हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार अपनी कुल आमदनी का ६२ $\frac{1}{2}$  प्रति शत भाग सेना पर व्यय करती थी। यदि केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों की आय को मिला कर यह अनुपात देखा जाय तो भी यह ३१ $\frac{1}{2}$  प्रतिशत आता है। फौजी व्यय और सरकारी आमदनी में इतना अधिक अनुपात किसी देश में ढूँढ़ने पर नहीं मिलेगा। भारत में इतना अधिक सेना व्यय अंग्रेज़ी सिपाहीयों के होने के कारण भी है। भारत में ६०,००० अंग्रेज़ी सिपाही हैं। अफसर तो अधिक्तर अंग्रेज़ ही हैं। इसके अतिरिक्त एक अप्रेज़ का खर्च, हिन्दुस्तानी सिपाही पर होने वाले खर्च से तिगुना है।

खर्च घटाने के विषय पर सरकार ने कुछ कमेटियाँ बैठाई थीं। १९१३ तक यह खर्च केवल ३० करोड़ रुपये ही था। लेकिन महायुद्ध के पश्चात् खर्च में काफी वृद्धि हुई। १९१७-१८ में यह खर्च ४४ करोड़ हो गया और १९१८-१९ में ६७ करोड़। १९२०-२१ में तो यह बढ़कर ६९ करोड़ तक पहुच गया। सन् १९२२-२३ इंचकेप कमेटी की राय के अनुसार फौजी खर्च घटा कर १९२७-२८ में ५५ करोड़ कर दिया गया। लेकिन सेना के बन्द्रीकरण के प्रोग्राम के अपनाने के कारण यह खर्च पुनः बढ़ गया। बाद में १९२७-२८ में सेना किफायत कमेटी (Army Retirement Committee) की सिफारिश के अनुसार सेना का खर्च

घटा कर छुप्पे करोड़ कर दिया गया। लेकिन इस कतर-ब्योन ने भारतीयों को सन्तुष्ट नहीं किया, क्योंकि उनके विचार में मितव्ययता के लिये अभी पर्याप्त गुजाइश है, जो कि अंग्रेजी सिपाहियों की सख्त्या कम कर देने से, रिजर्व सेना की वृद्धि आदि से को जा सकती है।

ब्रिटिश सरकार अंग्रेजी सिपाहियों की संख्या कम करने को तैयार नहीं। भारत में सेना के तीन कार्य हैं—एक तो देश को बाहरी आक्रमणों से बचाना, दूसरे सीमाप्रांत के स्वर्तंत्र ट्राइबों के आक्रमणों से भारतीय सीमा में शांतिपूर्वक रहने वाली जनता की रक्षा करना, तीसरे, देश को आतंरिक व्यवस्था करना। इसी विचार से भारत की स्थायी सेना म ६०,००० अग्रज और १,५०,००० भारतीय सिपाही हैं। इसके अतिरिक्त ३४,००० रिजर्व (Reserve) में रखे जाते हैं। रिजर्व सैनिकों को कुछ देर के लिये सैनिक शिक्षा दे दी जाती है। ऐसे सैनिक स्थायी सेना में नहीं रखे जाते पर हमेशा लड़ने के लिये तैयार रहते हैं। वे केवल लड़ाई क्षिण्डने पर ही काम आते हैं।

ब्रिटिश सरकार का (साइमन कमीशन फ़ी रिपोर्ट के शब्दों में) कहना है—‘वैसे तो हमें अंग्रेजी सिपाहियों की संख्या को कम करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसा करना भारत के हित में उचित नहीं। कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, न्यूफ़ाउण्डलैण्ड, आयरलैण्ड, संयुक्त दक्षिण अफ्रीका में से भी तो हमने अंग्रेजी सैनिक निकाल लिये थे। क्यों कि ऐसा करने से इन उपनिवेशों के निवासी अपनी रक्षा का प्रबन्ध आप कर सकते थे। एक ओर तो इन उपनिवेशों में रक्षा का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं था; दूसरे वे देश एक राष्ट्रीय सेना खड़ी कर सकते थे। तो सरे

आन्तरिक व्यवस्था के लिये सेना की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन भारत में परिस्थितियाँ भिन्न हैं। यहाँ १८५० से १९३० तक, सीमा प्रान्त पर उपद्रवियों को दबाने के लिये ७२ बार सेना का प्रयोग करना पड़ा। इसके अनिवार्य साम्प्रदायिक दंगों के अवसरों पर भी सेना को आवश्यकता पड़नी रहनी है। इन दंगों में सभी लोग अप्रजी सिपाहियों की मार्ग करते हैं, क्यों कि वे तटस्थ होते हैं। इसी लिये आन्तरिक व्यवस्था कायम रखने के लिये जो सेना है, उसमें ७ मारतोया के मुकाबले में ८ अंग्रेजी सिपाही रखे जाते हैं। जब कि शेष सेना (जिसका काम बाह्य आकर्मणों से देश की रक्षा करना है) में अंग्रेज तथा भारतीय सिपाहियाँ का अनुपात १ : २ है। तो सरो बान 'यह है कि भारत में एक अखिल भारतीय सेना का खड़ा करना एक महाकठिन कार्य है, क्योंकि भारत के सभी प्रान्तों के निवासी युद्धकार्य के योग्य नहीं होते। ऐसी परिस्थिति यूरोप के किसी देश में नहीं। नीचे प्रान्तों के अनुसार सिपाहियों के आंकड़े दिये गये हैं:—

|             |       |         |
|-------------|-------|---------|
| सीमाप्रान्त | मे से | ५६००    |
| काश्मीर     | , ,   | ६५००    |
| पंजाब       | , ,   | ८६, ००० |
| नेपाल       | , ,   | १६, ००० |
| युक्तप्रांत | , ,   | १६, ००० |

ऊपर के आंकड़े से पता चलता है कि सारी सेना का ५४ प्रतिशत भाग पंजाब से भर्ती किया जाता है और यदि गोरखों को निकाल दिया जाय, तो यह अनुग्रात ६२ प्रतिशत हो जाता है। इस अवस्था में यदि अंग्रेजी सिपाही भारत से चले जावें, तो इस बात का भय है कि कहीं पंजाब ही सारे भारत पर न छा जावे।

लेकिन राष्ट्रवादियों को ये युक्तियां ठीक नहीं जँचतीं। उनके कहने के अनुसार वह आश्चर्यजनक बात है कि भारतीय सेना के ७२ बार से अधिक सीमाप्रांत पर प्रयोग किये जाने के बावजूद भी सीमाप्रांत की समस्या हल नहीं हो सकी, जब कि ऐसी समस्या टर्की जैसे देश ने हल कर ली है। उन्होंने ऐसी ही अनेक उपज्ञातियों का नियन्त्रण कर लिया है। इससे दो परिमाण निराले जा सकते हैं। या तो हमारी सेना अच्छी नहीं, या इस समस्या को दत्त वित्त हो कर हल नहीं किया जाता। साम्प्रदायिक दंगों के लिए राष्ट्रवादी, विटिश सरकार को ही उत्तरदायी करार देते हैं। उन का कहना है कि भारत सरकार की “भेद तथा शासन” की नीति के कारण ही दगे बढ़ गए हैं, विशेषतया पृथक्-निर्वाचन-पद्धति के चलने के बाद से। इस बात का प्रमाण राजा नरेन्द्रनाथ सरीखे राज-भक्त ने दिया था। उन्होंने मिएटो-मालें स्फीम से पूर्व तथा ब.द के दंगों के आंकड़े इकट्ठे किए थे। उन आंकड़ों के अनुसार मिएटो-मालें सुधारों के बाद दंगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। अप्रेज़ी सरकार, उत्तर में कहती है कि इसने पृथक् निर्वाचन-पद्धति इस लिये चलाई, कि मुसलमान इसको चाहते थे। तीसरी बात कं उत्तर में, राष्ट्रवादियों का कहना है कि सरकार फौज को विशेष प्रदेशों से ज्ञानवूम कर हो भरती करती है। बंगालियों, मद्रासियों, पूरवियों आदि के लिये सेना में कोई स्थान नहीं—विशेषतया जब इन्हीं लोगों की सेनाओं ने अप्रेज़ी के लिये भारत को जीता था। यदि वह तब अच्छे लड़ाके समझे जाते थे, तो सन् १८५७ के बाद से लड़ने के अयोग्य क्यों समझे जाते हैं।

## भारतीयकरण

यह सब होते हुए भी, भारतीयों के ज़ोर देने पर, सेता में थोड़ा बहुत भारतीयकरण (Indianisation) हुआ भी है। १९१७ की माँटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों को भी किंगज़ कमिशन मिलना आरम्भ हुआ, यह हम बता चुके हैं। इस कमिशन को पाने के तीन तरीके थे। या तो सैल्व्हर्स्ट अथवा वूलविच के सैनिक कालेजों में सैनिक-शिक्षा प्राप्त करने को आवश्यकता होनी थी, या पल्टनों के नौन-कमिशन —अर्थात् जिनको कमिशन नहीं मिलता—सैनिकों को तरकी दी जाती थी। इसके अतिरिक्त कुछ अनपढ़ अथवा वयस्क अफसरों को वैसे ही अवैतनिक किंगज़ कमिशन मिल जाता था। १९३३ तक वूलविच में तीन तथा सैल्व्हर्स्ट कालिज में १० स्थान भारतीयों के लिए सुरक्षित रखे जाते थे। सैरेडडस्टे तथा वूलविच के कालिजों में प्रवेश पाने के लिए कुछ शिक्षा देने के लिए देहरादून में, प्रिस आफ़ वेल्ज इंडियन मिलिटरी ट्रेनिंग कालेज खोल दिया गया था।

१९२३ में लार्ड रालिन्सन ने एक नई स्कीम निकाली। जिसके अनुसार उप पल्टने के बाल भारतीयों छारा ही पूरी की जाने लगीं। ऐसा करने से सरकार के कथनानुसार यह पता लगता था कि भारतीय-करण का कार्य सफल रूप से चल रहा है या नहीं। इन उप पल्टनों में सैनिक तथा अफसर सभी भारतीय ही होने थे। प्रारम्भ में तो उच्च अफसर अंग्रेज़ ही थे। लेकिन १९४६ तक इनके सारे के सारे अफसर भारतीय होंगे। यहां यह बता दिया जाय कि भारत में कुल पल्टने १३२ हैं। उन में से बैचल उप में भारतीय अफसर भरे जायेंगे। उस पर इस स्कीम का उद्देश्य यह भी

था कि अंग्रेजी अफ़्सर भारतीय अफ़्सरों के अधीन न होने पावें। बात इसी लिये भारतीयों को नहीं जँची। १९२५ में भारतीय सैण्डहस्ट कमेटी,—जिसे स्कीन कमेटी भी कहते हैं—बैठी। इस ने राय दी कि भारतीयकरण करते समय प्रत्येक क्रम पर युद्ध सम्बन्धी निपुणता का रूपाल रखा जाय; सैण्डहस्ट में पहले की अपेक्षा दुगने भारतीयों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जायें; १९३३ में देहरादून में इण्डियन मिलिटरी कालिज खोल दिया जाय, १९५१ तक आधे भारतीय अफ़्सर हों तथा ८ दुकड़ी वाली स्कीम को छोड़ दिया जाय। भारतीय सरकार ने इस रिपोर्ट के अनुसार १९३२ में देहरादून में इण्डियन मिलिटरी कालेज खोल दिया, सैण्डहस्ट में भारतीयों के लिये स्थान बढ़ा दिये, लेकिन ८ दुकड़ी वाली स्कीम को नई छोड़ा। इसका कारण हम अभी बता चुके हैं। ऐसी अवस्था में भारत में अधिक भारतीय-करण की मांग बनी ही रही।

### वैधानिक स्थिति

भारत की सेना के छः भाग हैं।—१. स्थायी सेना, जिस में ब्रिटेश सेना की दुकड़ियां भी है। २. आजिलिअरी सेना, जिस में केवल अपेज तथा एंग्लो-इण्डियन भरनों किये जाते हैं। ३. टेरीटारिअल सेना, जिस में केवल भारताय ही भरती हिये जाते हैं। इस के अन्तर्गत यूनिवर्सिटी ट्रॉनझ कोर्स भी आ जाते हैं। ४. भारतीय रियामती-सेनाए, रियासती नरेश अपनी रक्षा के लिये अंग्रेजी सरकार को ये सेनायें देते हैं। ५. जल-सेना। ६. वायु-सेना।

यह सारी सेना हिज एकिसलेंसी प्रधान सेनापति के अधीन होती है। नेहरू रिपोर्ट ने यह सिफारिश की थी कि भारतीय

सेना भी भारतीय मन्त्रियों के अधीन होनी चाहिये। गोलमेज़ कांफ्रेस पर जो भारतीय बुलाये गये थे, उन्होंने यह प्रस्ताव किया था कि युद्ध सम्बन्धी मामलों में, गवर्नर जनरल गैरस-कारी निर्वाचित भारतीय को परामर्शदाता चुने, अर्थसचिव का फौजी व्यय पर नियन्त्रण रहे तथा सेना सम्बन्धी नीति और बजट पर केन्द्र का सारा मंत्रि-मण्डल मिल कर विचार करे। लेकिन ये प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार नहीं किये। संयुक्त-पार्लियामेंटी-कमेटी की रिपोर्ट में तो यह बान स्पष्ट कर दी गई है कि यद्यपि केन्द्र में एछ प्रकार की द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की जाएगी, परन्तु रक्षा सम्बन्धी जेत्र में गवर्नर जनरल का उत्तरदायित्व अखण्ड रहेगा। रक्षा-विभाग बिलकुल उसी के नियन्त्रण में रहेगा तथा नये शासन विधान के अनुसार सेना के खर्च पर देश के प्रतिनिधि चूँ भी नहीं कर सकते।

अब एक बात और कहनी है। नये शासन विधान में, किसी स्थान पर भी यह नहीं बताया गया कि इतनी भारी सेना रखने का उद्देश्य क्या है? १०० वे सैक्षण के अन्तर्गत व्यवस्थापिका सभा सम्राट् के भारत में स्थित नौ स्थल तथा बायु सेना के विषय में कानून बना सकती है। इस धारा के अन्तर्गत सेना का उद्देश्य निश्चित किया जा सकता है, लेकिन जब तक ऐसा न हो जाय, तब तक तो सेना के रखने के लिये वैधानिक प्रमाण नहीं—सिवाय इस बात के कि रक्षाविभाग को रखना सम्राट् के विशेषाधिकारों के अन्तर्गत माना जाय। सम्राट् तो वैधानिक नियन्त्रण से ऊपर हैं। लेकिन प्रायः इस सेना के रखने के लीन उद्देश्य माने जाते हैं। देश की रक्षा

तथा देश की आंतरिक व्यवस्था का तो हम जिक्र कर चुके हैं। एक उद्देश्य शेष रहता है। वह है—साम्राज्य सम्बन्धी रक्षा में भाग। यह बात साइमन कमिशन की रिपोर्ट में मानी गई है। उसके अनुसार भारत की बाह्य-रक्षासम्बन्धी समस्या अंग्रेजों की सामान्य साम्राज्य सम्बन्धी नीति के साथ बांध दी गई है। अतः साम्राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जो व्यय होगा, उसके लिये ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रक्षा-विभाग को प्रति वर्ष १५,००,००० पौंड देना स्वीकार किया है। अब सेना के यंत्रीकरण के लिये भी कुछ रूपया दिया गया है।

---

( ११ )

## राष्ट्रीयता की ओर

गांधी जी के कथनानु गार भारत में राष्ट्रीयता अपेजो की देन है। १८८४ तथा ८५ ईसवी में एक अप्रेज़ सम्बन श्री एलन आक्टेविशन हूयूम के प्रभाव तथा उत्साह से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई थी। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम किसी विशेष तिथि से राष्ट्रीयता के काल का आरम्भ मानते हैं। राष्ट्रीयता एक मानसिक प्रवृत्ति है। यह किसी एक व्यक्ति के उत्साह तथा प्रभाव से ही देश में व्याप्त नहीं हो जाती। राजनीतितत्वज्ञ हेगल के कथनानुसार कोई भी सुधार बिना पुनरुज्जीवन के नहीं होता। ऐसे ही, यह भी कहा जा सकता है कि विना धर्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन के कोई भी राजनीतिक चर्त्थान तथा क्रांति नहीं हो पाती। १६ वीं सदी, भारत में पुनरुज्जीवन का काल था। उस जागृति के काल में जनता ने अपने आपको अपनी गिरी हुई आवस्था से उठाने की, अपना उद्धार करने की आवश्यकता को अनुभव किया। यह चेतना राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में शनैः-शनैः व्याप्त होने लगी। इसने समाज, धर्म, साहित्य और संस्कृति पर गम्भीर प्रभाव डाला। साथ ही साथ यह चेतना राजनीतिक क्षेत्र में पहुँची। वहां भी इसने हलचल मचा दी।

१५ वीं, १६ वीं तथा १७ वीं शताब्दियों में भी भारत में पुनरुत्थान हुए थे। लेकिन तब इनका प्रभाव सॉस्ट्रुतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों तक ही रोमित रहा। राजनीतिक क्षेत्रों में मराठों तथा सिस्त्रों ने अपने स्वतंत्र राष्ट्र कायम किये थे। पर तब भारत में ऐसा कोई आन्दोलन नहीं उठा था, जो कि सम्पूर्ण भारत में हिंदुओं तथा मुसलमानों में, समाज रूप से व्याप हो सका हो। १६ वीं शताब्दीका पुनरुत्थान, एक दृष्टिकोण से उस पुनरुत्थान से भिन्न है। क्योंकि इस पुनरुत्थान ने वस्तुतः सम्पूर्ण भारत में एक राष्ट्रीय आन्दोलन खड़ा कर दिया। यह हुआ क्यों? और कैसे?

इसका क्षेय अंग्रेजों को है। पाश्चात्यों के सम्पार्क से भारत ने अपनी स्वतंत्रता खोई, लेकिन पाश्चात्यों की स्वतन्त्रताके आदर्श ने ही भारतवासियों को अपनी स्वतंत्रता पाने के लिये उक्साया। अंग्रेजों ने भारत को अपने अधीन किया। लेकिन इससे भारत जैसे उपमहाद्वीप को एक शासन मिला। राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीयता का उहैश्य होता है, एक शासन। वह भी अपना। अंग्रेजों के आनेसे एक शासन तो मिला। पर अपना शासन नहीं। उस समय स्वराज्य पाने की आकांक्षा ही कहाँ थी? उत्तर समय वह भावना, जो देश भर को एक सूत्र में बंधा हुआ देखना चाहे, यहाँ न थी। लेकिन जब, अंग्रेजों पढ़कर भारतीयों ने मिलटन, बर्क, मिल, मेकाले, स्पेन्सर की कृतियों को पढ़ा, तो उन में भी स्वतंत्रता के, राष्ट्रीयता के, स्वराज्य के, भाव जाग उठे। उस समय भारत में एक राष्ट्रभाषा भी न थी। अंग्रेजी ने उसका स्थान लिया। सहङ्कों, रेलों, डाक तथा तार ने देश की दूरी को दूर कर दिया। देश के लोगों को अपनी भौगोलिक एकता समझ आने लगी। मिल-भिन्न

प्रांतों वाले भारतीय आसानी से एक दूसरे से मिल सकने लगे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने भी लगे। इस सम्पर्क से जनता के हृदयों में एकता की भावना आई।

विद्वानों, कवियों, धार्मिक सुधारकों का भी इस पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण स्थान है। श्री जेन्स, कोलब्रूक, मैकमूलर, मोनियर विलियम्स आदि यूरोपियन विद्वानों ने तथा राजेन्ट्रलाल मित्र, रानाडे, रामकृष्णगोपाल भण्डारकर, इरिप्रसाद शास्त्री आदि भारतीय विद्वानों ने भारत के प्राचीन साहित्य का अध्ययन तथा प्रकाशन किया। उन्होंने प्राचीन साहित्य के गौरव को, केवल पाश्चात्यों के सन्मुख ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता के सन्मुख भी रखा। जनता को अपनी प्राचीन सभ्यता की महत्ता का तब तक ज्ञान न था। राजा राममोहन राय, केशव-चंद्रसेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी बिवेकानंद आदि धार्मिक तथा सामाजिक सुधारकों ने अपने प्राचीन दार्शनिक तथा धार्मिक, तत्त्वों के महत्व का प्रचार कर जनता में आत्माभिमान जागृत किया। लोगों के दिलों में तब ये भाव उठने लगे—यदि हमारे पूर्वज सभ्य सासार के नेता थे, तो हम क्यों न हों? भारतीय पत्रों तथा नव साहित्य ने भारत में राष्ट्रीय भावना के प्रचार में पूरा साथ दिया।

इधर भारत की गिरती हुई आर्थिक दशा ने, तथा लोगों की बेरोजगारी ने राष्ट्रीयता की इस अशान्त ज्वाला को और भी भड़काया। भारतीय उद्योग-धन्ये बद्द हो रहे थे, क्योंकि सरकार की व्यापार में बेरोकटोक नीति के कारण भारत के उद्योग-धन्ये, मरीनों से बनी हुई वस्तुओं का मुकाबिला नहीं कर सकते

थे। ऐसी अवस्था में सरकार को भारतीय उद्योग धंधों की रक्षा के लिये बाहर से आने वाली वस्तुओं पर विशेष कर लगाना चाहिए था। परंतु यहाँ विदेशों के हितों का विचार रख कर इस बेरोकटोक ( Free trade ) नीति का अनुसरण किया गया। इसके फल स्वरूप आगे से भी अधिक जनता को कृपि से अपना पेट पालना पड़ा। लोग पहले ही अमीर न थे। वे अब और गरीब हो गए। उस पर सौसम में अनावृष्टि से हजारों लाखों की संख्या में बेचारे किसानों को जीवन से हाथ धोने पड़ते थे।

१८५७ का विद्रोह, भारत में राष्ट्रीयता के आन्दोलन के इतिहास में एक युगप्रवर्नक घटना थी। इस महाविद्रोह के बाद अंग्रेजों के हृदयों में भारतीयों के प्रति विश्वास का भाव न रहा। जो थोड़ी बहुत सहानुभूति अंग्रेजों तथा भारतीयों में हुआ करती थी, वह भी न रही। जातीय विद्रोष बढ़ा। इसका प्रभाव यह हुआ कि फौज, पोलीस, विदेशी तथा राजनीतिक विभाग आदि सभी महत्वपूर्ण हेंड्रों में भारतीयों को महत्वपूर्ण स्थानों से बंचित रखा गया। जनता को शब्द रखने की कड़ी भनाही कर दी गई। इससे भारतीय जनता की शारीरिक स्थिति भी अच्छी न रही। साम्राज्ञी की जातीय समानता की घोषणा से उन्हे कुछ आशाएं हुई थीं, लेकिन वे पूरी न हुईं। भारतीयों को शासन विभाग के उच्च पदों पर नियुक्त न किया गया। सन् १८७७-७८ में आई० सी० एस० ( Indian Civil Service ) की नियुक्ति के लिये परीक्षाओं में प्रवेश करने के उद्देश्य से यह नियम बनाया गया कि १६ वर्ष- की आयु वाला व्यक्ति ही उस परीक्षा में बैठ सकेगा। इससे पहले २१ वर्षीय व्यक्ति को बैठने की आज्ञा थी। इस बात से भारत की शिक्षित जनता में पहली

बार संगठित आनंदोलन उठ खड़ा हुआ। इस आनंदोलन के लिए श्री सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने डक्टरीय तथा दक्षणीय भारत में दो दौरे लगाए। तथा इस आनंदोलन के फलस्वरूप एक अखिल भारतीय आवेदनपत्र तैयार कर हाउस आफ कामन्स को भेजा गया।

इन सब परिस्थितियोंने भारतीय राष्ट्रीय आनंदोलन को जन्म दिया तथा उसका पोषण किया। मुख्य प्रातों में भारतीय सम्प्रदायों की स्थापना की गई। लेकिन उनका काय सरकार के व्यवस्थापन तथा शासन सम्बन्धी कार्यों को मधुर आचोचना करना ही था। उस पर ये सम्प्रदायें प्रान्तीय थीं, इनका सम्पूर्ण भारत से कोई सम्बन्ध न था। लार्ड रिपन के शासन काल में इलबर्ट चिल्स पर यूरोपियनों के विरोध तथा भारतीयों की पराजय से, शिक्षित जनता ने राष्ट्रीय कार्यों के लिये एक संगठित तथा शक्तिशाली संस्था की आवश्यकता को अनुभव किया। इलबर्ट निज ने यूरोपियनों को भारतीय मैजिस्ट्रेटों तथा न्यायाधीशों के अधिकार छेत्र में करना चाहा-था। इससे पहले यूरोपियनों के मुकदमे यूरोपियनों की अदालत में पेश किये जा सकते थे। लार्ड रिपन का उद्देश्य इस असमानता को दूर करने का था। परंतु यूरोपियनों में एक घोर आंदोलन उठ खड़ा हुआ। यहां तक कि यूरोपियनों ने लार्ड रिपन का सामाजिक बायकाट कर दिया तथा एक यूरोपियन रक्षा समिति की स्थापना की। अन्त में सरकार को समझौता करना पड़ा। भारतीयों के आत्मामिमांन को इससे ठेस पहुंची। इससे जातीय विद्वेष बढ़ा। बंगाल में राजनीतिक छेत्र में, काम करने वालों ने श्री सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय फलड के लिये आंदोलन खड़ा किया। सन् १८८३ में,

२२ से ३० दिसम्बर तक, एक राष्ट्रीय कान्फ्रैन्स की गई। प्रथम मार्च १८८४ में मिठो हूयूम—जो एक मुख्य सरकारी कर्मचारी रह चुके थे और जिहोने १८७२ में अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था—ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम, एक राष्ट्रीय संस्था बनाने का लिये, एक खुला पत्र लिखा। इस आंदोलन के फलस्वरूप सन् १८८५ के दिसम्बर २७ को श्री उमेशचन्द्र बैनर्जी के समाप्तित्व में राष्ट्रीय कॉमेस का प्रथम अधिवेशन हुआ।

यहाँ हमने कॉमेस का इतिहास विस्तार से नहीं देना। केवल दो तीन विषयों पर ही कुछ कहना है। आज कॉमेस के सन्मुख तीन मुख्य समस्याये हैं—अप्रेजी सरकार, मुसलमान तथा रियासतें। अतः हमने इन के साथ कॉमेस के सम्बन्ध का अध्ययन करना है।

इस शीर्षक के प्रन्तर्गत हमने कॉमेस के सरकार के प्रति तथा सरकार के कॉमेस के प्रांत भावों के विकास को देखना है। एक लेखक का कहना है कि मारत को राष्ट्रीय कॉमेस को सब से पहले उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया, फिर इसके साथ खेला गया, फिर इसे धमकाया गया, उसके बाद इसकी बात को मुनना पड़ा, लेकिन अब उसकी शक्ति को भी मानना पड़ा है। यह कथन सार्थक है। १८८५ में लार्ड डफरिन ने कॉमेस अधिवेशन की कोई पर्वाह नहीं की थी। तब यह एक राजभक्त संस्था थी। हूयूम, सर विलियम वैडरबन, सर हैनरी काटन, जार्ज यूल, नौटन आदि उदार सरकारी तथा गैर सरकारी यूरोपियनों ने कॉमेस के अधिवेशनों में प्रमुख भाग लिया। १८८६ तथा १८८७ में वायसरायों ने कॉमेस के अधिवेशनों के अवसरों पर कॉमेस के प्रतिनिधियों को गवर्नरमेंट हाउस पर “गार्डन पार्टीज़” पर बुलाया था। लेकिन यह बात चली

नहीं। क्यों कि प्रारम्भ से ही कांग्रेस ने वैधानिक तथा प्रतिनिधि सत्रात्मक शासन की मांग की। इसके पहले अधिवेशन में ही च्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित सदस्यों के अनुपातको बढ़ाने, बजट पर बहस करने शामनकार्य के विषय में प्रश्न पूछने, तथा भारत संत्री की भारतसमिति को हटाने के लिए प्रस्ताव पास किये गए। १८६२ में कांग्रेस को 'खिलाने के लिये' इण्डिया-कांडसिल एकट से भारतीयों को कुछ रियायते दी गई।

इस सुधार से कांग्रेस में दो दल बन गये। एक उनका जो कि सुधार से संतुष्ट थे। दूसरे वे जो इससे असंतुष्ट थे। असंतुष्ट दल के नेता थे श्री बाल गंगाधर तिलक और इनका गढ़ था पूना में। बाद में बंगाल में भी गरम दल बालों की संख्या तथा प्रभाव बढ़ने लगा। इस प्रभाव को बढ़ाने में लार्ड कर्ज़ीन का हाथ था। लार्ड कर्ज़ीन १८०५ में बंगाल को दो भागों में बांट कर बंगालियों को सरकार के विरुद्ध कर लिया। इसके विरोध में सुरेन्द्र नाथ बैनर्जी तथा विपिन चंद्र पाल के नेतृत्व स्वदेशी तथा "एन्टी पार्टीशन" आन्दोलन बड़े ज्ञारशोर के साथ चल पड़े। इससे लोक-भान्य तिलक, लाला लाजपतराय तथा विपिनचंद्र पाल के गरम दल का प्रभाव बढ़ा। १८०७ से तो खुलमखुला, सूरत कांग्रेस के अवसर पर, इन दोनों दलों में विभेद हो गया। लेकिन कांग्रेस गरम दल बालों के हाथों में न आई, क्योंकि अभी तक वहाँ नरम दल बालों का बहुमत था।

१८०५ से १८१० तक का काल राजनीतिक ज्येत्र में घोर अशांति का काल था। बंगाल से क्रांतिकारी विचार अन्य प्रांतों में फैले। क्रांतिकारियों ने गुप्त संस्थाएं स्थापित कीं, जब्त

आदि बनाये, सरकारी अफसरों को घमकियां दीं तथा कुछ को गोली से उड़ाया गया। इस आन्दोलन को रो हने के लिये गवर्नर्मेंट को कठोर नीतिका प्रयोग करना पड़ा। सरदार अब्रीत सिंह, लाला लाजपतराय तथा लोकमान्य तिलक को कैद करके माँडले भेज दिया गया। वायसराय ने कई आडिनांस जारी किये, फौजदारी कानूनों में परिवर्तन हुए, पत्रों पर कड़ी निगरानी रखी गई। इससे क्रातिकारियों का किसी सामा तक दमन हुआ।

सन् १९०६ मे, इण्डिया कासिल एकट ( मिण्टो मौर्ते सुधार ) पास हुआ। नरम दल के नेताओं ने इसका स्वागत किया। लेकिन बाद में वे भी इससे संतुष्ट न रह सके, क्योंकि सुधारों के बावजूद भी निर्वाचित सदस्यों के हाथ में कोई अधिकार न था और न सरकार उनकी बातों की परवाह करती थी। इसी बीच मे भारत से बाहर की परस्थितियों ने भारत को प्रभावित करना प्रारम्भ किया। लेकिन इस विषय पर लिखने से पहले हम कांग्रेस के प्रति मुसलमानों के मार्बों का अध्ययन करेंगे।

कांग्रेस एक हिंदू संस्था नहीं, तो भी हिंदू ही अधिक संख्या मे इसके सदस्य हैं। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तभी मुसलिम सुधारक तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्थापक सर खेयद अहमद ने मुस्लिम जनता को कांग्रेस से प्रथक् रहने की सलाह दी। तीन वर्ष बाद तो आप कांग्रेस के विरोधी बन गये और कांग्रेस के मुशाबले मे १८८८ मे आपने “पैट्रियाटिक एसोसियशन” की स्थापना की। यही एक प्रकार से आज की मुसलिम लीग का पूर्व रूप था। मुसलिम लीग को १९०६ मे हिज हाइनैस आगा खां ने स्थापित किया था। यह एक राजभक्त संस्था थी, और इसका उद्देश्य मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना था।

लेकिन इसका नन्तर यह नहीं कि सारी की सारी हुस्तिन जनता कांग्रेस के विरुद्ध थी। प्रारम्भने ही कई हुस्तिन डस्टं साथ दे। १८६० में कांग्रेस के अल्पकाल अधिवेशन में ५०३ प्रतिनिधियों ने से १५४ अर्थात् २८ प्रतिशत हुस्तिन थे। उच्चब्रजी, उथा रुद्धिनहुन्ना मोहम्मद रुद्धानी १८७७ उथा १८८६ के अधिवेशनों के समयमें भी चुने गए थे।

गतमहायुद्ध ने भारतकी राजतीनिक हिति पर गम्भीर प्रभाव डाला। युद्ध के ने भारतीय सेनिकों की बोरड ने चैन्सल की बंदरगाहों को रात्रि के द्वाय पड़ने से बच दा। महुज्ज, बन उथा शस्त्रास्त्रों से भारत ने मित्र-राष्ट्रों की सहायता की। दूसरी ओर भारतने एक नई भवना आई। भारतीयों का अस्तनामिनान जागा। हिंदू उथा हुस्तिनों ने इकट्ठे हो कर भारत के नाम पर कार्य करना ठीक समझा। १८८३ में बघारे हिंदू हुस्तिनों ने समझौता न हो सका, लेकिन १८८६ ने कांग्रेस उथा हुस्तिन लीग ने सुधार की एक संयुक्त स्कौन बैठार की। १८८६ ने लोग ने अपनी संस्था का चड़ेस्य मारन के लिए स्वराज्य प्राप्त करना मान लिया।

१८०८ से १८८६ तक कांग्रेस ने नरम डल बाहों का बोल-बाला रहा। लेकिन श्री गोलले नया फिलोजिराइ नडना की सृष्टि के अनन्तर नेतृत्व नरम डल बाहों के हाथ में न रह कर दो-मात्य तिलक के हाथ में आगया। इधर मुस्तकान मी दुर्विस्तान के विषय पर सिखे बैठे थे। इस अरांचि के निराकरण के निर १८१९ में श्री मौर्य ने कसासः उत्तरायी राजन देने की बोध्या की। १८१८ में सोटेनू चैन्सफोर्ड सुधारों के संबंध में नरम डल से पृथक् बाहों ने कांग्रेस होकर इंडिहन्न नैरन्ल फिल्टरान की

स्थापना की। कुछ मुसलमान संस्थाओं ने भी १९१६ के विधान का अनुमोदन किया। इस प्रकार फिर एक बार मुधारों ने ही राजनीतिक दलों को छिन्न-भिन्न कर दिया।

१९१६ का विधान अशुभ सुहृत्त में लागू किया गया। रौलेट एकट, जलियावाला बाग का घटना, पंजाब में मार्शल ला—इन सब बातों ने जनता को सरकार के विरुद्ध कर दिया। मुसलमानों में खिलाफत आदोलन चल रहा था। राष्ट्रवादी तथा मुसलमान दोनों ही—सरकार के विरोधी थे। इस लिये महात्मा गांधी के प्रयत्न से एक बार फिर हिंदू मुसलिम एकता की स्थापना हुई। संनोष का स्थान अशाति ने लिया। १९२० की कामेस के बलकत्ते बाले अधिवेशन में लाला जाजपतराय के सभापतित्व में असहयोग आदोलन चलाने का प्रस्ताव बहुमत से पास हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में यह आदोलन १९२४ तक चला।

लेकिन भारत के राजनीति के नेता बहुत देर तक इकट्ठे भिल कर न रह सके। असहयोग आदोलन उन्हें व्यथे लगा, इस लिये १९२३ में चित्तरं जनदास, परिणत मोतीलाल नेहरू तथा श्री कलक्कर ने स्वराज्य दल को स्थापना की तथा प्रांनीय और केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश किया। उधर साम्प्रदायिक एकता भी बहुत देर तक रह सकी। १९२४ में मिठोजेन्ना ने फिर से मुसलिम लीग की स्थापना की। १९२७ में जब कमाल पाशा ने तुर्किस्तान में खकीफा के पद को ही हटा दिया, तो खिलाफत आदोलन का कारण ही न रहा। भारत में साम्प्रदायिक एकता के स्थान पर दगे होने लगे। १९२६-२७ में भारत में घोर अशान्ति तथा निराशा थी। हिन्दू मुसलमानों के दगे, भारत में साम्यवादी आदोलन, विनियम दर में परिवर्तन तथा

स्कीन कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार के निश्चय—और उस पर साइमन कमिशन, जिसमें एक भी भारतीय को स्थान न दिया गया था।

पर साइमन कमीशन का एक अच्छा प्रभाव पड़ा। भारत में राजनीतिक दलों को फिर से एक होने की आवश्यकता अनुभव हुई। १९२८ में भारत के सभी दलों की एक कांफैस बुलाई गई। इस कांफैस ने पण्डित मोनोलाल नेहरू के सभापतित्व में विधान बनाने के लिये एक कमेटी बैठाई। इस कमेटी की रिपोर्ट ने (जिसे नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया है) भारत के लिये औपनिवेशिक स्वराज्य की तथा अल्पसंख्यक जातियों के लिये सुरक्षित स्थानों के साथ संयुक्त निर्वाचन पद्धति की स्थापना के लिये सिफारिश की। १९२८ में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने तो कुछ संशोधनों के साथ नेहरू रिपोर्ट का अनुमोदन किया। लेकिन मुसलमानों तथा सिक्खों को यह न रुची। दूसरी ओर कांग्रेस के गरम दल बाले—पण्डित जवाहर लाल नेहरू तथा श्री सुभाषचन्द्रबोस के नेतृत्व में— औपनिवेशिक स्वराज्य से सन्तुष्ट नहीं थे। वे भारत के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते थे। १९२८ के अधिवेशन में महात्मा गांधी के प्रभाव से स्वतन्त्रता का प्रस्ताव गरमदल बालों ने बापस ले लिया। गांधी जी ने उन्हे आश्रासन दिलाया कि यदि ३१ दिसम्बर १९२८ तक भारत सरकार ने भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना स्वीकार न किया, तो वह स्वयं स्वतन्त्रता के आनंदोलन के नेता बनेंगे। १९२९ में, इंग्लैण्ड से बापस लौट कर लार्ड इरविन ने, नरम दल बालों को सन्तुष्ट

करने के लिये, यह घोषणा की कि निटिंश सरकार का उद्देश्य भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना है। लेकिन कब? इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। कांग्रेस को इससे सन्तोष कैसे हो सकता था। अतः १९२६ के लाहौर अधिवेशन में, पं० जवाहरलाल के नेतृत्व में, कांग्रेस ने घोषणा की कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतन्त्रता स्थापित करना है, और कांग्रेस ने गोलमेज़ कांफ्रेस में भाग लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद कैसे असहयोग आंदोलन महात्मा जी के नेतृत्व से चला और कैसे नया विधान बना, यह एक अन्य अध्याय में हम बता चुके हैं।

लार्ड इरविन के बाद लार्ड विलिंगडन भारत का वायसराय बना। लार्ड इरविन ने भारत में अपने अन्तिम भाषण में कहा था—जहाँ तक इम आंदोलन का उन भावनाओं से सम्बन्ध है—जिन्हे हम राष्ट्रीयता कहते हैं, वहाँ यदि इस भावना का कड़ी तरह से केवल विरोध किया जायगा, तो यह एक गलती होगी। लेकिन विलिंगडन साहब के विचार लार्ड इरविन से भिन्न थे। उन्होंने आते ही कई आर्डिनेंस जारी किये। भारत में पोलिस और लाठी का राज्य का आरम्भ हुआ। कठोरता ने कांग्रेसवादियों को जनता की दृष्टि में शाहीद बना दिया। राष्ट्रीय भावना दब जाने के स्थान पर देश में और जोर से फैली, इसकी सत्यता का प्रमाण, नये विधान के अंतर्गत व्यवस्थापिका सभाओं के लिये प्रतिनिधियों के चुनाव के अवसर पर १९३७ में मिला। इस चुनाव के फल स्वरूप, ११ प्रांतों में से ६ प्रांतों में कांग्रेसियों का पूर्ण बहुमत आया और ३ अन्य प्रान्तों में ही कांग्रेस दल सब से बड़ी संख्या में चुना गया। केवल दो प्रांतों में ही कांग्रेस को विशेष सफलता नहीं मिली।

लेकिन कांग्रेसियों ने १९३५ के नवचिवाल को स्वीकार किया था। गवर्नर के विशेष अधिकारों द्वाया इच्छापत्रियों के रहते हुए—नवशासन विधान के दिये गये प्रान्तीय स्वराज्य के प्रान्तीय स्वराज्य नामना उनकी राय से एक बड़ा था। अतः कांग्रेस में, इस विषय पर कि कांग्रेस को शांतों में नंत्रिन्दृष्ट बताने चाहिए या नहीं, बहुत विचार चला। अंत में नहात्ता जी ने एक नाम दिलाया। कांग्रेस ने जाँग की कियदि इन्हें वह आश्वासन दिया जाय कि गवर्नर अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करें, तब हम अपने इन बहुन्तर बाजे शांतों में नंत्रिन्दृष्टहों की स्थापना करेंगे। पंजाब, बंगाल, सिन्ध, आसाम और सिन्धुमांड ने नंत्रिन्दृष्टहों की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन शेर कांतों ने कांग्रेस का बहुचर होने से बहुमत के मन्त्रिन्दृष्ट न बन दिये। कान चलाने के लिये, १९३५ के विधान के उत्तराधि इन प्रान्तों के गवर्नरों ने अल्पन्तर बाजे दूतों द्वारा सहायता से मन्त्रिन्दृष्ट बनाये। लेकिन ऐसे मन्त्रिन्दृष्ट जनता को स्वीकार कैसे हो सकते थे, तथा ऐसे मन्त्रिन्दृष्टहों की स्थापना से श्रांतों ने डचरदायी शासन कैसे हो सकता था? अतः लाल लिलियांगो ने कांग्रेस को उपर्युक्त आश्वासन देना ही उचित समझा। कांग्रेसने संयुक्त प्रत्यक्ष, विहार, सब्बप्रान्त, डिल्लीसा, बन्दी तथा मद्रास ने मन्त्रिन्दृष्ट बनाये। सिन्ध, आसाम, तथा सीमाकान्त में किसी एक दृष्ट का बहुन्तर न होने से स्थायी नंत्रिन्दृष्टहों की स्थापना न हो सकती थी। पहले, जब कि कांग्रेस ने शासन भार स्वीकार न किया था, इन प्रान्तों में हुँड दूत गासों ने सिलकर मन्त्रिन्दृष्ट बनाये थे—जिनमें प्रायान्त्र दुसरिन तीन बालों का था, लेकिन जब कांग्रेस ने बहु प्रश्ना करना स्वीकार

कर लिया, तो कांग्रेस ने अन्य दलों के सदस्यों के सहयोग से सीमाग्रान्त तथा आसाम में भी मन्त्रमण्डलों का निर्माण कर लिया। पंजाब में यूनिअनिस्ट दल का बहुमत था, लेकिन तो भी यूनिअनिस्ट दल के नेताने अन्य दलों के कुछ सदस्यों को भी अपने साथ मिला लिया।

प्रांतीय स्वराज्य क्रियात्मक रूप से कहाँ तक सफल रहा, इस पर यहाँ विचार नहीं करना और न गत पाँच वर्षों का कार्य विवरण देने का हमारा विचार है। तो भी केवल दो एक विषयों पर कहना शेष रहता है। वर्तमान महायुद्ध ने एक असाधारण स्थिति उत्पन्न करदी है। केवल इस लिये नहीं कि आज महायुद्ध के सीधे प्रभाव से हम अपने को अबूते नहीं रख सकते, बल्कि कि इस लिए भी इस युद्ध में सफल होने के लिये प्रेट ब्रिटेन को भारतीय सहायता की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त युद्धकान्त में शासन को अधिक से अधिक केन्द्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। केन्द्रित करने पर प्रान्तीय स्वराज्य के स्वराज्यत्व में कमी आती है। यहाँ तो पहले ही कांग्रेसवादी नये विधान से सन्तुष्ट न थे। उस पर शासन का अधिक केन्द्रीय होना चाहे "कैसे स्वीकार हो सकता था यदि केन्द्र में स्वराज्य होता तो वे कदाचित इसे स्वीकार कर भी लेते।

महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर कांग्रेस दुविधा में पड़ गई। क्योंकि एक ओर तो कांग्रेसवादी हिटलरवाद के विरुद्ध थे; हिटलर को पराजित हुआ देखना चाहते थे। इसलिये उन्हे अंग्रेजों की सहायता करनी चाहिये थी। दूसरी ओर वे स्वराज्य चाहते थे। इस दुविधा को हल करने के लिये कांग्रेस ने निश्चय किया कि पहले अंग्रेजी सरकार इस महायुद्ध के उद्देश्य बताये,

तथा भारत के सन्दर्भ से उन चहेश्यों की पूर्ति क्रियात्मक रूप में कैसे की जायगी—इस विषय पर निश्चित प्रकाश ढाले। मतलब यह था कि त्रिटिश सरकार साफ़-साफ़ यह बताये कि भारत को पूर्ण स्वराज्य कव्र तक दिया जायेगा। उसके बाद सहायता दी जा सकेगी।

इस समस्या को सुलझाने के लिये वायसराय लाई लिन-लिथगो ने, पहले तो महात्मा गान्धी तथा मिस्टर जिन्हा से सुलाकात की। बाद में हिन्दू महासभा, हरिजन आदि इलों के नेताओं के विचारों को भी सुना। इसके बाद लाई लिन-लिथगोने, त्रिटिश सरकार की ओर से घोषणा की कि हमने तो पहले ही १९१७ मे. मिस्टर सांटेगू की घोषणा द्वारा भारत में अपना उद्देश्य बता दिया था। अर्थात् हम भारत को धीरे-धीरे उत्तरदायी शासन दे देगे। इसके अतिरिक्त संघशासन की स्थापना स्थगित कर दी गई। युद्ध के समाप्त होने पर एक गोलमेज़ कांफ्रेंस और बुलाई जायेगी, जिसमें संघ शासन में जो कुछ सुधार करने होंगे, उन पर विचार किया जायेगा। युद्ध के दिनों में वायसराय ने अपनी परजैकिटव कांडसल को बढ़ाना स्वीकार किया। ताकि कुछ प्रत्युत भारतीय नेताओं को उसमें स्थान मिल सके। इस समिति का काम विमर्श देना ही होगा। इसके अतिरिक्त वायसराय ने इस बात पर भी जोर डाला कि स्वराज्य प्राप्त करने के लिए भारतीयों को पहले अपनी साम्प्रदायिक समस्या को सुलझाना होगा, तथा रियासती नरेशों का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में त्रिटिश सरकार का विशेष उत्तरदायित्व है।

कांफ्रेंस को वायसराय की घोषणा से सन्तोष न हुआ। उन्होंने मांग की थी स्वराज्य के लिये। उत्तर में १९१७ की मिस्टर

मान्टेगू की घोषणा ही सुना दी गई। इसके अतिरिक्त विमर्श-समिति में सहयोग करने से भी कांग्रेस को कोई लाभ प्रतीत न हुआ। कांग्रेस को यह बात पसन्द-न आई कि वायसराय भारत के राजनीतिक प्रश्न के उत्तर में साम्प्रदायिक तथा रियासती समस्या को लाकर खड़ा करे। अतः कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने वायसराय की घोषणा से असन्तुष्ट होकर, प्रांतीय सरकारों से पद-त्याग दिया। इससे उन प्रांतों में, जहाँ कांग्रेस का बहुमत था, उत्तरदायी शासन का अन्त होगया और शासन का सारा काये गवर्नर के हाथों में जा पड़ा।

अब क्या होगा? यह कौन जाने। कांग्रेस ने मुसलिम लीग से समझौता करने का प्रयत्न किया। लेकिन कुछ बन न सका। मुसलिम लीग वालों का मत है कि प्रजातन्त्र शासन भारत के लिये उपयुक्त नहीं, क्योंकि इससे अल्प समूहक मुसलमानों के हितों की हानि होती है। जब मुसलिम लीग से समझौता न हो सका, तो महात्मा जी ने कॉस्टोच्यूएट एसेम्बली (Constituent Assembly) की मांग की। इसके अनुसार सम्पूर्ण देश के सब बालिगों को मताधिकार दिया जाता है। वह अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर एक असेम्बली में अपने विधान का निर्णय करते हैं। लेकिन यह बात मुसलिम लीग को स्वीकार नहीं। उधर मुसलिम लीग के नेता ने एक रायत कमीशन की मांग की थी, जो कि कांग्रेस प्रांतों में किये गये सच्चेया भूठे अत्याचारों के बारे में जांच करे।

एक और विशेष बात हुई, वह थी वायसराय की धोषणा ; इसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारत में ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य औपनीवेशिक-स्वराज्य ( वेस्टमिनिस्टर स्टैच्यूट की परिभाषा के अनुसार ) देना घोषित किया । यह औपनीवेशिक स्वराज्य लगभग पूर्ण स्वराज्य ही होता है । लेकिन वह मिलेगा क्य ? और आगे क्या होगा ? इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । हाँ, जुलाई १९४१ में वायसराय ने अपनी एजैक्टिव कौन्सिल में चार भारतीय सदस्य और बढ़ा लिए ।

---

# विज्ञान की प्रगति

## सृष्टि की उत्पत्ति और रचना

अनेक शताब्दियों के अनुभव के पश्चात् वैज्ञानिकों ने प्रकृति के बहुत से नियमों को मालूम कर लिया है। किन्तु अब भी यह कहा नहीं जा सकता कि प्रकृति के सब नियम और सिद्धान्त ज्ञात हो गये हैं, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि शेष कितने नियमों का ज्ञान बाकी रह गया है। तथापि प्रकृति के नियमों को कम से कम इतना तो अवश्य समझा जा चुका है कि उन का समुचिन उपयोग कर मनुष्य की हजारों कठिनाइयों को दूर किया जाय। यह भौतिक जगत् ( Physical Universe ) चार तत्वों से बना हुआ है। प्रथम 'पदार्थ' (जिसे पृथिवी भी कहा जा सकता है) (Matter), द्वितीय 'शक्ति' (Energy), तृतीय 'आकाश' ( Space ) और चतुर्थ 'समय' ( Time ) इन चारों को किसने बनाया, इस समस्या से वर्तमान वैज्ञानिक जगत् को कोई प्रयोजन नहीं। किंतु वैज्ञानिक अब भी इस खोज में अवश्य लगे हुए हैं कि ये चार तत्व भी कहीं, किसी एक या दो मूल तत्व की रचनाएं ही न हों।

वर्तमान काल में जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'एन्स्टाइन' ने यह सिद्ध कर दिया है कि समय और आकाश कोई दो पृथक

तत्त्व नहीं। इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में एन्स्ट्राइन ने इनके एक वस्तु से ही जन्म की कल्पना की और यह विचार प्रकट किया कि समय और आकाश उस आदि तत्त्व की भिन्न २ रचनायें हैं। इसी तरह पदार्थ और शक्ति भी एक उद्गम से निकलती सी मालूम होती हैं। प्रकृति की बहुत-सी अद्भुत घारें (Phenomenons) इस बात को सिद्ध करती हैं कि 'पदार्थ' अपनी सत्ता को लोकर शक्ति प्राप्त करता है। 'मिलिक्ट' नामक एक अमेरिकन वैज्ञानिक ने तो यहाँ तक कल्पना कर ली कि 'पदार्थ' किसी न किसी तरह 'शक्ति' में बदल जाता है। यद्यपि अभी तक इस विचार को सिद्ध करने के लिये कुछ विशेष प्रमाण नहीं मिले, तथापि इसे केवल 'एक विचार' कह कर ही इस की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह भी बहुत सम्भव है कि 'शक्ति' भी 'पदार्थ' में बदल सकती हो, और 'शक्ति' तथा 'पदार्थ' एक ही चीज़ हों, जो दो रूपों में प्रकट हो रहे हैं।

सर ओर्लिवर लाज 'पदार्थ' की बनावट की खोज करते हुए इस परिणाम पर पहुँचे कि यह सम्भव है कि 'पदार्थ' के परमाणु के बिजली के कण शायद आकाश के ही बने हुए हों। आज इन विद्युत्कणों पर बहुत से परीक्षण किये जा रहे हैं, जिनसे यह मालूम होता है कि वे आकाश की बहुत-सी विशेषताये (गुण) प्रकट करते हैं। यदि इस बात को ठीक मान लिया जाय, तो वह दिन दूर नहीं, जबकि वैज्ञानिक उस मौजिक चीज़ पर पहुँच जायेंगे जिसकी पदार्थ, आकाश, शक्ति और समय ये चार रचनाएँ हैं। किन्तु यदि वह सिद्ध हो भी जाय कि ये चारों एक ही वस्तु से बने हैं तो भी इनके गुणों में परस्पर इतना अधिक अन्तर है, कि हमें इन चारों को पृथक् वस्तु मान कर संसार की उत्पत्ति,

बनावट, रचना और विभिन्न अद्भुत बातों को सिद्ध करना पड़ेगा, और इन चारों को पुथक् पुथक् मान कर इन के गुणों (Properties) को मालूम करना होगा।

**पदार्थ—पदार्थ · Matter)** क्या है ? प्रारम्भ से अब तक वैज्ञानिक इस बात को जानने का प्रयत्न करते रहे हैं, किन्तु आजे भी पदार्थ के कठिपय गुणों का निर्देश कर देने के अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते। पदार्थ कुछ ऐसी वस्तु है, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जो भार रखता है, स्थान बेहता है और अपने आप को ठोस, द्रव, गैस इन तीन रूपों में बदल देता है। यद्यपि इन तीनों रूपों में इस के गुण बिल्कुल बदल जाते हैं किन्तु वह रहता फिर भी 'पदार्थ' ही है। पदार्थ संक्षिप्त ( Porus ) है, लचकशार ( Elastic ) है और उस का एक बड़ा गुण यह भी है कि 'शक्ति' का प्रकटीकरण सदैव उसी के द्वारा होता है। पदार्थ का एक कण दूसरे को खोन्चता भी है। सर आइज़क न्यूटन ने पदार्थ का एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण मालूम किया। वह यह कि 'पदार्थ' स्वयं तो जड़ (Inert) है, अर्थात् वह अपनी चल (Moving) और अचल (Stationary) दशा को स्वयं नहीं बदल सकता। इसी लिये हजारों लाखों वर्षों से घूमती हुई पृथ्वी अब तक नहीं ठहरी और सड़क का कोई भी पत्त्यर स्थिरमेष्ट नहीं हिलने लगता। २—जब भी इस 'पदार्थ' की चल या अचल अवस्था को बदलने का प्रयत्न किया जाता है, तब उस के लिये बाह्य बल (Force) की आवश्यकता पड़ती है। ३—जब 'पदार्थ' की दशा परिवर्तित होती है, तब वह इस परिवर्तन को रोकने के लिये अपने आप शक्ति पैदा करता है। न्यूटन ने यह सारी बात अपने उपरिलिखित तीन प्रसिद्ध नियमों में बताई है।

न्यूटन ने नृष्टि की उत्पत्ति और तारागण के आश्र्यजनक कार्यों को भी समझाया। उनका देहान्त हुए आज कई सौ साल हो गए। इस ब्रह्माण्ड की यात्रा करने वाले अपनी दूरबीनें लगाकर इसके कोने कोने की जाँच कर रहे हैं, परन्तु कोई ऐसी बात हृष्टिगोचर नहीं हुई जिस से यह नियम अशुद्ध सिद्ध हो सके। यह नहीं कहा जा सकता कि इन नियमों का ज्ञान न्यूटन ही को हुआ। हमारी भारतीय नक्षत्र विद्या तो न्यूटन से भी सैँकड़ों वर्ष पुरानी है और उस में उक्त नियम का निर्देश है। पर यह ठीक है कि न्यूटन ने ही सब से पूर्व इन तीन आवार मूल नियमों का स्पष्टरूप से पृथक् पृथक् वर्णन किया है।

नक्षत्र विद्या (Astronomy) में ब्रह्माण्ड की रचना इस तरह बताई जाती है कि जब भी और जैसे भी प्रकृति के अगु बने, उनमें परस्पर आकर्षण पैदा हुआ। वे कहीं-कहीं इकट्ठे होने शुरू हो गए और ज्यों-ज्यों ये परमाणु पास-पास आते गए, त्यों-त्यों इनमें अधिकाधिक आकर्षण चक्षपन्न होता गया, और इनकी गति भी बढ़ती चली गई। अब वे परस्पर एक दूसरे से जौर-जौर से टकराने और रगड़ खाने लगे। इससे वे गरम होने शुरू हो गए। ज्यों-ज्यों इन अगुओं की धून्ध पिचन-पिचक कर छोटी होती गई, त्यों-त्यों ये अगु अधिक-अधिक गरम होते गए और अन्त में वे चमकने लग गए। इस पदार्थ की जलती हुई गैस में धीरे-धीरे भैंवर भी पैदा हो गए और ये भैंवर धीरे-धीरे अधिक-अधिक शक्तिशाली बनते गए। फिर उन भैंवरों में से जलती हुई प्रकृति के बहुत बड़े-बड़े छीटें निकले, जिनको आज हम तारों के रूप में देखते हैं। ये तारे अपनी जगह पर स्थिर नहीं, बल्कि आकाश मण्डल में ग्रायः अनियमित रूप से घूमते फिरते हैं। इसी लिये

कभी-कभी कोई तारा किसी दूसरे के बहुत समीप भी आ जाता है। जब कभी ऐसा होता है तो उन दोनों तारों में परस्पर इतना आकर्षण पैदा हो जाता है कि वे फिर टूट जाते हैं और उनमें से फिर जलते हुए पदार्थ के दुश्में निकलते हैं, जिनमें से एक प्रह हमारी पृथिवी भी है।

**तारों की संख्या**—यो तो प्रत्येक सनुष्य तारों को अनगिनत कहता है, किन्तु किसी अत्यन्त स्वच्छ रात में अधिक से अधिक जितने भी तारे कोई मनुष्य देख सकता है, उनकी गणना ३००० के लगभग है। परन्तु यदि किसी दूरबीन (Telescope) से देख जाय तो उनकी संख्या करोड़ों तक जा पहुँची है। आज कल दुनिया की सब से बड़ी दूरबीन, जिसके शीशे का व्यास (Diameter) एक सौ (१००) इच है, मार्गण विलासन में है। उससे मालूम हुआ है कि हमारी सूष्टि में एक अरब के लगभग तारे हैं।

**सौर मराडल का निर्माण**—इस तारक समूह में सब से दूर वाला तारा हमारी पृथ्वी से ३००,००,००,००,००,००,००,००० मील है और सब से पास वाला तारा २,५०,००,००,००,००,००० मील। सूर्य पृथ्वी से ६, २०,००,००० मील की दूरी पर है।

ये सारे तारे एक समुदाय के अंग हैं, क्योंकि ये प्रकृति के एक भुराड से बने हैं। तथा इस प्रकार के ५, ००,००,००,००० तारों के भुराड आकाशमण्डल में भ्रमण करते हैं। समर्ण सृष्टि में अग्नि तारे हैं, सृष्टि का विस्तार १०० सख × सख × सख मील से भी अधिक हैं और इतनी सृष्टि में ये एक अरब तारे किसी गिनती में नहीं आते। इस लिए किसी तारे का एक दूसरे के पास आना बहुत कठिन है। परन्तु अरब साल से १० अरब साल

के काल व्यवधान में कभी हमारे सूर्य के समीप कोई तारा आया, जिससे हमारे सूर्य में बड़े जोर का ज्वार पैदा हुआ और सूर्य गोल होने के स्थान पर लम्बूनरा-सा हो गया। फिन्टु तारा और भी पास आता गया जिससे सूर्य में भयंकर तूफान पैदा हुए। वह इस अत्यधिक तनाव और तूफान को सहन नहीं कर सका और उसमें से कई खण्ड दृट-दूट कर अलग हो गये। पर ये जलती हुई आग के नाशपाती की शक्ति के दुकड़े मध्यवर्ती सूर्य और समीपवर्ती तारे के आकषण के कारण लट्ठ की तरह अपने तथा सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। उन्हीं में से एक दुकड़ा भा. यह पृथ्वी बन गया। उस समय यह इतनी तेज़ी से घूम रहा था कि अद्वैत २४ घण्टे के स्थान पर केवल ३ घण्टे का ही होता था। यह नाशपाती को शक्ति का जलता हुआ अग्नि का पिंड इतनी तेज़ी से घूमा कि नाशपाती की गर्दन सिकुड़ती ही चली गई और एक बड़ा भूखण्ड इससे दूट कर अलग हो गया। वही पृथक् हुआ २ भूखण्ड आज चांद कहलाता है। सूर्य को इस तरह झटका देने के बाद वह तारा न मालूम कहां चला गया और यह भी ज्ञात नहीं कि उसका क्या अत हुआ। इस प्रकार सूर्य के जीवन में एक विलक्षण नया सिलसिला शुरू हुआ। एक नए सौर मण्डल का जन्म हुआ। यह सम्भव है कि सृष्टि में और सितारों को भी उसी तरह का झटका मिला हो, या आगे और तारों को भी मिले। पर इस समय सिवाय कल्पना करने के हम बुद्ध और नहीं कह सकते। क्योंकि हमारी दूरबीनें भी अभी इतनी तेज़ नहीं हैं कि इससे कुछ अधिक पता लगाया जा सके। आजकल एक नई दूरबीन बन रही है, जिसके शीशे का व्यास ३०० हँच रहेगा। इससे मनुष्य एक मोमबत्ती को ४१००० मील

दूर से देख सकेगा । यह मनुष्य की आंख से १०,००,००० गुना अधिक तेज होगी । न मालूम यह दूरबीन क्या-क्या नई बारें बताएगी ।

**हमारा सौर मण्डल** — इस तारे के फटके के कारण सूर्य मे से जितने ग्रह निकले, उनमे से दूरतो बहुत समय से ज्ञात थे । किंतु १६३२ मे एक और ऐसे ग्रह का पता लगा है, जो इसी सौर मण्डल मे है, अभी तक भी यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे सूर्य मे से केवल ६ दुर्घटे ही निकले या अधिक । इनमे से सब से छोटा भूखण्ड 'बुध' ( Mercury ) है । इसका व्यास ३०० मील है यह सूर्य से ३,५८,००,००० मील की दूरी पर है । सूर्य के पास होने से इसकी गरमी ३५० अंश तक रहती है, इसके बाद दूसरा भूखण्ड 'शुक्र' ( Venus ) है - जो सूर्य से लगभग ६,७०,००,००० मील दूर है । इस का व्यास ७७०० मील है । इसके बाद वाला खण्ड हमारी पृथ्वी है । इसका व्यास ८००० मील है, यह सूर्य से ६,२०,००,००० मील दूर है । तत्पश्चात् 'मङ्गल' ( Mars ) है, जो केवल ४००० मील व्यास का है और सूर्य से १४,१५,००,००० मील दूर है । वैज्ञानिक लोग इसमें पृथ्वी की तरह से जीव जन्तु तथा वृक्ष वनस्पति का होना मानते हैं । हमारी पृथ्वी की तरह इसके पास दो छोटे-छोटे चाँद घूमते हैं । परन्तु वे चाँद केवल ५ या १० मील व्यास के हैं । उसके बाद का नक्षत्र 'बृहस्पति' ( Jupiter ) है, इसका व्यास ८६,७२० मील है । सूर्य और इसमें ४६,५०,००,००० मील का अन्तर है । इसके चारों ओर ६ चाँद घूमते हैं । इसके बाद शनि ( Saturn ) ७०,०२० मील व्यास का है, सूर्य से इसकी दूरी ८२,५८,००,००० मील है । इसके पास कोई चाँद न होकर चिरंगती

धुन्ध के अनेक चक्कर-से हैं। जो अत्यन्त सुन्दर और आश्चर्य-जनक हैं। यह खगोल किया जाता है कि यह धुन्ध हजारों लाखों छोटे-छोटे चांदों के कारण है। उसके बाद का ग्रह 'यूरेनस' (Uranus) है। यह १८७१ में देखा गया था। इसका व्यास ३२४०० मील है। यह सर्व से १,७८,२३,००,००० मील की दूरी पर है। इसके समीप ४ चांद हैं। फिर 'नेपचून' (Neptune) है। इस का व्यास ३१००० मील और सूर्य से दूरी २, ७६, ००, ००० मील है। ज्ञात नक्षत्रों में से अन्तिम 'प्लूटो' (Pluto) है। यह १९३२ में मालूम हुआ था। सूर्य से इसकी दूरी ३,७८,००,००,००० मील है। इसी प्रकार शायद और भी कुछ ग्रह हों। ये सब ग्रह और सूर्य मिल कर एक सौर मण्डल (Solar system) बनाते हैं। सूर्य पृथ्वी से १० लाख गुणा भारी है। पृथ्वी का भार ६० संख्या टन है। यह सम्पूर्ण भार सूर्य पर ही अवलम्बित है। इस लिए बहुत प्राचीन काल से अब तक सूर्य की पूजा होती रही है। न केवल भूमि तथा ग्रह, उपग्रह सूर्य के हिस्से हैं, बल्कि उनमें जो कुछ भी होता है, वह सब सूर्य के कारण ही होता है। सूर्य एक सैकड़ में ४० लाख टन 'पदार्थ' को प्रकाशित बना कर आकाश में फेंक देता है और उसका बोझ एक दिन में कई खरब टन कम होता जा रहा है। यदि किसी तरह सर्व पुनर्जीवित (Replenish) न होता रहता, तो यह कभी का ठंडा पड़ जाता।

**एन्स्ट्राइन का सिद्धांत—ऋषि मुनियों के समय से ले कर अब तक विश्व के स्रोत और निर्माण के सन्बन्ध में खोज होती रही है, किंतु हाल ही में एन्स्ट्राइन ने एक बड़ा विचित्र सिद्धान्त निकाला है, जो उस के गणित के नियमों पर आधित है। उस के अनुसार 'आकाश' द्वितीय घूम-फिर कर किसी तरह-**

से पुनः अपने आप ही मे वापस आ जाता है। हमारे प्राचीन साहित्य मे भी इसका उल्लेख मिलता है।

एक वृत्त में धूमती हुई रेखा अपने आप मे ही वापस आ जाती है, गोलों मे धूमता हुआ धरातल पुनः अपने मे आ मिलता है, और इस तरह बन्द हो जाना है कि उसका कोई सिरा नहीं रहता। दोनों अवस्थाओं मे यह नहीं कहा जा सकता कि रेखा या पृष्ठ अनन्त हो गया है। इसी तरह आकाश मण्डल भी 'सांत' ( Finite ) और 'अनन्त' ( Infinite ) दोनों है। वह धूम कर अपने आप मे इस तरह आ मिलता है कि उस का कोई सिरा नहीं रहता। एन्स्टाइन के आकाश मण्डल का 'व्यासार्द्ध' ( Radius ) ५०,००० संख ( ५,००,००,००,००,००,००,-००,००,००० ) मील है। इस अन्तर को प्रकाश, जिस की चाल एक सैकिंड में ८६००० मील है, इस से भी तेज चलने वाली चीज़ ८४,००,००,००,००० साल मे पूरा करेगी। इस लिये यह सोचा जा सकता है कि सूर्य से निकली हुई किरणे तथा शक्ति फिर धूम कर खरबों सालों के पश्चात् उसी मे वापस आ जाती है। इसी तरह और तारों की शक्ति भी उन से निकल कर पुनः उन मे ही आ रही है, आई थी और आ जायगी। और इस प्रकार सूर्य की खोई हुई शक्ति पुनः उसे ही प्राप्त हो जाती है। किन्तु आकाश में धूमती हुई शक्ति विभिन्न वस्तुओं से टकराती है इसी लिये वापस आने वाली शक्ति उतनी ही नहीं रह सकती। वह क्रमशः घटती जाती है। अतः ग्रत्येक तारा धीरे धीरे भरता ही चला जाता है। साधारणतः तारे की आयु ५०,००,००,००,००० वर्ष भाली-रही है। सूर्य भी अपनी आयु का है भाग समाप्त-कर-

चुका है लेकिन अब भी करोड़ों वर्ष बाकी हैं और हमें चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं।

**सूर्य**—पृथ्वी न केवल सूर्य से पैदा होती है, बल्कि इस पर होने वाले संपूर्ण प्राकृतिक परिवर्तन बादल, वर्षा, नदी नाले, जङ्गल और तरह तरह के जीव जंतु तथा अन्य सब कुछ उसी के कारण हैं। सूर्य एक बड़ी भारी मट्टी है, जिसमें 'पदार्थ ऊत्त्व' से निमिन्न प्रकार के धातु बनते हैं। सूर्य से केवल ताप और प्रकाश ही नहीं लिकलता, अपितु विद्युत् के छोटे छोटे 'कण' (Electrons), जो कि 'परमाणु' (Atom) के अंग हैं, भी निकलते हैं और जब ये आकाशमण्डल की यात्रा करते हुए पृथ्वी के बहुत पास आ जाते हैं तो उस की 'चुम्बकीय' 'आकर्षण-शक्ति' (Magnetic Energy) के कारण उस के बायु मण्डल में आकर उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों पर वह दृश्य पैदा करते हैं जिसे 'अरोरा' कहते हैं। जिस के कारण आकाश धंटों तक इस तरह चमकने लग जाता है कि मानो उसमें आग लग गई है। ॥१॥

**पुच्छल तारे और भग्न तारे**—(Comets) सूर्य संघर्ष में सबसे विचित्र चीज पुच्छल तारे और दूटनेवाले तारे (Meteors) हैं। १८१० से एक ऐसा पुच्छल तारा हमारे सूर्य के पास आया, जिसकी पूँछ इतनी बड़ी थी कि कुछ दिनों के लिये पृथ्वी उसकी पूँछ में ही रही। और उस का सिर सूर्य के समीप पहुँच गया था। उन दिनों आकाश में रात के समय भी मन्द मन्द प्रकाश रहता था। यह तारा एक बार पहले भी हमारे सूर्य के निकट आ चुका है और अब फिर १८८५ में आएगा, ऐसां वैज्ञानिकों का अनुमान है। कहा जाता है कि यह बारा भी पृथ्वी की तरह है। पृथ्वी हो

सूर्य के चारों ओर घूमती है, किन्तु यह पृथ्वी तथा एक और सितारे के चारों ओर घूमता है इस प्रकार के १००० तारे नक्षत्र विद्या विशारदों ने देखे हैं। टूटने वाले तारों का तो पता ही नहीं चलता कि वे कहाँ से आते हैं। वे वस्तुतः यदार्थ के छोटे छोटे ढुकड़े हैं जो 'आकाश' ( Space ) में घूमते फिरते हैं, और जब भी भूमि के आकर्षण से भूमि के निकट वायु मण्डल में गुज़रते हैं, तो वायु से रगड़ खाकर गरम होने से चमक उठते हैं और जपीन पर गिर पड़ते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इन तारों को अपशकुन समझने थे और उसको ऐमा भयानक रूप देते थे कि कोई मनुष्य उन के विषय में खोज करने का प्रयत्न ही नहीं करता था। वे तो सूर्य प्रहण और चन्द्र प्रहण को भी देवताओं का प्रभाव मानते थे।

सूर्य के धन्त्रे—सूर्य में एक वस्तु पाई गई है, जिसे 'सूर्य के धन्त्रे' कहते हैं। इन का भेद आभी अच्छी तरह नहीं खुचा। परन्तु यह देखा गया है कि पृथ्वी पर इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। यह कहा जाता है कि उनका प्रभाव न केवल वर्षा, ऋतु आदि पर पड़ता है बल्कि वनस्पति जगत् पर भी पड़ता है। कई वैज्ञानिकों ने इन का प्रभाव संसार की जन संख्या पर भी माना है।

पृथ्वी—इस भूखण्ड को सूर्य से अलग हुए दो अरब से १० अरब वर्ष तक का समय हो चुका है। यद्य पर यह ढुकड़ा सूर्य से अलग हुआ था, तब यह सूर्य की ही तरह गरम आग का गोला था और हजारों-लाखों वर्षों तक यह प्रत्यक्ष अग्नि का पिण्ड ही रहा। कालान्तर में यह धीरे-धीरे ढण्डा होता गया और उसका बाहर का भाग जम कर बहानों

तथा ठोस भूमि के रूप में बदल गया। ये भूमि भाग तथा चट्टानें 'पपड़ी' के दुरुषे की तरह पिघले हुए पदार्थ पर तैरने लगी, किन्तु भारी होने के कारण अन्दर को धंस भी जाती थी, और उसके बाद पुनः पिघल कर लावा बन कर बहती रहती थी। क्रमशः भूमि भाग तथा चट्टानों की पपड़ी की तहें जमती गई और सारी पृथ्वी उससे घिर गई। पर ज्यों-ज्यों पृथ्वी ठण्डी होती गई, त्यों त्यों इस प्रकार का दबाव पैदा होता गया कि अन्दर से खौलता हुआ लावा इस पतली-सी पपड़ी को फाड़ कर फब्बारो के रूप में वह निकला और एक नई तह बन कर उन पर जम गया। इस प्रकार से लावे के हजारों लाखों फब्बारे बाहर निकलते रहे और नई नई तहें जमाते गये। यहाँ कि मूपृष्ठ पर एक ठोस और मोटी तह बन गई। इसके बाद जो लावा निकला वह हर जगह एक बराबर तह न जमा सका और स्थान स्थान पहाड़ खड़े हो गए। विद्वानों का विचार है कि पर्वत शृङ्खलाओं में हिमालय पहाड़ सब से नया है। इसीलिये यह सब सं ऊँचा है। बहुत जगह इस पपड़ी के फट जाने से बड़े बड़े गड़े भी बन गए। यही आजकल के समुद्र हैं। पृथ्वी के पृष्ठ का एक तरफ तो लावे पर दबाव ढालता है, जिस से पिघले हुए लावे के फब्बारे ज्वाला-मुखियों के सुंह से निकल कर बाहर आते हैं। दूसरी तरफ प्रकृति ने ऐसे सामान भी पैदा किये हैं, जो इन पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर समरल कर रहे हैं। पृथ्वी के केन्द्र में ५,००,००,००० पौंड का दबाव माता गया है। यह ठोस पदार्थ की पपड़ी सिर्फ ३० मील मोटी है और इस तह के नीचे ५०० मील तक पिघले हुए लावे और चट्टानों का विस्तृत भंडार है। इस से भी नीचे १००० मील तक मोटे लावे की तह है और फिर २००० मील तक पिघला हुआ।

द्रव रूप पदार्थ है। ख्याल किया जाता है कि ये विस्तृत महाद्वीप जावे की तह पर नैरते फिरते हैं। भूगर्भशास्त्रियों (Geologists) का तो यहां तक अनुमान है कि किसी बड़े भूचान में एक बड़ा भूखंड ढूटा और उस से अमेरिका, अफ्रीका आदि महाद्वीप बन गए। शुरू शुरू में सम्भवतः पृथ्वी का स्थल इकट्ठा ही था।

प्रकृति का समीकरण— प्रकृति अपनी ‘समीकरण’ (leveling forces) की शक्तियों का वर्षा अंधी ओले के रूप में प्रयोग करके पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ फोड़ कर मिट्टी और रेत के रूप में समुद्रों की ओर बढ़ाये लिये जा रही है। इस पृथिवी पर प्रति वर्ष ३००० घन मील के ज्वालामुखी विलकुल बन्द हो जाय तो सम्पूर्ण नदियां भू पृष्ठ को १,५०,००० वर्षों में समान कर देंगी, और अगर यह क्रम कुछ समय तक चलता रहे तो हमारी पृथ्वी पर ६०० फीट पानी खड़ा हो जायगा। दक्षिणी अमेरिका की अकेली मिसिसिपि नदी ही साल भर में ५१,६०,००,००० मन मिट्टी समुद्र में ढाल देती है। परन्तु आजकल भी प्रकृति ज्वालामुखी के द्वारा लाखों-करोड़ों मन जावा उगल कर पृथ्वी को स्थिर रख रही है।

## रसायन (Chemistry)

१. पदार्थ की खोज— वैज्ञानिकों को बहुत शीघ्र ही इस बात का ज्ञान हो गया कि पृथ्वी में एक ही प्रकार का ‘पदार्थ’ नहीं। रेत, मिट्टी, पानी, हवा तो सब को पृथक दिखाई देते ही हैं। इसीलिए वैज्ञानिक ने यह खोज प्रारम्भ की कि संसार में कितने प्रकार का पदार्थ हो सकता है और क्या ईश्वर ने यह पदार्थ एक

बार में पृथक् २ हीं पैदा किए अथवा वे सब एक ही मूल पदार्थ से विकसित हुए। क्या इन में से कोई नया पदार्थ भी बन सकता है? और क्या इनको मानव जीवन को सुखी और दीर्घजीवी बन ने के लिए प्रयुक्त भी किया जा सकता है? सदियों की सोज के पश्चात् मनुष्य इस परिणाम पर पहुंचा कि सम्पूर्ण 'पदार्थ' को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो 'धातु' (Element) जैसे लोहा, गन्धक, कोयला, चांदी, ताबा, पारा, सोना आदि। और दूसरे 'समास' (Compounds) हैं। जो वस्तुतः दो-तीन या अधिक तत्त्वों के परमाणुओं के इस तरह मिलने से बनते हैं कि उस मेल से सम्पूर्ण तत्त्व अपनी-अपनी सत्ता को खो बैठते हैं और एक विलक्षण नई चीज़ पैदा कर देते हैं। जैसे जलने वाली 'उद्ग्रन' (Hydrogen) और जलाने वाली 'अम्लजन' (Oxygen) के परमाणु शीतल-जल पैदा करते हैं। किसी को खगल भी नहीं आ सकता कि पानी के अणुओं में इन दो गैसों का निशास है। तत्त्वों के परमाणु सैंरडो विभिन्न प्रकारों से मिल कर भिन्न-भिन्न वस्तुएं बना देते हैं। वही कोशले, अम्लजन और उद्ग्रन के अणु कभी खांड, कभी तेल, कभी सिरका, कभी सुगन्ध, कभी रङ्ग, कभी मांस, कभी लकड़ी, कभी रुई, कभी ऊन, कभी कपड़ा और कभी न जाने क्या कुछ बन जाते हैं।

धातु और समास-दुनियाँ में करोड़ों प्रकार के समास हैं, फिरु उनकी छानशीन से मालूम हुआ है कि सम्पूर्ण सृष्टि की वस्तुएं केवल ६२ तत्त्वों से बनी हुई हैं। इनमें से ६० तो 'प्रयोगशाला' (Laboratory) में जाने भी जा चुके हैं। वैज्ञानिक (chemist) को सूझा कि अगर ये जाखों करोड़ों पदार्थ केवल

हर ही तत्वों से बने हुए हैं, तो वह उस नियम को मालूम करे, जिसके द्वारा ये विभिन्न तत्व मिलकर उन वस्तुओं को बनाते हैं, जिनकी दुनियां में बड़ी मांग और कीमत हैं। दुर्भाग्य से उसकी घुन सोना बनाने की ओर लगी। पर क्योंकि यह स्वयं एक तत्व है, अतः वह उसे बना न सका। किंतु इस प्रथम में उसने हजारों और ऐसी चीज़ों बना डाली जिनकी संसार में कमी थी और मांग अधिक थी। किसी समय जिन वस्तुओं को दुर्लभ समझा जाता था, और जिनके लिए राजा महाराजा भी तरसते थे, उन्हें आज मामूली आदमी भी बड़ी आसानी से प्राप्त सकता है।

चदाहरणार्थे, गुलाब का इतर जहांगीर की बेगम नूरजहाँ ने अपने स्नानागार में अचानक पाया था। कालान्तर में इसकी मांग इतनी बड़ी कि वह सैरुड़ों रूपयों से तोला भर मिलने लगा। आज न केवल असली इतर इतने परिमाण में पैदा किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति इसका आनन्द उठा सके, किंतु 'नकला इतर', जिसका फूज से कोई सम्बन्ध नहीं, इतना सस्ता और इतना अधिक आकर्षक बनाया जाता है कि उससे असली इतर भी मात्र हो गया है। केवल गुलाब का इतर ही नहीं, अपितु अच्छी से अच्छी सुगन्धि इसी दुगन्धित और असुन्दर तारकोल से निकलती हैं, जिन सुगन्धों का पहले कभी रुकाव भी न आया होगा। यह इतर गरीब से गरीब घर में भी सुगन्ध पैदा कर सकते हैं।

रेशम कभी अमीरों को भी कठिनता से मिलता था। आज रेशम के कीड़ों को अच्छी तरह पालन कर उनसे हजारों गुना रेशम तो बनाया ही जाता है, साथ ही साथ लकड़ी के बुरादे को साफ करके, विभिन्न चीज़ों में घोलकर तथा इस घुने हुए 'द्रव-पदार्थ' ( Solulose solution ) को बहुत छोटे-छोटे छोड़ों के

अंदर से पिचकारी की सहायता से निकाल कर नक्ली रेशम के धागे बनाए जाते हैं और इनको इतने सुन्दर ढंग से रंगा जाता है कि प्रकृति भी शर्मिन्दा हो जाय। आज यह नक्ली रेशम गरीब में गरीब की इच्छा को पूरा करता है। वैज्ञानिकों ने प्रत्येक सम्भव उपाय से मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न किया है और जहाँ भी हुर्लैम प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने में वे असफल रहे, वहाँ उन्होंने उनकी स्थानापन्न-वस्तुएं बना डालीं। आज जर्मनी में लकड़ी से खांड़ बनती है और सड़कों पर बिछाने वाली कोलतार से, जो किसी समय कोवले की कालों में एक आकृत गिनी जाती थी, अनेक प्रकार के सुन्दर फल फूलों के रस, अनेक प्रकार के सुन्दर रंग और अनेक प्रकार की सुगन्धें तंयार की गई हैं। मनुष्य की तरह-तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज अनेक प्रकार के नक्ली चमड़े, रवड़, मक्कलन, घी आदि अनेक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत कर दिए हैं। केवल इतना ही नहीं कि पिवले हुए लोहे में कोवले को धोल कर असली हीरे बनाए गए हैं, अपितु वैज्ञानिकों ने अब तक ३ लाख ऐसी चीजें बना डाली हैं, जो पृथ्वी पर न थीं। इनमें से हजारों द्वाइयों तथा अन्य विभिन्न रूपों में प्रयुक्त की जाती हैं।

पिछले थोड़े से वर्षों में विज्ञानी ने तो कमाल ही कर दिया है। उसके द्वारा आज पारेसे असली सोना बन चुका है, विभिन्न तत्वों को एक से दूसरे में बदला जा चुका है। पुराने चमाने में कुछ वस्तुएं इननी थोड़ी थीं कि वे मानवीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती थीं। इस लिए आज 'उन चीजों के 'पूरक ( substitutes )' कैसर किए गए हैं।

इसमें पौधों से 'सैलोलाइड' दृध से 'बैक्लाइट' (Bakelite) तथा 'पैट्रोलियम' से नकली रबड़ निकलता है।

मनुष्य के प्रयत्न अपने जीवन को सुखी बनाने के साथ साथ उसे दीर्घजीवी बनाने के भी रहे हैं। इस दीर्घयुज्य के लिये उसे अपने दबाव का भी प्रबन्ध करना होता है। जङ्गली जानवरों तथा जन्तुओं से तो मनुष्य दब ही सकता है, परन्तु वह घातक बीमारियों के 'कीटाणुओं' (Germs) के आक्रमण को रोकने में असमर्थ रहा। वैज्ञानिकों ने इन बीमारियों से लड़ने के लिये हङ्गरों तरह की दवाइयाँ निकाली हैं। सूष्टि के अनेक भागों से तो अनेक रोग बिलकुल ही नष्ट कर दिये गये हैं।

वरन्तु वे कौन से नियम हैं, जिनके द्वारा ये ६२ तत्त्व एक दूसरे से मिलकर आश्चर्यजनक प्रभाव बाली घस्तुण बन जाते हैं? ये ही स्पष्ट ही है कि विभिन्न तत्त्वों में आपस में मिलने की ज़ड़ी प्रवृत्ति है। पर यह प्रवृत्ति क्यों है और क्या ये सम्पूर्ण ६२ तत्त्व एक दूसरे से छिलकुल पृथक्-पृथक् हैं या ये भी किसी और मौलिक तत्त्व से निकले हैं?

**तत्त्वों के भेद-**इन सब तत्त्वों में से हल्की और सादी 'द्वयजन' ( Hydrogen ) है। यदि इस तत्त्व के परमाणुओं के भार को एक माला जाय, तो शेष तत्त्वों का तोल इससे अनेक (एक-दो-दस-बीस या किसी न किसी पूरी सख्त्या में) गुना ही होगा, इसमें कभी भाग नहीं आता। अर्थात् किसी तत्त्व का परमाणु द्वयजन से ६२ गुना या १२७२ गुना भारी नहीं हो सकता। वह अवश्य ही ६ या ११७ गुना होगा। इससे यह एक

विचार उत्पन्न होता है कि जिस पदार्थ से उद्भवन बना हुआ है वह 'पदार्थ' ही मौलिक परमाणु है। यहां एक और बात भी, विचारणीय है कि ये सम्पूर्ण ६२ तत्व कुछ समूहों या श्रेणियों में बटे जा सकते हैं और प्रत्येक श्रेणी या समूह के तत्व बहुत से समान गुणों को धारण करते हैं। उदाहरणार्थ ताम्र, रजत, सुर्वर्ण कुछ ऐसे हैं; नत्रजन (Nitrogen) फास्फोरस, संलिया (Ares-enic) दूसरी तरह के हैं; इरिया गैस (Clorine) ल्कोरीन, ओमीन, आयोडीन, तीसरी तरह के हैं और हिलियम, नियोन, क्रिप्टोन, रहौन आदि चौथी तरह के हैं। इत्यादि।

अब से ५००-६०० वर्ष पूर्व मैंडलीफ नामक अरब के एक वैज्ञानिक ने तत्वों के श्रेणीकरण की ओर ध्यान दिया। जितने भी तत्व उस समय तक ज्ञात थे, उन्हे वह उनके तोल के अनुमार लिखता गया। उस ने अनुभव किया कि प्रत्येक एवं तत्व पहले तत्व से कुछ मिलता जुलता है। इस तरह उसने सारे तत्वों को एवं श्रेणियों में बांटा। यद्यपि इन्हिस्तान के प्राइस्ट नामक एक वैज्ञान ने मैंडलीफ से पहले ही यह विचार प्रकट किया था कि शायद सम्पूर्ण तत्वों के परमाणु उद्भवन के तत्वों से ही बने हो, किन्तु उस समय उसे दीवाना कह कर इनना दुष्कारा गया कि वह विष खार मर गया। परन्तु मैंडलीफ के कार्य से पुनः यह विचार पैदा हुआ कि शायद ईश्वर ने इन सब तत्वों को एक साथ न रचा हो, और वे क्रमशः 'उद्भवन' से ही बने हो।

प्रकृति की इस रचना शक्ति के सम्बन्ध में सन्देह तो मैंडलीफ के समय से ही उत्पन्न हो गया था, परन्तु इस के असली भेद तो सर थामसन के विद्युत के परीक्षणों के पश्चात ही मालूम हुए। बादलों में चमकती विद्युत किसने नहीं देखी। इसी तरह से बिजली

कौन चिनगारियाँ प्रयोगशाला में भी पैदा की जा सकती हैं। इन चिनगारियों के कारण हवा दुर्बाहक से सुवाहक हो जाती है। यह क्यों? इम बात की सह तक पहुँचने के लिये थामसन साहब ने शीशे की बन्द नलियों में चिनगारियों पैदा करने की चेष्टा की। और साथ ही साथ वह बायुपम्प से नली में से बायु भी निकालता गया। उसने देखा कि जब हवा काफी खाली हो गई, तो परीक्षण नलियों पतली चिनगारियों के रथान पर प्रकाश से भर गई। इन परीक्षणों से सिद्ध हुआ कि रेडिफ़ाइड (सूक्ष्मभूत) बायु के अणु बिजली की ताक्तसे टूट जाते हैं और उनके टूटने वर बिजली के कण तथा प्रकाश पैदा होते हैं। पिछले ५०, ६० वर्षों में विद्युत के द्वारा परमाणुओं के अन्दर की बनावट की खोज करने से पता लगा है कि इनके अन्दर बिजली के कणों तथा विद्युत चुम्बकीय शक्ति (जो कि परमाणु के टूटने पर एकसरे, ज्ञामनी किरण, बायलटर, तप्तकिरण या साधारण प्रकाश के रूप में पैदा होती है) और झुक्क भी नहीं है। किसी भी चीज़ के परमाणु को सोडा जाय तो यहीं तीन चीज़ों मिलती हैं। इन परीक्षणों से तो यह सरक छोता है कि ईश्वर ने ये ६२ तत्त्व पृथक् पृथक् नहीं बनाये। विन्तु ये सब किसी विशेष प्रकार से इन विद्युत्तत्त्वों और विद्युत्तुंबकीय शक्ति से ही बने हैं।

एलैक्ट्रोन और डोटोन—यह सर्वथा संभव है कि ‘ड्रॉजन’ जो कि सब से हल्की है, इस से कम विद्युत्तत्त्वों से बनी हो, क्यों कि उन्नेजन के परमाणु और अणु किसी प्रकार के विद्युतीय गुणों को प्रकट नहीं करते। इस के परमाणुओं में जूँग और धन विद्युत यक जैसी होनी चाहिये। इसलिये लितनी भी जूँग विद्युत इस में

है, वह कम से कम परिमाण में है और उसे एक इलैक्ट्रॉन ( Electron ) माना जा सकता है। इसी तरह धन विचुत् भी उड़न्न के अणु का एक प्रोटोन ( proton ) है। धन और ऋण विद्युत् में बड़ी भारी आकर्षण शक्ति है, फिर वह एक परमाणु में परस्पर मिले बिना क्षेत्रों कर रह सकती हैं। इस बात को जर्मनी के एक वैज्ञानिक नाइज्वोर ने इस प्रकार सुलझाया कि एक विजली का कण दूसरे कण के पास इस तरह घूमना है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। और जिस कारण से पृथ्वी सूर्य के साथ नहीं छू जाती, ठीक उसी कारण से यहाँ भी विद्युत् के दोनों विभिन्न श्रेणी के कण एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, यद्यपि सूर्य और पृथ्वी में परस्पर भारी आकर्षण है।

परमाणु का व्यास सैंटीमीटर (C.M.)  $\frac{1}{100,00,000}$  वां हिस्से के बराबर है। इलैक्ट्रॉन का व्यास सैंटीमीटर का  $\frac{1}{1,00,00,00,00,00,000}$  वां हिस्सा है। प्रोटोन का व्यास सैंटी-मीटर का  $\frac{1}{10,00,00,00,00,00,00,000}$  वां हिस्सा है। इस का अर्थ यह हुआ कि इलैक्ट्रॉन प्रोटोन से १००० गुणा बड़ा है। अर्थात् एक परमाणु के अन्दर कई लाख इलैक्ट्रॉन ( Electron ) भरे जा सकते हैं। सूर्य मण्डल के समान परमाणु भी विज्ञुल सोखला है। प्रोटोन यद्यपि इलैक्ट्रॉन से १००० गुणा छोटा है, परन्तु वह उसमें १७०० गुणा अधिक भारी है। इस लिये परमाणु के अन्दर प्रोटोन स्थिर रहता है और इलैक्ट्रॉन

नोट—एक इन्च में २५ सैंटीमीटर होते हैं।

इस के चारों ओर घूमता है। उद्ग्रजन से भारी तत्व के प्रत्येक परमाणु में इलैक्ट्रोन और प्रोटोन अधिक होंगे। पर दोनों की संख्या बराबर होगी, क्यों कि कोई भी परमाणु साधारण विशुद्ध के गुण प्रकट नहीं करता। इलैक्ट्रोन और प्रोटोन में यदि एक सदृश विशुद्ध हो तो वे एक दूसरे को धकेलेंगे, अतः वे एक परमाणु में इकट्ठे हो ही कैसे सकते हैं? अन्वेषण करने से मालूम हुआ है कि परमाणु के भीतर एक भारी-सा हिस्सा होता है, जिसमें सम्पूर्ण प्रोटोन तथा उन से आधे इलैक्ट्रोन बड़ी ढढ़ता से एक दूसरे को पकड़े रखते हैं और शेष परिमाण के आधे इलैक्ट्रोन इस के चारों तरफ विभिन्न अन्तर पर विभिन्न पथों में घूमते हैं।

रद्दलफोर्ड ने बहुत से तत्वों के परमाणुओं को ज्ञोरदार बिजली के छर्रों से तोड़ा। उसने ये छर्रे रेडियम से लिए थे, जिनसे उद्ग्रजन से ४ गुना भारी बिजली के छर्रे भी बड़ी तेज़ी से छूटते हैं। उससे देखा कि जब भी कोई परमाणु ढूटता है, तो उसमें से या तो कंबल हिलियम गैस' के दुर्घट निकलते हैं या हिलियम तथा उद्ग्रजन के। यह भी मालूम हो चुका है कि उद्ग्रजन से अलग भारी तत्व 'हिलियम' ही है जो कि उद्ग्रजन से चार गुना भारी है। उद्ग्रजन से २ या ३ गुना भारी तत्व कोई नहीं है। इससे ख्याल पैदा होता है कि जहाँ बिजली के धन और ऋण कणों का सबसे स्थायी निर्माण उद्ग्रजन का परमाणु है, उसके बाद द्वितीय स्थायी निर्माण हिलियम है। उद्ग्रजन और हिलियम के परमाणु तत्व की बड़ती में ईटो का सा काम देता है। प्रत्येक आगले तत्वके अद्वारा उद्ग्रजन के परमाणु जाते हैं, जिनमें धन-विशुद्ध, और ऋण विशुद्ध का एक एक कण तो केन्द्रीय भाग ( nucleus ) में चला जाता है।

और वाकी का एक 'ऋण-विद्युत्' का कण बाहर धूमते हुए कणों में शामिल हो जाता है। इस तरह 'यूरोनियम' ( ६२ संख्या वाला तत्व ) में १२४ प्रोटोन और ६२ इलेक्ट्रोन्स मिला कर एक केन्द्रीय भाग ( Nucleus ) बनते हैं। उनके चारों ओर ६२ इलेक्ट्रोन्स धूमते हैं।

जब इन संख्या अधिक हो जाती है, तो आंतरिक विद्यु-हशक्षियों का दबाव इतना बढ़ जाता है कि ऐसे परमाणु आपसे आप दूटते रहते हैं और फिर इन में से कही 'विद्युत्चुम्बकीय-शक्ति' तथा विद्युत् कण और हितयम के केन्द्रांश कण फूट पूट कर निकलते हैं। केवल उस यूरोनियम के ही परमाणु नहीं दूटते, किन्तु जितने परमाणु सिवके से आरी हैं, वे सभी इसी प्रकार दूटते रहते हैं। इनमें 'रोडियम' सब से प्रसिद्ध है। जिसमें से अपने आप बहुत तेज़ प्रक्षस किरणों की तरह का प्रकाश निकलता है, जिसे गामा-किरण (Gamma-Rays) कहते हैं। और साथही साथ हितियम के केन्द्रीय भाग से अल्फ किरण (Alpha-Rays) तथा ऋण विद्युत के कारण जिन्हें बीटा-किरण (Beta Rays) कहते हैं, भी निकलते हैं। इन किरणों में प्रवेश करने की बड़ी शक्ति हीली है, जिसका प्रयोग मनुष्य की नासूर ( कैन्सर ) जैसी कष्टदायक बीमाशयों में किया जाता है। सभी परमाणु विजली के कणों से ही बने हैं और विद्युत्कणों में खिचाव होता है, इस से मिन्न परमाणुओं द्वारा इस विद्युत के खिचाव के कारण विभिन्न बस्तुओं में परिवर्तित हो सकता कुछ कठिन नहीं।

अगर सारे परमाणु विद्युत के ही बने हुए हैं, तो यह संभव होता चाहिए कि उसमें से कुछ विद्युत कण निकाल कर या उसमें

कतिपय नए विद्युत् कण डाल कर एक तत्त्व से दूसरा तत्त्व बनाया जा सके। सोने में पारे के एक विद्युत्कण से केवल दो प्रोटोन तथा दो हलेक्ट्रोन ही हो कम है। यदि किसी प्राणी पारे के परमाणु से उन्हें निकाल दिया जाय तो वह सोना बन जायगा। इस कार्ये में अब सफलता भी प्राप्त हो चुकी है। परन्तु इस तरह सोना बनाने में कानों से असली सोना निकालने की अपेक्षा कई गुण अधिक खर्च आता है। उधर वैज्ञानिक उपायों से 'रेडियम' जैसी दुर्लभ और अमूल्य वस्तु बनाना अधिक लाभदायक है। रेडियम हीरे से भी २० गुना मंदगी है। सिक्के के परमाणुओं में अगर विजली के कण भर दिये जाय, तो उसमें रेडियम की विशेषतायें (गुण) पैदा हो जायगी। इसी कारण रेडियम का इतना मूल्य है। यह परीक्षण भी अब साइक्लोट्रोन (Cyclotron) मशीन द्वारा सफलता पूर्वक किया जा चुका है। न केवल सीसे में, बल्कि प्रायः प्रत्येक चीज़ में रेडियम की सी शक्ति दी जा सकती है और हजारों लाखों बीमारों को; जिन्हे रेडियम की चिकित्सा कराना असंभव प्रतीत होता था, आज बड़ी आशाये बंध गई हैं। अभी तक यह बात पूर्णरूप से नहीं कही जा सकती कि विजली के कण किस चीज़ के बने हुए हैं, परन्तु पिछले दस सालों से वैज्ञानिकों को इस बात का ख्याल हो गया है कि वे आकाश के ही विकृत और पुष्ट रूप हैं। विजली के कणों में लहरों की विशेषतायें भी पाई गई हैं, परन्तु अभी यह पहली सुलझ नहीं सकी।

**शक्ति (Energy)**—जैसे कि पहले कहा जा चुका है, न्यूटन साहब ने मालूम किया कि—पदार्थ निष्क्रिय है और इसमें जितनी भी किया है, वह किसी अन्य वस्तु के कारण है, जिसे हम

शक्ति कह सकते हैं। यह शक्ति कई प्रकार की होती है। चदा-हरणार्थः—

- १—यांत्रिक शक्ति (Mechanical Energy)
- २—ताप की शक्ति (Heat Energy)
- ३—प्रकाश की शक्ति (Light Energy)
- ४—विद्युत् की शक्ति (Electrical Energy)
- ५—चुम्बक की शक्ति (Magnetic Energy)
- ६—रसायनिक शक्ति (Chemical Energy)
- ७—जीवन शक्ति (Biological Energy)

इनमें से प्रथम ५ प्रकार की शक्तियाँ कुछ एक ही प्रकार की हैं। 'रसायनिक शक्ति' इन से कुछ भिन्न है।

शक्ति वह चीज़ है, जो पदार्थ में कुछ जान-सी ढाल देती है। जो अगुआओं और परमाणुओं में गति पैदा कर देती है। पर क्या शक्ति की सत्ता पदार्थ के इन अगु-परमाणु और कणों से बाहर और पृथक् है? इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

**शक्ति का वर्गीकरण**—संसार में ३ प्रकार की शक्तियाँ हैं। प्रथम भौतिक (Physical) द्वितीय रासायनिक (Chemical) और तृतीय जीवन शक्ति (Biological)। (१) यांत्रिक शक्ति (Mechanical) (२) ताप (Heat) (३) प्रकाश (Light) (४) विद्युत् (Electrical) (५) चुम्बक (Magnetic) की शक्तियाँ वास्तव में भौतिक (प्रथम) शक्ति के ही रूप हैं।

**यांत्रिक शक्ति—यांत्रिक शक्ति (Mechanical Energy)** दो प्रकार की होती है। प्रथम वह जो गतिमान पदार्थ में होती है। चलती हुई रेलगाड़ी या मोटर से वह शक्ति पैदा होती है कि सब लोग उससे दूर हट जाते हैं। मोटर चाहे कितना ही तेज़ क्यों न चल रही हो, उसमें कोई अन्तर नहीं आता। उसका लोहा, पेट्रोल तथा गडे वैसे ही बने हैं। परन्तु जिस मोटर की ठहरी हुई दशा में लोग उसको हाथ लगा कर देखते हैं, वही खुशी से उसमें बैठ कर इधर-इधर की सैर करते हैं, उसी की गतिमान दशा में उसके पास आने से डरते हैं।

द्वितीय वह शक्ति है जैसी कि तभी हुई कमान में होती है। धनुष का चिल्ला चढ़ा हुआ देखकर बड़े-बड़े योद्धा मैदान से भाग जाते हैं। परन्तु क्या धनुष की लकड़ी या डोरी लोहे की हो जाती है? वह तो आखिर लकड़ी और ताणा ही है। वह शक्ति पदार्थ में उस समय पैदा होती है जब कि उसके किसी हिस्से को इस तरह मोड़ा या दबाया जाय कि पदार्थ अपनी पहली आकृति पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करे। पदार्थ में लचक का होना ही इस शक्ति को पैदा करता है। सब मशीनों के अन्दर इन्हीं दोनों यांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। दबाई हुई भाप (Compressed Steam) के कारण एन्जिन के पहिये चलते हैं और वहां हुआ पानी पनचक्की चलाता है।

**(२) ताप शक्ति—(Heat Energy)** यह एक बड़ी आधार-भूत शक्ति है। जाड़ल के परीक्षणों से यह पता लगा है कि यह शक्ति वास्तव में 'पदार्थ' के अणुओं के हिलने-जुलने के कारण पैदा होती है। यह भी मालूम हुआ है कि किसी भी जीव

के अणु स्थिर नहीं। वे तभी स्थिर हो सकते हैं, जब उनमें ताप की शक्ति न रहे। यह अवस्था २७३.२ डिग्री शून्य से नीचे पर होती है। जब कि 'पदार्थ' के अणु विलक्षण स्थिर हो जाते हैं। और क्योंकि 'पदार्थ' के अणु की शक्ति को इससे कम किया ही नहीं जा सकता, इसलिए किसी भी प्रकार से किसी भी चौंड़ में शून्य से २७३.२ से कम ताप करना असम्भव है।

ठोस अवस्था में तो प्रत्येक अणु का स्थान निश्चित है और वह उसी स्थान पर कौपते सं रहते हैं। वे एक दूसरे से आन्तरिक लिंगाव के कारण जश्छे हुए हैं। किन्तु जब गरम होने के कारण उनके अणु अधिक जोर से थरथराने लगते हैं, तो एक ऐसी दशा आ जाती है जब कि पदार्थ अपने आन्तरिक लिंगाव पर काढ़ नहीं रख सकता। तब ठोस वस्तु पिघल कर द्रव बन जाती है। और इसी प्रकार और अधिक गरम होने पर अणु एक दूसरे से विलक्षण अलग होकर गैस बन जाते हैं। इसी लिये गरम होने पर चीज़ें फैलती और हल्की हो जाती हैं। ससार की सारी घटनाएँ वस्तुतः इसी शक्ति पर अबलबित हैं। ताप से न केवल रोटी ही पकती है बल्कि रेलगाड़ी तथा जहाज़ भी चलते हैं। कारखानों का चलना भी इसी पर आधित है। सूर्य इस ताप शक्ति का महान् उद्गम है। इसी द्वारा सारे जीव जन्तु जीवित हैं।

(३) प्रकाश की शक्ति (Light Energy)—प्रकाश के कारण ही दिन और रात में भेद है। प्रकाश से ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश और ताप में अन्तर है, यद्यपि सामान्यतया दोनों में परस्पर बहुत सम्बन्ध है। प्रकाश से हमारा अभिप्राय केवल वस्तु शक्ति से है जिससे 'आंख देखने का' अनुभव

कर सकती है। पर वस्तुनः यह शक्ति इतनी ही नहीं। वास्तव में सारी प्रकाशित शक्तियों में गामा किरण, एक्स किरण, अल्ट्रा-वायलेट किरण, वायलेट किरण, दृश्य किरण, लाल किरण, ताप किरण और बेतार की लहरें, रेडियो की लहरें आदि सब एक ही परिवार की हैं। हमारी आंख इस परिवार के एक बहुत छोटे हिस्से को देखती है। आकाश की लहरों की लम्बाई सैंटीमीटर के  $\frac{1}{1,00,00,00,00,00,00}$  वें हिस्से से लेकर  $\frac{30,00,000}{10,00,000}$  सैंटीमीटर तक है। आंख तो केवल उस प्रकाश का अनुभव करती है, जिस की लहरों की लम्बाई  $\frac{30}{10,00,000}$  वें हिस्से से ले कर  $\frac{50}{10,00,000}$  वां हिस्सा हो सकती है। प्रकाश वस्तुतः आकाश की लहरें ही मानी गई हैं, और प्रकाश के द्वारा ही आकाश की ज्ञानशील की जा सकती है। प्रकाश ही सारे ज्ञान का कारण है। जीव भी इसके बिना जीवित नहीं रहता। वृक्ष, घनस्पर्श आदि इसी शक्ति के द्वारा अपना शरीर बनाते हैं।

(४) विद्युत्—(Electricity) इस शक्ति को आजकल भी अच्छी तरह से नहीं समझा गया। परन्तु २० वीं सदी का जादूगर यही शक्ति है। इसी के बल से रेडियो बना। बोलते चित्रपट उसी के आधार पर चलते हैं। टेलीफोन, स्वयं चलने वाले यन्त्र सब इसी के आधार पर काम करते हैं। इसी के प्रयोग से केवल एक बटन दबाने से नक्कली फौजों के दस्ते तथा बड़े बड़े कारखाने और जहाज स्वयं काम करने लग जाते हैं। घर में लैंप जलने लगते हैं, पंखा घलने लगता है। बाल शुंघरीले हो जाते हैं। बुढ़ापे की

मुर्खियां दूर हो जाती हैं और भी न जाने क्या कुछ हो सकता है। वस्तुतः विज्ञली आजकल ज्ञान विज्ञान और कला कौशल की आत्मा बनी हुई है।

(५) चुम्बक शक्ति—(Magnetic energy) वह शक्ति है जिस के कारण बहुत सी चीजें लोहे को खींच लेती हैं। इसी शक्ति के द्वारा पथभ्रष्ट जहाज और नौकायें अपने घर वापस आती रही हैं। यह शक्ति आजकल विज्ञली की सहयोगिनी बनी हुई है। और शायद ही विज्ञली की कोई ऐसी करामात होगी, जिस में यह चुम्बकीय शक्ति विज्ञली को सहायता न करती हो।

(६) रासायनिक शक्ति—(Chemical Energy) इस शक्ति के आश्चर्योत्पादक कार्यों का वर्णन पहले किया जा चुका है। यह शक्ति भी अन्त में विज्ञली की शक्ति में ही बदल जानी है।

(७) इन सब शक्तियों से गृह शक्ति जीवन शक्ति (Biological Energy) है। धार्मिक लोग चाहे इसे कुछ भी कहे, किन्तु यह वह शक्ति है जिस से मृत पदार्थ में बढ़ने की तथा उत्पादन करने की शक्ति आती है।

शक्ति के सम्बन्ध में ज्ञान अधिक विस्तार से लिखने की आवश्यकता है—भौतिक शक्ति तीन श्रेणियों में बांटी जा सकती है। प्रथम वह—जो अगुआओं-परमाणुओं में ही हो और उसका प्रभाव भी उन्हीं में हो। यांत्रिक शक्ति और ताप की शक्ति, इनके बड़े उदाहरण हैं। द्वितीय—जिनका प्रभाव तो पदार्थ के बाहर हो और मूल पदार्थ में हो, जैसे चुम्बक की शक्ति और विद्युत की शक्ति। इन दोनों उदाहरणों में शक्ति का प्रभाव आकाश में है तथा यह अपना प्रभाव दूर से ही करती है। पर पदार्थ के विनाशकीय की सत्ता

नहीं रह सकती। चुम्पर पत्र को आगे पीछे ने जाने से उसका चुम्पकीय केत्र भी उसके साथ साथ चला जाता है। तृतीय-वह शक्ति हैं जो प्रकाश की तरह है और जो पदार्थ को छोड़ कर विलक्षण ही आकाश में चली आती है और लहरों के रूप में संपूर्ण आकाश-मण्डल में घूम सकती है। ऐसी शक्ति को व्यापक शक्ति (Radiant Energy) कहते हैं। वैमे तो 'वाणी की शक्ति' तथा 'समुद्र की लहरें' भी इसी प्रकार की शक्तियाँ हैं, पर वे आकाश में प्रवेश नहीं करती। बल्कि पदार्थ के अणु से ही उनका सन्बन्ध है। यदि ध्यान से देखा जाय तो इन तीनों अवस्थाओं में शक्ति का प्रदुर्भाव पदार्थ से ही होता है और जब तक वह किसी और पदार्थ से नहीं मिलती, उसकी सत्ता प्रकट नहीं होती। आकाश में शक्ति का होना ही इस बात में सन्देह पैदा कर देता है कि आकाश में पदार्थ के गुण छिपे हुए हैं। यह बात हमारे इस विचार को और अधिक पुष्ट बना देती है कि जब-जब और जहां-जहां आकाश के अन्दर ये गुण पूर्णतया प्रकट होते हैं, उसे हम पदार्थ कह देते हैं।

**भौतिक शक्ति के नियम—भौतिक शक्ति का सबसे बड़ा और आधारभूत नियम** यह है कि शक्ति न तो उत्पन्न की जा सकती है और न वह नष्ट की जा सकती है। दुनियाँ की सम्पूर्ण शक्ति सदैव उतनी रहती है। जैसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल सकता है, इसी प्रकार एक तरह की शक्ति दूसरी प्रकार की शक्ति में बदल सकती है। पदार्थ की एक शक्ति से दूसरी में बदलने के विज्ञान को रसायन (Chemistry) कहते हैं और शक्ति के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने वाले विज्ञान को भौतिकी (Physics) कहा जाता है। केवल भौतिक शक्तियाँ ही अपने

आप में नहीं बदलतीं, अलिक भौतिक से रासायनिक और रासायनिक से भौतिक भी बन सकती हैं। एस्ट्रोइजन के सिद्धान्तों और परीक्षणों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पदार्थ 'शक्ति' में बदल जाता है। सूर्य तथा सितारों में उद्गम से हिलियम और उससे भारी तत्व स्वयमेव बन रहे हैं।

बास्तव में हिलियम का एक अणु ४ उद्गम के अणुओं से  $\frac{32}{1000}$

वर्धा हिस्सा हल्का है। इतना पदार्थ हिलियम के बनाने के कार्य में ही दृट गया और शक्ति के रूप में प्रकट हो गया। यह अनुभव किया गया है कि—यह सूर्य और सितारों के ताप का परिणाम है। यदि उद्गम का एक अणु शक्ति में बदला जा सके तो यह शक्ति इतनी होगी कि उससे प्रशान्त महासागर के सारे जहाज़ ६ महीने तक चलाए जा सकेंगे।

परन्तु शक्ति का असली भेद अभी तक नहीं खुला। ये सब शक्तियाँ पदार्थ की तरह एक ही चोज से बनी हैं अथवा ये सब पृथक् २ हैं। यदि कोई एक ही शक्ति उनकी उत्पादक है तो वह कौन सी है। फिर भी यह तो मालूम हो चुका है कि शक्ति का भी एक अणु-सा है और कोई कार्य ऐसा नहीं, जिसमें इस अणु से भी कम शक्ति लगे। किसी भी कार्य में जितनी शक्ति प्रयुक्त होती है, वह इसका पूर्ण गुणनफल (Multipal) है। यदि हम ठीक ठीक वहें तो शक्ति कार्य से ही मापी जा सकती है तथा छोटे से छोटा कार्य अर्थात् जिससं छोटा कोई कार्य हो ही नहीं सकता, उसे प्लैन के कार्य का अणु कहते हैं (Plank's quantum of action) कहते हैं।

शक्ति के घेरे (Volume) और लम्बाई चौड़ाई को मालूम

करना बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि यह तो पदार्थ के गुण हैं शक्ति के नहीं। शक्ति तो केवल कार्य की जनक है। यह पहले ही जिखा जा चुका है कि शक्ति अपना रूप बदल सकती है। कोयले के जलने से रासायनिक-शक्ति ताप में बदल जाती है। इससे भाप बनती है और इससे प्रबल यांत्रिक शक्ति बनती है। इसी से गाढ़ी चलती है। इस कार्य में जो कुछ वस्तुतः हुआ, वह इतना ही कि 'धुटी हुई भाप' (Compressed Steam) केवल फैली और गाढ़ी चली। भाप की मात्रा कम नहीं हुई। साथ ही इ.वित के विषय में हम कह चुके हैं कि शक्ति का ज्यग नहीं हो सकता। तो प्रश्न होता है कि शक्ति फिर गई तो कहाँ गई। यह शक्ति पहियों की रगड़ तथा अन्य अनेक हिस्सों में रगड़ के कारण से फिर ताप में बदल गई। बाल्व में किसी भी कार्य में अन्त में शक्ति अपने आप ही ताप में बदल लेती है। पर इस ताप का दर्जा इनना नीचा होता है कि वह और काम करने लायक नहीं रहता। अर्थात् वह शक्ति ऊंचे से नीचे दर्जे तक पहुंच कर निष्क्रिय हो जाती है औसे प्रपात का पानी ऊपर से नीचे गिरते हुए बड़ी बड़ी मशीनें चला सकता है पर नीचे पहुंचने पर उसमें शक्ति नहीं रहती। अर्थात् प्रत्येक कार्य में शक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करके ठण्डी हो जाती है और तब बहु मनुष्य के लिये व्यर्थ हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि संसार की लाभप्रद शक्ति दिन प्रति दिन कम होती जाती है और कभी वह दिन आयेगा जब कि सारी शक्ति समाप्त हो जायगी।

**सूर्य की शक्ति**—ताप की शक्ति अणुओं की गति के कारण है। अन्ततोगत्वा हर तरह की शक्ति इसी अणुओं की गति में बदल जायगी। ठण्डा ताप ही सारी शक्तियों की अन्तिम

परिणिति है। शक्ति की दृष्टि से तारे और सूर्य बड़े ऊंचे दर्जे पर हैं। पृथ्वी पर की सम्पूर्ण शक्ति सूर्य की ही दी हुई है। पृथ्वी ने इस को प्रहण करने के लिये बहुत से साधन बना रखे हैं। सम्पूर्ण बेलों, पौधों या वृक्षों के हरे हरे पत्ते इस शक्ति को वश में करने के साधन हैं। वे इसी शक्ति के हारा अपने भीतर कारबानिक एसिड गैस की कार्बन निकाल कर और पानी के उद्रऋत और अम्लजन से मिलाकर अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से को खुराक पहुंचाते हैं और उसी से उनका शरीर बनता है। इंगलिस्तान के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक बेली साहब ने पिछले कुछ सालों में सूर्य की शक्ति को, जिसे महण करने का अधिकार प्रकृति ने केवल हरे पत्तों को ही दे रखा था, कुत्रिम उपायों से बशीभूत करके फिर उसी 'कार्बोनिक-एसिड गैस' की कार्बन को सूर्य के प्रकाश से खाँड में बदल दिया। इस प्रकार उन्होंने प्रकृति के सब से पेचीदा जाति को दोहरा कर दिखाया। १९३० के लगभग सिसल (cicel) ने सूर्य के प्रकाश से एक और नया उपयोग लेकर दिखा दिया। इसके आधार पर उन्होंने जीवन शक्ति के अनेक प्रयोग किए।

**सूर्य और जीवन शक्ति—अमोनियम सल्फाइड के घोल को फोरमैल्डी हाइड के बाष्ठ में सूर्य के प्रकाश में एक दिन रखने के बाद देखा गया कि उस से एक ऐसी चीज बन गई जो कि जीवित पदार्थों के सदृश गुण दिखाने लगी। परीक्षणों से यह सन्देह उत्पन्न हो गया कि जीवन शक्ति भी किसी प्रकार से सूर्य के प्रकाश की शक्ति से ही न बनी हो। जनरल स्मट ने १९३३ के लगभग इंग्लिस्तान के वैज्ञानिकों की सभा के मध्यानपद से भाषण करते हुए इसी बात पर बल दिया कि हो न हो यह 'जीवनी-शक्ति'**

सौर शक्ति से बनती है। और ज्यों-ज्यों सूर्य का प्रकाश सदियों से पृथ्वी को प्रकाशित करता रहा, त्यों-त्यों जीवन की शक्ति बढ़ती ही चली गई। आज पृथ्वी पर हजारों प्रकार की योनि के जानवर हैं तथा पृथ्वी का अधिक हिस्सा प्राणियों से आबाद है। जब सम्यता का आविर्भाव हुआ, तब इस पृथ्वी पर केवल एक अरब मनुष्य थे, अब उनकी संख्या उससे दुगनी हो चुकी है। माना कि कतिपय बड़े बड़े जानवर तथा कतिपय विशेष वृक्षादि अब नहीं पाये जाते, परन्तु प्राणियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पृथ्वी के बहुत से प्रदेश जो निर्जन थे, आजकल घनी आबादी से भरे पड़े हैं और किसी भी जगह आबादी की कमी नहीं हुई।

सूर्य का प्रकाश जीवन शक्ति का उत्पादक हो या नहीं, परन्तु पृथ्वी पर जितनी भी शक्तियाँ दिखाई देती हैं और जितने भी कार्य हो रहे हैं, उन के लिये शक्ति सूर्य से ही आती है। उसी के कारण वनस्पतियाँ अनैन्द्रियिक वस्तुओं से न केवल अपना शरीर ही बनाती हैं अपितु शेष संपूर्ण प्राणियों के लिये खुराक भी देती हैं।

संसार में ४ प्रकार के प्राणी माने गए हैं। १—घास खाने वाले—घोड़ा, गाय, बकरी बैल आदि। २—मांसाहारी—शेर, चीता आदि। ३—रक्त शोषक—जो किसी जानदार का रस चूस लेते हैं। जैसे—रोगकृमि और बेरी पर लगी हुई लाख। ५—मृत भक्षक—अर्थात् जो कि मुर्दार खाते हैं, यथा—ढींगरी, गुच्छी, खुम्ब, आदि। इन चारों प्रकार के जीवों के लिये खुराक, प्रकाश की शक्ति से ही पत्तों की हरियाली द्वारा बनती है।

कोयले और तेल की कानें— प्रारम्भ में समार में बड़े बड़े जङ्गल थे, जो भूकम्पों में लावे के नीचे दब गए और धीरे धीरे झुलस कर हजारों वर्षों के बाद वे अमूल्य कोयले की कानों के रूप में प्रकट हुए। इन में उमी सूर्य की शक्ति भरी हुई है। और इसी के कारण वे रेल, जहाज और बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं। इन्हीं भूड़ोलों से सामुद्रिक जानवर मछलियाँ आँदि भी कहीं कहीं लावे के नीचे दब गईं और हजारों सालों के बाद उन का रस (सत) भट्टी के तेल के रूप में कई हजार गज गहरे कूँओं में से फुट्वारे के रूप में निकल रहा है। जो हमें हवाई जहाजों और मोटरों के लिये पैट्रोल तथा हर तरह की सुन्दर वैसलीन, नकली रबड़ और नकली चमड़ा देता है। ये दोनों वस्तुएं सूर्य के प्रकाश का ही उपहार हैं और मनुष्य जाति के लिए सब सुखों का उद्गम हैं। यद्यपि प्रकृति ने यह भेंडार बहुत ही अधिक बनाया है, तथापि लोभी मनुष्य इसे इस बुरी तरह खाली कर रहा है कि अब इस बात का छर होगया है कि कहीं यह अच्छय कोश मी एक दिन समाप्त न हो जाए। इसलिए पिछले कुछ सालों में पौधों के रस से स्पिरिट बनाने की विधि निकाल ली गई है, जिस से यह आशा बंध गई है कि सूर्य की दी हुई शक्ति को हजारों सालों तक पृथ्वी की लावे की भट्टी के नीचे पकाए बिना भी थोड़े दिनों में उपयोग के योग्य बना लिया जा सकेगा। यही 'पावर-अल्कोहल' अब खाँड़ के कारखानों के बचे हुए शीरे से भी तैयार होने लगी है।

जल प्रपात और वायु-सूर्य की किरणों समुद्र के जल को उड़ा कर बादलों के द्वारा ऊँचे पहाड़ों पर बरसाती हैं और इस तरह उस में वह शक्ति भर जाती है जो कि प्रपात से बिजली

के बड़े बड़े कारखाने चलाती है। वर्म्बई में इस तरह की एक हाईड्रो इलैक्ट्रिक स्कीम है, जो जी० आई० पी० की सम्पूर्ण रेल गाड़ियों तथा बम्बई शहर के सपृष्ठ कारखानों को चला सकती है। ऐसा ही एक कारखाना योगेन्द्र नगर ( मंडी स्टेट ) में खोला गया है जो सारे पञ्चाब की रेलों और कारखानों तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है। इस के अतिरिक्त शक्ति का उद्गम हवा के मोके हैं। हजारों स.लों तक व्यापारी हवाएँ ( Trade Winds ) और विरुद्ध व्यापारी हवाएँ बड़े बड़े जहाजों को चलाती रही। किसी एक तूफान की सारी शक्ति को यदि किसी प्रकार से बांध लिया जाय तो वह किसी बड़े नगर के सपूर्ण कारखानों को कईदिनों तक चलाने के लिये काफी होगी। हालैड, अमेरिका, जर्मनी और दुनिया के अन्य हिस्सों में 'पवन चार्क्यां' चलाई जाती हैं जो कि साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये काफी शक्ति दे देती हैं। जर्मनी और अमेरिका में इस बात के सम्बन्ध में बड़े बड़े परीक्षण हो रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों के लिये सम्पूर्ण विद्युत् इन पनचक्कियों से ही ही ली जावे।

भूषुष्ठ से ऊपर, ४००-५०० फीट की ऊँचाई से लेकर कई हजार फीट तक हवा हर समय चलती रहती है। और इससे प्रत्येक काम के लिये असीम शक्ति ली जा सकती है। ये हवाएँ भी तो सूर्य की गरमी के कारण ही हैं। आजकल इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि किसी न किसी तरह सूर्य की गरमी को केन्द्रित ( Focus ) कर के फौरन ही इज्जन चलाने के लिये प्रयुक्त किया जावे। पर ऐसी मशीनें अभी तक तो वे स्थिरैने ही समझी जानी चाहिये।

भाप की शक्ति—सन् १७०० के लगभग 'स्टीवन्सन' ने भाप की शक्ति के कारण केतली के ढकने को उछलते हुए देख कर भाप का इखन बनाया और दुनिया को भाप के द्वारा अग्नि का एक नया और अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयोग सिखाया। भाप के इंजन के विभिन्न कार्यों का विस्तृत वर्णन करना हमें यहाँ अभियेत नहीं। मनुष्य की वर्तमान सभ्यता की नींव इसी इंजन ने डाली है। उसके बाद ट्रोल के इखन ने तो कमाल ही कर दिखाया। मोटर-कार और हवाई जहाज का जो असर संसार की सभ्यता पर पड़ा है, कौन से हष्टि से ओमल कर सकता है। पैट्रोल के इखन ने अपनी तेज़ गति के कारण सभी स्थानों को सुलभ बना दिया। हवाई जहाज की सहायता से आज लोग वैरिस से लंडन में चाय पीकर केबल आध घंटे में वापिस लौट आ सकते हैं। आज एक दिन मे ही हिन्दुस्तान से लंडन पहुँचा जा सकता है। मोटरकारों ने तो शहरों और गाँवों का नक्शा ही बदल दिया है। शहर फैल कर बीसियों मीलों तक बढ़ गए हैं। शहरों और प्रामो में आना जाना और बिशेष व्यापार करना आसान हो गया है।

**बिजली की शक्ति**—वैसे तो हर तरह की शक्ति अपनी अपनी जगह लाभप्रद और अनिवार्य है, किन्तु मनुष्य की हष्टि में विद्युत् की शक्ति का महत्व बहुत अधिक है। यद्यपि बिजली के डाइनेमो (Dynamo) उसी भाप के इंजन से चलते हैं और भाप के इंजन के बिना विद्युत् शायद इतनी प्रचलित न हो सकती, तथापि अब तो प्रपातों से विद्युत् इतनी अधिक मात्रा में मिलती है कि उसे भाप पर आधित न होना पड़ेगा। बिजली की शक्ति की महानता के कुछ विशेष कारण हैं। १—बिजली की चाल १,८६,००० मील प्रति सेकंड है। यह सैकड़ों-हज़ारों मीलों

तक तांबे को तारों के द्वारा ले जाई जा कर घर-घर बाटी जा सकती है। केवल दो तारों के छूने से ही विजली एक तार से दूसरे तार में जा पहुँचती है और इस तरह कही भी ले जाई जा सकती है। २—यह शक्ति बहुत सरलता से ताप चुम्बक और रासायनिक शक्ति में बदली जा सकती है।

विजली के सारे कार्य उसकी तीन प्रमुख विशेषताओं पर आधित हैं १—जब यह किसी तार से से गुजरती है तो कणों के अणुओं से रगड़ के कारण वह तार गरम हो जाती है। इसी गरमी के कारण विद्युत के तापक (Heater), तरह तरह की भट्टियाँ, विजली के गडे और रजाइयाँ आदि बनाये जाते हैं। इसी गुण के कारण सब तरह के विद्युत के लैप बने और उनमें से कुछ इतने छोटे लैप बनाये गए हैं जो कि सुई की नोक पर लगा कर शरीर के अंदर डाले जा सकते हैं और वहाँ प्रकाश पैदा कर के शरीर के अंदर किसी भी जगह तक हो सकता है। अमेरिका में एक विजलीकी भट्टी बनाई गई, इस का तापमान लगभग ५००० अंश था। २—इस में ढाली जाकर ब्रत्येक घस्तु धूआँ हो जाती है। इसी प्रकार विजली के लैप इतने तेज बनाए गए कि अँख उनको देख ही नहीं सकती। ३—जब विजली किसी तार से गुजरती है तो उसके चारों ओर चुम्बकीय शक्ति पैदा हो जाती है और चुम्बक लोहे को गति दे सकता है। विजली की इस चुम्बकीय गति की शक्ति से विजली की रेल गाड़ी १०० मील प्रति घण्टा चल रही है।

---

क्षसूर्य का बाह्य तापमान ६००० है।

विजली के प्रयोग—विजली का पहला आश्चर्यजनक कार्य 'तार' (Telegraphy) है, जिसे बनाने का अधिकांश ऐय मोर्स नामक वैज्ञानिक को है, इसके पश्चात् 'प्राहम वैल' के टेलीफोन (Telephone) के आविष्कार से इजारों मील दूर बैठे हुए दो व्यक्ति आपस में इस तरह बातें करते हैं जैसे कि एक ही कमरे में बैठ कर धीरे २ बातें कर रहे हों। वैसे तो चलचित्रों (Movies) के बनाने के लिए विद्युत् की आवश्यकता नहीं, तथापि सचाक-चित्रपट (Talkies) विजली के बिना चलने असंभव हैं। आजकल तो विद्युत् के द्वारा इन तस्वीरों के साथ साथ देखने वालों पर ऐसी लहरें फैकी जाने लगी हैं, जिससे गर्भ-सर्दी-भय व खुशी का अनुभव हो।

प्रकाश—मनुष्य की बहुत सी ग्रोज़ें तथा बहुत से ज्ञान प्रकाश पर आधित हैं। परन्तु प्रकृतिके बहुत से रहस्य प्रकाश की सीमा से बाहर हैं। अमेक स्थानों पर तो साधारण प्रकाश जा नहीं सकता और कई वस्तुओं के लिये प्रकाश की लहरें इतनी मोटी हैं कि वह इस प्रकाश से चमक ही नहीं सकती और दिखाई नहीं दे सकती। जैसे अगु, परमाणु। विद्युत् से इतनी तेज़ और सूक्ष्म लहरें पैदा की जाती हैं, जो शरीर के अन्दर से गुज़र जाती है और उसकी आन्तरिक अवस्था दिखा देती हैं जो कि साधारण प्रकाश की लहरों के लिये असम्भव था। इन्हीं लहरों को एक्सकिरण कहते हैं। एक्स-किरण केवल दूरी हुई हड्डियों को देखने में ही प्रयुक्त नहीं होता, किन्तु आजकल ये हवाई जहाज, पनडुब्बी, जगी जहाज आदि के मजबूत ढले हुए और लोहे के पुज्जो की आंतरिक दशा को देखने के लिए भी प्रयुक्त की जाती हैं, ताकि

कोई पुर्जा बाहर से पक्षा और अन्दर से कच्चा होने से किसी आड़े मौके पर धोखा न दे जाय ।

**सूक्ष्म-वीक्षण यन्त्र—सूक्ष्म वीक्षण** यन्त्र की सीमा भी प्रकाश की लहरों की स्थूलता के कारण है । वह उतनी ही छोटी चीज देख सकता है जो प्रकाश की लहरों से छोटी न हो । परन्तु शृणु विद्युत के कण बिजली की लहरों से कहीं छोटे हैं । आज-जल बिजली के एक नए ढंग के 'सूक्ष्म वीक्षण यन्त्र' तैयार किए जा रहे हैं, जिन से अगु और परमाणुओं के विषय में बहुत कुछ जान सकने की आशा है । उन से छोटे छोटे कीटाणुओं को, जो प्रकाश की कमजोरी की आड़ में छिपे हुए हैं, देखा जा सकेगा और उन से पैदा होने वाली बीमारियों का अवरोध हो सकेगा ।

**आकाशीय विद्युत्तुम्बकीय लहरे—बिजली के कण** एक तरफ तो परमाणुओं के हिस्से हैं और दूसरी तरफ इनका क्षेत्र आकाश है । बिजली के बहुत से स्वतन्त्र कण आकाश में भी व्याप्त हैं । जब इन्हे भट्टका लगता है तो वह भट्टका उसके क्षेत्र द्वारा आकाश में लहरे पैदा कर देता है । १८८८ में इन लहरों को 'हर्ट' ने प्रयोगशाला में ढूढ़ा । यद्यपि उससे लगभग २० वर्ष पहले काक मैक्सवैल ने गणित के द्वारा ऐसी लहरों की भविष्यवाणी की थी । इटली के एक नवयुवक 'मारकोनी' को इन लहरों में विशेष दिलचस्पी पैदा हुई और उसने अपनी आयु इन्हीं के अर्पण की । उस ने इन लहरों को 'रेडियो' के रूप में ससार को दिया । ये लहरे भी प्रकाश की तरह हैं ।

**आज रेडियो की लहरे कई असम्भव काम कर के दिखा रही**

हैं। इन के द्वारा मशीनों को कई मील दूर से भी चलाया जा सकता है। जहाजों, रेलों, मोटरों, तथा कारखानों को एक आदमी दूर से ही चला सकता है। वर्तमान योरोपीय युद्ध में इकलिम्तान की वायु युद्ध निरोधक तोपों के संचालकों (Anti-Air-craft gunners) के अराम के लिए रेडियो के द्वारा किसी चालक के बिना ही हवाई जहाज ढङाए जा रहे हैं। उड़ने के साथ साथ ये जहाज प्रत्येक संभव उपाय से निशाने से बचने की कोशिश भी करते हैं।

अमेरिका में एक बार चार ज़ङ्गी जहाज तथा दो पन्हुचियों की नकली लड़ाई में युद्ध का पूरा नाटक खेला गया, जब कि उनमें सन्दर्भ एक भी नहीं था। इसी प्रकार न्यूयार्क की गलियों की भीड़-मढ़कों में भी बिना ड्राइवर की मोटरकारें स्वयं अपने मार्ग के इशारे देती हुईं, कभी स्वयं तेज़ और कभी स्वयं धीरे चलाई जा चुकी हैं। आज अमेरिका के किसान घर के बराएँ में बैठ कर अपने सम्पूर्ण खेत में हल्ल चला लेते हैं। पर सर्वसाधारण के उपयोग के लिए इकलौंड का प्रथम रेडियो ट्रांसमिटर (Radio-Transmitter) १९२२ में बना और रेडियो का पूर्ण उपयोग तो कुछ बर्षों से ही हुआ है। इतने थोड़े समय में ही रेडियो ने संसार की सभ्यता पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। आज एक मनुष्य—किसी जगह से सम्पूर्ण दुनियां को भाषण दे सकता है और अपने विचार संसार के सामने रख सकता है। अब तो यह भी संभव है कि—बहुत शीघ्र ही इसके द्वारा सृष्टि में एक धर्म तथा एक सभ्यता फैलाने का प्रयत्न किया जाय, जिससे विभिन्न जातियों के पृथक् २ व्यक्तित्व एवं विभिन्न जातीयता के भाव नष्ट हो जाय

और संसार में अन्तर्राष्ट्रीयता और भ्रातृभाव का प्रसार हो सके।

इस प्रकार से विद्युत् ने ऋतु पर भी विजय पाना प्रारम्भ कर दिया है। अब घरों में जितनी देर के लिए जैसी भी ऋतु चाहं कर सकते हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात, प्रातःकालीन सुहावना समय और मध्याह्न की कड़कती धूप और संध्या तो खेल बन गए हैं। विद्युत् के द्वारा ही आज बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है। हौलैड में कई बार बजली की सहायता से वर्षा करवाई जा सकती है।

विद्युत का प्रयोग केवल इन्हीं कार्यों तक सीमित नहीं—इसके विस्मयावह कार्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी कुछ कम नहीं। यह केवल सर्जन के औजारों को चलाने के काम में ही नहीं आती पर अब तो चिकित्सक लोग रोग का पता भी इसी से लगाते हैं। मानव शरीर में बिजली की लहरे दौड़ती हैं और इसी के कारण मनुष्य के चारों ओर एक विद्युत-चुम्बकीय क्षेत्र बना हुआ है। मनुष्य जब बीमार होता है, तब इस क्षेत्र में विकार आ जाता है। इस क्षेत्र के अध्ययन से न केवल बीमारी का पता चलता है, परन्तु उसका उपचार भी जाना जाता है।

देखा गया है कि हृदय की धड़कन पर भी विद्युत का नियन्त्रण है। हृदय की गति के बन्द हो जाने पर उसे बिजली के कम्पन देकर पुनः चालू किया जा सकता है। इस तरह बीसियों मिनट का मृत व्यक्ति पुनर्जीवित कर लिया गया है।

ईश्वर की बनाई हुई चीजों में मनुष्य को उसकी

सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। और क्योंकि मनुष्य अपने आपको केवल ईश्वर से ही कम मानता है, अतः वह इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि वह भी एक ऐसा आविष्कार करे जो मनुष्य की तरह काम कर सके। ऐसी मशीन को रौबट (Robot) कहते हैं। इस मशीन के अन्दर माइक्रोफोन—विजली का कान, लाउड स्पीकर—विजली का मुँह, फोटो डिलेक्ट्रिक सैल—विजली की आंख, तथा विजली की मोटर, हाथ-पांव की जगह करती है। ऐसी मशीन बातचीत करती है, चल फिर सकती हैं एवं और भी बहुत से ऐसे काम वह कर लेती है जो कि केवल मनुष्य ही कर सकता है। परन्तु अब तक किसी भी उपाय से उसमें वास्तविक जीवन के गुण नहीं दिखाये जा सकते।

**जीवन शक्ति**—जीवित वस्तु में नम्न विशेषताएं होती हैं:—  
**प्रथम**—वह विभिन्न चीजें खाकर अपना शरीर बनाती और बढ़ाती है। **द्वितीय**—वह सांस लेती है जिससे वह अम्लजन हो शरीर के अन्दर ले जाती है और 'कर्वनिकालम एसिण गैस' छोड़ देती है। **तृतीय**—वह सदा एक जैसी नहीं रहती। **चतुर्थ**—वह अनुभव कर सकती है और स्थानीय प्रभावों के अनुसार अपने को बदलती है, ताकि परिवर्तित अवस्थाओं में भी वह अच्छी तरह से रह सके। **पाँचवे**—वह अपनी सन्तान पैदा करती है। परन्तु 'रोबोट' में ऐसी कोई विशेषता नहीं। फिर भी यह विचार तो मन में उठता ही है कि अन्ततोगत्वा प्रकृति ने सब जीव 'पदार्थ' से ही बनाये हैं। इस 'पदार्थ' में ऐसी कौन सी विशेष बात पैदा हो जाती है और क्या यह जीवन-शक्ति विलक्षुल नई तरह की है अथवा यह भी और शक्तियों से मिलती जुलती है। क्या यह किसी दूसरी शक्ति से बनाई जा सकती है? यदि नहीं तो यह शक्ति क्या है और कहाँ से

आर्द्ध है। संज्ञाहीन या निष्क्रिय पदार्थ के स्वयमेव जीवित हो जाने की कल्पना करना कुछ कठिन है। इस विषय में यह रुयाल किया जाता है कि—जीव के बीज (Spurms) किसी अन्य सृष्टि से दूटने वाले तारों के साथ आये, क्योंकि इन तारों के पदार्थ में जीव पाये गये हैं। पर जहाँ भी जीव सब से पहली बार बना, कैसे बना ! अभी तक इसका उत्तर नहीं मिला। जीवन शक्ति कुछ ऐसी पेचीदा और लचकदार है कि हम इसे अब तक विल्कुल भी नहीं समझ सके। प्रो० सिरल (Ciral) ने एक चक्रित करने वाला परीक्षण किया। अमोनियम सल्फाइट के घोल को 'फोरमैल-डी हाइड' के बाढ़ों में रख कर एक दिन तक सूर्ये के प्रकाश में रखने पर देखा कि उस घोल के अन्दर कुछ समास-सा बन गया है जिसमें कुछ-कुछ जीव के गुण थे। वह हिलता-जुलता भी था। पर वह सन्तान पैदा नहीं कर सकता था और दो-एक दिन में ही मर भी जाता था। चाहे वह जीव हो या न हो, पर वह जीव से इतना मिलता जुलता था कि एक बार तो सब को रुयाल हो ही गया कि प्रो० सिरल ने जीव बना लिया है।

जीवन तत्त्वों की खोज—बैज्ञानिकों ने जीवों की तरफ बहुत थोड़े समय से ध्यान दिया है। उनकी खोज के परिणाम-स्वरूप सृष्टि में दो तरह के जीवों का पता चला है। एक बानस्पतिक-जगत् और दूसरा प्राणि-जगत्। पिछली दो चार शताब्दियों में ही १० लाख विभिन्न प्रकार के प्राणधारी जीव पाए गये हैं। जैसे कुत्ता, घोड़ा, बैल, बिल्ली, सांप, आदि। मनुष्य जाति में भी आज २,००,००,००,००० के लगभग व्यक्ति हैं। इसी तरह बानस्पतिक-जगत् में भी लाखों जातियाँ हैं। क्या यह सम्भव है कि ये सब जातियाँ एक दम बनी हैं अथवा वे भी

पदार्थ और शक्ति की तरह किसी मौलिक जीवित तत्व से बनी हैं— और क्या कोई जानवर सारे का सारा जीवित है या उसके अंग-प्रत्यंग स्वतन्त्र रूप से जीवित हैं ?

एक अपराधी को फाँसी देने के ११ घण्टे बाद उसमें से दिल निकाल लिया गया और उसको जिन्दा करके धड़कने वाला बना दिया गया। इसी प्रकार अन्य परीक्षण में एक कुत्ते का सिर काट कर ५ घटे तक जीवित रखा गया। साँप का शरीर तो सिर कट जाने पर भी बहुत देर तक अपने आप ही जीवित रहता है। यदि गिजाई (Earth worm) को बीच में से काट कर दो कर दिया जाय, तो कुछ ही समय में धड़ वाला हिस्सा खिर और सिर वाला हिस्सा धड़ पैदा कर लेता है। इसी सिलसिले में अमेरिकन वैज्ञानिक सिरल ने एक मुर्गी के आरडे से बढ़ते हुए बच्चे के दिल का ढुकड़ा काट लिया और एक विशेष प्रकार के घोल (द्रव) में उचित गरमी में रखा। आज एक चौथाई सदी बाद भी वह ‘दिल का ढुकड़ा’ जीवित है और प्रत्येक ४८ घण्टे बाद वह दुरुना हो जाता है और उस में से ढुकड़े काट काट कर फेंक दिये जाते हैं अन्यथा वह अब तक सूर्य से भी बढ़ा हो गया होता। इन २५ सालों में तो न जाने मुर्गी की कितनी नसले हो चुकी होगी। ये परीक्षण प्रकट करते हैं कि शरीर का एक एक अंग स्वयमेव जीवित है। अब यह विचार उत्पन्न होता है कि वह धड़ कौनसी छोटीसे छोटी चीज़ है, जो जीवित है और जिसे काट कर छोटा करने से वह जीवित नहीं रहेगा। ऐसी चीज़ को सैल कहते हैं।

एक सैल के जीव—बहुत से जीव ऐसे हैं, जिनका सारा शरीर केवल एक सैलका बना होता है। ये जीव सूक्ष्म वीक्षण यन्त्र

से ही दिखाई देते हैं। फिर भी वे जीवन की सारी क्रियाओं को सम्युक्तया करते हैं। इनका शरीर जैली की तरह का बना होता है। तेज़ दूरबीन से देखने से मालूम पड़ा है कि इसके शरीर के दो हिस्से हैं। अन्दर वाले हिस्से को न्यूक्लियस (Nucleus) कहते हैं। यह कुछ अधिक तरल वस्तु का बना होता है। यह विभिन्न रगों से रंगा भी जा सकता है इसलिए उसे क्रोमोटिन (Chromotin) का बना हुआ कहते हैं। और इसके चारों तरफ वाले पदार्थ को साइटोप्लाज्म (Sytoplasm) कहते हैं। यह प्राणी खुराक के टुकड़े के चारों ओर लिपट कर उसे कहीं से भी अपने शरीर के अन्दर कर लेता है, और इसका रस चूस कर शरीर के जिस भी किसी भाग से चाहे उगल देता है। इस तरह यह बढ़ना शुरू होता है। यहां तक कि इसका शरीर इतना बड़ा हो जाता है कि उसे अपने आपको संभालना भी कठिन हो जाता है। तब एक विचित्र हश्य पैदा होता है। सम्पूर्ण क्रोमोटिन अपने आप कुछ हिस्सों में बट जाता है और उससे एक विशेष प्रकार के लम्बूतरे से कीड़े बन जाते हैं जिनको 'क्रोमोजोम्स' (Cromosomes) कहते हैं। फिर ये क्रोमोजोम्स अपने आप ही अपनी जन्म्बाई में टूट और फट कर दो बन जाते हैं और हरेक 'क्रोमोजोन' का एक एक टुकड़ा सैल के अन्दर दो विभिन्न हिस्सों पर इकट्ठा हो जाता है। पश्चात् 'साइटोप्लाज्म' या (Cell) का शरीर बीच बीच में से फटना शुरू हो जाता है और अन्त में टूट कर दो टुकड़े हो जाते हैं। फिर ये दोनों नये सिरे से खुराक लेना प्रारम्भ कर देते हैं और बड़े हो होकर पुनः दो दो बन जाते हैं।

अधिक सैल्स के प्राणो—बड़े प्राणियों के शरीर की परीक्षा करने पर पता लगा है कि किसी भी प्राणी के शरीर के

दुरुष्टे इसी प्रकार के बहुत से सैल्स से बने हुए हैं। इन सैल्स के अन्दर जब 'क्रोमोजोम्स' बनते हैं तो उनकी संख्या हर प्रकार के सैल्स के लिए एक बराबर होती है। विभिन्न जातियों के शरीर के सैल्स के 'क्रोमोजोम्स' की संख्या एक दूसरे से मिलती है।

मनुष्य के अन्दर के सैल्स में ४८ क्रोमोजोम्स बनते हैं। उसके दिमाग, पेट, बाजू और पैर आदि किसी भी हिस्से के सैल में भी इतने ही 'क्रोमोजोम्स' होते हैं। अन्य किसी भी जाति में इतने "क्रोमोजोम्स" नहीं होते। 'क्रोमोजोम्स' की खोज करते हुए यह पता चला है कि ये छोटे छोटे दुकड़ों से मिल कर बने हुए हैं। जिनको 'जन' (gen) कहते हैं। मनुष्य के ४८ 'क्रोमोजोम्स' में ५००० के लाभा 'जन' है और प्रत्येक जन किसी विशेष स्वभाव को प्रकट करता है, तथा उस स्वभाव को उन सब प्राणियों में प्रकट करता है जिनमें वह या उसकी नसल के 'जन' हो। 'क्रोमोजोम्स' के फटते समय बस्तुत, 'क्रोमोजोम्स' के ही दो दुरुष्टे होते हैं और इस प्रकार हर-एक 'जन' दो हो जाता है। एक 'सैल' से बने प्रत्येक नये 'सैल' में भी पहले सैल के ही गुण रहते हैं। इसी लिये हजारों लाखों साल बाद भी घोड़ा घोड़ेपन को नहीं छोड़ता, बन्दर बन्दर ही रहता है और गेहूं गेहूं ही है। ऊंची श्रेणी के प्राणियों में माँ और बाप दोनों के गुणों के 'जन' बच्चों में पाये जाते हैं। मनुष्य के रज और बीर्ध के कशणों में २४—२४ 'क्रोमोजोम्स' होते हैं और उनके मिलने से ही मनुष्य का सैल बनता है। जिसके बढ़ने से हम सब बने हैं।

जन—अणु-परमाणु तथा इलैक्ट्रोन और प्रोटोन की तरह आज तक किसी ने 'जन' को नहीं देखा। किन्तु इनकी इतनी

अधिक महानता है कि इन्हीं को आज द्वाले जीवन शक्ति का मूल माना जाता है। इन 'क्रोमोज़ोस्म' को फाड़ कर यह देखने की कोशिश की गई है कि 'जन' किस चीज़ के बने हुए हैं। किन्तु उन्हीं ६२ तत्वों के भिन्न जो कि विभिन्न वस्तुओं में विभिन्न रूप से १-२-४ आदि के अनुपात में हैं और कुछ नहीं मिला। मानव शरीर १६ से १८ तत्वों का बना हुआ है। इन में कार्बन, अल्मज्जन और उद्गजन तो बहुत ही आधिक हैं। एवं गन्थक, फास्फो-रस, मैग्नेशियम, लोहा, हृतिण गैंस आदि अन्य भी तत्व हैं।

क्या जीवन शक्ति बनाई जा सकती है?—रसायन विद्या हमें सिखाती है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु मिल कर एक विलक्षण नई चीज बन जाते हैं और यह सी संभव है कि किसी ऐसी रासायनिक विधि से, जिसे अभी तक समझा नहीं गया, ये तत्वों के अणु मिलकर इस 'क्रोमोटीन' से 'साइटो-प्लाज्म' नथा 'प्रोटोप्लाज्म' जैसा पदार्थ कभी बन गया हो। जिस प्रकार प्रो० सिरल की विधि से नकली 'प्रोटोप्लाज्म' बना, कुछ ऐसे ही तरीके से असली भी बन सकता हो। सम्भव है कि यह 'जीवित पदार्थ' एक विशेष प्रकार का रासायनिक-समास ही हो और जीवन-शक्ति को कल्पना हमारी कम-समझी की ही त्रुटि हो।

पहला सैल जब भी बना, इन्हीं तत्वों से बना होगा। पर ये तत्व जीव का स्वभाविक भोजन नहीं, इस लिये कुछ सैल इन तत्वों को पहले अपनी शक्ति से ही अपने भोजन के रूप में बदलते हैं। इस काम के लिए वे सूर्य के प्रकाश की सहायता लेते हैं। इन सैल्स में एक हरी-हरी चीज जिसे क्लोरोफिल (Chlorofil) कहते हैं पैदा हो जाती है। इसकी सहायता से यह जीव साधारण तत्वों

से ऐसे रासायनिक समास बना देता है, जो कि सब जीवों का भोजन बन सकते हैं, यह वनस्पति जगत है। और मानों सभी जन्तुओं के लिए आहार उत्पन्न करने का ठेका इस वानस्पतिक-जगत् ने ही ले रखा है। दूसरी तरह के सैल्स ने तैयार की हुई खुराक छीन लेना आसान समझा। इसीलिये उन्होंने कार्य कर सकने की ज़मता प्राप्त की। पहली प्रकार के सैल्स सृष्टि के उस हिस्से में रहने लगे जहाँ उन्हे हवा, पानी और प्रकाश के अतिरिक्त दूसरी अनैन्द्रियिक वस्तुएं ऐसी हालत में मिल सकें, जिस से उन्हें सुगमता से आहार में बदला जा सके। सौभाग्यवश, ऐसी जगह मिल जाने पर उन्हे वहाँ से हिलने छुलने की कोई आवश्यकता नहीं रही। बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे नये सैल्स बनाये जो पृथ्वी के अंदर घुस कर अधिक से अधिक मात्रा में 'ज्ञार' (Salts) निकाल सके और हवा के फोके या पानी के बहाव से उस लाभप्रद स्थान से हटकर कहीं और न जा सके। किन्तु इस प्रकार जो सैल्स पृथ्वी में घुस गये थे, उनको प्रकाश और हवा मिलना कठिन हो गया और इसके साथ-साथ उन्हे दूसरी तरह के आक्रामक सैल्स, जो अन्धकार में अपना काम आसानी से कर सकते हैं, के आक्रमण के भय से अपनी रक्षा के साधन भी पैदा करने पड़े।

प्रथम तो इन सैल्स ने अपने ऊपर मोटी और कठोर त्वचा चढ़ानी शुरू की और दूसरा इन्होंने एक दूसरे से जुड़ कर रहना शुरू किया। इन सैल्स के समूह में प्रत्येक सैल को प्रथमित मात्रा में हवा, प्रकाश और ज्ञार मिलने कठिन हो गये। पृथ्वी के पाम बालों को तो प्रकाश की कमी अनुभव हुई, और दूर बालों को ज्ञार की कमी। इस समस्या को दूर करने का यही उपाय मिला कि वह आपस में काम बाँट लें। अब पृथ्वी के

पास वाले सैल्स ने ज्ञार इकट्ठा करके आकाश के सैल्स को पहुंचाना शुरू किया और दूर वालों ने प्रकाश से खुराक बना कर पृथ्वी वाले सैल्स को देना शुरू किया। चीच वाले सैल्स ने पृथ्वी से ज्ञार को लेजाने और प्रकाश से खुराक को नीचे लाने का काम सम्भाला। बस, इस प्रकार जह, तने, शाखाएं और पत्ते बन गए। पूरा वृक्ष बनने में तो सैकड़ों हजारों साल लगे होंगे और इसमें जीव को न जाने कितनी अवस्थाओं में से गुज़रना पड़ा होगा।

इन अकेले सैल्स और पीपल के पेड़ के बीच में लाखों प्रकार की वानस्पतिक जातियाँ बनी हैं। सैल्स ने धीरे-धीरे ही विशेष विशेष कार्य को करना शुरू किया। विकास की अवस्था में जो जातियाँ पहले पहल बनीं, उनके सैल्स यद्यपि प्रधानतः एक ही कार्य करने वाले थे, परन्तु उन्होंने दूसरे कार्य करने की शक्ति को बिल्कुल भुला नहीं दिया था। इसलिये यदि कभी वे कट कर पृथक् भी हो गये तो भी जीवन के सारे काम, कटे हुए दोनों टुकड़े स्वयं करने लग गये और फिर बढ़कर उन्होंने सैल्स का समूह बना लिया।

**जन्तु जगत् के सैल्स का विकास—खुराक छीन कर खाने वाले सैल्स ने पहले तो अपने में चलने फिरने की शक्ति पैदा की। परन्तु क्योंकि उनमें किसी किसी ने आपस में ही एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया, अतः अपने बचाव के लिये न केवल उन्हें त्वचा ही बनानी पड़ी, अपितु आक्रमणात्मक और रक्षणात्मक अंग भी बनाने पड़े। और इसी तरह आहार छीनने, उसे पचाने और उसका विभाजन करने के लिये उन्होंने अपने में विभिन्न सैल्स को विशेष रूप से तैयार किया। इस तरह के सैल्स के समूह ही जीव-जन्तु बन गए।**

प्राणियों की पूर्वोक्त दोनों जातियों में विशेष बातों की प्रवीणता का विकास धीरे-धीरे हुआ है। विकास के प्रत्येक कदम पर एक नई जाति बनती गई, जो पहली जाति से जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल बनती गई। संसार के सम्पूर्ण प्राणि-जगत का विकास दो बड़े नियमों पर हुआ है। प्रथम—परिस्थितियों के अनुसार अपने को बना लेना। द्वितीय—अपनी सत्ता बनाए रखने के लिये संघर्ष करना। इन्हीं कारणों से मछलियों से तंग आकर मगरमच्छ आदि पानी के जानवरों ने स्थल पर रहने की चेष्टा करते हुए अपने को इस तरह बदला कि जमीन पर रह सकें। और अनेक स्थल पर रहने वाले जीवों ने अपने प्रतिद्वन्द्वियों से बचने के लिये समुद्र में बसने का आश्रय खोज लिया। कुछ ने हवा में उड़ने का साधन ढूँढ़ा, और वे वृक्षों पर ही रहने लगे। कुछ ने अपने आपको बढ़ा बढ़ा कर हाथी और गेंडे की तरह कठोर और बलशाली बना लिया। कुछ शेर और चीते बन कर अत्यन्त फुर्तीले हो गये और कुछ सौंप आदि के रूप में रेंगने वाले बन गये।

**वंश-परम्परा का विकास**—इस विचार के अनुसार सैल्स ने अपने आपको बचाने तथा एक दूसरे को आराम देने के लिये बड़े जानवर का रूप धारणा किया। जैसे कि मनुष्य ने ज़ङ्गली जानवरों और आक्रमण वर्गे रह से बचने के लिये गाँव, कस्बे, शहर आदि बनाये और इनके अंदर रहने वालों ने भिन्न-भिन्न काम आपस में बांट लिए। उसमें से कुछ तो सेतीबाड़ी करके सब के लिए भोजन जुटाने लगे, कुछ शस्त्र-विद्या से सब की रक्षा करने और कुछ आपसी झगड़े ही निपटाने लगे। जीवन के लिये संघर्ष के कारण प्राणिमात्र की अपने से अधिक बलवान, योग्य और चतुर

सन्तान पैदा करने की इच्छा होनी स्वाभाविक है। इसलिये उन्होंने अपनी सन्तान में अधिक से अधिक गुण पैदा करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार दो प्राणियों ने मिलकर एक सन्तान बनानी सीखी, जिससे सन्तान में एक प्राणी के स्थान पर दो प्राणियों के गुण मिल जाय और इस प्रकार बना हुआ प्राणी दोनों की अपेक्षा अधिक उत्तम हो। यह बात जीवों ने बहुत जल्दी ही सीख ली और बहुत छोटे-छोटे जीवों ने, जिनके सैलस में अभी पूरी तरह से किसी एक गुण का विकास भी न होने पाया था, नर और मादा ये दो ऐसे प्राणी पैदा किये, जिन से सन्तान उत्पन्न हो सके। संतानोत्पत्ति में दो प्राणियों के सैलस परस्पर इस तरह मिलते हैं कि उन के 'क्रोमोजोम्स' के द्वारा उनके 'जन' मिल जाते हैं। और क्योंकि दो प्राणियों के 'जन' परस्पर थोड़े बहुत भिन्न होते हैं, इसलिये भावी सन्तान के अन्दर भी पहले की अपेक्षा अधिक गुण पैदा हो जाते हैं।

माता-पिता के गुणों का संतान में जाने का यह नियम आस्ट्रोलिया के मैण्डल नामक पांडी ने जानने का प्रयत्न किया। उसने मटर तथा तत्सदृश जाति की बेलों पर परीक्षण शुरू किये। उसने देखा कि माता-पिता के विशेष गुण—जैसे फूलों का रङ और पत्तियों का आकार आदि किसी विशेष प्राकृतिक नियम के अनुसार पैदा होते थे। उसने यह भी मालूम किया कि फल के बीज में सारे 'जन' सक्रिय नहीं होते और यह आवश्यक भी नहीं कि एक पीढ़ी के सब प्राणियों में वही 'जन' मुख्य और वही गौण हो जाय, जैसे पहले प्राणियों में थे। साथ ही उसने यह भी देखा कि ये विशेषताएं एक माता-पिता की एक

पीढ़ी की संतानों में किसी विशेष नियम के अनुसार होती हैं। तत्पञ्चात् प्रो० 'मारगत' और उसके शिष्यों ने और भी अधिक खोज करके जीवन के बहुत से भेद भालूम किये। उन्होंने फज्जो की मक्खी पर परीक्षण किये। मक्खी जल्दी-जल्दी सन्तान पैदा करती है—इसीलिए मक्खी ही को उन्होंने अपने परीक्षण के लिये चुना। उन्होंने देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी इन मक्खियों की सन्तान एक-सी होती है, परन्तु कभी कभी उनसे एकदम भिन्न बिल्कुल नई-सी मक्खी बन जाती है। उन्होंने ४०० बार ऐसे आकस्मिक परिवर्तन होते देखे। ये बदली हुई मक्खियाँ नई और पुरानी दोनों तरह की सन्तान पैदा करती हैं। वैज्ञानिक हैरीसन और मुलर ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया। हैरीसन ने देखा कि इन मक्खियों तथा अन्य जानवरों को विशेष प्रकार की खुराक खिलाने और विशेष परिस्थियों में पालने पर उनमें कुछ नये गुण पैदा हो जाते हैं। जिनमें से कठिपय गुण सन्तान में नहीं जाते और कठिपय चले जाते हैं। इस प्रकार हैरीसन ने अनेक पक्षियों के पश्चांत का रंग बदल दिया। मुलर ने तो कमाल ही किया। उसने 'रज' और 'बीर्य' के सैल्प पर 'एक्स किरण' डाली। इन किरणों ने सैल्स के भीतर पहुंच कर 'जनों' को कुछ ऐसा झटका दिया कि उनमें कुछ रसायनिक परिवर्तन हो गये और रज-बीर्य के सैल बिल्कुल नई तरह के जीव बनाने लग गये। कहने का अभिप्राय यह है कि 'एक्स किरण' ने 'जनों' को बिल्कुल ही बदल दिया।

इन 'एक्स' किरणों से प्रभावित किये हुए सैल्स से अच्छे गुणों वाली सन्तान पैदा होगी या बुरे गुणों वाली, यह नहीं कहा जा सकता। फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि अगर कमज़ोर और बुरे गुणों वाली सन्तान पैदा हो तो उन्हें नष्ट

भी किया जा सकता है। अगर वह कमजोर होगी तो स्वयमेव नष्ट हो जायगी, और यदि अच्छे गुणों वाला कोई जानवर बना तो वह अपनी सन्तति कायम कर लेगा। मुलार के परीक्षणों से यह मालूम हुआ कि इच्छानुसार सन्तान की 'जाति' बदली जा सकती है। प्रकृति में 'एक्स' किरणों के प्रकार की किरण और खुबने वाली किरण रेडियम जैसी धातुओं से अपने आप निकल रही है, और जब भी कोई ऐसी किरण किसी जाति के रज वीर्य के 'सैन्स' पर अपना असर डाल देती है, तो उससे एक नई जाति बन जाती है।

जीवों में विशेष गुण उत्पन्न करना—किसी एक जाति की सन्तानों में भी विशेष प्रकार के गुण पैदा किये जा सकते हैं। ऐसा करने में तो केवल उन गुणों वाले माता-पिता से ही सन्तान पैदा करके एक विशेष प्रयोजन के लिये विशेष प्रकार की सन्तान बनाई जा सकती हैं। इस तरह आस्ट्रोलिया में साधारण भेड़ से दो ऐसी भेड़ें बना ली गईं, जिनमें से एक कई मन मौस दे सकती थी, और दूसरी केवल अस्थि-पंजर ही रह गई। किंतु इस अस्थिपञ्चर-मात्र भेड़ के शरीर पर ऊन ही ऊन भरी हुई थी। इसी सिद्धान्त पर अमेरिका में, एक दिन में एक मन से भी अधिक दूध देने वाली गौ की नसल बन गई है और इस प्रकार साधारण मुर्गी से तिगुने अडे देने वाली मुर्गी तैयार की जा चुकी हैं। एक ही जाति के माता-पिता से उत्पन्न होने वाले प्राणी से सन्तति चल सकती है। कई बार दो विभिन्न जातियों के माता-पिता से एक बिलकुल नई जाति की सन्तान पैदा हो जाती है। जैसे कि घोड़े और गधे से खच्चर। पर यह सन्तान आगे नहीं चल सकती। इस प्रकार आज कई तरह के जानवर बनाये जा रहे हैं, जो विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आजकल विशेष विशेष

रोगों की चिकित्सा के लिए नये-नये गुणों वाली जड़ी-बूटियाँ बहुत अधिक मात्रा में तैयार की जाती हैं।

यह मान लिया गया है कि रज के सैल्स अपने आप ही बढ़ कर पूरी सन्तान बना सकते हैं। 'रज' के प्रत्येक सैल में एक तो 'जन' की पोटजी होती है और दूसरी में उनकी खुराक रहती है, जिससे वह यथोचित काल तक कहाँ और खुराक मिले विना ही बढ़कर जानवर की शक्ति पैदा करना शुरू कर दे। इसी तरह वीर्य के अन्दर भी जन की पोटली के अतिरिक्त एक सुई-सी होती है, जिसको चुभा कर यह 'रज' के सैल को बढ़ने की प्रेरणा करता है। मेढ़क के अंडों को कंचल खून में छूती हुई सुई चुभा कर वह प्रेरणा दी गई और इस प्रकार मेढ़क के रज का एक सैल स्वयं मेढ़क बन गया। इस प्रकार नर और मादा के सम्बन्ध के विना रज के सैल्स से अधिकतर नर मेंढक ही बनते हैं। एक परीक्षण में 'नर-खरगोश' और 'मादा-खरगोश' से वीर्य और रज के सैल्स निकाल कर एक शीशे की सुराही में मिलाये गये। उसके बाद उस मिश्रण को एक अन्य 'मादा-खरगोश' के गर्भाशय में डाला गया। इसी कार्य से वहाँ भी खरगोश के साधारण बच्चे पैदा हो गये। अमेरीका में कई स्त्रियों पर भी इसी प्रकार के परीक्षण किए गये हैं।

मोटे रौर पर वीर्य और रज में यह अन्तर है कि जहाँ वीर्य के सैल्स तो एक सुई की नोक-सी हैं, जिसके द्वारा वह रज के सैल्स को प्रथम उत्पत्ति और पश्चात् वृद्धि के लिए प्रेरित करता है, वहाँ रज के सैल्स में खुराक भर दी गई है जिससे कि रज के सैल्स अपने में से ही खुराक लेकर तब तक बढ़ते रहें, जब तक कि वे बाहर से

खुराक नहीं पा सकते। किंतु चौपाये तथा अन्य प्रकार के जानवरों में रज के साथ खुराक की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण उन्हें जल्दी ही माता से गर्भाशय के भीतर से खुराक लेनी पड़ती है। यदि यही खुराक किसी रासायनिक विधि से बनाकर बढ़ते हुए रज के टुकड़े को गर्भ के बाहर ही दी जा सके, तो यह सम्भव है कि यह शीशे की नाली में रक्खा हुआ रज पूरा जीव बन सके।

**सैल्स का पृथक् जीवन**—अंची श्रेणी के जीवों और पौधों के सैल्स किसी विशेष दिशा में बहुत विकसित हो चुके हैं और सैल्स ने अपना-अपना काम पूरी तरह बांट लिया है। जब तक इन सैल्स को उचित खुराक मिलती चली जायगी, वे अपना कार्य भी सम्यक्-तय करते चले जायगे, चाहे शेष वस्तुओं को कुछ भी क्यों न हो जाय। इसीलिए तो प्रो० 'कैरल' की मुर्गी के 'दिल का दुरुड़ा' आज २५ साल से जीवित है। वह अपनी खुराक इन रासायनिक द्रव्यों से ही प्राप्त कर लेता है। मेढ़क का दिल काटकर बाहर निकाल लेने पर भी वह एक विशेष घोल में कई घरटे तक जीवित रह सकता है।

**पौध लगाना**—इसी नियम पर विश्वास रखते हुए अमेरिका में एक कृषि विशारद ने ताढ़ के बृक्ष पर विभिन्न प्रकार के १६ फलों की टहनियों की पौध लगाई। इस ताढ़-बृक्ष की इन विभिन्न शाखाओं में एक बार में ही एक साथ १६ तस्कू के फल लगे। ताढ़ का पेड़ वस्तुतः इन सब विभिन्न शाखाओं के लिये पर्याप्त पानी और ज्ञार आदि आवश्यक और पुष्टिकारक सामग्री देता रहा, जिन्हे ये टहनियों अपने में लेती थीं। जब उनको अपने जीवन के लिए आवश्यक और उपयोगी सामग्री पक ताढ़ के तने

से ही मिल गई, तो उन्होंने अपने फल-फूल नियमित रूप से देने ही थे। इसी तरह आज पंजाब में हजारों गलगल और नारंगी के पेड़ों में मालटे और सन्तरे की पौध लगा कर, इनकी फसल कई गुना बढ़ावी गई है। इस प्रकार यह भी सम्भव है कि जंगली और व्यर्थ के पेड़ों पर भी ठीक तरह की पौध लगाकर, इनको लाभदायक पेड़ों में बदल दिया जा सके। यह बाहर की पौध के बज बृक्षों पर ही नहीं लगती। अब यह मनुष्यों में भी लगाई जाती है। हड्डी और चमड़े के टुकड़े तो एक जानवर से दूसरे में लगाये ही जाते थे, पर अब तो एक जानवर के ग्लैंड्स (Glands) — गिलटियाँ—निकाल कर एक दूसरे जानवर से लगाई जा सकती हैं। इसी प्रकार मनुष्य की दूषित गिलटियों को निकाल कर उनकी जगह बन्दर की गिलटियाँ लगादी जाती हैं, जिससे बूढ़े भी जबान बन जाते हैं। इसी तरह बीयना (जर्मनी) के एक डाक्टर ने १२ साल के अन्धे को, जिसकी आंख का कोर्निया (पुतली के सामने वाला भाग, जिसमें फोले पड़ते हैं) फोला पड़ कर छलनी हो गया था, निकाल दिया और एक दूसरे मनुष्य का कोर्निया लगा कर पुनः उसकी आंखें ठीक कर दी। आज गंजों के सिर पर बालों वाली खाल लगाई जा सकती है और स्वस्थ पुरुषों के रक्त को अस्वस्थ पुरुषों में ढाल कर उन्हें स्वस्थ बनाया जा सकता है।

**मृत्यु**—एक फाँसी लगे हुए अपराधी का दिल, उसकी मृत्यु के ११ घण्टे के बाद निकाल कर उसे पुनर्जीवित किया जा चुका है। इस दशा में हमें कानूनी मृत्यु दंड के अर्थ न जाने क्या लेने होगे। वस्तुतः मृत्यु तो उसे कहेंगे, जब प्राणी के विभिन्न सैल्स एक दूसरे की सम्बन्धतया सहायता करना छोड़ दे। मृत्यु तो केवल

सैल्स की पूर्ण अव्यवस्था ही है। क्या मृत व्यक्ति का प्रत्येक अङ्ग मर जाता है? वास्तव में मौत का तात्पर्य यह है कि शरीर के सभ्यर्ण सैल्स में बढ़ने की शक्ति, और बढ़ कर दो-दो हो जाने की शक्ति नहीं रही। वस्तुतः ऊँची श्रेणी के जानवरों और पौधों के सैल्स क्रमशः एक दिशा में इतने उन्नत हो जाते हैं कि वह जीवन के सारे कार्य स्वयं नहीं कर सकते। यही करण है कि यदि किसी पट्टे के सैल्स को उचित रासायनिक घोल में रखा जाय, जैसा कि 'कैरल' ने किया था, तो ये सैल्स सदा जीवित ही रहेंगे। इनके लिये मौत कोई चीज़ नहीं रहेगी। इसी तरह उन सब सैल्स के लिये, जो अपने सब काम अपने आप कर सकते हैं, मृत्यु के कोई अर्थ नहीं। एक बुढ़ा सैल टूटकर दो नौजवान सैल बन जाता है, तो फिर मौत किस की हुई? जिन जानवरों और बनस्पतियों के सैल्स ने एक विशेषता होते हुए भी आवश्यकता के समय जीवन के सारे कार्य करने की शक्ति नहीं खोई, वे आइ मौके पर उन शक्तियों का प्रयोग करके जीवित रह सकते हैं। पत्थरकून के बंश के पत्ते की विशेषता है कि यदि उसे तोड़ कर फेंक दिया जाय, तो अनुकूल भूमि पाकर बड़ न केवल जीवित ही रहेगा, किन्तु उसी से पुनः पूरा पेड़ भी बन जायगा। इसी तरह आलू का ढुकड़ा गन्ने को पोरी (आक्ष), अदरक की गट्ठी और गुलाब की टहनी भी बड़ कर पूरा पेड़ बन जाते हैं।

इसलिये वस्तुतः जीवन तो इन सैल्स का है और इन्ही सैल्स ने अपने आराम के लिये मिल-जुलकर शरीर को एक साधन-सा बनाया हुआ है, जिसे हम गौ, घोड़ा, पीपल, आम या मनुष्य कहते हैं।

मनुष्य की अमरेता— तो फिर यह विचार उत्पन्न होता है कि मनुष्य के सारे सैल्स सदा जीवित रखके जा सकते हैं या नहीं। प्रो० 'कैरल' का कथन है कि सैल्स के जीवन को दो प्रकार से लम्बा करना पूरी तरह सम्भव है। प्रथम यह कि उन को सदा ठीक खुराक मिलती रहे और उनसे निकला हुआ 'मल' ( Duty matter ) उनके आस-पास इकट्ठा न होने दिया जाय। क्योंकि यह मैल ( refuse ) उनके लिये जहरीला होता है। द्वितीय प्रकार यह है कि सैल्स के जीवित होते हुए भी उनके सब कार्यों को रोक दिया जाय, जिनके करने के लिये उसे खुराक की आवश्यकता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि लोग योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर के सैल्स के ऐसे सब कार्यों को बन्द कर देते थे और घण्टों, दिनों, महीनों और वर्षों तक समाधि लगाकर ऐसी हालत पैदा कर लेते थे कि उनके सैल्स को किसी भी प्रकार की खुराक की आवश्यकता न होती थी। प्रो० कैरल का यह विचार है कि इस तरह मानवीय शरीर के कार्य को सदियों के लिये बन्द करके पुनः चलाया जा सकता है। यदि मनुष्य को थोड़ी देर के लिये इस तरह निर्जीव-सा बनाकर पुनर्जीवित किया जाय, तो जितने समय वह निर्जीव रहेगा, उतने समय के लिए, उस मनुष्य के जीवन का तो क्या कहना, उसके लिये तो प्रत्येक वस्तु तथा समय भी ठहर गया। और ३० वर्ष का नवयुवक ५० वर्ष की समाधि के पश्चात् किरभी ३० वर्ष का ही होगा !

परन्तु जीवनोपयोगी सभी कार्य करते हुए दीर्घायु होना ही मनुष्य की इच्छा रही है। प्रत्येक पहली तथा प्रत्येक संभव ब्राह्मण

से उन नियमों की खोज की जा रही है, जिससे मनुष्य साधारण जीवन विताते हुए भी बहुत देर तक मृत्यु से बच सके। यह बात अभी तक तो ठीक है कि मृत्यु ही जीवन का अन्त है। क्योंकि अब तक किसी ऐसी विधि का ज्ञान नहीं हो सका, जिससे मनुष्य सर्वदा जीवित रहे। मनुष्य जीवन के कार्य ही ऐसे हैं कि उसके सैलस धीरे-धीरे शरीर के अन्दर अधिक से अधिक मात्रा 'मे 'मल' पैदा करते चले जाते हैं। और विभिन्न सैलस अपने ही पैदा किये हुए 'मल' के अन्दर इस तरह घिरते चले जाते हैं कि उन को आवश्यक खुराक पहुँचानी भी कठिन हो जाती हैं। हाइये हृद हो कर अपने सैलस को इसी पैदा होने वाले मल से घेरती चली जाती हैं। जिसेसे वह पूरी खुराक न मिलने के कारण कमज़ोर हो-होकर असमर्थ से होते चले जाते हैं। खुन की नाडियो के सैलस अपनी ही क्रिया के कारण इस तरह कठोर और मटियाले हो जाते हैं कि बहुत बुढ़ापे मे झटके खा कर वह सूखे रबड़ की तरह टूटने लगते हैं और इस तरह दिमाग, पट्ट, मेदा आदि के सैलस के समीप मिलनता के सैलस का लेप कर के, उनको कमज़ोर बना कर इन सैलस के भी खुराक पहुँचाना मुर्शकल बना देते हैं। और इसी जिए शरीर के सब भाग धीरे-धीरे अपना काम करने के अयोग्य हो जाते हैं। अन्ततोगत्व इसी खुराक के न पहुँचने पर वे मर भी जाते हैं। किन्तु मनुष्य की मृत्यु उस भाग की कमज़ोरी के कारण मानी जायगी, जिसके सैलस खुराक न मिलने के कारण सब से पहले काम छोड़ दे।

यह कमज़ोर हो गए सैलस रोगों के भी बड़ी सुगमता से शिकार हो जाते हैं। ये रोग मनुष्य में दो कारणों से हो सकते

हैं। एक तो उसके शरीरिक अङ्ग प्रत्यङ्ग के बाहर के कीटाणुओं के कारण निर्बल हो कर यथाविधि कार्य न करने से और दूसरा बाहर के कारणों से।

**ग्लैड्स—शरीर के सब कार्यों को चलाने के लिये स्नायुओं से भी अधिक उपयोगी विशेष ग्लैड्स को माना गया है।** मनुष्य के अन्दर इस प्रकार ८ ग्लैड्स हैं। इन में से प्रत्येक 'गिलटी' से 'एक तरह का रस' निकलता है और यह रस ही शरीर के लिये अमृत की बूँदें हैं। इन गिलटियों में सबसे अधिक आवश्यक पिच्यूटरी ग्लैड्ड है, जो दिमाग के नीचे होता है और इस ग्लैड का रस न केवल शरीर की सब रसायनिक क्रियाओं को अपने अधीन रखता है, अपितु शेष सब गिलटियों के काम का भी नियंत्रण करता है। इस गिलटी का रस ही अस्थियों की रचना और बौने तथा बहुत लम्बे पुरुष बनाने में कारण है। दूसरा पेरीनल ग्लैड है जिस को कभी आत्मा का स्थान समझा गया था। यह भी दिमाग में ही है। यह शरीर की बनावट के साथ साथ पुरुष स्त्री के युवा या युवती बनने पर भी नियन्त्रण करता है। ३ रा—ग्लैड वह है, जिस के रस के कारण सुराक पचती है और शरीर में फैलती है। ४—इस तीसरे ग्लैड के पास ही दो और गेहूँ के दाने के बराबर ग्लैड होते हैं, जिन का रस हड्डियों पर असर रखता है। ५—ग्ले के नीचे छाती के ग्लैड होते हैं। इस के रस का अभी ठीक तरह पता नहीं चला। पर जिन चूहों को इस के रस पर पाला गया, वे ८० से १२०। दन में सन्तान पैदा करने के स्थान पर ऐवल ४३ दिन में ही ८ बच्चों को पैदा करने लग गए। ६—मेदे के नीचे इसी तरह का एक और ग्लैड है। इस में से तीन रस निकलते हैं, जो भोजन पचाने का काम करते हैं। इनमें से एक

इनसोलिन हैं, जिस की कमी से वहुभृत्र तथा मधुमेह की बीमारी हो जाती है और जिगर भी अपना काम छोड़ देता है। ७—गुदे के ऊपर एक और रैलैण्ड्र है जिस का रस शरीर के तन्तुओं के कार्यों की देखभाल करता है। यह पट्टे, दिल, फेफड़े आदि सब का काम सम्यकृतया चलाता है। ८—इस के बाद रज और वीर्य पैदा करने वाली गिलटिया है, जिन का रस पुंस्त्र और स्त्रीत्व को वश में रखता है। शरीर के सम्पूर्ण कार्य इन ८ रैलैण्ड्र्स में बंटे हुए हैं। और जब भी कभी एक रैलैण्ड्र के रस में कमी या आधिक्य हो जाता है या किसी और प्रकार से उन में परिवर्तन हो जाता है तो शरीर में नाना रोग और दुर्बलताएं पैदा हो जाती हैं। इन रैलैण्ड्र्स के रसों का मनुष्य के पुरुष्ट्व और स्त्रीत्व पर इतना प्रभाव है कि—इन रसों के इन्जेक्शन से ही मनुष्यों में स्त्रियोचित गुण पैदा हो जाते हैं। स्तन बढ़ कर उन में दूध आने लगता है। वह स्त्री की वेशभूपा को पसन्द करने लगता है। घरेलू धन्धों में उस का मन लगता है। इसी तरह लड़कियों में रसों के इन्जेक्शन से उन में पुरुषों के गुण पैदा किए जा सकते हैं।

इन रसों में से कई 'रस' तो विज्ञान शाला (Laboratory) में बनाये भी जा चुके हैं। और जिन रोगियों में इन की कमी होती है, उन्हें इन्जेक्शन (injection) द्वारा दिये जाते हैं। आज हजारों लाखों मधुमेह की बीमारी के रोगी इन्सोलिन के इन्जैक्शन के सहारे जीते हैं। यह भी संभव है कि शल्य-

किया के द्वारा पुरानी और कमज़ोर गिलटियों को निकाल कर नई गिलटियां लगाई जा सके या किसी और आदमी की स्वस्थ गिलटी का छोटा-सा टुकड़ा ले कर रोगी में से उसकी पुरानी गिलटी निकल कर इस तरह लगाया जाय कि यह गिलटी का टुकड़ा बढ़ कर पूरी गिलटी बन जाय और सनुष्य को पुनः नवजीवन दे ।

इति

# विश्व साहित्य ग्रन्थमाला के कुछ प्रकाशन—

## कहानी संग्रह—

|   |      |
|---|------|
| संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ           | २)   |
| चरागाह ( तुर्गनेव )                     | १)   |
| पाप ( चैत्रव )                          | १)   |
| विवाह की कहानियाँ ( हार्डी )            | १)   |
| वसीयतनामा ( मोपासां )                   | १)   |
| अमावस ( चन्द्रगुप्त विद्यालंकार )       | २॥)  |
| भय का राज्य ( चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ) | १)   |
| नई कहानियाँ ( जैनेन्द्रकुमार )          | २)   |
| प्रेमचन्द की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ       | १॥=) |
| दुनी हुई कहानियाँ ( दुनीचन्द )          | २)   |

## नाटक—

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| राणा प्रताप ( हिजेन्द्रलाल राय ) | १॥=) |
| सिंहल विजय ( „ „ )               | १॥)  |
| आशोक ( चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ) | ३॥=) |
| रेवा ( - „ )                     | १॥)  |
| बीर पेशवा ( सन्तराम )            | १॥)  |
| कुन्दमाला ( दिग्नाग )            | १)   |

## कविता—

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| अन्तर्वेदना ( पुरुषार्थवती )    | १।)  |
| निशीथ ( रामकुमार वर्मा )        | १।)  |
| कल्पना ( मोहनलाल महसो )         | १॥।) |
| साहित्य भवन ५, फेन रोड, लाहौर । |      |

भय का राज्य १)

अमावस २॥)

लेखक—श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार

“श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार मे जीवित कल्पना शक्ति और विशाल सहानुभूति की भावना है। उनकी शैली स्वाभाविक है, वह कहीं भी बैठ कर नहीं चलती। हमें विश्वास है कि पाठक उनकी कहानियों को अत्यधिक पसन्द करेंगे।”—लीडर ( अलाहाबाद )

“श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार मे कहानी लिखने की असाधारण प्रतिभा है। उनकी कल्पना उपजाऊ है, भाषा मे जीवन है।”

—ट्रिब्यून, ( लाहौर )

“हिन्दी-जगत चन्द्रगुप्त जी पर नाज़ कर सकता है और वस्तुतः वह हिन्दी जगत के लिये गौरव है।”

—विशाल भारत ( कलकत्ता )

“चन्द्रगुप्त जी की कल्पना ऊर्वरा है, भाषा मे भाव है, चित्रण मे रंग है, कहने मे ढंग है।”—हंस ( बनारस )

“चन्द्रगुप्त जी से हिन्दी को बहुत आशा है।”

—सरस्वती ( इलाहाबाद )

“चन्द्रगुप्त जी ने एक जगह लिखा है—‘मुझे विश्वास है कि पाठक मेरी इन कहानियों को अवश्य पसन्द करेंगे।’ इस अभिमान के वह पूरे अधिकारी हैं।”—“विश्वमित्र” ( कलकत्ता )

“हिन्दी के आठ-दस सर्वोच्च कोटि के कहानी-लेखकों मे चन्द्रगुप्त जी का प्रमुख स्थान है।”—चित्रपट ( दिल्ली )

‘साहित्य भवन ५, फेन रोड, लाहौर।

# हिन्दी प्रभाकर परीक्षा की सहायक पुस्तकें

## हिन्दी साहित्य के इतिहास की प्रश्नोत्तरी

[ श्री गोपालवारण ज्यास साहित्यनव ]

इसमें हिन्दी साहित्य का सारा इतिहास प्रश्न और उत्तर के हृप में बड़ी सुगमता से समझाया गया है। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रायः सभी प्रश्न इसमें आ गये हैं। मू० ॥-)।

## अपठित हिन्दी और रचना-तत्त्व

[ श्रो० रामकृष्ण छुट्ट ऐम. ए० ]

प्रभाकर परीक्षा के नये पाठ्य-क्रम के अनुसार इस पुस्तक। अपठित गद्य और पद्य की व्याख्या, सार-कथन, शीर्षक, अच्यार्थ, शैली, भावात्मक, विचारात्मक और आख्यानात्मक-रचना, निबन्ध-रचना, संवाद-रचना, पत्र-लेखन, सार-लेखन और वेस्तार-लेखन आदि रचना के सभी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इस विषय की हिन्दी में वही एक मौलिक पुस्तक है। मूल्य १॥)

## प्रबन्ध-प्रभाकर

[ ले०—श्री गुलाबराय एम. ए. ]

इस पुस्तक में १९२४ से लेकर अब तक के प्रभाकर परीक्षा में आये हुए निबन्ध दिए गए हैं। साथ ही कुछ अन्य सांहित्यिक लेख भी जोड़ दिये गये हैं। निबन्धों की भाषा सरल होने पर भी परिष्कृत है, जो विद्यार्थियों के लिए आदर्श कही जा सकती है। १॥)

## मानव जाति का संघर्ष और प्रगति की प्रश्नोत्तरी

इसमें प्रभाकर के छठे पच्चे में साधारण ज्ञान के लिए नयी जुड़ी 'मानवजाति का संघर्ष और प्रगति' नामक पुस्तक में से पूछे जाने वाले सभी संभावित प्रश्न और उनके उत्तर दिये गये हैं।

## प्रभाकर प्रश्नपत्र आदर्श उत्तर सहित

[ सं०—देवचन्द्र विशारद ]

इसमें सन् १९३७ से आजतक के प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। उत्तर प्रामाणिक हैं। मू० २।)

 सब तरह की सहायक पुस्तकें लेते सम हिंदी-भवन, लाहौर का नाम उन पर अवश्य दे लीजिए; क्योंकि हिंदी-भवन द्वारा प्रकाशित पुस्तकें सबसे अधिक शुद्ध तथा सुसंपादित होती हैं।

## हिंदी प्रभाकर परीक्षा की सहायक पुस्तकें काव्य-प्रदीप की प्रक्षोत्तरी

[ श्री दुर्गाप्रसाद गुप्त साहित्य-विशारद ]  
इसमें काव्य-प्रदीप का संक्षेप प्रभ और उत्तर के रूप में निर्गत है। मूल्य (=)

### अलंकार का चार्ट

[ श्री देशबंधु शास्त्री तथा प्रो॰ ट्रेकचन्द शास्त्री ]  
इसमें प्रभाकर परीक्षा के सब अलंकार उदाहरण सहित दिये हैं। ठीक परीक्षा पर काम आने वाली बस्तु है। मूल्य (=)

### कबीरदास

[ डॉ—मानसिंह पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नरोत्तमदास स्वामी, पेम। विद्यामहोदधि, अध्यक्ष, हिंदी विभाग, हैंगर कालिज, दीकानेर ]  
महाकवि कबीर की जीवनी और उनके काव्य की विस्तृत विशेषज्ञान आलोचना। पुस्तक के विषय निम्नलिखित हैं—  
१. जीवन-वृत्त, २. कबीर की रचनाएँ और उनकी भाषा, ३. उपदेशक और सुधारक कबीर, ४. साधक कबीर, ५. कबीर रहस्यवाद, ६. कवि कबीर, ७. उपसंहार। मूल्य १।)

### नवनिधि की कुंजी

[ लेखक—श्री शंभुदयाल सक्सेना साहित्यरचना ]  
इसमें नवनिधि के कठिन शब्दों और सब पद्यों के अर्थ व सरल भाषा में विस्तार-पूर्वक दिये गये हैं। श्री शंभुदयाल द्वारा लिखने में अपना सानी नहीं रखते। उनकी लिखी कुंजी शुद्धता, स्पष्टता आदि में अद्वितीय है। मूल्य १।=)

